राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 19

मंगलवार,

25 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

जिला झुंझुनूं में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विकास पर व्यय की गई राशि

536. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998-99 व 1999-2000 की अवधि में झुंझुनूं जिले के किन-किन गांवों की अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त जिले में कुल कितनी बस्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गयी ?

(3) उक्त जिले में सरकार द्वारा उक्त जातियों के कल्याणार्थ और कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) झुंझुनूं जिले में वर्ष 1998-1999 में 12 तथा वर्ष 1999-2000 में 4 हरिजन बस्तियों में बिजली उपलब्ध करवाने पर की गयी व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) झुंझुनूं जिले में वर्ष 1998-1999 एवं 1999-2000 में कुल 21 हरिजन बस्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उन सभी को स्वीकृति जारी की गयी।

(3) झुंझुनूं जिले में उक्त जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गयीं। संचालित की गयी योजनाओं के नाम एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर अवलोकनीय है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने भाग एक और भाग दो का उत्तर दिया है। भाग एक में आपने यह बताया है कि 16 बस्तियों को लाभ दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि कितने प्रस्ताव आये और उनमें से कितने स्वीकृत हुए, और भाग दो में आपने कह दिया कि 21 प्रस्ताव आये थे और सब लाभान्वित कर दिये गये। इन दोनों फिगर्स में कहीं कोई गलती तो नहीं है ? एक में आपने 16 को लाभान्वित किया है और दूसरी में आपने 21 को लाभान्वित किया है। आप इसको चैक अप करवा लें।

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार की नीति है कि जहां भी बिजली का विस्तार हो और नये गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया जाए उसमें जहां हरिजन बस्तियां हैं उन हरिजन बस्तियों को जब तक इलेक्ट्रिफाई नहीं किया जाए तब तक वह गांव इलेक्ट्रिफाई नहीं माना जाता। यह सरकार की नीति है, बिजली बोर्ड की नीति है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या झुंझुनूं जिले में 21 ही गांव ऐसे हैं हरिजन बस्तियां, जिनमें बिजली की सुविधा नहीं थी ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि 21 ही प्रस्ताव पास हुए हैं, इन प्रस्तावों के मिलने का क्या क्राइटेरिया है ? कैसे प्रस्ताव आते हैं ? किस–किस की जिम्मेदारी है और कौन देता है ? आपके अधिकारी जिले में बैठे रहते हैं और जहां हरिजन बस्तियों के लिए आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव न तो लेने की चेष्टा करते हैं और जो कोई भी आ जाता है तो उसको सही तरह से मानीटरिंग करने की चेष्टा नहीं करते हैं। अध्यक्षजी, क्या आपके अधिकारी जो जिले में बैठे हैं, पंचायत समिति की मीटिंग्स में, और जिला परिषद की मीटिंग्स में जाकर, जो आवश्यक बस्तियां हैं लाभान्वित करने के लिए उनके बारे में कोई विचार–विमर्श होता है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, 1998–1999 और 1999–2000 में 21 बस्तियों के बारे में प्रस्ताव हुए थे। 16 की मंजूरी हो गयी, 16 को विद्युतीकृत कर दिया गया परन्तु जो पांच शेष रह गयी हैं उनके लिए राशि स्वीकृत हो गयी है। छोटा बस स्टेण्ड नवलगढ़, अम्बेडकरनगर, नवलगढ़, हरिजन बास नीवां, ढाणी चूना की , ढाणी देवीसिंह और कोठी पठाना, ये पांच जो शेष रह गये हैं ये अब कर दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी जहां तक जानकारी है कि समाज कल्याण अधिकारी जिला परिषद और पंचायत समितियों की मीटिंग्स में पहुंचते हैं और जो ये बस्तियां हैं उनको आइडेन्टिफाई करते हैं उसमें जहां के ए.ईएन. ......

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक भी अफसर नहीं जाता । यह बात गलत है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ... और समाज कल्याण अधिकारी और वहां का सरपंच या वार्ड मैम्बर जो होता है यह टीम वर्क करके उसको निश्चित करते हैं और वह लिस्ट फिर आगे बढ़ायी जाती है। वहां वह मंजूर हो जाती है। उसका तरीका यह है कि पूरे राजस्थान के अन्दर जितनी भी बस्तियां हैं उनका जिलेवार विभाजन किया हुआ है उनका अलाट किया हुआ है कि इतनी बस्ती यहां दी जाएगी, इस जिले में दी जाएगी और उतनी उस जिले में। उसके अनुरूप वह व्यवस्था देखते हैं। ज्यादा हैं तो उनमें से छांटकर कौनसी बस्ती च्सुविधाजनक तरीके से पहले की जा सकती है उसको पहले ले लेते हैं और जो शेष रह जाती हैं बाद में लेते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, आपने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंग्स में जाते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि एक भी आपके विभाग का अधिकारी आज तक जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं गया है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन क्या आप इस प्रकार की आज्ञा जारी करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि वे उन मीटिंग्स में जाकर लोगों से प्रस्ताव लें ताकि समाज के उस वर्ग के हित की बात हो जिसके लिए हम अधिक से अधिक लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार के पास पैसा है। केन्द्र से रुपया आता है और हमारे पास भी रुपया है उसके बावजूद भी आपके अधिकारियों की शिथिलता के कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप इसमें थोड़ी सक्रियता लाइये। आपको इंफारमेशन दे दी, सही है। लेकिन आपके अधिकारी वहां कुछ नहीं कर रहे हैं वरना 21 ही हरिजन बस्तियां वहां से लाभान्वित नहीं होती। यह बात संभव नहीं है, मानने लायक नहीं है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सवाल समाज कल्याण का है लेकिन यह विद्युत मण्डल से सीधा सम्बन्ध रखता है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 16 बस्तियां तो लाभान्वित हो चुकी हैं और पांच में स्वीकृति हो गयी। कार्य प्रगति पर है, हो जाएगा डिमाण्ड नोट के पैसे जमा होने पर। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विद्युत मण्डल एक वित्तीय वर्ष में कुओं के ऊर्जीकरण या गांव के विद्युतीकरण का काम हाथ में लेता है इसी तरह से हरिजन बस्तियों का भी कार्यक्रम हाथ में लेता है। इस वर्ष 150 हरिजन बस्तियों का कार्यक्रम पूरे राज्य में हाथ में लिया गया था। उसी के अनुरूप लगता है कि 21 बस्तियां भी ली गयी होंगी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को यह निर्देश आलरेडी दिये हुए हैं कि जो भी जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंग हो उसमें वह आवश्यक रूप से पहुंचे। मैं इसकी जांच करवा लेता हूं। अगर वे नहीं पहुंचे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : आप उसको सुनिश्चित करें।

श्री परसराम मोरदिया : पूरे हाउस में एक भी माननीय सदस्य कह दे, पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग्स में आज तक कोई अधिकारी गया हो तो।

श्री अध्यक्ष : एक–एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन हरिजन बस्तियों को, जैसे पूरी पंचायत में बिजली है और हरिजन बस्ती जो है, उसमें बिजली नहीं है, उनका क्या तरीका है ? किस तरीके से आप बिजली देंगे ? उनको एप्लाई किए हुए 12–12 महीने हो गये। समाज कल्याण से तो आप छोड़िए। वे निजी लगाना चाह रहे हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है ? (व्यवधान) मैं बिजली मंत्रीजी से भी कह रहा हूं न। आप खेती के लिए तो कहते हैं कि आज एप्लाई करो और कल मिल जाएगी। फिर यह घरों में क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बात नहीं। मिस्टर मोरदिया।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ने सही कहा है। कृषि कनेक्शन का जहां तक सवाल है, अनुसूचित जाति के लोग अपने कृषि के कुए पर कनेक्शन की मांग करता है तो उन्हें तुरन्त कनेक्शन दे दिया जाता है। जहां तक घरेलू कनेक्शन का सवाल है, पहले भी माननीय सदस्य जो गुढ़ा से आते हैं, उन्होंने नीतिगत सवाल उठाया था वह एकदम सही है। हम नये गांव का विद्युतीकरण करते हैं तो उस गांव का विद्युतीकरण तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उस गांव की, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व गांव की जो बसावट की भूमि है, कोई हरिजन कालोनी है, हरिजन बस्ती है जब तक उसका विद्युतीकरण नहीं करेंगे तब तक गांव का विद्युतीकरण नहीं माना जाएगा। जहां तक दूसरा सवाल आपने रखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चूंकि घरेलू कनेक्शनों की संख्या बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है उसमें कोई अलग से प्रायोरिटी की तो बात नहीं है लेकिन एस.टी., एस.सी. के जो लोग हैं वे कनेक्शन के लिए एप्लाई करते हैं और यदि वह उस आबादी क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी वहीं 1200 रुपये की गांवों के लिए व्यवस्था है। उसके अन्तर्गत उन्हें कनेक्शन दिया जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, दूसरा सप्लीमेंट्री है। माननीय बिजली मंत्री जी बीच में आ गये, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि इतनी कालोनियों को हमने चिह्नित किया है इस साल भर में, तो क्या आधार है आपका चिह्नित करने का ? सौ से ऊपर जो आपने कालोनियों के लिए कहा है तो किस आधार पर आपने इनको चिह्नित

(श्री शिवनाथ सिंह)

किया है और क्या क्राइटेरिया के हिसाब से आप वहां बिजली पहुंचाते हैं ? रुपया देगा आपका समाज कल्याण विभाग, चिह्नित करोगे आप। इसलिए दोनों में क्या को–आर्डिनेशन है ? यह आप बता दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व गांव हैं जैसा अभी आपने जवाब में बताया कि यह बस्तियां ज्यादातर वहां जो ढ़ाणियों की हैं, जो राजस्व गांव हैं उसमें बसावट के समय जो लोग कनेक्शन ले लेते हैं कोई बस्ती, वह तो उसमें आ ही जाता है। और उसके बाद में जो हरिजन बस्ती, जहां जिस गांव में विद्युत का तंत्र है और उस गांव की बसावट में, उसको तो प्राथमिकता देते हैं या फिर जो नजदीक की बस्ती होती है उसको भी प्राथमिकता देते हैं फिर चयन का जहां तक सवाल है यह मंत्रीजी ने जो बात कही कि इसमें इनके विभागीय अधिकारी भी होते हैं और विद्युत मंडल अधिकारी भी होते हैं और बैठकर के प्रपोजल्स बनाते हैं और फिर उन प्रपोजल्स में ज्यादा आवश्यकता जहां पर है और जहां पर तंत्र विकसित हुआ है उन बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करते हैं। यह बात सही है कि मांग तो बहुत ज्यादा बस्तियों की है लेकिन टार्गेट डेढ़ सौ के हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे दो मई को इस पर चर्चा भी होगी, सभी डेढ़ सौ हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की कार्यवाही करीब–करीब पूरी हो गयी है इस वर्ष की।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने अभी यह कहा कि जब कोई नया गांव इलेक्ट्रिफाइड होता है और उस गांव की हरिजन बस्ती जब तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं होती है उस गांव को इलेक्ट्रिफाइड नहीं माना जाता है पर यह बात सही नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे हजारों गांव हैं जो इलेक्ट्रिफाइड हैं और हरिजन बस्ती में कहीं ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ट्रांसफार्मर दूसरी जगह लगा है और हरिजनों को एक भी उस गांव में विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। आपकी यह नीति है तो आप जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर लगाते हैं वह आप हरिजन बस्ती में ही लगाएं और नहीं लगे हैं, लगे हैं आज से पहले इसकी आप जांच करवाकर इस तरह की जिन अधिकारियों ने यह गलती की उनके खिलाफ कार्यवाही करिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : मेरा भी साथ ही दे दें उत्तर। अध्यक्ष महोदय, पाटन एईएन. के नीचे डोकन गांव है और जो सारा विद्युतीकृत है। खाली हरिजन बस्ती जो है, बारह महीने से उनके फार्म भरे हुए हैं, आज तक उनके डिमांड नोटिस जारी नहीं हुए हैं। जब वह जाते हैं डिमांड नोटिस के लिए, तो सात–सात हजार रुपये की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विद्युतीकरण हो रहा है उसके अन्दर तो उनको कनेक्शन दिलवाइये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा–मलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है। यह गांव दो तरह के हैं राजस्व गांव, एक तो जो 1991 की जनसंख्या पर आधारित हैं, एक में उसके बाद गांव में से नये राजस्व गांव बने हैं। इन नये राजस्व गांवों में जिनमें विद्युत तन्त्र नहीं है उनकी बात अलग है लेकिन 1991 की सैंसस के आधार पर जो गांव हैं और जो विद्युतीकृत हुए हैं उसमें उस गांव की हरिजन बस्ती में कनेक्शन जरूर दिये गये हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि ट्रांसफार्मर वहां रखे गये हैं या नहीं रखे गये हैं। यदि कोई स्पेसिफिक मामला इस तरह का आएगा, मैं उसकी जांच कराऊंगा और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा कि बिना हरिजन बस्ती को विद्युतीकृत किये उन्होंने गांव को कैसे विद्युतीकृत घोषित कर दिया।

डोकन गांव की आपने जो बात कही है यदि उस बस्ती के लोग उस गांव की बसावट की जो भूमि है उसके अन्दर बसे हुए हैं तो उनसे 1200 रुपये वसूल किये जाएंगे, सात हजार नहीं वसूल किये जाएंगे। मैं उसकी जांच करा लूंगा और यदि ऐसी बात है तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : 1991 की सैंसस में जो राजस्व गांव बने उसके सम्बन्ध में भी बता दिजिए आप। 1991 की सैंसस के बाद जो राजस्व गांव बने उस गांव में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए क्या योजना है ?

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : छोटी सी अर्ज म्हारी भी है। जो हमारे बिजली मंत्रीजी हरिजन बस्तियां के वास्ते कह रह्या कि हरिजनां की बस्ती के मांयने जो डेढ़ सौ गांव बताया है, पण म्हारी या निवेदन है कि ऊं हरिजनां की बस्ती की मांयने जो एम.एल.ए. का कोटा में भी पैसा दिया वांके मांयने भी चार–चार, पांच–पांच महीना हो गया, हमारे खानको खेड़ो है, हमारे काटडी है, हमारे उम्मेदपुरा पंचायत में उठे एक खेड़ा है और ये पांच,चार गांवों के मांयने एम.एल.ए. का कोटा में पीसा दिया है जिंके मांयने छह महीना हो गया, आज तक एक भी ठोर काम शुरू न कर्यो। दूसरी निवेदन आ है कि जो एम.एल.ए. का कोटा में पीसा देवे तो ये मंत्रीजी यां का विभाग के मांयने में भी विद्युतीकरण के मांयने भी कतराक पीसा देवे है या भी मैं निवेदन करूं।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : माननीय मंत्रीजी, मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अधिकारियों के खिलाफ जो आप कार्यवाही करते हैं वह सिर्फ कागजी कार्यवाही होती है। मैं आपको 295 में भी दे चुकी हूं। दो–दो बार मैंने आपको लिखकर दिया हुआ है कि गांवों में डी.पी. जली हुई है लेकिन आज तक उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तारों की चोरी हो गयी है लकिन सुनने वाला नहीं है। आप सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहती हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मिनाय से आने वाले सदस्य ने नये राजस्व गांवों के सम्बन्ध में कहा है। वहां का जब गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार जब वहां कनेक्शन्स की मांग होगी तो उस गांव में भी एस.सी. के लोगों को प्रिफरेंस होगी।

माननीय, शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने कहा है कि वहां पैसे जमा हैं कनेक्शन नहीं हुए। यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार हमने एक अभियान चलाया था कि घरेलू कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा दें, कोशिश करें कि चार लाख कनेक्शन बकाया थे सबको दें तो चार लाख, ज्यादातर लोगों को डिमांड नोटिस जारी किये गये, तीन लाख लोगों ने डिमांड नोटिस के पैसे जमा करा दिये उनमें से सवा दो लाख लोगों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। पिचहत्तर हजार अभी पैंडिंग हैं। सत्तर का पैंसठ हो गये होंगे, पिछले एक महीने पुराने फिगर दे रहा हूं। तो इनको सबको आने वाले दो–तीन महीने में, हमारी कोशिश तो यह थी कि 31 मार्च तक दें लेकिन अब 30 जून तक सबको कनेक्शन देंगे।

एक सवाईमाधोपुर से जो माननीय सदस्या हैं निश्चित रूप से 295 में भी उठाया है, मेरे पास यह गया है, पहले भी सवाल उठाया है। इनके जो गांव हैं उनमें अध्यक्ष महोदय, क्या है कि एक तो विद्युत के तारों की चोरी के मसले हैं, कई बार चोरी हो गये यह दिक्कत है। अब हमने किया है कि ऐसे गांवों में जो क्षतिग्रस्त हैं, विद्युत तार चोरी हो जाते है उनके लिए हमने मंडल की ओर से किया है कि पचास हजार रुपये तक का यदि खर्च आता है उनको कनेक्शन हम दे देंगे बाकी में दिक्कत है। कुछ जो डी.पी. जलने वाली बात है, डी.पी. जो जलती है उनको हम रिप्लेस करते हैं लेकिन कई जगह डी.पी. जली हुई रहती है। प्रायोरिटी उन गांवों को देते हैं जिन गांवों में विद्युत बिल के पैसे बकाया नहीं होते हैं। इनके गांवों को मैंने देखा है उनमें ज्यादातर में पैसे बकाया हैं। जिनमें बकाया नहीं है उनको भी निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी कर दिया जाता है, मैं करवा दूंगा और बकाया में जरा पैसे जमा कराएं।

श्रीमती यासमीन अबरार : मंत्रीजी, आपको अधिकारी लोग गलत रिपोर्ट देते हैं। बिलकुल गलत है उनके बिल जमा हैं पूरी तरह से जमा हैं। आपके अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देते हैं। मेरा आपसे यही तो निवेदन है जो आपके अधिकारी आपको बोल देते हैं आप उसी पर यकीन कर लेते हैं। आपको यह विधायक बोल रही है। मैं आपको बार–बार कम्पलेंट करती हूं लेकिन आपको बोलना चाहिए। आपको जो भी अधिकारी लिखकर दे देते हैं आप उस पर यकीन करते हैं। आप मेरी बात पर यकीन करिये ना। मैं आपको कह रही हूं हमारे पूरे बिल जमा हैं पैसे जमा हैं। आप सिर्फ यही कहते हैं कि हो जाएगा लेकिन होता नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में विद्युत बिल का कोई बकाया नहीं है वहां मैं 72 घंटे के अन्दर–अन्दर ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा आप मुझे अभी सूची दीजिए।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, नये मजरे और ढाणियों में आपके विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उनके विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : म्हारी आ निवेदन है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई भी पैसा बाकी नहीं होगा वहां लगा देंगे। तो ऐसा तो कोई गांव निकल ही नहीं सकता क्योंकि किसी का सौ रुपया किसी का दो सौ रुपया बकाया होगा... (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : तीन लाख रुपये एम.एल.ए. के फण्ड में दिये और वह तीन लाख रुपये जो... (व्यवधान) वह जिम्मेदारी आपकी होगी। वह तीन लाख रुपये की जिम्मेदारी भी आपकी होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण की गेंद ऊर्जा मंत्रीजी के पाले में कैसे चली गयी ?

श्री देवीलाल बैरवा : तीन लाख रुपये एम.एल.ए. के फण्ड में दिये और वह तीन लाख रुपया गये साल का पीसा है और वह लैप्स हो जाएगा तो वा जिम्मेवारी आपकी होगी, तीन लाख रुपये आपके फण्ड में ...

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीलालजी बैठिये। माननीय श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि जैसी एस.टी. वालों के लिए माडा योजना है लाइट के लिए इसी तरह एस.सी. के लिए भी कोई इस तरह की योजना है ? बताने का कष्ट करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत जो पैसा निर्धारित होता है चूंकि शिड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या 17.29 है उसके अनुकूल वह पैसा कम्पोनेंट प्लान का उस विभाग में चला जाता है और वह इतना खर्चा हरिजन बस्तियों पर, हरिजन गांवों के ऊपर भी करना पड़ता है।

श्री सांवर लाल (मिनाय) : मैं जानकारी चाहता हूं कि पिछड़ी जाति की जो बस्तियां हैं उनमें भी क्या इस प्रकार विद्युतीकरण की योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लालजी आपने पूछ लिया है। माननीय सदस्या।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश गांवों में हरिजन बस्तियां गांवों से दूर बसी हुई हैं और जब भी कोई गांव नया इलेक्ट्रिफाइड होता है तो वहां से ट्रान्सफार्मर गांव के दूसरी साइड लगते हैं। जब भी हरिजन बस्ती के लोग मकानों में कोई लाइट लेना चाहते हैं। आज मेरे झालावाड़ जिले में डग विधान सभा पिड़ावा

(श्री मदन लाल वर्मा)

में एक–एक मकान के कनेक्शन के लिए उनके पास 4–4 हजार, 6–6 हजार रुपये के डिमांड नोटिस निकले हुए हैं। न तो समाज कल्याण विभाग उस तरफ ध्यान देता है, न बिजली बोर्ड उस तरफ ध्यान देता है। यह सुनिश्चित होना चिहिए। मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि जिन बस्तियों से फाइलें भरी मकानों के लिए, उनके लिए समाज कल्याण मदद करेगा या बिजली बोर्ड मदद करेगा। इन दोनों चक्कर में गांव वाले घूमते फिरते हैं।

डा. चन्द्रभान : ट्रान्सफार्मर कहीं भी लगा हुआ हो उससे कनेक्शन के और इस डिमांड नोट के पैसे का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वह गांव की बसावट में है तो 1200 रुपये लिया जाएगा और यदि बाहर है तो उसका डिमांड नोट भर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय गुढ़ामलानी वाले सदस्य ने पूछा कि बोर्ड ने ऐसे आदेश दे रखे हैं कि कोई भी नया गांव इलेक्ट्रिफाइड होगा उसमें ट्रान्सफार्मर हरिजन बस्ती में लगेगा। और उसके बिना वह गांव घोषित नहीं होगा और उसका सर्टिफिकेट सम्बन्धित, जैसा है कि ट्रान्सफार्मर हरिजन बस्ती में लगा है। मेरा इसमें पूछना है कि मंत्री महोदय टाल गये हैं। इसमें आपने यह आदेश कब निकाले और उसके बाद में इसकी पालना हुई कि नहीं हुई। इसके सम्बन्ध में क्या आप इसकी जांच करेंगे और जिन अधिकारियों ने फर्जी सर्टिफिकेट देकर के आपसे गांव घोषित करवा लिये हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

डा. चन्द्रभान : ट्रान्सफार्मर गांव में लगता है वहां पर जो जमीन उपलब्ध होती है वहीं पर लगता है। और यह भी देखा जाता है कि गांव की आबादी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो। कई बार गांव के बाहर लगा देते हैं परन्तु कई बार अन्दर भी लगाना पड़ता है। कई बार हरिजन बस्ती के नजदीक लग जाता है, कई बार दूर। लकिन यही व्यवस्था की गई है।...

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, आप इसको टालो मत। ऐसा आदेश निकला हुआ है और आदेश में यह साफ लिखा है कि हरिजन बस्ती में लगेगा, नहीं लगेगा तो वह गांव घोषित नहीं होगा और हरिजन ने ऐसे सर्टिफिकेट दिये हैं।

डा. चन्द्रभान : नों, कोई टालने वाली बात नहीं है। ऐसा आदेश नहीं है। कोई आदेश नहीं है। यही आदेश है कि गांव को इलेक्ट्रिफाइड जब किया जाएगा जब हरिजन बस्ती के अन्दर विद्युत के कनेक्शन दे दिये जाएगे। या वहां पर विद्युत की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दायमा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उसके लिए क्या जमीन पहले सरेण्डर करानी पड़ती है यह तो बिलकुल टालने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : मुझे तो समाज कल्याण मंत्रीजी से यह पूछना है कि यह जो "हरिजन" शब्द है यह उचित है क्या ? हरिजन शब्द कहना। और यह कहां से पैदा हुआ। अगर बहुत उचित हो तो आप हरिजन कहलवाने के लिए, मैं आपसे कहूं आप हरिजन हो, तैयार हो इस बात के लिए ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हां, सब तैयार हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : बेकार की बात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडामीम) : महात्मा गांधी ने भी कहा था। हरिजन तो गांधीजी का कहा हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हरिजन शब्द है वह शिड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कलंक का शब्द है। उसकी अगर मैं व्याख्या करूं तो वह देवदासी होती थी।

श्री अध्यक्ष : आप व्याख्या कर रहे हैं। हरि–जन, भगवान का जन।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, सर। मैं बताना चाहता हूं। मेरी पार्टी में इसको गाली शब्द मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी दुकान कैसे चलेगी गाली नहीं मानोगे तो। और दुकान में कोई दूसरा माल है नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो देवदासियां होती थीं मंदिरों में और मंदिरों में देवदासियां होती थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उनके अवैध हो गये बच्चे। उनको बताने के लिए यह नाम दिया गया हरिजन। और जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, हरिजन है उनका नाम था। न कि हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए हरिजन शब्द उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, आप बैठिये। प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : दायमा साहब, भगवान का अर्थ क्या है ?

श्री जगत सिंह दायमा : भगवान तो आप सब लिखते हो ना अपने आप में हरिजन, लिखो। आप लिखों। मैं कहता हूं आपको कैसा लगेगा।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : आप भगवान की व्याख्या बता दीजिए, दायमा साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : आप यदि अपने आपको कहो मैं हरिजन हूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हेमन्त कुमार : अगर आपको हरिजन शब्द पसन्द नहीं आ रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमाजी आसन पैरों पर हैं आप क्या कर रहे हैं। बैठिये।

श्री हेमन्त कुमार : आप सुझाव दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने ऐसी बात बताई है। नाराज होने की बात नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाराज नहीं है। आपने बता दी बात।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रशासक वक्फ बोर्ड द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्य की जांच

537. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 को पूर्व अध्यक्ष ने दिनांक 31 मार्च, 1999 के बाद अध्यक्ष पद पर काम करने में असमर्थता प्रकट की थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 12 जनवरी, 1999 को सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया ? क्या प्रशासक की नियुक्ति बदले की भवना से प्रेरित थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, जोधपुर ने रिट संख्या 154/99 दिनांक 19 मई, 1999 में राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश को "इल्लीगल एण्ड विदाउट आथोरिटी आफ लॉ–रिप्लेसिंग दी एन्टायर बाडी आफ दी बोर्ड" घोषित किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि नियम विरुद्ध नियुक्त प्रशासक द्वारा न्यायालय के फैसले के बाद भी समस्त बोर्ड की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नीतिगत फैसले, नियुक्तियां, पदोन्नति तथा न्यायालय के फैसले की रोशनी में पूर्व में लिये गये निर्णय को भी निरस्त नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि न्यायालय द्वारा अपने फैसले में प्रशासक को मात्र इसलिये कार्य करने की अनुमति दी कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा किसी भी स्थिति में दिनांक 31 मार्च, 1999 को अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करने की इच्छा प्रकट की थी ?

(श्री रमजान खान)

(5) क्या बोर्ड तथा राज्य सरकार न्यायालय का सम्मान करती है ? यदि हां तो क्या सरकार नियम विरुद्ध नियुक्त प्रशासक द्वारा मात्र दिन प्रतिदिन के काम को छोड़कर नीतिगत फैसलों को निरस्त करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

(6) क्या राज्य सरकार अपनी सीमाओं से बाहर कार्य करने वाले तथा न्यायालय का सम्मान नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के तहत कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(7) क्या सरकार अनियमित तथा नियम विरुद्ध किये गये कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री अब्दुल अजीज): (1) जी हां। यह सही नहीं है कि दिनांक 12.1.1999 को राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त किया था। बल्कि वक्फ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के उपरान्त भी तीन साल से अधिक की अवधि निकल गई थी तथा कई सदस्य जो एम.एल.ए. एवं एम.पी. की हैसियत से सदस्य थे वे एम.एल.ए. व एम.पी. नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया।

(2) यही सही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस प्रकार का विवेचन करते हुए प्रशासक की नियुक्ति को अपास्त करना भी उचित नहीं मानते हुए यह आदेशित किया गया था कि बोर्ड का पुनर्गठन 11.7.1999 तक कर लिया जावे। तदनुरूप बोर्ड का गठन किया जा चुका है।

(3) प्रश्न की बिन्दु संख्या एक व दो के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। जिसके अनुरूप प्रशासक द्वारा लिये गये निर्णयों को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न की बिन्दु संख्या एक व दो के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(5) जी हां। बोर्ड एवं राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। माननीय न्यायालय ने प्रशासक द्वारा किये गये कार्यों को निरस्त किये जाने का आदेश पारित नहीं किया है। केवल 6 माह में बोर्ड पुनर्गठन अनिवार्य था जो दिनांक 12.7.1999 तामील हुई।

(6) प्रश्न की उपरोक्त बिन्दुओं के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(7) जब नियम विरुद्ध एवं अनियमित कार्य होना ही नहीं पाया गया तो जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान : माननीय वक्फ मंत्रीजी ने अपनी गल्तियों को छिपाने के लिए ऐसा गोल–मोल उत्तर दिया। मैंने तो

(श्री रमजान खान)

खण्ड 1 मैं यह पूछा था कि क्या दिनांक 12 जनवरी, 1999 को सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जवाब में यह कहा है कि 12.1.1999 को राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग करके प्रशासक नियुक्त नहीं किया बल्कि वक्फ एक्ट के तहत प्रशासक नियुक्त किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कौनसे वक्फ एक्ट के नियम के तहत आपने बोर्ड भंग करके प्रशासक नियुक्त किया ? नं.–1, (व्यवधान)

कौन से नियम के तहत भंग किया था ? आप कह रहे हो कि हमने तो वक्फ एक्ट के तहत किया।

श्री अब्दुल अजीज : देखिये जिस आदेश के तहत ... (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। नियम बता रहा हूं आपको। (व्यवधान) नियम बता रहा हूं आप सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : Provisions of the Wakf Act ? Under Which Section of the Wakf Act, You Constitute the Board ?

श्री सांवर लाल : सैक्शन 13 पढ़ कर सुनाइये।(व्यवधान)

श्री अध्याक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सैक्शन राज्य सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने का अधिकार देता है। मैं माननीय सदस्यों के सामने पूरा अधिकार पढ़कर सुना रहा हूं।

" If the State Government is of the opinion that the Board is unable to Perform or has persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under the ... or has exceeded ..."

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, यह सैक्शन कौनसा है ?

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या पढ़ रहे हैं ? कौनसा सैक्शन पढ़ रहे हैं, हम भी तो देखें।

श्री अब्दुल अजीज : वक्फ बोर्ड की धारा है 99 । सैक्शन 99 में यह वक्फ एक्ट है जिससे गवर्न होते हैं हम।

मोहम्मद माहिर आजाद : सैक्शन बताइये ना।

श्री अब्दुल अजीज : जिसमें पार्वस है गवर्नमैंट को ऐसा करने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद, यह बता रहे हैं आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको कौनसी धाराओं के अन्दर यह अधिकार प्राप्त हुए हैं।

श्री अब्दुल अजीज : धारा 99 में बोल रहा हूं। (व्यवधान) मेरे पास में एक्ट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान) मोहम्मद माहिर आजाद।

मोम्मद माहिर आजाद : मंत्री महोदय, यह तो बताओ कौनसे सैक्शन को पढ़ रहे हो।

श्री अब्दुल अजीज : सैक्शन 99. यह मेरे हाथ में किताब है। यह किताब जो है वक्फ एक्ट है मी लार्ड।

श्री अध्यक्ष . सैक्शन 99.

श्री अब्दुल अजीज : सैक्शन 99 जो मैं इनको पढ़कर सुना रहा हूं। जिसमें यह अधिकार दिया है। गवर्नमेंट को कि अनियमितता करने वाले किसी भी चेयर परसन और बोर्ड का हक किस तरह से हटाया जा सकता है ...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आदेश हुआ, सैक्शन 13 में हुआ। इस पुस्तक में है। यह कौनसा 99 पढ़ रहे हो आप। आपने जो यह आदेश में लिखा है कि,

" In exercise of the Powers Conferred by Sec. 13 of the Wakf Act ..and all other powers, ... the State Government ... " ... (interruptions) ...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां खड़े होकर जो वक्फ बोर्ड को ब्रीफ किया वह सैक्शन 99 के प्रोविजन में नहीं है। न राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में है। इन्होंने सैक्शन 13 में किया है ... (व्यवधान) और वह अधिकारी दर्शक दीर्घा में बैठे है ... (व्यवधान) यह राज्य सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और इसमें कहीं इस बात के पावर नहीं दिये ... (व्यवधान) आपके समझ की बात नहीं है, मोरदियाजी। इन्होंने ... (व्यवधान) यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं ... (व्यवधान) यह सैक्शन 13 में दिया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग ... (व्यवधान) बोलिये। प्रोफेसर सांवर लाल, आप बैठिये पहले ... (व्यवधान) मोहम्मद माहिर आजाद ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : एक माननीय सदस्य का सवाल है, कितने सदस्य पूछ रहे हैं। यह क्या लगा रखा है। मंत्रीजी खड़े हैं, आप सुनना नहीं चाहते हो। जवाब लेना नहीं है इनको ... (व्यवधान) आप अगला प्रश्न लेओ अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। माहिर आजाद ... (व्यवधान) आर्डर प्लीज ... (व्यवधान) आर्डर–आर्डर। आई से यू मोरदिया, बैठै–बैठे क्या बोल रहे हैं। आर्डर–आर्डर ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां सवाल उसका नहीं है। वक्फ एक्ट भारत सरकार ने बनाया ... (व्यवधान) सुनिये, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य। भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया। उन्होंने ...

श्री बाबू लाल नागर : मंत्रीजी का जवाब नहीं आया और इस बीच में यह सीधा सवाल कर रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा। जवाब तो आने दो मंत्रीजी का। मंत्रीजी का जवाब तो आने दीजिये आप ...

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे अध्यक्षजी ने अलाउ किया Who are You to intervene me ? मुझे तो अध्यक्षजी ने अलाउ किया। आपको क्या अधिकार है। आपको क्या अधिकार है। आप आसन से बात कहिये। बैठ जाइये।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, कैसे बैठ जाइये...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जानते नहीं वक्फ की परिभाषा क्या है। क्या होता है वक्फ । यह सेवा दल नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मंत्रीजी का जवाब आने दो पहले। जवाब आने दीजिये, अध्यक्ष महोदय। यह कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं। इस तरह बिना जवाब आये ही बीच में बोल रहे हैं। मंत्रीजी का पहले जवाब आ जाने दीजिये और इसके बाद आपको जो भी जानकारी लेनी है वह जानकारी लीजिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नागर साहब, बैठिये ... (व्यवधान) मंत्रीजी को वह तो अवसर मिलेगा। वह अपने ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा निवेदन इसमें यह है कि हमने यह पूछा कि आपने किन शक्ति और अधिकारों के तहत वक्फ बोर्ड को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया और ...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही। माननीय मंत्रीजी ने सैक्शन 99 आफ दी वक्फ एक्ट पढ़ना शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आप कहें तो हम सदन पटल पर रख दें यह पेपर्स। राज्य सरकार ने जो नया वक्फ बोर्ड का गठन किया है वह सैक्शन 99 के राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए नहीं किया है बल्कि सैक्शन 13 में किया है। सैक्शन 13 के प्रोविजन में आपको पढ़कर सुना दूं। सैक्शन 13 में जो वक्फ एक्ट है,

श्री अध्यक्ष : अब इनको जवाब देने दीजिये पहले. Let the minister reply.

श्री अब्दुल अजीज : राज्य सरकार ने जो पूर्व अध्यक्ष को हटाया है उसमें 99, और अगर आप चाहें जो आर्डर हैं मेरे पास वह भी पढ़कर सुना दूं ...

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे पास भी है ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आपको देखिये। प्रश्नकर्ता ने क्या किया है अध्यक्षजी, बहुत ही +++ से एक कोर्ट, आनरेबल कोर्ट के जजमेंट ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई ? +++ से कर दिया। यह +++ वर्ड पर आपत्ति है हमको। +++ क्या होती है ...(व्यवधान) आपके जैसे +++ थोड़े ही हैं जो। +++ ...(व्यवधान) क्या होती है। हम तो +++ हैं। हमारी शार्पनेस है, हमारी बुद्धिमत्ता है। इनकी जैसी +++ नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) +++...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : +++ ...(व्यवधान) +++ शब्द को एक्सपंज करता हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको कार्यवाही से निकलवाइये। यह क्या तरीका हुआ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : +++ शब्द को एक्सपंज करता हूं +++ शब्द को मैं एक्सपंज करता हूं। आप चतुराई कह सकते हैं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री)* : अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने +++ शब्द का उपयोग किया है, उसको भी एक्सपंज किया जाये। +++ को भी, आपने +++ कहा है अभी। तो +++ कैसे कह सकते हैं आप ...(व्यवधान) हां तो +++ कहिए, यह कोई तरीका थोड़े ही है। यह जो कह रहे हैं ना +++ उसको भी एक्सपंज करवाइये... +++ शब्द को भी एक्सपंज करवाये । एक्सपंज करवा दीजिये प्लीज...

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वेश्चन है इससे संबंधित। मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ है इससे संबंधित ...

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो आगे है, पहले इनको रिप्लाई देने दीजिये फिर आपको मौका दूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत आगे है ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्षजी, मैं इस पवित्र सदन के हर माननीय सदस्य को जिसमें विषय भी शामिल है, मैं यकीन और ईमान से इनको बताना चाहता हूं कि क्या उनकी मंशा है। पूर्व अध्यक्ष के हमदर्दी में है या इंक्वायरीज के लिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है। कभी +++ कभी हमदर्दी ...

+++ शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : राज्य सरकार ने इतनी अनियमितता की है, हमारा ध्यान आपके माध्यम से माननीय अध्यक्षजी, मैं निहायत अदब के साथ कह रहा हूं। हमारा मकसद आसन के जरिये, राज्य सरकार ने जो इररेगुलरटीज की हैं, जो अनियमितताएं की हैं, या गलत काम हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना है। वक्फ एक्ट में वक्फ मिनिस्टर प्रिसाइड करते है _ (व्यवधान) इन्होंने कोई एक गलती की है। इनकी गलतियों का ... (व्यवधान) आपके माध्यम से मेरा और हमारा मकसद केवल आसन के जरिये राज्य सरकार ने जो घोर अनियमितताएं की हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना है। हमारा मकसद किसी को बचाना या किसी को फंसाना नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप सुनिये। अध्यक्षजी, प्रश्नकर्ता ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजिये। आप पहले बैठिये, मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : "We also conclude that there being ... "

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल ... (व्यवधान) प्रोफेसर सांवर लाल, अगर आपको मौका मिल जाये ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ... no provision for applointment of an Administrator ..."

पहले मंत्री महोदय ने कहा कहा हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़कर सुना रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनको आने दीजिये आप ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : माननीय सदस्य, आदरणीय रमजान खानजी ने जो सवाल किया है। उसमें जिस +++ से पूछा है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं इसमें ...(व्यवधान) सुनिये। क्या बात छिपी हुई है, मैं वह आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है इन्होंने क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, जोधपुर ने रिट संख्या 154/99 दिनांक 19 मई, 1999 में राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश को " इल्लीगल एण्ड विदाउट आथोरिटी आफ लॉ रिप्लेसिंग दी एंटायर बाडी आफ दी बोर्ड " घोषित किया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप इसका जवाब सुनिये ... (व्यवधान) क्या यह हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप जवाब आने दीजिये। जवाब तो सुनो आप मंत्रीजी का जवाब आने दो . .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी, यह जवाब को नहीं सुन रहे हैं ...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब आने दो ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं उत्तर देना चाहता हूं। आप इन्हें बैठाइये ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय ने नाम पुकारा नहीं है। आप कृपया हाउस में अव्यवस्था ना फैलायें। अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम नहीं पुकारा है ... (व्यवधान) आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं किया है। आप किस अथोरिटी से बोल रहे हैं ? आप बैठिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन हो ? आप कौन हो ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मुझे नहीं कह सकते मैं चीफ विहप हूं। सरकारी मुख्य सचेतक हूं। आप कुछ नहीं कह सकते। आप कह नहीं सकते बीच में। आप बाद में नहीं कह सकते ... (व्यवधान) आप नहीं कह सकते यह ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक का जवाब तो अभी तक दिया ही नहीं और यह खंड दो में जा रहे हैं। पहले एक का तो जवाब दिलाइये कि. कौनसे नियम के तहत आपने प्रशासक नियुक्त किया ... मैंने उनसे पूछा था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं Let the minister reply.

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्षजी, मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों को कि आप सुकून से मुझे सुनेंगे तो आपका पूरा ज्ञानवर्द्धन होगा ... (व्यवधान) अध्यक्षजी, यह जो पैराग्राफ का एक कंटेंशन Hon'ble Justice Shri Shivraj Patil, Chief Justice, Hon'ble V.S.Kokaje, J. ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ... (व्यवधान) आर्डर–आर्डर। आर्डर प्लीज ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : डी.बी. से जो कि माननीय भुतपूर्व अध्यक्ष शौकत अली अंसारी अपनी पहली पिटिशन में हार गये तो डी.बी. में गये। अब मैं आपके सामने वह पैरा पढ़कर सुना रहा हूं जो फर्स्ट ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मैंने जो प्रश्न पूछा उसको बोलिये आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : यही तो +++ है आपकी कि आप सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं और मैं सत्य को उजागर करना चाहता हूं।

श्री रमजान खान : मैं असत्य बोल रहा हूं ? अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड दो में जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आगे पीछे कहां जा रहे हैं आप ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अब्दुल अजीज : "The Learned Single Judge dismissed the Petition With certain observations. The learned Single Judge held that though there is no specific provision for appointing an Administrater in the new Act, there was no provision to the contrary also prohobiting such an appointment. Ultimately the petition was dismissed expressing the hope and direction that the Government shall constitute the new Wakf Board as early as possible, preferably within a period of 6 months from 12.1.1999. Aggrieved by the order, the Petitioner had filed this appeal."

मोहम्मद माहिर आजाद : डबल बैंच का जो फैसला है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाता हूं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : डबल बैंच के आदेश क्या हैं ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : डबल बैंच का डिसीजन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ... (व्यवधान) इनका क्वेश्चन है, आपका आगे है, इनको सप्लीमेन्ट्री पूछनी थी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इससे संबंधित एक अलग से प्रश्न है। भूतपूर्व चेयरमैनों की वित्तीय अनियमितताओं के बारे में मैंने चार बातें आपसे पूछी थी . .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन यह है कि इनका क्वेश्चन ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इससे संबंधित ही है ... (व्यवधान) इससे संबंधित मेरा भी दसवां क्वेश्चन है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय ने इसमें ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह सवाल बीच में कैसे आ गया ?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष ने मुझे अलाउ किया है ... (व्यवधान) मुझे अलाउ किया है ... (व्यवधान) आप बीच में खड़े हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाई कोर्ट में अपील की है ... (व्यवधान) हाई कोर्ट की डबल बैंच ने जो फैसला दिया है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है मैं डिसीजन पढ़कर सुना रहा हूं ....

मोहम्मद माहिर आजाद : हाई कोर्ट ने ... (व्यवधान) एंटायर ऑफ दी बॉडी ... (व्यवधान) जिला प्रमुख के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अब यह मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बिराजिये मेरा भी एक क्वेश्चन है ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया था वक्फ बोर्ड द्वारा (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा सवाल है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह बोलने ही नहीं देते हमारे लिये ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : पहले रामस्वरूप जी का क्वेश्चन आना चाहिये ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप बोलिये ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप रमजान खानजी बैठिये ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा क्वेश्चन निश्चित किया है अध्यक्ष महोदय ने ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मेरा अभी तक जवाब नहीं आया और आपने 11 नम्बर का क्वेश्चन पुकार लिया ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कार्यालय से तीन लाख रुपये के कैश के आदेश ... (व्यवधान) दिये थे लेकिन वहां जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की कैश बुक ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मेरा पहले सवाल है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : वक्फ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय कार्यालय से तीन लाख रुपये भेजे जाने के आदेश दिए थे लेकिन जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की केश बुक में जमा नहीं होने के कारण तीन लाख रुपये की राशि को गबन माना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खानजी, बैठिये।

श्री रमजान खान : मेरा जवाब अभी पूरा हुआ नहीं कि आपने 11 नम्बर को क्वेश्चन दिया हुआ है ... (व्यवधान)

माननीय सदस्यों को बुला लिया। यह कौनसे नियम के तहत बुलाया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय माहिर आजाद जी, आप बैठ जाये ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सिंगल बैंच का फैसला प्रभावी हो गया, ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मैं मुझे ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब डबल बैंच ने इस फैसले को उलट दिया ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने रामस्वरूपजी मीणा को कॉल किया है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल बैच जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं और दूसरे कोकजेजी बैठे हैं। ... (व्यवधान) आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अब्दुल अजीज : वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : "... We also conclude that there being no provision for appointment of an Administrater replacing the entire body of the Board, the appointment of the Administrate by order dated 12th January, 1999 was illegal and without authority of law." यह डबल बैंच का फैसला है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी को बुलवाया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) बिराजिये,माननीय सदस्य

मोहम्मद माहिर आजाद : गलत बात है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दो–तीन दिन में ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनको बोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्षजी ने मुझे स्वीकृति दी है ... (व्यवधान) 15 लाख खा गये ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सिंगल बैंच के लिए कोई जिक्र ही नहीं किया है, डबल बैंच का जवाब दिला दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंगल बैंच का डबल बैंच में आ गया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी दे रहे हैं, आप बैठिये ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : डबल बैंच का फैसला है ... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले ... (व्यवधान)

श्री देवीलाल : यह सरकार ने अन्याय उठा दिया है ... (व्यवधान) रमजान खानजी मेरे यहां मेघवालजी के चुनाव में आकर वक्फ बोर्ड के 25 लाख रुपये खा गये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : यह सदन का ... (व्यवधान) मंत्रीजी आप बिराज रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें ... (व्यवधान)

श्री देवीलाल : रमजान खानजी, एक निवेदन है, सुन लें, जो पैसा ... (व्यवधान) रमजान खान के पास कम से कम ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंगल बैंच का फैसला सुनाकर के हाउस को गुमराह किया है ... (व्यवधान) पूरे के पूरे हाउस को गुमराह किया है ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज केवल इतना–सा ही है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, यह गबन तो आपने खुद ने माना है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भूतपूर्व चेयरमैनों के द्वारा माननीय वक्फ मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : दूसरे माननीय सदस्य का नाम कैसे पुकार लेंगे (व्यवधान) 537 प्रश्न है और रामस्वरूपजी का प्रश्न 546 है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अभी मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद में ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बीच के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे छोड़ दिया ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले लगा दिया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और आसन चाहे (व्यवधान) किसी भी प्रकार की व्यवस्था दे सकता है ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन की व्यवस्था को चैलेंज करने ... (व्यवधान) की रूल्स में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये माननीय सदस्य, जगमालजी बैठिये ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे चार क्वेश्चन हैं सप्लीमेन्ट्री ... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपका प्रश्न तो 546 नम्बर पर है ... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का जवाब आया नहीं और आपने रामस्वरूपजी का प्रश्न ले लिया, यह कौनसे रूल्स में है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा 537 में है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावरजी, आप बैठिये ... (व्यवधान),

श्री रामस्वरूप : बना रखा है सदन को ... (व्यवधान) आप बीच में रोड़े अटका रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, 534 के बाद ... (व्यवधान) इससे पहले मेरा क्वेश्चन है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें मेरा क्वेश्चन लगता है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ने मुझे स्वीकृति दी है। आप बीच में ही रोड़ा अटका रहे हैं।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, 537 का उत्तर आया नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा लगता है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको स्वीकृति नहीं दी है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की जगह पर ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय प्रोपर जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : आप सुनिये आसन पैरों पर है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय मेरा प्रोपर जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे चैंबर में मिले थे। मैंने इनसे कहा था कि आप इसमें एक सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने इनको अलाउ किया है (व्यवधान) एक सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है कि भूतपूर्व चेयरमैनों के द्वारा जो गबन किये गये हैं। आपने खुद ने चार गबन माने हैं ... (व्यवधान) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जांच किससे करवा रहे हैं माननीय मंत्रीजी बतायें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बैठें ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आप भ्रष्टाचारियों को बचाओ मत।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप सुनिए मंत्रीजी को, आप मंत्रीजी को सुनिए।

श्री अब्दुल अजीज : इन शिकायतों की विस्तृत जांच संभागीय आयुक्त से करवाए जाने से जांच अभी लम्बित है। दूसरा यह सही नहीं है कि ...

श्री अध्यक्ष : रमजान खानजी, आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आप खुद अनियमित कार्यवाही कर रहे हैं और दूसरों को अनियमित बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद अपने गृह जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन पर पिक्चर हॉल बना रहे हो, सारे गैर कानूनी काम कर रहे हो, आपने भ्रष्टाचार के सारे आयाम तोड़ दिए।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय माहिर आजाद साहब, आप हर बात में माहिर जरूर है। लेकिन शौकत अंसारी को बचाने में माहिर नहीं हो सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, मैंने एक शब्द किसी के प्रति ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामस्वरूप : भ्रष्टाचार किया है, उसको बचा रहे हैं, भूतपूर्व चेयरमैन अंसारी ने भ्रष्टाचार किया, माननीय मंत्रीजी अब आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं बताएं आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं।

श्री अध्यक्ष : पौन घंटा एक प्रश्न में ले लिया है। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। श्री हरीश चन्द्र। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या उनके खिलाफ ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज कराएंगे। माननीय मंत्रीजी, जो अनियमितता की है, उसके खिलाफ क्या ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज कराएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे ऊपर नाम लेकर आरोप लगाया है। मैं उसका जवाब दूंगा सफाई में। मैं किसी भ्रष्टाचारी को बचाना नहीं चाहता। मैं आज तक एक शब्द नहीं कहा, किसी को बचाने के लिए, आपका इल्जाम सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप एक क्वेश्चन पर 45 मिनट नहीं ले सकते । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शौकत अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, माननीय मंत्रीजी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या आप उसकी जांच करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश चन्द्र। नैक्स्ट क्वेश्चन। रमजान खानजी, नहीं। माहिर साहब, विराजिए। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन कॉल कर लिया है। श्री हरीश चन्द्र।

श्री रामस्वरूप : शौकत अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, आप उसकी जांच ए.सी.डी. से करवाने का विचार रखते हैं क्या माननीय मंत्रीजी ? (व्यवधान)

श्री माननीय सदस्य : मंत्रीजी, रामस्वरूपजी जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए।

श्री अब्दुल अजीज : यह सही नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉल कर लिया है। पंचायत मंत्रीजी।

श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी ने मेरे ऊपर टिप्पणी की थी, उस पर मैं सफाई देना चाहता हूं। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, मैं कभी किसी भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेशचन कॉल कर दिया है।

श्री रामस्वरूप : भूतपूर्व चेयरमैन शौकत अली अंसारी को जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : टिप्पणी को मैं देख लूंगा और टिप्पणी को देखने के बाद में ....

(सदन के वैल में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलना)

श्री रामस्वरूप : शौकत अंसारी के भ्रष्टाचार को उजागर करें माननीय मंत्रीजी, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? शौकत अली अंसारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : एफ.आई.आर. आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। यदि आप चाहें, जो गलतियां की है ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शौकत अली के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी ? यह सुनना नहीं चाहते हैं, यह शौकत अली के भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, यह मंत्रीजी के जवाब को सुनना नहीं चाहते हैं, माननीय मंत्रीजी, बताएं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई भी अनपार्लियामेंट्री, मैं देख लूंगा, प्रोसीडिंग को देख लूंगा, कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल किया है, मैं उसको एक्सपंज कर दूंगा, मैं एक्सपंज कर दूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : कार्यालय ... तीन लाख रुपये जोधपुर आदेश दिए गए थे लेकिन जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की कैशबुक में जमा नहीं होने के कारण इन तीन लाख रुपये की राशि को गबन मानते हुए बनीपार्क, जयपुर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन, आप बैठिए ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी ने कहा कि उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गई, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, आपने एफ.आई.आर. दर्ज करा दी।

श्री अध्यक्ष : मैं एक्सपंज कर दूंगा। मैं प्रोसीडिंग देख लूगां, मैं आपकी टिप्पणी अनपार्लियामेंट्री जो है, मैंने कहा है न, +++ को मैंने एक्सपंज कर दिया है। (व्यवधान) हां, हां, मैने कर दिया एक्सपंज, पहले ही कर दिया था। (व्यवधान) श्री हरीश चन्द्रजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : पर्सनल आक्षेप लगाया है बिना नोटिस दिए। मैंने आज तक किसी को नहीं बचाया।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश चन्द्र।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मंत्रीजी द्वारा कही गई बात को एक्सपंज कराया। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : यह हमारा अधिकार है, कोई +++ है, कोई माहिर ...

श्री रामस्वरूप : शौकत अली अंसारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गई।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक्सपंज कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी दूसरी मंशा थी, इसलिए आप बोल रहे थे, बीच–बीच में, बार–बार।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिए। पंचायतीराज मंत्रीजी।

विधान सभा क्षेत्र नावां के क्रमोन्नत विद्यालय

538. **श्री हरीश चन्द (नावां)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां तो क्या ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरीश चन्द)

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां के उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की उक्त मानदण्डों के अनुसार सूची क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 2000–2001 में विद्यालयों के क्रमोन्नत करने हेतु रखे गए लक्ष्य का बंटवारा सभी विधान सभा क्षेत्रों में समान रुप से किया जाएगा ?

(4) गत शिक्षा सत्र में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में जिन–जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया वहां क्रमोन्नति के अनुसार कितने अध्यापक लगा दिए गए हैं ? वर्तमान में कितने–कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी): (1) जी हां । विद्यालय क्रमोन्नत करने के मानदण्ड की प्रति संलग्न है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सूची का निर्माण किया जाएगा।

(3) आवश्यकता एवं मानदण्डों की पूर्ति के आधार पर ही विद्यालय क्रमोन्नत किए जाते हैं।

(4) गत शिक्षा सत्र में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है :–

	द्वितीय ग्रेड	तृतीय ग्रेड
उप्रावि, रावा	1	8
रागवि, चावंडिया	3	2
रामावि, पलाड़ा	3	2

(मानदण्ड की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरीश चन्द : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने क्रमोन्नत करने के मानदण्ड बताएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन मानदण्डों के अनुसार बजट 1999–2000 में किन–किन विद्यालयों को नावां विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत किया गया है ? माध्यमिक से उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक, आप बताएं, और उन विद्यालयों के ग्रामों की जनसंख्या क्या है और अंतिम कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है ?

दूसरा, मैंने क्रमोन्नत करने के मानदण्डों के अनुसार नावां विधान सभा क्षेत्र में जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए उनकी प्राथमिकता सूची क्या है, उसके बारे में पूछा था, आपने बताया कि प्राथमिकता सूची अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने क्रमोन्नत किए हैं उसमें प्राथमिकता सूची बनी होगी, वह सूची क्या है और उस सूची को बताने का कष्ट करें।

(श्री हरीश चन्द)

तीसरा, आपने लक्ष्य के अनुसार बजट वर्ष 1999–2000 में नावां विधान सभा क्षेत्र में 5 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, दो माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लक्ष्य रखे थे, उस लक्ष्य के अनुसार नावां विधान सभा क्षेत्र के किन–किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, यह बताने का कष्ट करें। साथ ही मैंने जो संख्या चार में बताया, विद्यालयों के नाम हैं, ये विद्यालय किस सत्र में क्रमोन्नत हुए हैं ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने बजट प्रावधान रखा है, वे विद्यालय नहीं है, अन्य सत्र के विद्यालय हैं, विद्यालय जिनको क्रमोन्नत किया गया है, उनमें स्टाफ की क्या संख्या है, यह भी बताने का कष्ट करें ।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक पूछा कि गत वर्ष 1998–1999 में जो क्रमोन्नत हुए, उनकी मैंने सूची दी थी, यह सत्र चल रहा है 1999–2000, एकेडमिक सेशन चल रहा है, माननीय सदस्य ने जो पूछा, वे तीनों विद्यालयों का मैंने बताया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रावा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चावंडिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पलाड़ा, ये 1998–1999 में क्रमोन्नत किए गए। इसी प्रश्न में यह पूछा इन्होंने, यह प्रश्न नहीं पूछा कि 1999–2000 में कौनसे किए गए। यह तो करण्ट ईयर चल रहा है। प्रश्न आपने पूछा, उसका जवाब दिया है मैंने (व्यवधान) यह पूछा है, आगे प्रश्न नहीं पूछा, पूछा उसी का जवाब दिया है, प्रश्न यह पूछा है कि गत शिक्षा सत्र में तो गत शिक्षा सत्र 1998–99 में, मुझे इससे क्या ?

श्री अमराराम (धोद) : करण्ट ईयर तो 2000–2001 चल रहा है, वित्त वर्ष तो 2000–2001 चल रहा है, इन्होंने 1999–2000 का पूछा, आप 1998–1999 का बता रहे हैं।

श्री हरीश चन्द : मैंने अभी पूछा है कि मानदण्ड के अनुसार आपने इस वर्ष में कौन–कौनसे विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, मैंने अभी पूछा है, उनके ग्रामों की जनसंख्या क्या है और अंतिम कक्षा में कितनी छात्र संख्या है, यह पूछा है।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप खुद प्रश्न देख लें, यह एकेडमिक सेशन चल रहा है 1999–2000, प्रश्न चार में पूछा गत शिक्षा सत्र में, गत शिक्षा सत्र का मतलब 1998–99 में, मैंने बताया कि 1998–99 में ये विद्यालय आपने क्रमोन्नत किए हैं इसमें मैंने कौनसी बात कही ? इसका क्या सम्बन्ध है इससे ?

श्री हरीश चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूछ लिया है कि आपने मानदण्डों के अनुसार जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, क्या–क्या नाम उनके हैं और उन ग्रामों की जनसंख्या क्या है, अंतिम कक्षा के छात्रों की संख्या क्या हैं, यह बता दीजिए। यह पूछना चाहता हूं मैं।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह जवाब दिया हैं, जो इन्होंने पूछा है, कि 1999–2000 में विधान सभा क्षेत्र नावां के प्राथमिक विद्यालय, चांदपुरा, प्राथमिक विद्यालय, जुनिया तलाई, प्राथमिक विद्यालय, नावां बालिका, इन विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है।

श्री हरीश चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए नहीं पूछा है। मैंने कहा है अभी आपने मानदण्डों के अनुसार जिन माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है और प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया है उन ग्रामों की जनसंख्या क्या है और उनकी अंतिम कक्षा में कितनी संख्या है, यह बताइए। यह मैंने पूछा है।

(12.00 बजे)

श्री सी.पी. जोशी : आपने जो प्रश्न पूछा है और जो मैंने जवाब दिया है, आपके विधान सभा क्षेत्र में जो क्रमोन्नत हुए हैं उसकी जानकारी दे दी बाकी की जानकारी मैंने नहीं दी। नहीं हुआ, तो नहीं हुआ इसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, सही जवाब नहीं आया।

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार थी तब आपने मापदण्ड देखे थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : आपने बी.जे.पी. वालों के यहां किये थे, इन्होंने भी कांग्रेसियों के यहां कर दिये। कर दिये जो कर दिये।

श्री हरीश चन्द : मैं बी.जे.पी. या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी पूछ रहा हूं कि जिन विद्यालयों को आपने क्रमोन्नत किया है ...

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष आपने जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया था, जिन माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया था, साल भर के बाद में आप वहां पर प्राचार्य, व्याख्याता व अध्यापक नहीं लगा पाये। उन विद्यालयों में जिनको आपने क्रमोन्नत किया था कब तक आप उनमें व्याख्याता और अध्यापक लगा देंगे ?

श्री हरीश चन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, ये नावां का पूछ रहे हैं।

श्री हरीश चन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं कि इस बार जो स्कूलें आपने क्रमोन्नत की हैं उनके गांवों की जनसंख्या क्या है, उनकी कक्षा में कितनी छात्र संख्या है, यह मैं पूछ रहा हूं।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम चांदपुरा की जनसंख्या 954, जुनिया यातरीतलाई की 781, नावां मालिका की जनसंख्या तीन हजार।

श्री हरीश चन्द : यह केवल प्राथमिक विद्यालय की आपने बतायी। मैं पूछ रहा हूं उच्च प्राथमिक ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय क्रमोन्नत करने के जो नियम व नोर्म्स हैं क्या नावां में जो विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक बने उन विद्यालयों ने उन माण्दण्डों की पूर्ति की थी ? यदि नहीं की तो कौन–कौनसे विद्यालय में कौन–कौनसी कमियां होते हुए भी आपने उनको क्रमोन्नत किया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिल्प गांव पुष्कर हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण

692. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर में शिल्प गांव बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिल्प गांव को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में पुष्कर में शिल्प ग्राम बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। दिनांक 12.6.1996 को सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा आयोजित बैठक में पर्यटक विभाग के प्रस्तावानुसार पुष्कर में शिल्प ग्राम का डिजायन तैयार करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 24.6.1996 को शिल्प ग्राम की स्थापना हेतु 71 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि रीको के पक्ष में आवंटित की गयी थी। रीको द्वारा 22.10.1999 को तहसीलदार, अजमेर को दी गई सूचना के अनुसार अब पुष्कर में शिल्प ग्राम बनाने की योजना त्याग दी गई है।

(2) जी नहीं।

गंगानगर शुगर मिल व किसानों के मध्य हुए समझौते की क्रियान्विति

693. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दी गंगानगर शुगर मिल की वर्तमान में पिराई क्षमता कितनी है ? क्या वर्तमान में उक्त मिल में क्षमता से कम पिराई हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार किसानों को गन्ने की कीमत "शुगर मिल व किसानों" के मध्य हुए समझौते से कम दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक किसानों को शुगर मिल द्वारा गन्ने का मूल्य किस दर से दिया गया ? क्या शुगर मिल द्वारा किसानों से अनुबन्धित गन्ना पूरा नहीं लिया गया/लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगानगर शुगर मिल की वर्तमान पिराई क्षमता 10,000 क्विंटल प्रतिदिन है। फैक्ट्री का संयत्र काफी पुराना होने के कारण यान्त्रिक रुकावटें अधिक रहती हैं। जिससे कुल उपलब्ध घण्टों के 85–90 प्रतिशत तक उपयोग हो पाया है। मिल की पिराई लाभकारी स्तर पर लगभग 120 दिवस है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अत्यधिक हो जाने के कारण वर्ष 1998–99 में 176 दिवस एवं 1999–2000 में 155 दिवस तक मिल को चलाकर गन्ने की पिराई की गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक किसानों को गन्ने का आंशिक भुगतान 80 रुपये प्रति क्विंटल से किया गया। पंजाब सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित न किये जाने के कारण गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की कीमत आंकना सम्भव नहीं था। अब चूंकि पंजाब सरकार द्वारा मार्च, 2000 में गन्ने का मूल्य घोषित किया जा चुका है, अतः फैक्ट्री काश्तकारों से हुए समझौते के अनुसार गन्ने के मूल्य का भुगतान करेगी। मिल ने काश्तकारों द्वारा दिये गये समस्त गन्ने की पिराई कर दी गई।

राजस्थान हाथकर्घा निगम द्वारा किया गया उत्पादन

694. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के हाथकर्घा बुनकरों के लिए गठित राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन में माह दिसम्बर, 1998 से उत्पादन बन्द किया जा चुका है ?

(डा. रतन लाल जाट)

(2) राजस्थान हाथकर्घा निगम ने गत तीन वर्षों में कितना-कितना उत्पादन किस-किस वस्त्र का किया ? वस्त्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हाल ही में निगम द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय को बैण्डेज आपूर्ति न कर लाखों रुपयों की हानि पहुंचाई है ? क्या इस कार्य के लिए दोषी अधिकारियों को सरकार द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) निगम द्वारा बुनकरों को गत तीन वर्षों में कितना सूत वितरित किया गया है तथा कितना सूत बुनकरों के पास बकाया है एवं इसकी वसूली कब तक की जावेगी ?

(5) निगम के अनुसूचित जाति के बुनकरों को रोजगार प्रदान करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्षवार एवं वस्त्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की मांग अनुसार बैण्डेज कपड़ा निगम स्टॉक में उपलब्ध नहीं था, अतः सप्लाई न करने से निगम को न तो कोई हानि हुई और न ही कोई अधिकारी दोषी है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने या बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) गत तीन वर्षों (1996-97, 1997-98, 1998-99) में निगम द्वारा बुनकरों को रुपये 221.18 लाख का यार्न (सूत) उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में निगम के सक्रिय बुनकरों में 70.28 लाख एवं निष्क्रिय बुनकरों में 12.35 लाख का यार्न बकाया हैं। शीघ्रातिशीघ्र वसूली के लिए निगम स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(5) वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु राज्य सरकार ने इस निगम के लिए रुपये 261.44 लाख का प्रावधान रखा है जिससे निगम अधिकाधिक अनुसूचित जाति के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

695. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यही सही है कि सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु तृतीय चरण

(श्री जगन्नाथ)

में दो खातेदारों की आवासीय भूमि अवाप्त करना स्वीकार किया गया है ?

(2) क्या उक्त अवाप्ति में एक संस्थान की आवासीय, वाणिज्यिक भूमिं को रीको द्वारा अत्यधिक मूल्यवान मानी गई ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति वर्ग मीटर ?

(3) क्या उक्त खातेदार/संस्थान की आवासीय भूमि (मूल्यवान) को अवाप्ति में अन्यत्र वैकल्पिक भूमि दिये जाने हेतु रीको द्वारा भूमि अवाप्त अधिकारी को अभिशंसा की गई ? यदि हां तो दूसरे खातेदार की आवासीय भूमि के लिये अभिशंसा क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या जिन खातेदारों की आवासीय भूमि अवाप्त की गयी उन्हें आवासीय दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति वर्गमीटर और नहीं, तो क्यों ? उक्त क्षेत्र में आवासीय व कृषि भूमि की दर क्या–क्या हैं ?

(5) क्या जिस संस्थान/कम्पनी हेतु भूमि अवाप्त की जा रही है, भूमि अवाप्ति अधिकारी उस संस्थान/कम्पनी की अभिशंसा मानने को बाध्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अवार्ड में संशोधन करने की शक्तियां संस्थान/कम्पनी में निहित है ?

(6) ग्राम खुसर के खसरा नं. 540, 541 एवं 542 को अवाप्ति में किस किस्म की भूमि आंकी गई ? क्या उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ था ? यदि हां, तो कितना ? क्या उक्त निर्माण की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कितना–कितना और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की तृतीय चरण हेतु भूमि अवाप्ति के दौरान मैसर्स सहारण अवाप्त विकास संस्थान द्वारा उनकी भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया था। रीको द्वारा गठित समिति द्वारा खातेदार के अनुरोध को अस्वीकृत किया गया परन्तु संस्थान के सदस्यों को आवंटित भूमि संबंधी विधिक पेचीदगियों एवं अनावश्यक भारी मुआवजे के भुगतान को दृष्टिगत रखते हुए भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देने की सिफारिश की गई।

(3) जी हां। रीको द्वारा उक्त संस्थान की भूमि के बदले भूमि देनें की अभिशंसा की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस संस्थान को भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 31 (3) के अन्तर्गत भूमि के बदले भूमि देनें की अभिशंसा की गई। दूसरे खातेदार द्वारा उनकी अवाप्ताधीन भूमि के स्थान पर उद्योग की स्थापना के लिये भूमि की मांग की गई थी आवासीय भूमि की मांग नहीं की गई थी। रीको द्वारा उक्त खातेदार को

(उद्योग मंत्री)

रियायती दर पर औद्योगिक भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

(4) जी, नहीं। जिन खातेदार की आवासीय भूमि अवाप्त की गई, उनमें से किसी भी खातेदार को आवासीय दरों पर मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। एक खातेदार को अवार्ड के अनुसार भूमि के बदले भूमि दी गई। दूसरे खातेदार को अवार्ड में निर्धारित की गई राशि एल.ए.ओ. के पास चुकाने हेतु भेजी गई। अवार्ड में आवासीय भूमि की दर निर्धारित नहीं की गई। प्रश्नगत ग्राम खूसर की कृषि भूमि की दर 9,09,360/– रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई।

(5) जी, नहीं। परन्तु कम्पनी/संस्थान के अनुरोध पर भूमि अवाप्ति अधिकारी विचार कर सकता है। अवार्ड संशोधन करने की शक्तियां संस्थान/कम्पनी में निहित नहीं है।

(6) ग्राम खूसर के खसरा नं. 540, 541 व 542 की भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड के अनुसार बारानी प्रथम दर्ज है। खसरा नं. 540, 541 व 542 के साथ साथ खसरा नं 519, 520 का सर्वे संयुक्त रूप से किया गया। तद्नुसार इन भूमियों पर निर्मित कमरे, सड़क व बाउण्डरी वाल की मुआवजा राशि 3,88,693/–रुपये का भुगतान किया गया।

खेलों हेतु आवंटित राशि का उपयोग

696. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी)** : क्या युवा एवं खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक खेल मंत्रालय ने प्रतिवर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया ? विवरण मदवार/वर्ष वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खेल विभाग द्वारा आवंटित राशि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया जिस प्रयोजन हेतु उसे राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो आवंटित राशि के आय व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार से भी राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से तथा खेल सुविधा में वृद्धि हेतु राशि का आवंटन हुआ ? यदि हां, तो वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक आवंटित राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा किये गये बजट प्रावधानों का मदवार/वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(राज्य मंत्री, युवा एवं खेल कूद)

(2) खेल विभाग द्वारा आवंटित राशि का उपयोग विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसी प्रयोजन हेतु किया गया हैं जिस प्रयोजन हेतु राशि आवंटित की गयी थी।

आवंटित राशि के आय व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(3) जी, हां। केन्द्र सरकार से वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक आवंअित राशि का वर्षमार विवरण परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में स्वीकृत कार्य

697. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में नवम्बर, 1998 से मार्च, 2000 तक किन–किन योजनाओं के तहत कौन–कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? उक्त स्वीकृत कार्यो में से कौन–कौन से कार्य अपूर्ण है और अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

(2) उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कौन–कौन से कार्य किन–किन योजनाओं के तहत करवाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में नवम्बर, 1998 से मार्च, 2000 तक भू–जल विभाग द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई भी कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

जिला पाली के कारागृह में बन्द अपराधी

698. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जिला पाली में कितने अपराधियों को कारागृह में बन्द किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अपराधियों ने कौन–कौन से अपराध किये जिनके कारण उन्हें कारागृह में बन्द किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 1999 तक की अवधि में पाली जिले की कुल 10317 अपराधियों को कारागृहों में बन्द किया गया था। वर्षवार सूची संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कारागार)

(2) गत पांच वर्षों में पाली जिले की कारागृहों में बन्द किये गये 10317 अपराधियों द्वारा किये गये अपराधों की धाराओं का विवरण, जिनमें उन्हें बन्द किया गया था, संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट– 6 देखें)

एन.डी.पी.एस. एक्ट में बन्दियों को रमिशन का अनुचित लाभ

699. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में बन्दियों को रमिशन दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री धीरूमल तथा श्री छोटे लाल पुत्र श्री छोगा लाल सेण्ट्रल जेल जयपुर में एन.डी.पी.एस. एक्ट में सजा काट रहे थे ? क्या उक्त दानों बन्दियों को रमिशन का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कितने–कितने दिन ?

(3) क्या उक्त दोनों बन्दियों को जुर्माने की सजा भी हुई थी ? क्या उक्त दोनों बन्दियों ने जुर्माना जमा कराया ?

(4) क्या उक्त दोनों बन्दियों को रमिशन का लाभ देकर रिहा किया गया ? यदि हां, तो किन अधिकारियों ने यह नियम विरुद्ध काम किया ?

(5) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) एन. डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 32 (ए) के अन्तर्गत ऐसे बंदियों को रेमीशन दिये जाने का प्रावधान नहीं है जबकि राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट–III के अन्तर्गत छूट देने पर रोक नहीं है।

(2) जी, हां। यह सही है कि द्वारका प्रसाद पुत्र धीरूमल तथा छोटेलाल पुत्र छोगालाल केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में एन. डी.पी.एस. एक्ट में सजा काट रहे थे जिन्हें क्रमशः 754 एवं 562 दिवस के रेमीशन का लाभ राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट–III के प्रावधानानुसार दिया गया था।

(3) दोनों बंदियों को 1.00–1.00 लाख रुपये जुमाने की सजा थी, अदम अदायगी जुर्माना दो वर्ष कठोर कारावास की सजा थी। उक्त दोनों बंदियों द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई गई।

(राज्य मंत्री, कारागार)

(4) उक्त दोनों बंदियों को राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट–III के प्रावधानों के तहत दिये गये रेमीशन का लाभ देकर रिहा किया गया था। चूंकि इन नियमों में इस बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, महानिदेशक, कारागार ने दिनांक 25.7.97 को परिपत्र जारी कर समस्त कारागृह अधिकारियों को जब तक नई जेल मैन्युअल तैयार नहीं हो जावें, तब तक एन.डी.पी.एस. एक्ट 32 (ए) के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।

बन्दी छोटेलाल पुत्र छोगेलाल को 562 दिवस के अर्जित/दिये गये रेमीशन का लाभ देकर दिनांक 4.12.96 को तत्कालीन अधीक्षक श्री श्याम सुन्दर बिस्सा द्वारा रिहा किया गया था, तथा बन्दी द्वारका प्रसाद पुत्र धीरुमल को 754 दिवस के अर्जित/दिये गये रेमीशन का लाभ देकर दिनांक 25.7.97 को कार्यवाहक अधीक्षक श्री भरतसिंह द्वारा रिहा किया गया। तथा उक्त दोनों बंदियों की रिहाई के समय कारापाल श्री सुधीर पूनिया थे।

(5) उक्त तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों/परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों को भविष्य में बंदियान को रिहा करते समय रेमीशन नियमों में अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये।

प्रशासक, कोटा वक्फ कमेटी द्वारा वाहन सुविधा का दुरुपयोग

700. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा वक्फ कमेटी के लिये श्री यू.डी.खान, आर.ए.एस. को प्रशासक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो वक्फ अधिनियम, 1995 की किन धाराओं के अन्तर्गत ? संबंधित धाराओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यही सही है कि श्री यू.डी. खान वक्फ कमेटी कोटा के प्रशासक नियुक्त होने के उपरान्त भी कोटा में नहीं रहते और कोटा वक्फ कमेटी के वाहन का गैर कानूनी तौर पर वक्फ कमेटी कोटा के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो वाहन का प्रयोग कहां–कहां और किस कार्य के लिए किया गया. ? उक्त उपयोग किन नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वक्फ कमेटी, कोटा के वाहन का गैर कानूनी उपयोग करने के लिये संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या सरकार इस अनियमिता के लिये वाहन खर्च की राशि संबंधित अधिकारी से वसूल करना चाहती

(राज्य मंत्री, वक्फ)

परिवर्तन की अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही राजपत्र में शुद्धि पत्र जारी करवाकर शुद्ध करवा दिया जायेगा।

(3) जी, नहीं। बोर्ड का नाम आज भी राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ है।

(4) जी, हां। राजस्थान राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी, हां। श्री यू.डी. खान द्वारा माह फरवरी देय मार्च, 2000 तक का वेतन प्राप्त कर लिया है। जी हां, बोर्ड के अन्य कर्मचारियों का वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी, 2000 से भुगतान नहीं किया गया हैं इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि बोर्ड में राज्य सरकार की सहमति से बोर्ड में 22 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। जबकि वर्तमान में 54 कर्मचारी बोर्ड सेवा के बोर्ड में कार्यरत हैं। बोर्ड की वार्षिक आय 34–35 लाख रुपये है, जबकि कर्मचारियों का वेतन मद पर 43–44 लाख रुपये खर्च होता है। साबिक बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए विभिन्न मुस्लिम इदारों से कर्ज लिया था। अब बोर्ड द्वारा बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही करने के सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। कर्मचारियों का बकाया वेतन शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार यह उचित समझती है कि बोर्ड के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को समय पर वेतन देय हो। क्योंकि कर्मचारी की देय वसूली के लिये जिम्मेदार है। अतः वसूली की कार्यवाही में गति लाई जाकर वेतन भुगतान समय पर किया जा सकेगा।

(अधिसूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों को निःशुल्क बीज/खाद की उपलब्धता

702. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार किसानों को निःशुल्क बीज/खाद उपलब्ध कराती है ? निःशुल्क खाद बीज किस–किस श्रेणी के किसानों को किस–किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है ? उसके क्या–क्या नियम है ? विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक कितने–कितने किसानों को किस–किस प्रकार का खाद व बीज क्रय–विक्रय संघ से निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में काश्तकारों को दोनों फसलों में खाद व बीज की कितनी–कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है ? क्या यह आपूर्ति सही मात्रा में है ? यदि नहीं, तो उसकी आपूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खाद/बीज निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाता है किन्तु कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न फसलों की नवीन विकसित किस्मों को प्रचलित करने हेतु सभी श्रेणियों के किसानों को केवल बीज मिनिकिट मात्र टोकन राशि लेकर उपलब्ध कराये जाते हैं ये बीज मिनिकिट पारदर्शिता लाने के लिए दिनांक 28.6.99 से निम्न गठित कमेटी के द्वारा लाटरी प्रणाली से आवंटित किये जाते है।

1. सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2. प्रगतिशील कृषक	सदस्य
3. कृषक (अनु.जाति/जनजाति)	सदस्य
4. ग्राम विस्तार कार्यकर्ता	सदस्य सचिव

विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम वर्ष 1998 से मार्च 2000 तक खाद/बीज क्रय विक्रय संघ से निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खरीफ की फसल हेतु 1500 मै. टन नत्रजनीय तथा 400 मै. टन फॉस्फेटिक उर्वरकों एवं 800 क्विंटल बाजरा बीज की आवश्यकता होती है एवं रबी फसल हेतु 2200 मै. टन नत्रजनीय व 1100 मै.टन फॉस्फेटिक उर्वरकों एवं 2700 क्विंटल गेहूं 325 क्विंटल सरसों के बीज की आवश्यकता होती है। वर्ष 1999–2000 में आवश्यकतानुसार आपूर्ति रही है।

जिला झुंझुनूं को भण्डारण सुविधा

703. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :–

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा राज्य में कुल कितने भण्डार गृहों का परिचालन किया जा रहा है ? तथा ये किन–किन स्थानों पर है ?

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या जिला झुंझुनूं शत प्रतिशत विद्युतीकृत है तथा सरसों, चना, गेहूं, जौ आदि फसलें प्रचुर मात्रा में बोई जाती है ? उक्त सबको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार झुंझुनूं जिले को भी भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा राज्य में 84 स्थानों पर भण्डार गृह संचालित किये जा रहे है, जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा झुंझुनूं में 4400 मै. टन की क्षमता में भण्डार गृह संचालित किया जा रहा है। तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम की नीतिगत सहमति के अनुसार एक ही स्थान पर दोनों निगमों द्वारा भण्डार गृह स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां, शेष जवाब 2 के अनुसार

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला हनुमानगढ़ का बीज विधायन संयन्त्र

704. **श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हनुमानगढ़ में बीज विधायन संयंत्र कब से स्थापित है ?

(2) क्या यह सही है कि बीज विधायन संयंत्र के भवन, गोदाम एवं कार्यालय पर कोई दूसरा विभाग काबिज है ? यदि हां, तो क्या इससे बीज विधायन का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा और बीज उत्पादक किसानों को एवं बीज लेने वाले किसानों को इस संयंत्र का लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा ?

(3) अब बीज विधायन का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सन् 1978 में राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना के पश्चात् कृषि विभाग से बीज विधायन संयंत्र हनुमानगढ़ में स्थानान्तरित हुआ था। विधायन मशीन 2 अगस्त, 1979 को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर विधायन केन्द्र पर स्थानान्तरित की गयी। तत्पश्चात् यह मशीन 1982–83 में भरतपुर विधायन केन्द्र पर स्थापित कर दी गयी। वर्तमान में संयंत्र पर विधायन मशीन नहीं है केवल भवन ही है।

(2) हां, बीज विधायन संयंत्र के भवन व कार्यालय में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खुली जेल के कैदी अस्थायी तौर से काबिज हैं क्योंकि उनके रिहायशी भवन निर्माणाधीन है। बीज विधायन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि यह संयंत्र अभी चालू नहीं हुआ है। आवश्यकता पडने पर भवन खाली करवा दिया जायेगा।

(3) बीज विधायन शुरू करने हेतु निर्णय, धन की उपलब्धता व कार्य की

(कृषी मंत्री)

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित कृषक

705. **श्री मांगीलाल डागा** (मेड़ता) एवं **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में नवम्बर, 1998 से मार्च,2000 तक किन–किन गांवों के किन–किन किसानों को किन–किन योजनाओं के अन्तर्गत लामान्वित किया गया है ? क्या उक्त योजनाओं से किसानों की कृषी उपज बढ़ी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र देसूरी के विभिन्न गांवों में वर्ष 1998 से मार्च 2000 तक कुल 10 योजनाओं के अन्तर्गत 4704 किसानों को लामान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट–अ (पृष्ठ संख्या 1–170) पर संलग्न है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों के यहां 2 से 25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उद्यान विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र देसूरी के विभिन्न गांवों में वर्ष 1998 से मार्च 2000 तक 4 योजनाओं के अन्तर्गत 661 किसानों को लामान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" (पृष्ठ संख्या 1–48) पर संलग्न है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों के यहां 5–15 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाखेरी का क्रमोन्नयन

706. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ? उक्त कार्यक्रम में जिला बून्दी को कितनी राशि आवंटित की गई है और यह राशि किस प्रकार व्यय की जानी है ?

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत अब तक बून्दी और विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में क्या–क्या कार्य प्रारम्भ किये गये और इसकी प्रगति क्या है ?

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाखेरी के नये भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है व क्या–क्या निर्माण कार्य हुए और क्या यह निर्माण कार्य इस भवन हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो और

(श्री घासीलाल मेघवाल)

क्या निर्माण कार्य अपेक्षित है ? क्या उक्त भवन हेतु भूमि भी आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसका कब्जा ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द लाखेरी को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ? क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रसवोत्तर सेवा केन्द्र/शहरी परिवार कल्याण केन्द्र में परिवर्तित कर नये रूप में स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केन्द्र सरकार के माध्यम से विश्व बैंक के सहयोग से बूंदी जिले में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बूंदी को कुल 17.70 लाख रुपये की राशि निम्नानुसार मदों के लिए आवंटित की गई है :–

मद	राशि
1. माइनर सिविल कार्य	10.00 लाख
2. 24 घंटे प्रसव सेवायें	07.45 लाख
3. कोल्ड चैन संधारण	00.25 लाख
कुल योग	17.70 लाख

(2) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बूंदी जिले में माइनर/मरम्मत/संवर्धन निर्माण कार्यो के लिये संस्थाओं को चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत प.क. कार्यक्रम के प्रबन्ध एवं मोनिटरिंग के लिये सामुदायिक आवश्यकता अवधारणा नीति के अनुसार वार्षिक योजनाओं का निर्धारण व प्रगति प्रबंधन का कार्य 1.4.1999 से किया जा रहा है। जिला बूंदी में कोल्डचैन व्यवस्था को नियमित संधारण के लिये आवश्यक रख–रखाव का कार्य किया गया है। जिस पर रुपये 12000/– व्यय हुये हैं।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी के नये भवन निर्माण हेतु वर्ष 1992–93 में रुपये 10.00 लाख एवं वर्ष 1995–96 में एक्स–रे रूम मय डार्क रूम निर्माण हेतु रुपये 90,000/– को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई। नये भवन में चिकित्सक परामर्श कक्ष, प्रयोगशाला स्टोर, आऊटडोर कक्ष कार्यालय कक्ष, एवं एक्स–रे डार्क रूम का निर्माण हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,लाखेरी में आपरेशन थियेटर, लेबर रूम, मैल एवं फिमेल वार्ड एवं चार दिवारी के निर्माण कार्य की आवश्यकता है, जिनके निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्षो में सुमुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर करवाया जाना अपेक्षित है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी हेतु जिला कलेक्टर, बूंदी ने भवन की संलग्न भूमि पुराने खसरा नम्बर 2333 इसका नया खसरा नम्बर, 898 में से 4 बीघा 0.5 बिस्वा जमीन दिनांक 10.5.99 को निःशुल्क आवंटित की है। आवंटित की गई भूमि पर कब्जे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) डिस्पेन्सरी लाखेरी को वर्ष 1991--92 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जा चुका है। लाखेरी में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2000--2001 में प्रसवोत्तर केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रसवोत्तर केन्द्र खोला जाना संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या--707

(स्थगित)

राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय-अजमेर को आवंटित राशि

708. **श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद के अन्तर्गत किन--किन सेटेलाइट चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु कितनी--कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सेटेलाइट चिकित्सालयों के भवन निर्माण कार्यो को कौन--कौन जाब नम्बर आवंटित किए ? वर्ष 1999--2000 में इनमें कितनी राशि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999--2000 में सेटेलाइट चिकित्सालय भवन अजमेर के निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ? वर्ष 2000--2001 में अजमेर सेटेलाइट चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1999--2000 (गत वर्ष) में बजट निर्णायक समिति को सहमति के अनुसार सेटेलाइट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर तथा सैटेलाइट चिकित्सालय, हिरणमगरी, उदयपुर के चरणबद्ध भवन निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि प्रति चिकित्सालय 250.00 लाख की दर से करवाये जाने हेतु उक्त वर्ष में उपरोक्त लागत राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा पचास--पचास लाख कुल राशि 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया था। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) सेटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर के भवन निर्माण कार्य को 358/4210/वि.स./आयो./99–2000 तथा सेटेलाइट चिकित्सालय, हिरणमगरी, उदयपुर के निर्माण कार्य 359/4210/वि.स./आयो./99–2000 जॉब नम्बर सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. ने आवंटित किये। उक्त निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाये जाने हेतु उपरोक्त दोनों सेटेलाइट चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु राज्य प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति क्रमांक प. 13(4) चिस्वा/2/99 दिनांक 15.5.99 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 में राशि रुपये 100 (सौलाख) की स्वीकृति जारी की गई।

(3) वर्ष 1999–2000 में विभाग की निर्धारित वार्षिक वित्तीय सीमा में आयोजना/वित्त विभाग द्वारा कटौती कर संशोधित सीमा निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2000–2001 की बजट निर्णायक समिति ने (आर.ई.) 99–2000 को संशोधित आय–व्यय सीमा निर्धारित करते समय उक्त मद की सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करवाने पर असहमति प्रकट की, जिसके कारण वर्ष 1999–2000 में सेटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर के भवन निर्माण के लिए संशोधित सीमा में राशि कटौती कर दी गई। उक्त मद में सेटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर एवं उदयपुर के भवन निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाये जाने हेतु वर्ष 2000–2001 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद में राशि रुपये 193.15 लाख का प्रावधान रखा गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला चूरू के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में रिक्त पद

709. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, उपकेन्द्र में कितने पद कब से रिक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि डावला रोड शहरी डिस्पेन्सरी में गत 4 माह में कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है ? क्या स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने कई पत्र चिकित्सा मंत्री, सचिव चिकित्सा विभाग को लिखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जिला मुख्यालय चूरू में बी.पी.एल. कार्ड धारियों को कितनी दवाइयां वर्ष 1999–2000 में वितरित की गई ?

(4) मेडीकल रिलीफ सोसाइटी चूरू में कितनी बैठकें जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 के मध्य हुई तथा उक्त में से कितनी बैठकों में स्थानीय विधायक को आमंत्रित किया गया ?

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(5) जिला मुख्यालय चूरू में भरतीया चिकित्सालय में मेडीकल रिलिफ सोसाइटी की दुकानों की निविदाएं वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 के लिए आमंत्रित की गई और कितने लोगों ने निविदाओं में भाग लिया तथा किसको लाईफ लाइन की दुकान किन शर्तों पर आवंटित की गई।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उप केन्द्रों में रिक्त पदों की संख्या रिक्ति की अवधि सहित सूची संलग्न है।

(2) जी हां, डायला रोड़ शहरी डिस्पेंसरी, चूरू में दिनांक 6.12.1999 से चिकित्सा अधिकारी का पद चिकित्सक के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण में चयन होने के फलस्वरूप रिक्त रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर पद भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) वर्ष 1999–2000 में बी.पी.एल. कार्डधारियों को 1,03,979.00 रुपये की औषधियां वितरित की गई।

(4) वर्ष 1999 से मार्च, 2000 तक मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, चूरू की 7 बैठकें हुई जिनमें किसी भी स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज में विधायक सदस्यों के मनोनयन हेतु माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव अर्द्ध शासकीय टिप्पणी क्रमांक : 18(25) चिस्वा/2/96/4.12.1999 के द्वारा संसदीय कार्य विभाग को भेजे गये है। अनुमोदन प्राप्त होते ही मनोयन कर दिया जायेगा।

(5) जिला मुख्यालय चूरू से भारतीय चिकित्सालय में मेडिकल रिलीफ सोसायटी की दुकानों की निविदाओं में वर्ष 1999–2000 में 10 लोगों ने भाग लिया। श्री सुमेरसिंह के नाम ठेका स्वीकृत किया गया तथा ठेके की शर्त के अनुसार 1100/– रुपये मासिक वेतन पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी, चूरू का कार्य करना शुरू किया। वर्ष 2000–2001 में 16 निविदादाताओं ने भाग लिया, ठेके का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

710. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में कितने चिकित्सा अधिकारी अन्य कर्मियों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(2) क्या सरकार जिले के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों के 115 स्वीकृत पदों में से 44 पद रिक्त है तथा अन्य कर्मियों के 428 स्वीकृत पदों में से 28 पद रिक्त हैं।

अस्पतालवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठि चिकित्सा अधिकारी, जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, नर्स श्रेणी प्रथम, रेड़ियोग्राफर, सेक्टर सुपरवाईजर, मलेरिया निरीक्षक, एस.एम.पी. डब्ल्यू. टी.वी.एच.वी., बी.एच.एस. (मेल) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं चिकित्सा अधिकारी, दन्त चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं नर्स श्रेणी द्वितीय, लेब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, एम. पी.डब्ल्यू., नेत्र सहायक, दन्त तकनीशियन, बी.सी.जी.टेक्नीशियन, की नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेंगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जयपुर के कस्बा थाना (बारां) मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली

711. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर से कस्बा थाना जिला (बारां) तक मुख्य सड़क पर कितने बडे पुल बने हुए है तथा किन–किन पुलों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है ?

(2) जिन पुलों पर टोल टैक्स वसूला गया या वसूला जा रहा है उन पुलों का निर्माण कब पूर्ण हुआ तथा कब से टोल टैक्स वसूलना प्रारम्भ हुआ ?

(3) टोल टैक्स क्यों व कब तक वसूला जाता है ?

(4) उक्त पुलों की लागत कितनी थी तथा प्रत्येक पुल से कितना टोल टैक्स वसूलना था तथा अब तक प्रत्येक से कितना–कितना टोल टैक्स वसूला जा चुका तथा कब तक वसूला जावेगा ? पुलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर से कस्बा थाना (जला–बारां) तक मुख्य सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

संख्या 12 एवं 76 का भाग है। जयपुर से कोटा (रा.उ.रा. मार्ग सं. 12) एवं कोटा से कस्बा थाना (रा. रा मार्ग सं. 76 मुख्य सड़क पर 7 पुल बने हुये हैं तथा 4 पुलों पर वर्तमान में टोल–टैक्स वसूला जा रहा है।

1. बनात पुल (टोंक–जिला)

2. चम्बल नदी (कोटा–जिला)

3. काली सिंध की पुल (जिला–बारां)

4. पार्वती नदी पर पुल (बारां)

(2) जिन पुलों पर टोल टैक्स वसूला गया था वर्तमान में वसूला जा रहा है उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ) टोल टैक्स वसूला गया था।

1. बम्बाला पुल वर्ष 1985 में निर्माण पूर्ण हुआ सितम्बर, 85 से 5.4.93 तक वसूला गया।

2. अलानियानदी वर्ष मार्च, 92 में निर्माण कार्य पूर्ण फरवरी, 93 से 23/5/98 तक टोल टैक्स वसूला गया।

(ब) वर्तमान में टोल टैक्स वसूला जा रहा है :–

1. **बनासपुल :** वर्ष 1994 में पूर्ण हुआ 12.5.94 से टोल टैक्स वसूला जा रहा है।

2. **चम्बल नदी :** वर्ष 6/87 से निर्माण पूर्ण, वर्ष 2/88 से टोल टैक्स वसूली प्रारम्भ।

3. **कालीसिंध नदी :** वर्ष 3/97 में निर्माण पूर्ण, वर्ष 11/97 से टोल टैक्स वसूली प्रारम्भ।

4. **पार्वती नदी :** वर्ष 3/96 में निर्माण पूर्ण, वर्ष 4/96 में टोल टैक्स वसूली प्रारम्भ।

(3) भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.2.92 के अनुसरण में पुल की लागत को टोल टैक्स वसूली के माध्यम से पुर्नभरण किया जाता है। पुल की लागत की पूरी वसूली तक की अवधि या 30 वर्ष तक जो भी पहले हो की अवधि तक वसूली जाता है।

(4) उक्त पुलों की लागत/सम्भावित वसूली योग्य टोल टैक्स की राशि/अब तक वसूले गये टोल टैक्स की राशि एवं टोल टैक्स वसूली की सम्भावित तिथि का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है :–

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	पुल का नाम	लागत	टोलटैक्स वसूलना है (संभावित)	31.3.2000 तक वसूला गया टोल टैक्स	अंतिम टोल टैक्स वसूली की तिथि (संभावित)	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	चम्बल नदी	556.00	844.95	1467.45	31.3.2002	(चम्बल नदी पुल के निर्माण के लागत की वसूली पूर्ण हो चुकी है। रेल्वे ओवर ब्रिज रंगपुर की निर्माण लागत की वसूली हेतु चम्बल नदी पर टोल वसूली की जा रही थी किन्तु वर्तमान में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेशानुसार टोल वसूली स्थगित कर दी गई है।
2.	बनास नदी	876.82	2172.57	870.20	31.3.2005	
3.	कालीसिंध नदी	1848.81	2375.30	94.55	31.5.20027	
4.	पार्वती नदी	773.00	1994..38	87.05	31.12.2026	

चोमहला–कूंडला मार्ग की मरम्मत

712. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में डग से चोमहला–कूंडला तक का मार्ग अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग को इस वित्तीय वर्ष में ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डग से चोमहला–कूंडला क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को मरम्मत करने का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

ग्राम चंवरा चौफूल्या/पौरव (झुंझुनूं) सड़क भूमि का मुआवजा

713. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) तहसील उदयपुर वाटी (झुंझुनूं) के ग्राम चंवरा चौफूल्या से पौरव सड़क बने कितने वर्ष हो गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क में आने वाली भूमि का मुआवजा काश्तकारों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक दे दिया जायेगा तथा इनकी कार्यवाही किस–किस स्तर पर चल रही है ?

(3) उक्त सड़क की चौड़ाई कितने फुट की है ?

उत्तर

(1) तहसील उदयपुर वाटी (झुंझुनूं) में ग्राम चंवरा चौफूल्या से पौंख सड़क वर्ष 1984–85 में बनाई गई थी अर्थात सड़क को बने 16 वर्ष हो गये हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त सड़क में आने वाली भूमि का मुआवजा काश्तकारों को अभी तक नहीं दिया गया है। भूमि अवाप्ति कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रभावित काश्तकारों को भुगतान दे दिया जावेगा। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही, भूमि अवाप्ति अधिकारी के स्तर पर की जा रही है।

(3) इस सड़क की कैरीजवे की चौड़ाई 10 फीट है एवं सड़क सीमा 60 फीट है।

झालरापाटन से सुनेल सड़क का डामरीकरण

714. **श्री मोहन लाल राठौर** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मोहन लाल राठौर)

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन से सुनेल सड़क वाया तीतरी, झुमकी खराब है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कर डामरीकरण कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त सड़क का कार्य मन्जूरशुदा है ? यदि हां, तो कार्य कब शुरू होगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999–2000 में झालावाड़ जिले में हुई अधिक वर्षा से झालरापाटन से सुनेल सड़क वाया तीतरी झुमकी खराब हुई थी, इस सड़क की कुल लम्बाई 36.00 किमी. है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सड़क पर नवीनीकरण/साधारण मरम्मत का कार्य किया जाना निर्भर है।

(2) जी हां। वर्ष 1999–2000 में योजना मद में उक्त सड़क के कि.मी. 6/0 से 10/0 एवं 18/0 से 22/0 (कुल 8 किमी.) सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण हेतु कार्य किया गया था। वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण यह कार्य वर्ष 1999–2000 में पूर्ण नहीं किया जा सका। भविष्य में इस कार्य को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की क्षतिग्रस्त सड़कें

715. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 के दौरान विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़को में किस–किस सड़क पर कितनी–कितनी राशि व्यय हो चुकी है और कितना कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा कितना शेष है और कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि नीमकाथाना से गुहाला, मांवण्डा, नीमकाथाना से गणेश्वर, चीपलाटा गुडागोरी व पाटन से डाबला मुख्य सड़क कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का अब कब तक नवीनीकरण कर दिया जावेगा ?

(4) नीमकाथाना कस्बे के खेतड़ी मोड़ से रेल्वे फाटक के बाहर की सड़क की मरम्मत हेतु न्यायालय के आदेश से कितनी राशि देकर कब मरम्मत कराई गई ? क्या यह सही है कि मरम्मत कराने के 2 माह बाद ही उक्त सड़क

(श्री मोहन लाल मोदी)

क्षतिग्रस्त हो गई है ? उक्त कार्य किस ठेकेदार ने किया उसके विरूद्ध क्या कारवाई की जावेगी ? उक्त सड़क को अब कब तक ठीक कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 के दौरान विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में बी.एम.एस.पी. योजना के अन्तर्गत कुल 4 कि.मी. लम्बाई की एक नई सड़क निर्माण हेतु रुपये 24.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़क पर रुपये 0.03 लाख राशि व्यय की गई है। कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। उक्त सड़क निर्माण कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(3) जी हां। विभाग की प्राथमिकता यातायात के अधिक घनत्व वाली सड़कों पर मरम्मत एवं रख–रखाव एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य में सभी ग्रामीण सड़कों पर मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सम्पन्न नहीं कराया जा सका है प्रश्न में वर्णित सड़कों पर आवश्यक नवीनीकरण का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा ।

(4) नीमकाथाना कस्बे के खेतड़ी मोड से रेल्वे फाटक के बाहर की सड़क की मरम्मत हेतु न्यायालय के आदेश से रुपये 10.96 लाख राशि गैर योजना मद में माह दिसम्बर, 1998 में स्वीकृत कर मरम्मत कराई गई थी।

जी नहीं, यह सही नहीं है कि उक्त सड़क मरम्मत कराने के दो माह बाद ही उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त कार्य की बृजलाल जांगिड़ "सी" श्रेणी ठेकेदार सीकर ने किया। ठेकेदार द्वारा मरम्मत की गई सड़क विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार की गई थी एवं न ही निर्धारित समय में सड़क क्षतिग्रस्त हुई। अतः ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। आबादी क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने एवं सड़क पर पानी छोड़ने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होती है। पानी निकास हेतु नाली निर्माण कार्य एवं सड़क मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

भोजपुरा से माधोराजपुरा (फागी) सड़क का डामरीकरण

716. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दिग्विजय सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी में भोजपुरा से माधोराजपुरा तक ग्रेवल सड़क किस योजना के अन्तर्गत बनाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के बनने से जयपुर से माधोराजपुरा (फागी) की दूरी 8 किलोमीटर कम हो गई है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त सड़क खराब है ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र फागी में भोजपुरा से माधोराजपुरा तक सड़क की लम्बाई 8 कि.मी. है जिसमें कि.मी. 0/0 से 4/0 मेटल स्तर तक तथा कि.मी. 4/0 से 7/0 ग्रेवल स्तर तक बनी हुई है तथा कि.मी. 7/0 से 8/0 तक कार्ट ट्रेक है। 4 कि.मी. मेटल सड़क का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत वर्ष 96–97 में हुआ था तथा 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण अकाल राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 95–96 में कराया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के अभाव में डामरीकरण न होने के कारण सड़क की स्थिति ठीक नहीं है।

(4) जी हां। सड़क के डामरीकरण का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर है।

श्री डूंगरगढ़ (चूरू) की स्वीकृत सड़कों का पेचवर्क

717. **श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) वर्ष 1998–99 व 1999–2000 में श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में कौन–कौनसी सड़के स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में कौन–कौनसी सड़कों पर पेच वर्क कितनी–कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? क्या उक्त पेच वर्क को पूरा करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी सड़कों पर अपूर्ण है ? सूची सड़कवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998–99 में कोई नई सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृत नहीं की गई जबकि वर्ष 1999–2000 में योजना मद के अन्तर्गत सुधारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु स्वीकृत की गई सड़कों का विवरण सदन के पटल पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

(क) बीदासर–श्रीडूंगरगढ़ सड़क कि.मी. 30/0 से 40/0 में 13 एम.एम. कारपेट का कार्य ।

(ख) श्री डूंगरगढ़–कालू सड़क कि.मी. 60/0 से 70/0 में 13 एम.एम.कारपेट का कार्य।

(ग) सेरूणा–पूर्णासर कि.मी. 0/0 से 10/0 में 13 एम.एम. कारपेट का कार्य

(2) सड़कों के साधारण मरम्मत (पेच वर्क) हेतु खंडवार एक मुश्त राशि का आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1998–99 व 1999–2000 में जिन सड़कों पर पेच का कार्य स्वीकृत किया गया उन का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जहाजपुर तथा कोटड़ी (भीलवाड़ा) की सड़कों का संधारण

718. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर तथा कोटड़ी (भीलवाड़ा) की सड़कें खराब हैं ? यदि हां, तो कौन–कौनसी सड़के और उनकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(2) क्या वर्ष 2000–2001 में उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो किस–किस सड़क पर क्या कार्य प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील जहाजपुर कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में सा.नि.वि. सड़क रख–रखाव सूची में कुल डामर सड़क लम्बाई क्रमशः 206 किमी. एवं 224 किमी. है। उक्त दोनों तहसीलों में वित्तीय सीमितता के कारण जिन सड़कों पर मरम्मत का कार्य नहीं हो सका है। उनकी सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। वर्ष 1999–2000 में सड़क मरम्मत एवं रख–रखाव मद में तहसील जहाजपुर में 126 किमी. व कोटड़ी में 114 किमी. सड़क लंबाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया है शेष सड़कों की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधानों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। तहसील जहाजपुर में योजना मद में 6 सड़कों के 23 किमी. लम्बाई के लिये रुपये 42.50 लाख व गैर योजना मद में एक सड़क के 3 किमी. लम्बाई के लिये 3.75 लाख रुपये के कार्यों के लिये वर्ष 1999–2000 में स्वीकृति जारी की गई थी तथा इन्हें पूर्ण करना राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। तहसील कोटड़ी में योजना मद में 6 सड़कों के 33 किमी. लम्बाई के लिये 158.30 लाख रुपये तथा गैर योजना मद में एक सड़क के 1.5 किमी. लम्बाई के लिये 3.00 लाख रुपये के कार्यों के लिये वर्ष 1999–2000 में स्वीकृति जारी की गई थी तथा इन्हें पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। उपरोक्त स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" व परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

बूचारा तथा टोरडा गुजरान की सीकर जिले की सीमा हेतु सम्पर्क सड़कें

719. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूचारा तथा टोरडा गुजरान से सीकर जिले की सीमा तक सड़क जोड़े जाने के लिए कितनी–कितनी दूरी है ?

(2) उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत क्या है ?

(3) क्या सरकार बूचारा तथा टोरडा वाया चांदोली को सीकर जिले की सीमा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बूचारा ग्राम से सीकर जिले की सीमा तक सड़क जोड़े जाने के लिये 2.50 किमी. की दूरी है तथा टोरड़ा गुजरान से सीकर जिले की सीमा तक सडक जोड़े जाने के लिये 6.00 किमी. की दूरी है।

(2) उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :–

1. बूचारा से सीकर जिले की सीमा तक	30.00 लाख
2. टोरडा गुजरान से सीकर जिले की सीमा तक	64.00 लाख
कुल रुपये	94.00 लाख

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) ग्राम बूचारा एवं टोडा पूर्व में ही डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। बूचारा एवं टोडा को सीकर जिले की सीमा तक सड़क से जोड़ना राज्य की सड़क विकास निति की प्रथम वरीयता में नहीं आता है।

दूदू/फागी मौजमाबाद की सड़कों की मरम्मत

720. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) **एवं श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बगरू मौजमाबाद (जयपुर) सड़क ख़राब है ? उक्त सड़क पर मरम्मत के लिये डाली गई सामग्री क्यों हटा ली गई ?

(2) क्या उक्त सड़क को ठीक किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या दूदू–फागी सड़क खराब हो रही है ? क्या उक्त सड़क को अब ठीक किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बगरू से मौजमाबाद सड़क की कुल लम्बाई 28.00 किमी. है जिसमें से 7 कि.मी. सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधानों के आधार पर वर्ष 99–2000 में कराया गया। इस सड़क के 5 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण हेतु 7.00 लाख रूपये वर्ष 99–2000 में योजना मद में स्वीकृत किये गये थे किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। उपरोक्त स्वीकृत कार्य पूर्ण होना व शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मंत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इस सड़क पर सड़क मरम्मत हेतु कोई सामग्री नहीं हटाई गई।

(2) इस सड़क के 5.00 कि.मी. लम्बाई का नवीनीकरण का कार्य व शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। दूदू फागी सड़क राज्य उच्च मार्ग श्रेणी की सड़क है। जिसकी कुल लम्बाई 37 किमी. है। वर्ष 99–2000 में इस सड़क पर 18 किमी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया था। शेष लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण निर्भर करेगा।

केकड़ी क्षेत्र में पुल निर्माण निगम की परियोजनाएं

721. **श्री सांवर [illegible]** (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

ग्राम खोरा श्यामदास (जयपुर) के उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

725. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम खोरा श्यामदास, आमेर, जिला जयपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में कब क्रमोन्नत किया गया ? क्या सरकार अब उक्त विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या उक्त विद्यालय उच्च-माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करता है ? यदि हां, तो फिर क्रमान्नत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम खोरा श्यामदास, आमेर जिला जयपुर वर्ष 1997 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। वर्ष 2000–2001 में 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त विद्यालय के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त ग्राम की जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, फीडर विद्यालय क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियां, भवन व्यवस्था एवं जनप्रतिनिधियों की मांग प्राप्त होने पर सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर निर्णय लिया जाना संभव होगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पंचायत समिति बामनवास एवं बौली के ग्रामों में विद्युत लाइन की चोरी

726. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1939 से जनवरी, 2000 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में तार चोरी के करीबन 55 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज कराये हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति बामनवास एवं बौली के किस–किस गांव की कितनी–कितनी लाइन कब–कब चोरी चली गई तथा उनमें से किस–किस लाइन को कब–कब इरैक्ट कर दिया ?

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांव की विद्युत लाइन को खींचकर विद्युत उपलब्ध करायेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1989 से जनवरी, 2000 तक पंचायत समिति, बामनवास में 22 तथा पंचायत समिति, बौली में 29 तार चोरी के कुल 51 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज कराये गये हैं। इन गांवों में चोरी गई लाइनें, चोरी होने की दिनांक व पुनः ठीक की गई लाइनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त 51 प्रकरणों में से 29 मामलों में लाइने पुन ठीक की जा चुकी है। ग्राम पुनेता व शिशोलाव के उपभोक्ताओं में विद्युत बिल की राशि बकाया है। लाइन ठीक करने में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें विशेष बकाया नहीं हो। शेष गांवों में कनैक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा लाइनों के सामान का खर्चा 50,000/– रुपये तक की सीमा में होने पर लाइनें ठीक करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील बस्सी के ग्रामों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

727. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्राम केसुपुरा पिपलाबाई व रारान रामपुरा के घरेलू व कृषि कुओं में विद्युत कनेक्शन हेतु उपभोक्ताओं ने राशि जमा करा रखी है ? यदि हां, तो उनको कनेक्शन अब तक नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त कनेक्शन अब शीघ्र देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्राम केसुपुरा पिपलाई व रामपुरा में कृषि व घरेलू कनेक्शन हेतु मांग–पत्रों की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को कनैक्शन नहीं देने का कारण मैंचिंग मटीरियल की कमी व एस्टीमेट में संशोधन आदि हैं।

(2) सामान की उपलब्धता, मांग–पत्र की संशोधन प्रक्रिया पूर्ण होने व मांग–पत्र की राशि जमा होने पर वरीयतानुसार कार्य पूर्ण कर कनेक्शन शीघ्र देने के प्रयास किये जायेंगे।

अनुसूचित जनजाति के आवेदनकर्ता को विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता

728. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन देने में अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आदिवासी क्षेत्र छोड़कर अन्य जिलों में अनुसूचित जन जाति को अनुसूचित जाति की तरह प्राथमिकता नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जन जाति को भी कृषि विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर अनुसूचित जनजाति के कृषकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अनुसूचित जनजाति के मुकाबले काफी ठीक है अतः यह लाभ अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। अतः जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर के अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता देने का औचित्य नहीं है।

अरबन को–आपरेटिव बैंक अलवर में विद्युत मण्डल के खाते में फर्जी चैक प्रकरण

729. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर वृत में अरबन कोआपरेटिव बैंक द्वारा बिल जमा कराने के कार्य में 29–30 जनवरी, 1999 को विद्युत मण्डल के खाते की जमा राशि में से 1,27,918/– रुपयों की एवज में विद्युत मण्डल के बैंक खाते में फर्जी चैक जमा करवाकर विद्युत मण्डल से धोखाधड़ी की/विद्युत मण्डल की राशि का गबन किया ?

(2) उक्त सम्बन्ध में बैंक व विद्युत मण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विद्युत मण्डल में श्रमिक संगठनों को समाप्त करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो सी.डी.एम.ई.. अलवर के निर्देश पर अलवर के विद्युत श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण दूरस्थ स्थानों पर क्यों किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अलवर अरबन कोआपरेटिव बैंक से रुपये 1,27,918/– मय ब्याज के दिनांक 20.02.1999 को वसूल कर लिये गये है तथा सहायक अभियन्ता (विवरण–तृतीय) अलवर द्वारा थाना कोतवाली में दिनांक 25.02.1999 को मामला दर्ज करवाया गया है। उक्त मामले में विद्युत मण्डल की सतर्कता शाखा ने जांच की थी। जांच में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है :–

1. श्री श्यामलाल शर्मा, अधिशासी अभियन्ता

2. श्री जी.डी.बंसल, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत)

3. श्री भगवान सहाय धनावत, लेखाकार (ए.आर.ओ.)

4. श्री रामनिवास शर्मा, कनिष्ठ लिपिक उपरोक्त आरोपित अधिकारी श्री श्यामलाल शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता को रा.रा.वि.म. कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम –1962 के विनिमय–6 के तहत तथा शेष श्री जी.डी. बंसल, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत) भगवान सहाय धनावत, लेखाकार (ए.आर.ओ.) तथा रामनिवास शर्मा, कनिष्ठ लिपिक को रा.रा. वि.मं. कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) विनियम–1962 के विनियम–7 (1) दीर्घ दण्ड के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिनांक 21.12.1999 को जारी किये जा चुके हैं। जिसमें श्री जी.डी. बंसल सहायक अभियन्ता एवं श्री भगवान सहाय धनावत, लेखाकार ने अपने आरोप पत्र का लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर दिया है। शेष आरोपितों के लिखित अभिकथन प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। मण्डल की श्रमिक संगठनों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक अलवर वृत से किसी भी कर्मचारी के स्थानान्तरण का प्रश्न है, ऐसे स्थानान्तरण मण्डल द्वारा केवल प्रशासकीय व मण्डल हित में ही किये जाते हैं। मण्डल द्वारा किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण, उसके किसी भी श्रमिक संगठन विशेष से सम्बद्धता के कारण नहीं किया गया है।

नागौर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

730. श्री **रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कुल कितने कृषिक कनेक्शन किस श्रेणी के किस वर्ष से लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000–2001 में उक्त जिले में कितने कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(3) क्या यह सही है कि सामान की अनुपलब्धता के कारण घरेलू/कृषि कनेक्शनों में देरी हो रही है ? यदि हां, तो सामान उपभोक्ताओं को समय पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कृषि कनेक्शन हेतु माह मार्च, 2000 के अन्त तक 15239 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका श्रेणीवार व वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	श्रेणी	किस वर्ष से लम्बित हैं	लम्बित आवेदनों की संख्या
1.	सामान्य	1986–1987	14248
2.	अनुसूचित जाति	1998–1999	148
3.	भूतपूर्व सैनिक	1986–1987	175
4.	चारा योजना	1999–2000	564
5.	चोरी रोको योजना	1999–2000	81
6.	नर्सरी योजना	1996–1997	19
		कुल योग :	15239

(2) वर्ष 2000–2001 के लिए कृषि कनेक्शन नीति अभी जारी नहीं की गई है। कृषि कनेक्शन नीति जारी होने पर नीति अनुसार कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे। फिलहाल उनकी संख्या बताना संभव नहीं है।

(3) मैचिंग मटीरियल की कमी के कारण कृषि/घरेलू कनेक्शन देने में कभी–कभी व्यवधान आ जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य भंडारों से सामान की व्यवस्था कर व क्रय कर उपभोक्ताओं को सामान उपलब्ध करवा दिया जाता है। राज, राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय अभाव के कारण भी मटीरियल की समय–2 पर कमी रहती है

ग्राम बांगरोद (कोटा) में भौतिक रूप से विद्युतीकरण

731. **श्री राम गोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बांगरोद पंचायत समिति इटावा जिला कोटा को वर्ष 1993–94 में विद्युतीकृत घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम विद्युतीकृत घोषित होने के बाद भी उसमें लाइट नहीं लग पाई है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या दोषियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम को अब विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति, इटावा के अन्तर्गत ग्राम बांगरोद को गैर आबाद (नान पोटेन्शियल) ग्राम की श्रेणी में विद्युतीकृत घोषित किया गया था। ऐसे गांवों में कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में इस गांव में कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है। इस गांव में कनेक्शन नहीं होने के लिए प्रथम दृष्टया कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर विद्युत तंत्र का विस्तार करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

धौलपुर के अविद्युतीकृत ग्राम

732. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ग्राम ताल ओन्डेला व नगला मोरोली का विद्युतीकरण करना शेष हैं।

(2) जी हां। उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण आवंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में शनैः शनैः किया जाना संभव हो सकेगा। फिलहाल समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से केवल 8 ग्रामों में विद्युत उपलब्ध नहीं है। इन ग्रामों में से ग्राम भामरोली में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको कनेक्शन लेने की कार्यवाही प्रगति पर है। ग्राम ठेकली व सुन्दरपुर की 11 के.वी. लाइन क्षतिग्रस्त है। प्रावधान के अनुसार लाइनों के सामान की लागत 50000/-- रुपये तक आती हो तो इनमें भी आवेदकों को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी। शेष 5 ग्राम मानपुर, तिहारा, गंवा, मलपुरा व रन्ध राजोरा में आवेदन पत्र प्राप्त न होने से वहां विद्युत उपलब्ध नहीं है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही कर विद्युत उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल का प्रस्वावित ग्रिड सब--स्टेशन

733. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम दासपां के लिये 132 के.वी. ग्रिड सब--स्टेशन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब इसे सरकार कब तक तैयार करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम वियो का गोलिया, मालनी व जेतू में भी 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक तैयार करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम दासपां के लिए 132 के.वी. ग्रिड सब--स्टेशन प्रस्तावित है। प्रस्ताव की तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। यदि तकनीकी रूप से इसे स्वीकृति योग्य पाया गया तो स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृति के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण की कार्यवाही संभव हो पायेगी।

(2) जी हां। ग्राम वियों का गोलिया में 33/11 के.वी. सब--स्टेशन दिनांक 31.3.2000 को चालू किया जा चुका है एवं जेतू के लिए 33/11 के.वी. सब--स्टेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। इसे वर्ष 2000--2001 के फेज्ड प्रोग्राम में शामिल कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम मालनी के प्रस्ताव की तकनीकी

(ऊर्जा मंत्री)

साध्यता की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम

734. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कितने राजस्व ग्राम विद्युतीकृत नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त राजस्व ग्राम अब कब तक विद्युतीकृत कर दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि कई ग्राम ऐसे भी हैं जो विद्युतीकृत हैं किन्तु उनमें अभी तक लाइन नहीं खिंची है ? यदि हां, तो क्यों ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा मे माह मार्च, 2000 तक 6 राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं, जिनका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	तहसील
1.	जावला	21/12/128	गिर्जा
2.	जूना कुआं	21/16/33	सराड़ा
3.	सेकरी	21/16/74	सराड़ा
4.	बबारी	21/16/121	सराड़ा
5.	मालर	21/16/122	सराड़ा
6.	उपला गुडा	21/16/132	सराड़ा

उपरोक्त गांवों का विद्युतीकरण आवंटित लक्ष्य व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में शनैः शनैः किया जाना संभव हो सकेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से निम्न 8 ग्रामों में विद्युत लाइन नहीं खींचने का कारण मुख्यता कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होना व विद्युत लाइन के तारों की चोरी की आशंका आदि है।

क्र.सं.	गांव का नाम	विद्युतीकरण की स्थिति
1.	छाणी	11 के.वी. लाइन खींची हुई है। एल.टी. लाइन खीचना शेष है।
2.	भवाड़ा	11 के.वी. लाइन खींची हुई है। एल.टी. लाइन खीचना शेष है।
3.	झालार देवी	पोल खड़े है, लाइन नहीं खींची गई हैं।
4.	खरवा	लाइनें नहीं हैं।
5.	बलदार	लाइनें नहीं हैं।
6.	खरकी	लाइनें नहीं हैं।
7.	खड़ी महूडी	लाइनें नहीं हैं।
8.	खार	लाइनें नहीं हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता

735. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी. एल.) के परिवारों के अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्थाओं/नौकरियों में कोई विशेष आरक्षण सुविधा प्राप्त है ?

(2) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के शिक्षित बच्चों को राज्य सरकार की नौकरियों में कोई बोनस अंक दिया जाता है ?

(3) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के स्नातक

(डा. करण सिंह यादव)

स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बेरोजगार भत्ता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय कर चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के परिवारों के अभ्यर्थियों को शिक्षण हेतु छात्रवृति एवं छात्रावास की सुविधा मुहैय्या करवाई जाती है। जवाहर ग्राम समृद्ध योजना तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तहत इन परिवारों के बच्चे जो राजकीय या निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ऐसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा व पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इन परिवारों के युवा सदस्यों को ट्राइसम एवं स्काइट योजना तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अनु. जाति जनजाति के सदस्यों को पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों पर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं इंजीनियरिंग, मेडिकल में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षाओं के लिए कोचींग की सुविधा मुहैय्या करवाई जाती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं वेटनरी के अभ्यर्थियों को तकनीकी अध्ययन हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन बी.एड. एवं एस.टी.सी. हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसा कोई प्रावधान विचारार्थ नहीं हैं।

राज्य की शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण

736. **श्री रूपाराम** (डीडवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सरकार ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यो विद्यार्थियों की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करवाने के तौर तरीकों का मूल्यांकन/निरीक्षण करने के लिए नियम/विधि/प्रक्रिया एवं आदेश जारी कर रखे है ?

(2) क्या बी.एड./एस.टी.सी. प्रशिक्षण कोर्स में जो सिखाया जाता हे उसी अनुरूप शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा विद्यालयों में प्रतिमाह पढ़ाने का कार्य पूर्ण करवाया जाता है ? क्या प्रतिमाह प्रत्येक शैक्षणिक कार्मिक का जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/उपनिदेशक द्वारा इसी अनुरूप मूल्यांकन/निरीक्षण किया जाता है ?

(3) क्या राज्य की समस्त पंचायत समितियों उपनिदेशक (प्रा.शि.) एवं

(श्री रूपाराम)

उपनिदेशक प्रा.शिक्षा (क) द्वारा जिला परिषद्/पंचायत समिति/प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण/मूल्यांकन दिनांक 1.7.95 से 31.3.2000 तक किया जा चुका है ? यदि हां तो कब–कब कहां–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण/मूल्यांकन नहीं करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) उक्त अवधि में यात्रा भत्ता मद में कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी उपयोग में ली गई कितनी राशि लेप्स की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इन अधिकारियों को राज्य की समस्त पंचायत समितियों में शिक्षा कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/अध्यापकों पर प्रशासनिक नियंत्रण, दिशा–निर्देश, नीति–निर्धारण तथा शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा से संबंधित अन्य कार्य संपादित करने के लिए मुख्यालय पर ही कार्य आवंटित है। राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान के तहत इनके द्वारा विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है एवं जांच आदि कार्यों के लिए भी दौरे किए जाते है। इन अधिकारियों हेतु निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(4) वित्तीय वर्ष 1995–96 से 31.3.2000 तक यात्रा मद में आवंटित राशि, उपयोग में ली गयी राशि का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि	लैप्स राशि
1995–96	24000	15067	8933
1996–97	10000	8480	1520
1997–98	80000	14796	65204
1998–99	43000	13930	27030
1999–2000	16000	8253	7647

ग्राम पंचायत रताऊ (लाडनूं) में डी.डी.पी. योजना में स्वीकृत कार्यों में अनियमितताएं

737. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चौमूं) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत रताऊ (लाडनूं) में डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत पक्के तालाब के कार्य हेतु कब तथा कितनी राशि स्वीकृत हुई ? क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त कार्य में अनियमितताओं की शिकायत हुई ? यदि हां, तो जांच किस–किस स्तर पर हुई तथा जांच के आधार पर क्या निर्णय लिये गये ?

(3) उक्त निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि का भुगतान किस–किस मद में हुआ तथा कितनी राशि शेष है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रताऊ (लाडनूं) में पक्के तालाब निर्माण हेतु दिनांक 6.2.94 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 5.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। तालाब का कार्य अपूर्ण है। निर्माण कार्य में उपयोग ली जाने वाली सामग्री बाबत शिकायत प्राप्त होने के कारण जांच करवाये जाने के फलस्वरूप कार्य पूरा नहीं हो सका। शेष कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग मेड़ता को दी गई है।

(2) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति (लाडनूं) सहायक अभियन्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, मेड़ता तथा परियोजना निदेशक (डीडीपी) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जांच की गई। जांच पश्चात दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(3) निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु 1,24,052/–रुपये तथा श्रम पर 1,11,132/–रुपये व्यय किये गये हैं। व्यय की 10 प्रतिशत राशि रोक ली जाने के कारण इस कार्य हेतु रुपये 28,8,316/– अब शेष रहे हैं। 10 प्रतिशत राशि सामग्री की प्रयोगशाला जांच में गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर रोकी गयी हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय द्वारा राशि का दुरुपयोग

738. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति की निजी आय का उपयोग पंचायत समिति द्वारा किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस–किस नियम द्वारा किस–किस का अनुमोदन प्राप्त कर ?

(श्री सांवर लाल)

(2) क्या विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय (अजमेर) द्वारा उक्त नियमों/ शर्तों का उल्लंघन कर राशि का दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो कब--कब कितनी राशि किस--किस मद में ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 214 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति की आम सभा अथवा स्थाई समिति से अनुमोदन प्राप्त कर निजी आय का उपयोग किया जा सकता है।

(2) इस सम्बन्ध में संवीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर को निर्देश दिये गये है। संवीक्षा के परिणामों से अवगत करा दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नई पंचायतों का सृजन

739. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा नई कौन--कौनसी ग्राम पंचायतें सृजित करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये, उनमें से कितनी सृजित की गई एवं कितनी इस वित्तीय वर्ष में करने का विचार है ?

उत्तर

विकास अधिकारी टोडाभीम द्वारा बेरोज, भून्डा, मोहनपुरा, पीलवा, भैंसाखुर्द, मेरेडा, राजौर, डोरावली, बदलेटाखुर्द, राजौली एवं लुहारखेडा के प्रस्ताव भिजवाए गये। प्रस्ताव निर्धारित नोर्म्स/मापदण्डों के अनुसार नहीं पाए जाने के कारण जिला कलेक्टर (पंचायत) करोली द्वारा सुजानपुरा एवं खिरखिडी के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये। पंचायतों के पुनर्गठन के मामले पर कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई। पंचायत चुनाव के पश्चात् नई पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो चुका है। अतः वर्तमान में नये तौर से पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

भरतपुर संभाग में मृत शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी

740. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) मृतक शिक्षक के आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार नियुक्ति देने हेतु क्या नियम/प्रक्रिया/आदेश है और वर्तमान में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? मय दस्तावेज के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(2) श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री दोलत सिंह जिला परिषद् भरतपुर, श्री शिवभगवान/शिवबालक शर्मा जिला टोंक, श्री सज्जन कुमार पुत्र श्री बजरंग कुमार झुंझुनूं, अनवार अहमद जिला परिषद् सवाई–माधोपुर/ करौली के आवेदन–पत्र पर मृतक शिक्षक आश्रित के रूप में नियुक्ति देने के लिए किस पद हेतु कब एवं किस तारीख को प्राप्त हुए ? नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु कब–कब क्या प्रक्रिया अपनाई जा कर प्राथमिकता रजिस्टर के अनुसार कार्यवाही की गई ? क्या प्राथमिकता रजिस्टर के अनुसार कार्यवाही की गई ? क्या प्राथमिकता रजिस्टर प्रकरण प्राप्त होने पर इन्द्राज करने हेतु संधारित किया जाता है ? यदि हां, तो उसकी प्रति मय दस्तावेज के सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला भरतपुर, टोंक, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली के प्रकरण प्राथमिकता के अनुक्रमांक व दिनांक को प्राप्त हुए ? उक्त का निष्पादन अन्तिम नियुक्ति आदेश कब करने की तारीख व डिस्पेच नम्बर क्या–क्या है ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राथमिकता रजिस्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों नहीं बनाया गया ? अब तक पहले प्राप्त प्रकरण को सबसे पहले क्यों नहीं निपटाया गया ? किस–किस प्रकरण में अभी तक नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब किया जा रहा है ? उक्त प्रकरणों में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिये राजस्थान मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 है। जिसमें नियम एवं प्रक्रिया उल्लेखित है। वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रति संलग्न है, परिशिष्ट 'क'।

(2) चारों मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के संबंधित जिला परिषदों को योग्यतानुसार जिला स्थापना समिति के माध्यम से मृत कर्मचारी आश्रित नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार नियुक्ति देने हेतु अग्रेषित कर दिये गये है। आवेदन पत्रों के प्राथमिकता रजिस्टर का संधारण किया जाता है। मृतक के आश्रितों को नियुक्तियां प्राथमिकता एवं रिक्तियों के आधार पर संबंधित जिला स्थापना समिति, जिला परिषद द्वारा दी जाती है। सम्बन्धित जिला परिषदों से प्राप्त सूची परिशिष्ट 'ख' पर है।

(3) उक्त जिला परिषदों से प्राप्त मृतक कर्मचारियों के अश्रितों को नियुक्ति देने से संबंधित विवरण परिशिष्ट 'ख' की सूची में उपलब्ध है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) प्राथमिकता रजिस्टर का संधारण किया जाता हैं उसी आधार पर प्रकरणों का निस्तारण रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जाता है।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम रामपुरा (जयपुर) की प्राथमिक शाला का क्रमोन्नयन

741. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील सांमर जिला जयपुर में वर्ष 1957 में प्राथमिक शाला की स्वीकृति दी गई थी और अब तक भी उक्त प्राथमिक शाला उसी रूप में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के मानदण्ड इस प्रकार है :–

विवरण	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी/ जनजातीय
1. गांव की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा 5 की छात्र संख्या	20	15
3. कक्षा 1 से 5 तक कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2

5. 2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होना इसके अतिरिक्त जन–प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे है।

(2) जी हां। उक्त विद्यालय क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति होने पर उक्त प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत किया जायेगा।

पर्यटन विकास हेतु समाचार पत्रों को विज्ञापन की देय राशि

742. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने पर्यटन विकास हेतु समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिये कोई नीति बना रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक किस–किस समाचार पत्र को कितनी–कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक सूचना एवं प्रचार नियम, 1975 के तहत विज्ञापन दिये जाते है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा के तहत चयनित विज्ञापन एजेंसियों का पैनल, वाणिज्यिक दर पर निर्धारित कर विज्ञापन दिये जाते है।

(2) जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक समाचार पत्रों में पर्यटन विभाग व राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा दिए गये विज्ञापनों की सूची परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला झुंझुनूं में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु व्यय राशि

743. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 1999–2000 की अवधि में पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाले पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि किस–किस प्रयोजन हेतु व्यय की गई ?

(2) उक्त अवधि में सड़को के निर्माण/रख–रखाव हेतु कितनी राशि व्यय की गई और किन–किन स्थानों पर कार्य करवाया गया ?

(3) लाहोरगल, किरोडी–शाकम्भरी स्थलों के विकास हेतु मार्च, 2000 के अन्त तक कितनी राशि किस कार्य पर व्यय की गई कौन–कौन से कार्य पूर्ण हो चुके तथा कौन–कौन से कार्य अभी अपूर्ण हैं तथा पूर्ण करवाने हेतु क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 1999–2000 में पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाले पर्यटक स्थलों के विकास हेतु प्रयोजनवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में झुंझुनूं जिले में सड़कों के निर्माण/रख–रखाव हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) लोहारगल, किरोडी–शाकम्भरी स्थलों के विकास हेतु मार्च 2000 के अन्त तक कार्यवार व्यय की गई राशि एवं कार्य की स्थिति की 'सूचना परिशिष्ट–'ख' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

हस्तशिल्प को राज्य के बाहर भेजने की प्रक्रिया

744. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान के हस्तशिल्प / लघु उद्यमियों को राज्य के बाहर विदेशों में अपनी हस्तकला उत्पादन के प्रर्दशन / बिक्री हेतु भेजता है ? यदि हां, तो उक्त हस्तशिल्पी / उद्यमियों के चयन की क्या प्रक्रिया है ?

(2) वर्ष 1997 से 31 मार्च, 2000 तक इस हेतु कितने–कितने हस्तशल्पियों / लघु उद्यमियों का चयन कहां–कहां के लिए किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1997 से 31.3.2000 तक इस हेतु हस्तशिल्पीयों / उधमियों का चयन नहीं किया गया है।

महिला विकास प्राधिकरण नागौर द्वारा व्यय राशि

745. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हे कि जिला नागौर में जिला महिला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है ? यदि हां, तो कब से तथा इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व रजिस्टर्ड विधान की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राधिकरण में कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी कब–कब से कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राधिकरण के क्या–क्या कार्य है जिनमें से अब तक क्या–क्या कार्य किया गया तथा कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) उक्त प्राधिकरण द्वारा कितनी–कितनी राशि किस–किस माह में व्यय की गई ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या प्राधिकरण का आडिट हुआ है ? यदि हां, तो कब–कब ? अंतिम आडिट रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग के आदेश क्रमांक प.20(6)(5) 30/लेखा/नवीनआ/मबावि/95–96/18859–65 दिनांक 26.3.96 के अनुसरण में रजिस्टार संस्थाएं, नागौर के पंजीकरण क्रमांक 88/नागौर /95–96 दिनांक 30.3.96 के क्रम में दिनांक 30.3.96 को जिला महिला विकास अभिकरण, नागौर का गठन हुआ हैं। पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं पंजीकृत विधान की प्रति अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला महिला विकास अभिकरण, नागौर में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत रहे है :–

क्र.सं.	पद	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	कार्य अवधि
1.	जिला कलेक्टर एवं पदैन अध्यक्ष	श्री मनजीत सिंह	30.3.96 से 18.12.96 तक
		श्री मूलचन्द आर्य	19.12.96 से 25.5.98 तक
		श्री जे.पी. चंदेलिया	26.5.98 से 4.11.99 तक
		श्री आर.एन. अरविंद	5.11.99 से निरन्तर
2.	परियोजना निदेशक एवं सचिव	श्री जे.सी. विश्नोई	27.3.96 से 30.9.97 तक
		श्री रजिया जबीन	1.10.97 से 14.9.98 तक
		श्री टी.एस. गारवाह	15.9.98 से 17.9.98 तक
		श्रीमती कमला शर्मा	18.9.98 से 27.2.99 तक
		सुश्री हरमिनदर कौर	27.2.99 से 29.6.99 तक
		श्रीमती अनुप्रेरणा कुतल	29.6.99 से 18.7.99 तक
		सुश्री अतुला पारीक	19.7.99 से निरन्तर
3.	लेखाकार	श्री लक्ष्मणराम घायल	13.1.97 से निरन्तर

(श्री भरोसी लाल)

(1) क्या राजाधोक (झर) तहसील बस्सी (जयपुर) में बालिका छात्रा आश्रम बना हुआ है ? यदि हां तो उक्त छात्रावास में कितनी बालिकाएं रहती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास में प्रत्येक माह में कितनी–कितनी राशि की खाद्य सामग्री व अन्य सामान किसके द्वारा क्रय किया गया ? कैश बुक के इन्द्राज के मुताबिक दिनांक 1.4.1998 से 28.4.1998 तक तथा दिनांक 3.8.1998 एवं 23.8.1998 को किसके द्वारा क्या–क्या सामान क्रय किया गया ? बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वहां की वार्डन द्वारा श्री बाबूलाल महावर ठेले वाले से सब्जी क्रय की गई है जबकि चैनपुरा में इस नाम कोई व्यक्ति ही नहीं है ? क्या दिनांक 15.7.99 को शर्मा जनरल स्टोर चैनपुरा से झाडू व अन्य सामान क्रय कर बिल प्रस्तुत कर भुगतान उठाया गया है जबकि शर्मा जनरल स्टोर चैत्रपुरा में नहीं है ? उक्त सामान के अलावा वार्डन द्वारा बांसखों, बस्सी आदि से फर्जी बिल बनाकर राजकोष से भुगतान लिया गया है ?

(4) क्या उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति दूदली (जयपुर) ने अतिरिक्त कलेक्टर, ग्रामीण विकास अभिकरण को शिकायत की है ? यदि हां, तो प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दंड देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजाधोक (झर) तहसील बस्सी (जयपुर) में बालिका छात्रावास आश्रम बना हुआ है। वर्तमान में छात्रावास में 48 छात्राएं रह रही है। जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) मार्च 1998 से फरवरी 1999 की अवधि में आश्रम छात्रावास हेतु क्रय की गई सभी खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। कैश बुक के दन्द्राज के मुताबिक दिनांक 1.4.1998 से 28.4.1998 तक 863/– एवं 3.8.1998 एवं 23.8.1998 तक 100/– रुपये कुल राशि रुपये 963 की सब्जी बल्व एवं झाडू आदि सामान वार्डन द्वारा खरीदी गई है। क्रय की गई सामग्री के बिल की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट 3 एवं 4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। बाबूलाल महावर साइकिल से सब्जी बेचता है तथा इसी से छात्रावास के लिए सब्जी खरीदी गई है। उक्त सब्जी बेचता था। जिसको व्यक्तिगत रूप से वार्डन जानती है। यह सही है कि आश्रम छात्रावास के लिए 100/–रुपये के झाडूएं खरीदी गई तथा 100/–रुपये का भुगतान किया गया जिसका इन्द्राज कैशबुक में किया गया है। तथा यह झाडूएं रसोईयां श्रीमती

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(2) क्या उक्त आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को मानदेय नियमित रूप से मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र कहां–कहां कब तक खोले जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अन्तर्गत बाल विकास परियोजना में कुल 204 केन्द्र (कोटपूतली में 154 तथा बैराठ में 50 केन्द्र) स्वीकृत है। स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, वर्तमान में उक्त क्षेत्र में नये आंगनबाडी केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनजाति छात्रावास

748. श्री मांगी लाल गरासिया (गोगून्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनजाति के छात्रों हेतु कुल कितने छात्रावास कहां–कहां चल रहे है।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में कोई और जनजाति छात्रावास खोलने की योजना है ?

(3) यदि हां, तो कहां–कहां प्रस्तावित है और कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनजाति छात्रों हेतु चार छात्रावास क्रमशः राज्य मालवा का चोरा, जेड एवं मेरपुर (छात्रा) में चल रहे हैं

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के छाली ग्राम में एक छात्रावास का निर्माण चल रहा है।

(3) ग्राम छाली में एक आश्रम छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम–जेड का छात्रावास वर्तमान में किराये के भवन में चल रहा है इस छात्रावास के नवीन भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

राजाधोक (जयपुर) के बालिका आश्रम छात्रावास

749. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मरोसी लाल)

(1) क्या राजाधोक (झर) तहसील बस्सी (जयपुर) में बालिका छात्रा आश्रम बना हुआ है ? यदि हां तो उक्त छात्रावास में कितनी बालिकाएं रहती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास में प्रत्येक माह में कितनी–कितनी राशि की खाद्य सामग्री व अन्य सामान किसके द्वारा क्रय किया गया ? कैश बुक के इन्द्राज के मुताबिक दिनांक 1.4.1998 से 28.4.1998 तक तथा दिनांक 3.8.1998 एवं 23.8.1998 को किसके द्वारा क्या–क्या सामान क्रय किया गया ? बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वहां की वार्डन द्वारा श्री बाबूलाल महावर ठेले वाले से सब्जी क्रय की गई है जबकि चैनपुरा में इस नाम कोई व्यक्ति ही नहीं है ? क्या दिनांक 15.7.99 को शर्मा जनरल स्टोर चैनपुरा से झाडू व अन्य सामान क्रय कर बिल प्रस्तुत कर भुगतान उठाया गया है जबकि शर्मा जंनरल स्टोर चैत्रपुरा में नहीं है ? उक्त सामान के अलावा वार्डन द्वारा बांसखों, बस्सी आदि से फर्जी बिल बनाकर राजकोष से भुगतान लिया गया है ?

(4) क्या उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति दूदली (जयपुर) ने अतिरिक्त कलेक्टर, ग्रामीण विकास अभिकरण को शिकायत की है ? यदि हां, तो प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दंड देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजाधोक (झर) तहसील बस्सी (जयपुर) में बालिका छात्रावास आश्रम बना हुआ है। वर्तमान में छात्रावास में 48 छात्राएं रह रही है। जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) मार्च 1998 से फरवरी 1999 की अवधि में आश्रम छात्रावास हेतु क्रय की गई सभी खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। कैश बुक के दन्द्राज के मुताबिक दिनांक 1.4.1998 से 28.4.1998 तक 863/– एवं 3.8.1998 एवं 23.8.1998 तक 100/– रुपये कुल राशि रुपये 963 की सब्जी बल्व एवं झाडू आदि सामान वार्डन द्वारा खरीदी गई है। क्रय की गई सामग्री के बिल की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट 3 एवं 4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। बाबूलाल महावर साइकिल से सब्जी बेचता है तथा इसी से छात्रावास के लिए सब्जी खरीदी गई है। उक्त सब्जी बेचता था। जिसको व्यक्तिगत रूप से वार्डन जानती है। यह सही है कि आश्रम छात्रावास के लिए 100/–रुपये के झाडूएं खरीदी गई तथा 100/–रुपये का भुगतान किया गया जिसका इन्द्राज कैशबुक में किया गया है। तथा यह झाडूएं रसोईयां श्रीमती

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

गुलाब देवी के मार्फत मंगवाई गयी है। यह बात सही नहीं है कि वार्डन द्वारा बासखों, बस्सी से फर्जी बिल बनाकर राजकोष से भुगतान लिया है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कलक्टर (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करवाई जा रही है।

(5) जी हां। जांच में दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत सरना (जयपुर) के विकास कार्यों हेतु ली गई राशि में अनियमितताओं की जांच

750. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत सरना डूंगर, पंचायत समिति झोटवाड़ा जयपुर में वर्ष 1996 से फरवरी, 2000 तक रही पूर्व सरपंच ग्राम सरना के स्कूल के विकास के लिए उठाये गये। 1.68 लाख रुपये से निर्माण कार्य करा दिया है ? यदि हां, तो कहां और नहीं तो उक्त राशि कहां है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चक बाबड़ी के विद्यालय के विकास के लिए भी उक्त पूर्व सरपंच द्वारा उठाये गये 1.75 लाख रुपये से निर्माण कार्य करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां और नहीं तो राशि नियम विरुद्ध किसके पास रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच द्वारा मालियों की ढाणी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 6.4.98 को प्रस्ताव पारित कर राशि उठाई गई ? क्या उक्त राशि से कब तक कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त राशि कहां है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ग्राम लालचन्दपुरा के विद्यालय के लिए उठाये गये रुपयों से कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त राशि का किसने गबन किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जवाहर रोजगार के अर्न्तगत बाबड़ी गांव के खुरें हेतु उठाई गयी राशि 27,000 रुपये से खुर्रा बना दिया गया है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो उक्त राशि का गबन किसने किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या ग्राम पंचायत के गांव सरना में रैगरों के मोहल्ले में खुरें निर्माण हेतु उठाये गये रुपयों का गबन किसने किया ?

(श्री सहदेव शर्मा)

क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उक्त पंचायत के ग्राम चक सरना में राजीव गांधी पाठशाला में लेट्रीन–बाथरूम हेतु उठाये गये रुपयों से निर्माण करवा दिया गया ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो उक्त रुपयों का गबन किसने किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार उक्त पूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी के उक्त समस्त कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत सरना डूंगर पंचायत समिति झोटवाड़ा की पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम सरना के स्कूल के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत रुपये 1.68 लाख के विरुद्ध में रुपये 55,454.47 अग्रिम उठाई गई थी जिनके विरुद्ध में मूल्यांकन के अनुसार सरपंच द्वारा रुपये 37,499.00 रुपये का निर्माण कार्य करवाया शेष राशि रुपये 18,055.47 भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी से वसूली योग्य है, जिसके संबंध में पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा तत्कालीन सरपंच को नोटिस जारी किया जा चुका है, जो परिशिष्ट–अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां, बावड़ी विद्यालय के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत पूर्व सरपंच द्वारा स्वीकृत राशि रुपये 1,75,000 के विरुद्ध 1,26,706.43 अग्रिम लिये गये, जिससे जो कार्य कराया गया है उसका मूल्यांकन रुपये 86,051.00 का है तथा शेष राशि रुपये 40,655.43 भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी से वसूली योग्य है, जिसके संबंध में पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा राशि वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है, जो परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(3) पूर्व सरपंच द्वारा मालियों की ढाणी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 6.4.1998 को प्रस्ताव पारित नहीं करवाया गया बल्कि दिनांक 11.6.1999 को खुर्रा निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 1999–2000 में निर्माण करवाने हेतु पारित करवाया गया। उक्त खुर्रा निर्माण के लिए भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी द्वारा कोई अग्रिम राशि नहीं ली गई है एवं उक्त खुर्रे का निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया है।

(4) ग्राम लालचन्द पुरा के विद्यालय हेतु स्वीकृत 120 मीटर बाउण्ड्रीवाल एवं दो अतिरिक्त कमरें निर्माण की स्वीकृति रुपये 1,75,000 के विरुद्ध भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत कोष से राशि रुपये 1,18,961.38 अग्रिम राशि ली गई है। जिसमें से उक्त शाला में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य करवाया गया जिसका मूल्यांकन

(ग्रामीण विकास मंत्री)

91000 है शेष राशि 27,961.38 रुपये भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी से वसूली योग्य है, जिसके संबंध में पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा राशि वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है, जो परिशिष्ट–स पर संलग्न है।

(5) जी हां, जवाहर रोजगार योजना में बावड़ी ग्राम के खुर्रे का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अनुसार 27,973.76 राशि का व्यय किया गया है, परन्तु इस कार्य का मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। इस कार्य का मूल्यांकन होने पर ही वसूली योग्य राशि की जानकारी हो सकेगी।

(6) ग्राम पंचायत सरना में रैगरों के मोहल्लों में खुर्रे निर्माण हेतु जवाहर योजना अन्तर्गत स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरुद्ध में भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी द्वारा रुपये 52,364 अग्रिम राशि ली गई है जिसमें से जो निर्माण कार्य करवाया गया है उसका मूल्यांकन रुपये 44,824.00 है, शेष राशि रुपये 7540.00 वसूली योग्य है। उस निर्माण कार्य का मूल्यांकन किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

(7) उक्त पंचायत के ग्राम चक सरना में राजीव गांधी पाठशाला में लैट्रीन/बाथरूम हेतु अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है बल्कि इसकी राशि भी स्कूल भवन की स्वीकृत राशि में सम्मिलित है। इस पाठशाला का निर्माण कार्य सरपंच द्वारा करवाने में असमर्थता प्रकट करने के बाद, शाला भवन का निर्माण कार्य पंचायत समिति स्तर पर कमेटी गठन कर करवाया गया है। कमेटी द्वारा भवन निर्माण हेतु 1,93,000.00 अग्रिम ली गई है, जिसमें लेट्रीन/बाथरूम निर्माण कार्य हेतु कोई राशि सम्मिलित नहीं है। अभी तक इस शाला भवन में लेट्रीन/बाथरूम का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लेट्रीन/ बाथरूम की राशि उठाई ही नहीं गई अतः गबन का कोई मामला नहीं बनता है।

(8) भूतपूर्व सरपंच श्रीमती रमा देवी के कार्यकाल में कराये गये जिन कार्यों के मूल्यांकन के बाद जो अग्रिम ली गई राशि अवशेष रही है, उस राशि की वसूली करने हेतु पंचायत समिति, झोटवाड़ा द्वारा नोटिस जारी किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में कार्यों की पुनः मूल्यांकन/जांच करवाने का औचित्य नहीं है।

(नोटिस/आदेश विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान स्कूल आफ आर्ट, जयपुर के व्याख्याताओं को देय वेतनमान

751. **श्री शिवनारायण (बारां)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवनारायण)

(1) राजस्थान स्कूल आफ आर्ट, जयपुर में कार्यरत कुल 6 अस्थाई व्याख्याताओं को न्यायालय के आदेश (जगमोहन माथोड़िया बनाम राज्य सरकार एवं लेक्चरर फार्म बनाम राज्य सरकार) के बावजूद अब तक इन्हें स्थाई क्यों नहीं किया गया ? अब उक्त व्याख्याताओं को कब तक स्थाई किया जा सकेगा ?

(2) क्या यह एक डिग्री कालेज है फिर भी यहां के व्याख्याताओं को अन्य डिग्री कालेजों के समान यू.जी.सी. वेतनमान नहीं दिये गये हैं ? अब उक्त सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही हो सकेगी ?

उत्तर

(1) न्यायालय के आदेशानुसार राजस्थान स्कूल आफ आर्टस, जयपुर में कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को नियमित करने हेतु स्क्रिन कमेटी की बैठक दिनांक 24.10.1994 को बुलायी गई थी। परन्तु व्याख्याताओं के रिकार्ड पूर्ण न होने एवं 2 व्याख्याताओं द्वारा निर्धारित अनुभव नहीं रखने के कारण नियमित नहीं किये जा सके। इन 6 व्याख्याताओं को स्क्रीनिंग करके नियमित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(2) राजस्थान स्कूल आफ आर्टस, जयपुर एक डिग्री कालेज नहीं है। परिणाम स्वरूप इस संस्था में कार्यरत व्याख्याताओं को यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अकृषि भूमि पर स्टेग्रेड टेन्चेल के स्वीकृत कार्य

752. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में भू–संरक्षण के अर्न्तत बिराटियां कलां–बिराटिया खुर्द जलग्रहण क्षेत्र में अकृषि योग्य भूमि पर स्टेग्रेड टेन्चेन्ज का कितना कार्य स्वीकृत हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृति से अधिक 400 हैक्टेयर का फर्जी भुगतान उठाया गया है जबकि 70 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र का भी भुगतान उठा लिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पर 50 हैक्टेयर से अधिक का वृक्षारोपण कार्य का भुगतान उठा लिया गया जबकि मौके पर केवल 20 हैक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण हुआ है ?

(4) क्या सरकार उक्त कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कार्य में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बिराटिया कलां खुर्द जल ग्रहण क्षेत्र में अकृषि भूमि पर कंसोलीडेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार स्टेगर्ड टेन्चेजों का 1000 हैक्टेयर का कार्य स्वीकृत है।

(2) यह सही नहीं है कि 400 हैक्टेयर का अधिक भुगतान उठाया गया है। पहाड़ी क्षेत्र को पहले से अनुपचारित छोड़ा गया है, और उसका भुगतान नहीं उठाया गया है।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त कार्य पर 50 हैक्टेयर का फर्जी भुगतान उठा लिया गया है। वास्तव में 50 हैक्टेयर में वृक्षारोपण हुआ है तथा उसी का भुगतान हुआ है।

(4) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :–

(1) श्री सांवरलाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस विभाग में नियुक्तियों/पदस्थापन में समान व्यवहार न होने के संबंध में।

(2) श्री अमराराम चौधरी एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम मानपूरा पंचायत गिड़ा में आग से जले गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राज्य के पोलिटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित व अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं को अधिशेष घोषित करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से अतिरिक्त तहसील कुचामन सिटी को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12 : 04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य की ओर से बारां शहर की कालोनियों की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से राज्य में अनुदानित एवं गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों का कथित शोषण करने के संबंध में।

(3) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर में पदस्थापित चिकित्सक का स्थानान्तरण करने के संबंध में।

(4) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद के बड़ोद उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान विषय के अध्यापक की कोटा प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।

(5) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में महिला चिकित्सालय की हालत खराब होने के संबंध में।

(6) श्री दुर्गा प्रसाद, सदस्य की ओर से पंचायत समिति गंगापुर के ग्राम पंचायत खेड़ा–बाढ़–रामगढ़ में हुए पूर्व निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बेबड़ तहसील राजगढ़ (चूरू) में अध्यापकों के 6 पद रिक्त होने के संबंध में।

(8) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से सिवाना से जोधपुर बाया समदड़ी कल्याणपुर एवं बालोतरा से पाली बाया समदड़ी रोडवेज की बस शुरू करने के संबंध में।

(9) श्री अमराराम चोद, सदस्य की ओर से नगर सुधार न्यास/नगर परिषद, अजमेर द्वारा दीप दर्शन गृह निर्माण समिति के सदस्य बीमा कर्मचारियों को आवासी भूमि का आवंटन नहीं करने के संबंध में।

(10) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्रामों में पीने के पानी की समस्या के संबंध में।

(11) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से जयपुर–बहरोड़ रोड पर अवैध जीप परिवहन के स्थान पर रोडवेज की बसें चलाने के संबंध में।

(12) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेयजल आपूर्ति की समस्या के संबंध में।

आज की कार्यसूची बहुत लम्बी है, अगर आप चाहें तो पढ़े हुए मान लिये जाएं ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

नियम 295 के प्रस्ताव पढ़ हुए माने गये।

श्री मदन दिलावर।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं विधान सभा में यह पर्चियों के द्वारा पूछने का सिस्टम और उस पर बोलने का जो अधिकार माननीय सदस्यों को दिया गया यह अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत दिया गया। पार्लियामेंट में भी इस ढंग से पर्चियों पर बोलने की परम्परा थी उसको राजस्थान विधान सभा ने भी अडोप्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए आसन से कुछ दिशा–निर्देश दिये थे मैं उनको थोड़ा–सा आपकी इजाजत से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। पर्ची पद्धति द्वारा संक्षेप में बोलने की अनुमति की मांग–

(1) विषय हाल ही गठित किसी अविलम्बनीय लोग महत्व के किसी विशिष्ट विषय से संबद्ध होना चाहिए।

(2) माननीय सदस्य अध्यक्ष को उसके चैम्बर में अधिक से अधिक 11.00 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की पर्ची लेखबद्ध प्रस्तुत कर देंगे, इसके बाद में दी गई पर्चियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) इस प्रक्रिया से अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों का एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय में कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे।

(5) यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती हो तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी।

(6) इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है (व्यवधान) मैं आगे की बात कह रहा हूं उसको सुन तो लें आप। मैं अपनी कोई बात कह रहा हूं और आसन से अनुरोध कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है कि यहां जो देखने में आया, एक तो एक पक्षीय ही से निर्णय होते हैं इस व्यवस्था के तहत प्रतिपक्ष के सदस्य आते हैं और पर्चियां देते हैं उससे उनको बोलने के लिए अलाउ किया जाता है जिससे सदन में बोलने वाले माननीय सदस्यों का संतुलन सदन में नहीं बन पा रहा। मेरा इस संबंध में आपसे अनुरोध यह है कि या

(श्री हरिसिंह)

तो व्यवस्था यह करें कि दो प्रतिपक्ष के सदस्य बोलेंगे, दो पक्ष के सदस्य बोलेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं, अब जो व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था यह है कि फर्स्ट सर्व, उस आधार पर आप इनका चयन कर लें और आपने व्यवस्था दे रखी है कि 11.00 बजे तक जो पर्चियां आएंगी उन पर व्यवस्था दी जाएगी। अगर कोई माननीय सदस्य 10 बजे आते हैं, एक ने 9.00 बजे आकर अपनी पर्ची दे दी, कोई दूसरा 10.00 बजे आता है, तीसरा 10.30 बजे आता है तो उनको अपनी बात कहने से वंचित कर दिया जाता है। तो या तो इनका पूरे लोट में से पिक एण्ड चूज के आधार पर तय किया जाए। यह आसन से व्यवस्था मांग रहा हूं। (व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण विषय है इस पर आसन को विचार करना चाहिए, इसकी आप व्यवस्था नहीं दे सके, बहुत विचारणीय विषय है आसन इस पर विचार करे। मेरा अनुरोध है ध्यानपूर्वक विचार करें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव नहीं चाहिए, पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पाइंट आफ आर्डर पर कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, आप विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : पर्ची हाउस के सिस्टम से है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दे रहा हूं मैं। आप बिराजिए प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक वक्त में एक सदस्य ही पर्ची दे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह देखने में आता है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : जो पाइंट आफ आर्डर माननीय चीफ व्हिप साहब ने उठाया यह अध्यक्षीय व्यवस्था है, इस पर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जानकारी दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिए मेरी बात को। यह अध्यक्षीय डाइरेक्शन है, इसके ऊपर सदन के अन्दर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस आसन की जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, जो डाइरेक्शन है उसकी सही सही पालना हो। यह हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही बोलता जो आप बोल रहे हो। मैं भी यही कहता। आपने बोलने ही नहीं दिया मुझे, मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने भी यही कहा है कि उसकी अनुपालना होनी चाहिए। मैंने वही कहा है।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे माननीय सदस्य, आपने मेरी बात कह दी तो उसका मेरे पास क्या जवाब है ?

श्री मोहन लाल मोदी : अब मेरी बात सुन लें, जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष :बिराजिये, बिराजियें।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) जवाब नहीं चाहिए, उसका जवाब नहीं चाहिए। (व्यवधान) जहां तक पाइंट आफ आर्डर का सवाल हो तो अध्यक्षीय व्यवस्था में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रश्न बहुत दफे माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने आया है और इस पर बहुत गम्भीरता से माननीय अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे है। इसकी कुछ व्यवस्था बदलने पर वह पुनः विचार कर रहे हैं। यह प्रश्न बार–बार आता है कि पर्चियों पर अमुक सदस्य बोलते है, अमुक सदस्य को अवसर नहीं मिलता है। पार्चियों का जहां तक सवाल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की यहां पर अब तक व्यवस्था है। किसी रोज 5–7 माननीय सदस्य एक साथ आ गये, लाटरी निकाल ली, जो पहले चार आये उनको दे दी। अब रहा सवाल इधर के माननीय सदस्यों द्वारा पर्चियों पर बोलने का, इधर के माननीय सदस्यों की पर्चियां ही नहीं आती तो बोलने किसको देवें। आप देते ही नहीं हो पर्चियां (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप देते हो तो बोलने देते हैं न ? आपको नहीं बोलने दे रहे हैं क्या ?

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हफ्ते से बहुत चेष्टा कर रहा हूं लेकिन हमेशा मेरे लिए यही उत्तर मिलता है कि चार पर्चियों आ चुकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इसलिए माननीय सदस्य न तो इसमें, पर्चियों में कोई पक्षपात हो रहा है, बिलकुल नियम से ही पर्चियां आ रही हैं, उस हिसाब से सदन

(श्री उपाध्यक्ष)

चल रहा है। लेकिन वास्तव में यह बहुत एक गंभीर प्रश्न है, इस पर अध्यक्ष महोदय, विचार कर रहे हैं, इसको कैसे परिवर्तित किया जाय, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आएगी उस पर, हम लोग इस व्यवस्था को चेंज करने की सोच रहे हैं। वह व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं आये, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा का ध्यान रखकर आप अपनी पर्चियों पर बोलें ताकि इस व्यवस्था को चलाया जा सके। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, निर्णय लें उसमें हम लोगों की निर्णय करने से पहले सलाह कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, आपको बुला लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अधिकार के लिए ही तो कहा है कि आप उनसे निवेदन कर दें कि एक तरफा फैसला नहीं कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना कन्वे कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आते हैं वह इसमें 10 बजे से पहले ही दे जाते हैं तो आपकी तरफ से यह व्यवस्था हो कि साढ़े 10 और 11 बजे के बीच में ही पर्चियां ली जाएंगी। (व्यवधान) तो इन पर्चियों के लिए यहां आकर 9 बजे कैसे बैठा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सब आपका भ्रम है जो आप कह रहे हो। हम तो बिलकुल कायदे से लेते हैं पर्चियां, न तो पहले दिन लेते हैं और न बाद के दिन लेते है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, यह व्यवस्था सही चल रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि देखा यह जा रहा है कि आज जो पर्ची देनी है वह कुछ माननीय सदस्य दोपहर के बाद दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दोपहर के बाद जो पर्चियां देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देते हैं। ठीक साढ़े 9 बजे कुछ माननीय सदस्य ऐसे है जो ठीक साढ़े 9 बजे यहां आ जाते हैं और साढ़े 9 बजे पहले ही चार पर्चियां दे देते हैं उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है बाकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं विधान सभा सेक्रेटेरियट में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम तो 8 बजे आ जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा यहां। 8 बजे आ जाएँगे हम तो, 9 बजे ले लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। कृपया समय का ध्यान रखें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

तांत्रिकों द्वारा नरबलि दिये जाने बाबत

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। 21 अप्रेल, 2000 को बीकानेर के पास बिछवा गांव है उसके निवासी नरसिंह गौड़ की तांत्रिक हीरा बाई तथा तांत्रिक विद्यादेवी द्वारा देवी के सामने बलि चढ़ा दी गयी। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 फरवरी, 1999 को बारली सादड़ी निवासी शंकरलाल पुत्र नन्दाराम ने अपनी पत्नी व बच्ची थी उसका नाम पुष्पा उसकी पत्नी है और बंसती उसकी 3 साल की बच्ची है, उसकी तांत्रिक महिला हापुड़ी के कहने पर और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची की बलि चढ़ा दी गयी। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो अक्टूबर, 1999 को गांधी जयन्ती का दिन है, पिंडवाड़ा के नजदीक विरोली गांव के एक युवक कुंदनसिंह पुत्र हीरसिंह ने प्रातः 5 बजे सूरजकंवर की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर देवी के चढ़ा दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बीकानेर जिले की कह रहे थे और बोल रहे हो पिंडवाड़ा की।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लिखा हुआ है राजस्थान, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो पढ़कर सुना दें।

श्री मदन दिलावर : इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 सितम्बर, 1999 को रामदेवरा मेले में 3 मासूम बच्चों की गला घोंटकर बलि चढ़ा दी गयी और रामदेवरा की तरफ तीनों के सिर पाये गये, निश्चित दूरी पर तांत्रिक ने इनको 50-50 फीट की दूरी पर रखा। एक बच्चे के हाथ में हेलीकोप्टर खिलौना दे दिया गया, किसी के हाथ में बतख खिलौना दे दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में एक हेमराज बैरवा नामक युवक की बलि चढ़ाकर उसको चबूतरे के साथ लगा दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा के पास भी एक बलि चढ़ा दी गयी। 11 फरवरी, 1999 को छोटी सादड़ी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गडा श्मसान परिसर में एक धार्मिक चबूतरे के पास 17 वर्षीय माधवराम मरा था, उसकी बलि चढ़ा दी गयी, शव के पास इत्र की शीशी, अगरबत्ती, तांत्रिक विद्या की पुस्तक, मृत का शरीर चबूतरे से लगा हुआ मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सरकार आने के बाद निरन्तर रूप से बच्चों की, महिलाओं की और लोगों की बलि चढ़ायी जा रही है और यह सरकार चुपचाप इस तरह का

(श्री मदन दिलावर)

विधान सभा में जवाब देती हैं कि केवल राजस्थान में एक बलि का मामला आया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को दबाकर सरकार क्या कहना चाहती है और क्या इस प्रकार के जो तांत्रिक विद्या वाले लोग निरन्तर लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। हो गया, हो गया।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार तांत्रिक को बढ़ावा देकर लोगों की हत्याएं करवाना चाह रही है और तांत्रिक निरन्तर तांत्रिक विद्या के आधार पर (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी की ही बलि चढ़ा दी, आप करो क्या कार्य वाही कर रहे हो जनता के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह राजस्थान का गंभीर मामला है। राजस्थान जैसा प्रदेश, शांत प्रदेश जहां इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं होती है, इस प्रकार की लगतार और बलि की घटनाएं, नरबलि की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

जयपुर शहर में जमीनों पर नाजायज कब्जे

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आयी है तब से संगठित गिरोह माफिया के रूप में जयपुर में बेतहाशा कीमती जमीनों पर कब्जा करने लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष, एक बहुत कीमती जमीन बनीपार्क बर्फखाने में है जिसमें 7,857 वर्ग मीटर का प्लाट है और उस प्लाट की कीमत, उपाध्यक्ष महोदय, करीबन 20 करोड़ आज की तारीख में बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह कहती है कि खजाना खाली है। मैं सरकार को इस मामले के द्वारा बताऊंगा कि खजाना कैसे भरा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन के आज पट्टे काटकर बेचना चालू कर दिया है और सरकार को शायद इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जमीन इण्डस्ट्रियल यूज के लिए आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज हेतु 250 रुपये प्रति वर्ग की दर से डिप्टी सेक्रेटरी यू.डी.एच. के आर्डर नम्बर हैं 19,11. यू.डी.एच.डी.आर. –2/88 डेटेड 12.2.90 को अलाट हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शर्त यह थी कि कोल्ड स्टोरेज को दो साल में बनायेंगे और कोल्ड स्टोरेज को दो साल में नहीं बनाया तो सरकार निरस्त कर देगी। इसमें यह भी शर्त थी, टेंडर में, कि कोल्ड स्टोरेज का अगर कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं किया जो नार्म्स तय किये हैं, तो भी इसकी

(डा. किरोड़ी लाल)

लीज खतम कर दी जाएगी। और लीज में यह भी कहा गया कि He shall not sub-let or sell its lease hold rights under the lease deed without written consent of the lossor] many state Government." उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 7 में जो लीज डीड है उसमें लिखा है–That the lessee shall have an option to renew the said lease for a further period of 99 years after the expiry of present terms of the lease. यह अधिकार भी उसको दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बेशकीमती जमीन के लिए 5–6 पार्टनरशिप डीड लिखी गयी है। एक पहली लिखी गयी है 28 अगस्त, 1985 को, दूसरी 30 मार्च, 1996 को और तीसरी डीड 20. 2.1997 को लिखी गयी है। कांग्रेस का राज आने के बाद भू–माफिया सक्रिय हो गये और उसमें हुआ क्या कि शैलेन्द्र गर्ग ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : 20.2.1997 को कहां से कांग्रेस का राज आ गया ? 20.2.1997 आपने कहा है।

डा. किरोड़ी लाल : वह 1999 है। आप ध्यान से सुनों, 1999 है। (व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है ? कोई दिक्कत है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शैलेन्द्र गर्ग पुत्र भीमसेन गर्ग जो आजकल माफिया है और यह कह कर चलते हैं कि सरकार मेरी जेब में हैं राजेश गर्ग, विजय मेहता, शुचि शुक्ला, रमेश सुखानी, विक्रम सुखानी कमला सुखानी, राजकुमार भाटिया, इनकी एक डीड लिखी गयी। बाद में इन सब लोगों को तो हटा दिया गया और एक डीड शैलेन्द्र गर्ग पुत्र भीमसेन गर्ग और रमेश सुखानी की लिखी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इस पार्टनरशिप डीड के अनुसार ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड तो ट्रांसफर हो गयी और यह पूरी पार्टनरशिप डीड शैलेन्द्र गर्ग पुत्र भीमसेन गर्ग के हक में आ गयी और दूसरा साझेदार इनका सुखानी आ गया। इनके हत्थे में यह पूरी की पूरी जमीन चढ़ गयी। अब आप सुन लो। यह जो इम्पोर्टेण्ट डाकूमेंट है वह यह है, डीड आफ सेल है, डीड आफ सेल में लिखा है, जो तैयार की है जिससे सरकार को करोड़ो रुपयों का चूना लगाने की तैयारी ये भू–माफिया कर रहे हैं, इसमें पेज 2 का लास्ट पैरा And whereas in the present circumstances and looking for the residential use of said plot.जो इण्डस्ट्रियल यूज की थी ... It was not convenient for the said firm to run ice factory business over the said plot and had mutually decided to sell the said plot in the parts."

इण्डस्ट्रियल यूज की जमीन के लिए यह डीड इन्होंने तैयार कर ली। उपाध्यक्ष महोदय, इसी में पेज नम्बर तीन के पैरा दो पर है "And whereas a party of its first part has absolutely seized and possessed the said plot or the smaller plots divided out of the

(डा. किरोड़ी लाल)

said plot and has got all the powers to use, occupy and deal with or dispose of the same in any manner." किसी भी तरीके से उसको बेच देंगे। How he has got this right to sell the land without the consent of the Government ?

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह अधिकार भी इस डीड के द्वारा ले लिया कि उसको किसी भी तरह के किसी भी फार्म में बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। पेज नम्बर पांच के पैरा नम्बर 5 और 6 पर है– That the demised premises hereby sold is free from all sorts of encumbrances, liens, mortgages, attachments, transfers and charges etc of any sort or a nature whatsoever."

No right of the Government on this land.

इसमें सरकार का अधिकार खतम हो गया इसके हिसाब से। उपाध्यक्ष महोदय, 6 में लिखा है–

"That the buyer may apply for inclusion and substitution of his or her name in the relevant records of the Government, Jaipur Development authority, Jaipur Munici pal Corporation or befero any authorities on the basis of these presents." किसी भी प्रकार की एंट्री करा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपका और सरकार का इसलिए ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि ये +++ कि खजाना खाली है। खजाना खाली पड़ा है तो खजाना भरने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मैं इसमें चार्ज लगाना चाहूंगा कि जो भीमसेन गर्ग है, जो भू–माफियाओं से मिला हुआ है, एक संगठित गिरोह जिसने बना रखा है। वह भीमसेन गिरोह तो सरकार के बारे में यह कहता है कि सरकार तो मेरी जेब में है, मुख्य मंत्री जी मेरी जेब में है, शांति धारीवाल मेरी जेब में पड़ा है और इस प्रकार से जमीनों पर कब्जा कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 20 करोड़ की जमीन है जिस पर भीमसेन गर्ग ने संगठित गिरोह बनाकर कब्जा कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बात बिलकुल गलत है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)
किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाए, यह कोई बात थोड़े ही हुई। यह हाउस को ... (व्यवधान) ... पर्ची के माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, 250 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर में (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ... इसलिए मेरा कहना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : न केवल किराये पर दी ... (व्यवधान) लगभग आठ हजार वर्ग मीटर जमीन को और ये भू-माफिया हड़पना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो गया न वह। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 20 करोड़ की जमीन का चूना लगाया, सरकार का पैसा, खरा पसीने का पैसा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये प्लीज। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : रेस्पोंड तो करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। कोई जरूरी नहीं है कि रेस्पोंड करें। कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान) आप बिराजिये प्लीज। कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह हाल ही में घटित कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह अभी घटित हुई है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आपके ही शासनकाल में घटित हुई है। (व्यवधान) इस ढंग के प्रश्न हमको नहीं उठाये जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हाल ही घटित किसी महत्वपूर्ण विषय ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप लोगों को हिस्सा नहीं मिले तो आप +++ (व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर--आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जो 20 करोड़ की जमीन पर भू--माफिया हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : इस सरकार की 20 करोड़ रुपये की जमीन +++ हड़प रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय कटारिया जी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार के दलाल 20 करोड़ की जमीन को हड़प रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी, बैठिये। बैठिये प्लीज। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ऐसे बिठाने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) 20 करोड़ रुपये की जमीन है। एक--एक पैसे के लिए अकाल में लोग मर रहे है ओर लोगों में भुखमरी हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको तकलीफ हो रही है ? आपको क्या तकलीफ हो रही है ? आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 20 करोड़ रुपये की जमीन ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य सचेतक जी ने एक बात कही थी कि आप पर्ची के माध्यम से सदन को अवगत करा दें। आप उसमें पूरी रामायण गाने लग लगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये न। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं न। आप बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ... आप सूचना दे सकते हैं। यह सदन कोई दुश्मनी निकालने का स्थान नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 20 करोड़ की जमीन भू--माफिया लोग ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लाल जी, आप बिराजिये। आप बिराजें। आप

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) दिलावर जी, बैठिये। (व्यवधान) आप बैठें तो सही। (वयवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या हो गया सरकार को ? क्यों मिल गये भू–माफियाओं से ? कहां जाएंगे ये 20 करोड़ रुपये ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। किरोड़ी लाल जी, प्लीज सिट डाउन। आप एक मिनट बिराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार की जमीन पर कब्जा हो रहा है और वहां प्लाट काटे जा रहे हैं। उस पर निर्माण चालू हो रहा है। 20 करोड़ की जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 24.1.2000 से काम चालू हो गयां इस कांग्रेस के राज में चालू हो गया। आप व्यवस्था तो दें। सरकार कुछ ध्यान तो दे, करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजियें। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 20 करोड़ की जमीन में भू–माफिया खा रहे हैं और सरकार बैठी–बैठी देख रही है। एक एक रुपये के लिए अकाल में लोग मर रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। आप बैठिये। अंकित नहीं हों... (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : :xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : :xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दिलावर जी, एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट बैठिये। दिलावर जी, प्लीज। माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ हो रही है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप हर चीज पर खड़े मत होइये। मैंने आपका नाम तो लिया नहीं। (व्यवधान) आपका नाम लिया क्या ? फिर क्या तकलीफ हो रही है आपको। (व्यवधान)

---

xxx अध्यंक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी अनुदान और जो उस गरीब को मदद दी गई, उसकी अगर आप कोई भी, लाटरी से सैम्पल सर्वे निकालेंगे उसमें से, मान लो उसमें से 1100 लोगों को बैंक ने ऋण दिया तो उस 1100 में से आप 10 प्रतिशत उसमें से लाटरी निकाल दीजिये और उन केस के बारे में पता करने की कोशिश कीजिये कि आदमी कहां रहता है, कब इसने लोन लिया, कब इसने किस काम में खर्च किया, कब इसने जमा कराया तो आपके सारे के सारे बैंकों की पोल खुल जायेगी। मतलब लोगों ने उनके नाम से जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, केवल भीलवाड़ा बैंक में 1706 सदस्यों को 102 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। उसमें से आपने देखा कि केवल कुछ ही समय पहले जितना भी ऋण था, वह तो जमा हो गया, जो उनका अनुदान था उसका, 40.90 लाख रुपये का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला कि किस आदमी को लोन दिया और कैसे जमा हुआ। यही नहीं, यह जो मैंने आपको 683 नाम दिये हैं, यह बिलकुल नामजद है 683 लोगों के नाम हैं, उनका पता किया गया है, उनका एड्रेस ढूंढ़ा है और उनको ढूंढ़ने की कोशिश की गई है, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सहकारी समिति, सुहाणा, आपके भीलवाड़ा में ही है, इसमें 22 लोगों को ऋण दिया गया और उस 22 में से सात लोगों का ऋण तो 31 मार्च 1992 को, अंतिम तारीख के दिन वापस जमा हो गया, नौ लोगों ने ऋण 14 अप्रेल को फिर से वापस जमा हो गया। यह सब जांच में निकला। किसी को इसके बारे में अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से क्रिया हुई। इसी प्रकार से पीपली गांव है, उस पीपली गांव में सात सदस्यों ने 12 मार्च को तो ऋण लिया और उसके बाद 31 मार्च के दिन वापस ऋण जमा हो गया मतलब न कोई काम है, कुछ लेना देना है, मतलब इन बैंकों के लोगों की जांच हुई और इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर कई समय पहले इस रिपोर्ट के आधार पर दो अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि इन दो अधिकारियों की मिलीभगत से सारे नीचे की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक जाल बिछाया गया है कि इस प्रकार से लोन उठाना और कागजों में ही लोन उठाया और कागजों में ही जमा हो गया। उसमें एक तो किशोर सिंह राठौड़ का नाम आया है और एक रामचरण का यह दोन्रों के नाम रिकमण्ड किये हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये। मैं इसलिए आपके ध्यान में ला रहा हूं कि यह चाहे बैंक आपकी हो, उसकी हो, किसी की हो, किसी भी जिले में हो, कोई भी आदमी हो सकता है, हो सकता है दोषी मेरा भी कोई मिलने वाला हो, लेकिन आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस योजना के तहत जो हमने ऋण और अनुदान का जो हिस्सा था, उसका सैम्पल सर्वे चाहे लाटरी से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निकाले, चाहे किसी प्रकार से निकाले परन्तु बैंक को इस दृष्टि से हम जरूर जांच करा लें और उस जांच में जो अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ बिना विलम्ब के अगर हम कार्यवाही करेंगे तब तो यह रोका जा सकता है। यह अब धीरे–धीरे आपके कामर्शियल बैंकों में चला गया। अब तक तो यह को–आपरेटिव बैंकों में था, पर अब दुर्भाग्य से कामर्शियल बैंकों में इसी तरीके से काम करना प्रारम्भ कर दिया और लोगों के फर्जी अंगूठे लगाकर लोन दिखाना और जमा कर देना, न तो उसको समस्या आई और न उससे कोई छानबीन हुई और न उसकी कोई प्रोपर्टी सीज हुई। बकाया हो तो उसको कोई नोटिस जाये। बकाया ही नहीं हो तो नोटिस जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। यह जो एक गिरोह है, अनुदान का हिस्सा है ...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कौनसे सन् से चल रहा है मामला ?

श्री उपाध्यक्ष : यह 20 सालों का बता रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 1980 से लेकर अब तक का है। मैं एक दिन का नहीं बता रहा हूं। यह 1980 से जब से यह योजना प्रारम्भ हुई, तक से लेकर इन गरीबों को मिलने वाला अनुदान और ऋण इसका 50–50 प्रतिशत हिस्सा रहता है इसलिए वापस जमा करके, ऋण हो गया 50 प्रतिशत, जो 50 प्रतिशत अनुदान था वह अनुदान ऊपर का ऊपर सारे अधिकारियों ने मिलकर हजम कर लिया। मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप प्रत्येक बैंक की इस योजना के तहत जिसमें अनुदान का हिस्सा हैं, निश्चित रूप से कोई भी, यह लाटरी से उन सारे केसेज की लिस्ट बनाइये, जिसमें से सैम्पल,10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 2 प्रतिशत जो आपकी क्षमता हो, उन पर निकलवाकर के व्यक्ति को ढूंढा जाये कि जिसके नाम से पैसा यह उठा है, यह तो इसलिए शंका हुई कि इतने कम समय में एक महीने में लोन लिया और लोन जमा हो गया तो लोन लेने का परपज क्या था ? इसके कारण से यह छानबीन हुई। इसकी गहराई में जायेंगे तो इससे और कई चीजें मिलेंगी, यह मैं आपकी मार्फत मामला सदन में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सम्माननीय सदस्य महोदय ने कहा, तथ्य इसमें जो हैं, अथवा जांच हो चुकी है, जांच के अन्दर दो अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की गई है। मैं सहकारिता मंत्रीजी को इस बात से अवगत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करा दूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जांच रिपोर्ट आ गई है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कार्यवाही की जायेगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिन दो अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया गया है, वह कौन है ?

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री ने, 4.75 लाख का गबन हुआ, जांच के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई बहस नहीं है। आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन दो अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, वह कौन हैं ?

श्री मांगीलाल डांगा : एक प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री ने स्वीकार किया कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना। आप इसको और तरह से उठा लेना ना। आप बिराजिये। इस पर कोई डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : इस संबंध में करीब 35 विधायकों की तरफ से जांच का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है, कृपया उसको हाउस में लाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जिन दो अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, जब सदन में माननीय मंत्रीजी ने उनके बारे में बताया है तो कम से कम उनके नाम आने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :आप बिराजिये प्लीज। मंत्री महोदय ने कह दिया, आप नहीं कह सकते। आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की मंशा नहीं है अभी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान खेल विभाग ...

श्री उपाध्यक्ष : साफ नहीं है, साफ हो जायेगी। आप चिंता मत करो।

श्री रामलाल जाट : एक प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्रीजी ने स्वीकार किया कि उसमें जिसको दोषी पाया गया है, अभी पांच दिन पहले जिस एम.डी. को सस्पैण्ड किया गया था, उस समय सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी बहुत बढ़ चढ़ कर भ्रष्टाचार के बारे में बोले लेकिन यह आज तक का

(श्री रामलाल जाट)

इतना बड़ा जोरदार भ्रष्टाचार है उसमें विपक्ष के सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : आप जांच ही तो कराना चाहते हैं ? वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं ? माननीय सदस्य बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : जांच हो गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी है उसमें और नाबार्ड जैसी एजेंसी के द्वारा भी यह सिफारिश की गई है, एपेक्स बैंक की जांच में भी की गई और माननीय ...

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994–95 में इन अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रूव हो जाने के बाद भी उन्हें नये प्रमोशन दिये गये हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तुरन्त ही निलम्बित होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इन्होंने कह दिया कि सहकारिता मंत्री से कहकर इसकी जांच करवा लूंगा, और क्या चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मामला भ्रष्टाचार का है। व्यक्ति विशेष को चिन्हित किया गया है इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना सा है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। कोई निवेदन नहीं, आप बिराजें। माननीय भंवरलालजी शर्मा। (व्यवधान) आप बिराजें, प्लीज। आप देखिये, हर बात को डिबेट में मत डालें आप, प्लीज। नहीं, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने नहीं कहा है कि जांच हुई, इन्होंने कहा है कि ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बात कर रहे हैं आप, Why do mis-quote ? मैंने यह तो नहीं कहा। इन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा ही नहीं कि जांच हुई, आप यों ही बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा है यह बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे बात, कह दिया इन्होंने कि मैं सहकारिता मंत्री से कह दूंगा, और क्या करेंगे यह। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझ नहीं रहे बात को।

श्री मांगीलाल डांगा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : तो यही तो कहा है इन्होंने।

श्री मांगीलाल डांगा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ। क्या हुआ। आप समझ ही नहीं रहे बात को, आप यों ही बोल रहे हैं। बिराजें, बिराजें। हां, श्री भंवरलालजी शर्मा (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज। बिराजिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय भंवरलालजी शर्मा, बोलिये भंवरलाल जी साहब। आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1991 में राज्य क्रीड़ा परिषद ने युवा खेल प्रतिमाओं को विकसित करने के लिए और खास करके दूर आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास हो इसके लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय जगत सिंहजी, अपनी जगह पधारें, नहीं तो आप सुनें इनको।

अन्तर विभागीय स्थानांतरण आदेश स्थगित करने बाबत

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : युवा खिलाड़ियों के लिए होस्टल का निर्माण किया, जो जयपुर में स्थापित हुआ और वह लगातार काम कर रहा था। उसके आदेश 8.4.1991 को प्रसारित किये गये और दस पोस्ट उसके लिए क्रियेट कर दी गयीं कि यह होस्टल चलायेंगे। अब क्या हुआ कि अभी 20 तारीख को एक आदेश निकला, 20 अप्रेल, 2000 तारीख को मैं समझता हूं कि जब से यह राजस्थान सरकार बनी है, इस प्रकार का आदेश शायद देखने को नहीं मिलेगा। उसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। यह आदेश 20.4.2000

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का, अप्रेल का है। शासन उप सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक फलां–फलां जयपुर दिनांक 15.4.2000 के क्रम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निम्नांकित खेल छात्रावास स्टाफ को आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में पदस्थापन किया जाता है और उसके लिए इनको कार्यमुक्त किया जाता है। यह आदेश 20.4.2000 का है और यह लागू होगा दिनांक 20.4 के अपराह्न से, यानि 20 अप्रेल को शाम के बाद उनको कार्यमुक्त किया गया और आदेश यह दिया कि उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण दिनांक 21.4.2000 को पूर्वाह्न में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को रिपोर्ट देंगे। 20 तारीख को आदेश देते हैं, 20 अप्रेल को कि शाम को मुक्त किया जाता है और 21 को जाकर आप उदयपुर में जोइन करिये। ऐसा आदेश, दो–दो मुख्य मंत्री यहां बिराजमान हैं, कभी दिया है, क्या आपने ऐसा आदेश ? (व्यवधान) पूर्व सही। यह आदेश, और उसकी पालना के लिए समय दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : तीसरे भी हैं यहां। तीसरे मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इन्होंने ऐसा आदेश कभी नहीं दिया। यह आदेश दिया और यह कहा कि आज शाम को ही चार्ज दे दीजिये आज ही और कल सुबह जाकर उदयपुर में जोइन कर लीजिये। इस प्रकार का आदेश देने में कौन–कौन कर्मचारी शामिल हैं वह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गये कौन लोग उसमें से। इसमें दो तो रसोइया हैं, कुक हैं जो रोटी बनाते थे, उनके आदेश हैं और दो किचन ब्वाय हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस की रोटी ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : होस्टल वालों की, बच्चों के लिए जो रोटी बनाते थे, वह और दो किचन ब्वाय जो बर्तन वगैरह साफ करते होंगे और एक सफाई कर्मचारी, जो होस्टल की सफाई करता था। हरिजन कर्मचारी, वह भी उदयपुर जायेगा और वहां नौकरी करेगा और तीन सिपाही हैं छोटे–छोटे। इन लोगों को यह आदेश दिया गया और यह कहा कि आप 21 तारीख को सुबह जाकर जोइन कर लो और नहीं करेंगे तो जो कानून कायदे होंगे, सो होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर्मचारी हैं क्रीड़ा परिषद के तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कैसे ट्रांसफर हो सकता है इनका, यह पद उस विभाग में कैसे जा सकते हैं। इसी सत्र में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि खेल परिषद में कोई भी कर्मचारी सरप्लस नहीं है। तो न तो ये सरप्लस हैं, क्रीड़ा परिषद के कर्मचारी हैं, उदयपुर के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में इनको लगाने का न तो कानूनी अधिकार है, न औचित्य है और इस प्रकार का जो आदेश

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, 20 तारीख को शाम को जयपुर में आदेश, 21 को उदयपुर जोइन करो, जैसे कोई रेल बाहर ही खड़ी थी कि बैठकर चले जाओ आप, यह कैसा विचित्र आदेश है। मैं समझता हूं कि यह खेल मंत्री और जनजाति क्षेत्र के मंत्री दोनों ही यहां उपस्थित नहीं हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला इतना जरूरी है कि यदि इस आदेश को नहीं रोका गया तो इन कर्मचारियों की क्या दुर्दशा होगी, यह बहुत ही एक दयनीय स्थिति बनेगी उनकी, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त प्रभाव से रोका जाय और इसमें जो कानूनी कार्यवाही है वह की जाय क्योंकि सेवा खेल परिषद की है, यह सेवाएं ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने इनको मुक्त भी कर दिया और वहां भेज दिया। अब वह जगह–जगह घूमते–फिरते हैं, कोई उनकी क्या सुनने वाला नहीं है। आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर विषय पर निश्चित रूप से सरकार को कोई निर्देश दें यहां प्रद्युम्न सिंहजी मुख्यमंत्री के स्थान पर बैठे हुए हैं ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अलग बैठा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां–हां, उनके स्थान के पास बैठे होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उम्मीद तो करते हैं न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस महत्वपूर्ण विषय में कुछ व्यवधान करिये, अब यह हरिजन कर्मचारी वहां कहां जायेगा, अगर यह मान भी लेगा आपकी बात को, वहां रहेगा तो उसको किराये पर मकान नहीं मिलेगा, कोई हरिजन मानकर किराये पर मकान नहीं देगा, कहां वह रहेगा गरीब और यह रसोई बनाने वाले, बर्तन साफ करने वाले, यह लोग वहां उदयपुर जाकर कैसे अपनी सेवाएं आजादी से दे सकेंगे। कैसा संकट आपने इनके लिए पैदा किया। मैं समझता हूं इसको आप इन्टरवीन करके रुकवाकर इसके औचित्य को देखिये। अभी कम से कम इतना करिये कि यह जो आदेश है उसको फिलहाल स्थगित करा दीजिये। और फिर देख लीजिये कि कैसे ठीक कर सकते हैं आप। बताइये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रभानजी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना संख्या प.9(63) नविआ/81 दिनांक 4 फरवरी, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' के तीन प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणजी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क') : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 'क', 2000–2001 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन का सदन में उपस्थापन करता हूं –

1. आयोजना विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2000–2001 का पांचवां प्रतिवेदन,

2. उद्योग विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2000–2001 का छठा प्रतिवेदन, एवं

3. शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'क' 2000–2001 का सातवां प्रतिवेदन।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 श्री प्रद्युम्न सिंहजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–4) को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री मदन दिलावर। कोई तैयार ही नहीं है, आप यों ही नाम लिखा रहे हैं। श्री किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन, 1950 के राजस्थान अधिनियम संख्या– 2 की धारा 9 'क' का संशोधन, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 ...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, आपका तो दूसरा ही है, संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन यह है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : जनमत जानने के लिए परिचालित करने का है आपका। आसन ने सही कहा है कि कोई तैयार नहीं है आप में से।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसको जनमत जानने के लिए जारी कर दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : राठौड़ साहब तो बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे बोल लिये ?

एक माननीय सदस्य : हां बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोल लिये वे तो कहें कम से कम कि मैं निपट लिया आप दूसरे को बुलावें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या करना है इसलिए ये तो निपट लिये अपने–आप में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका यह संशोधन जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रश्न पर है इसी पर आप बोलना चाहें तो बोलें बाकी आपका और कोई संशोधन तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य : थर्ड रीडिंग में बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में बोल लेना मैं कब मना करता हूं। आप तैयार कर लें थर्ड रीडिंग में बोल लेना।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में सरकार नयी धारा 13 ए जोड़ने जा रही है। यह सारा कार्य पिछले दरवाजे से चुंगी लगाने का काम प्रारम्भ हो रहा है। सैक्शन तीन में जिस टर्न टैक्स की बात कही गई है उसमें इस बिल में इन्होंने कहा है कि 3 लाख से अधिक जिस भी व्यापारी का टर्न ओवर होगा उस पर 10 प्रतिशत तक सरकार टैक्स लगा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन लाख रुपये के टर्न ओवर का मतलब हो गया कि एक महीने में 25 हजार रुपये का जिसका टर्न ओवर है वह टेक्सेबल है और अगर एक महीने में 25 हजार का जो व्यापार करता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 550 रुपये आता है यानी 750 रुपये प्रतिदिन की बिक्री वाला प्रत्येक व्यक्ति 750 रुपये का जो टर्न

(12.52 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति पदासीन)

ओवर करता है वह इस टैक्स की परिधि में आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप जरा आपने जो बजट भाषण किया उसमें पेज 53 देखिये कितना विरोधाभास है। आपने कहा है पैरा नं. 108, अपेक्षाकृत सम्पन्न करदाताओं से थोड़ा और सहयोग लेने के इरादे से टर्न ओवर टैक्स लगाये जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस टैक्स को लागू करने के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में एक नयी धारा 13 अ जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह टैक्स स्लेब प्रणाली के आधार पर लगेगा। वित्त मंत्री जी जरा गौर करें, 50 लाख रुपये सालाना टर्न ओवर वाले डीलर्स को इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। टर्न ओवर की घोषणा व्यापारी स्वयं अपने हलकनामे के आधार पर कर सकेगा तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा टर्न ओवर की तफतीश के लिए बहिखाते नहीं देखे जाएंगें। इस टैक्स से लगभग 20 करोड़ की सालाना आमदनी होगी। वित्त मंत्रीजी, आप जो यह कानून बनाने जा रहे हैं उसकी सेंक्शन तीन में आपने कहा है तीन लाख रुपये जिसका टर्न ओवर है उस पर यह टैक्स लगेगा और आपका बजट भाषण यह कहता है कि 50 लाख रुपये से ज्यादा 50 लाख रुपये तक का जो टर्न ओवर करता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

सभापति महोदय, यह कैसी अंधेरगर्दी है जहां बजट भाषण में कुछ कहता है ओर सरकार जो कानून बनाने जा रही है वह कुछ कहती है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही बात रही तो 750 रुपये प्रतिदिन सभापति महोदय, आप पान की दुकान पर चले जाएं, आप गांव में छोटे व्यापारियों से बात कर लें वह कमाता है 10–12 प्रतिशत मुनाफा बड़ी मुश्किल से 1 हजार 2 हजार की बिक्री होती है उन सबको टर्न ओवर टैक्स देना पड़ेगा यह सरकार चाहती क्या है यह सरकार किसी को व्यवसाय करने देगी या नहीं और मेरा सबसे बड़ा एतराज यह है कि आपके बजट भाषण और आज जो कानून बनाने जा रहे हैं उसमें दोनों में इतना विरोधाभास है। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टर्न ओवर टैक्स के माध्यम से जो काला कानून आप लादने जा रहे हैं कमजोर जो गरीब व्यक्ति छोटा–मोटा व्यवसाय कर रहा है उसके साथ अन्याय करने का काम आप कर रहे हैं। आपने धारा 29 के अन्दर असेसमेंट कराने के लिए अप्रोप्रियेट अथोरिटी की बात कही है। एक तरह से यह गरीब आदमी दुबारा उन दफ्तरों के चक्कर काटेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह टर्न ओवर टैक्स किसे मानेंगे आप ? होल सेलर से रिटेलर को माल आता है, रिटेलर उसकी बिक्री करता है। टर्न ओवर की परिभाषा में कौन सा व्यापारी आएगा मंत्री महोदय, यह आपने स्पष्ट नहीं किया इसलिए आज जो 20 करोड़ के आहरण की बात कर रहे हैं जिस तरह से इस सरकार के सम्मुख बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि लीकेज कहां है उस पर निगाह डालिये वित्त मंत्रीजी और अपनी बात से हमें सन्तुष्ट तो करें कि आपकी बातों में विरोधाभास क्या है हमारी समझ में फेर है या आपकी समझ में फेर है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, एक तो यह राजस्थान मनोरंजन विज्ञापन कर ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों सभापति महोदय, एक–एक लिया है न आपने ?

श्री सभापति : नहीं इजाजत नहीं है। एक ही किया है इजाजत नहीं है सांवर लालजी तैयार होकर नहीं आये हो। थर्ड रीडिंग में बोल लेना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा था कि आपने यह व्यवस्था दे दी कि फाइनेंस बिल में जितने रखे गये उन सब पर कभी भी बोल सकते हैं तो वह बात है। वरना आप एक–एक ...(व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, एक–एक पर चर्चा आप करायेगें तो जरा सारगर्भित चर्चा होगी।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुन लीजिये फाइनेंस बिल में जिन एक्ट्स में संशोधन चाहे गये हैं उन सबको लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब एक साथ थोड़ा बोल पाएंगे साहब।

श्री सभापति : बोल लेगें। क्यों क्या दिक्कत है ? अलग–अलग कैसे बोलेंगे ?

श्री राजेन्द राठौड़ : इसका मतलब सभापति महोदय, और जिन पर बोलना चाहें उन पर नहीं बोल पायेंगे मोटरयान भी है, यह राजस्थान मनोरंजन कर भी है।

श्री सभापति : हां उन सब पर बोलें न आप, दिक्कत क्या है आपको। फाइनेंस बिल में सब कुछ बोल सकते हैं। फाइनेंस बिल है उसमें बोलें आप जितना बोलना चाहें। थर्ड रीडिंग में बोल लेना आप। हां फरमावें।

श्री रामनारायण चौधरी : बोल तो लेंगे सभापति महोदय, लेकिन इतना लम्बा है कि हम सभी उसमें बोलने की कोशिश करेंगे तो आसन अकोमोडेट कर लेगा क्या हम सबको ? सभी लोग यह चाहेंगे कि हम थर्ड रीडिंग में बोलेंगे और यहां हमें जो चांस मिला है उसको हम फोर गो करना चाहते हैं। आप हमें ऐसों को रिवार्ड दे देंगे क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन सबको अकोमोडेट करने की चेष्टा करेगा।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, यह वित्त विधेयक, 2000 में कई प्रकार के जो टैक्सेज लगाये हैं उन टैक्सेज के बारे में कंफ्यूजन है जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक नया प्रोफेश्नल ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस फाइनेंस बिल में जिन कानूनी प्रावधानों में अमेंडमेंट चाहा गया है आप इसी पर बोलिये। आप कह रहे हैं प्रोफेश्नल टैक्स है वह बाद में आएगा।

श्री सांवर लाल : तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जैसे टर्न ओवर टैक्स है

(श्री सांवर लाल)

माननीय सभापति महोदय, टर्न ओवर टैक्स में एक तो यह लिमिट दी है तीन लाख। तीन लाख रुपये बहुत ही कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए तीन लाख रुपये आम व्यवसायी जो साधारण अपनी आजीविका भी नहीं कमा सकता वह भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। दूसरा इसके साथ ही यह तीन लाख रुपये की टर्न ओवर किस–किस व्यवसाय से संबंधित होगी इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से आप के माध्यम से निवेदन है कि यह जो टर्न ओवर है इसमें किस–किस व्यवसाय की टर्न ओवर को आप सम्मिलित करेंगे यह स्पष्ट होना चाहिए अन्यथा आपके ये अधिकारी दुरुपयोग करेंगे जिसमें आप नहीं चाहते उन लोगों को पीड़ित कर, परेशान कर इसकी श्रेणी में लाकर परेशान करेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आपको स्पष्ट करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। माननीय श्री हीरासिंह चौहान। माननीय श्री धर्मपाल चौधरी। माननीय श्री कैसाराम चौधरी। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 ...

(13.00 बजे)

इसमें सरकार की मंशा अधिक से अधिक पैसा हमें कैसे प्राप्त हो यह है, उसमें किसी को एतराज नहीं लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिये कि हमारा टैक्स कलेक्शन ऐसा हो जिसको व्यक्ति आसानी से दे सके। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम यह सोचते हैं कि अगर हम अधिक सीमा बांधेंगे तो उससे हमें आमदनी ज्यादा होगी। गणित के आधार पर हम शायद इसका केलकुलेशन निकालते हैं कि अगर इसके बजाय यह कर देंगे तो इतना प्राप्त हो जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना टैक्स में कमी करते हैं उतना ही हमारा टैक्स कलेक्शन अधिक होता है। यह पिछले 5–7 सालों का अनुभव है। आप स्वयं अगर पुराने वर्षों के आंकड़ों को मिलायेंगे तो आपको स्वयं को इस बात का अहसास हो जावेगा जिसमें भी हम 8 पर्सेंट से 4 पर्सेंट पर लाये, 4 पर्सेंट से 2 पर्सेंट पर लाये तो फायदा हुआ। इसमें जो आप धारा 13 (क) जोड़ रहे हैं, आप कल्पना करिये कि एक व्यापारी कितने प्रकार के टैक्स एक साथ देता है और उसमें आपने एक टर्न ओवर टैक्स का और प्रोविजन करने की कोशिश की। उसकी सीमा को भी 3 लाख और 10 पर्सेंट कर दिया । मैं यह सोचता हूं कि इस सीमा के आधार पर चलेंगे तो निश्चित रूप से एक छोटे से छोटे व्यापारी पर भी संकट खड़ा हो जायेगा। आपने उस पर सैल्स टैक्स लगाया। सैल्स टैक्स पर आपने सरचार्ज बढ़ाया, सरचार्ज के बाद टर्न ओवर टैक्स उस पर लगाया। एक ही व्यक्ति पर एक ही चीज का 3–3 बार टैक्स लगायेंगे तो निश्चित रूप से इससे परेशानी बढ़ेगी। कोई न कोई रास्ता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ऐसा निकाला जाय जिससे पेचीदापन कम हो। टैक्स देने से कोई व्यापारी नहीं घबराता अगर आपकी यह मंशा है कि टैक्स देने से व्यापारी घबराता है, उसका क्या जाता है। उसका जो हिसाब–किताब रखने की परेशानी है, उसका रिकार्ड रखने की जो परेशानी है कि कहां से खरीद कर लाया, एक–एक चीज का अगर वह बिल वाउचर और रिकार्ड बनाता जाय तो शायद दिनभर में जितना वह माल नहीं बेचे उससे ज्यादा आदमी तो उस हिसाब को मेनटेन रखने के लिए रखना पड़े। वह किसी के लिये संभव नहीं होगा। आपमें से अगर किसी ने व्यापार किया हो तो निश्चित रूप से आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि किन प्रकार की पेचीदगियों से परेशान है। टैक्स देने से कोई परेशान नहीं है। आप उसको जितना सरल प्रवृत्ति से करेंगे उससे उतनी ही आमदनी ज्यादा होगी। उनकी परेशानियां घटेंगी और यह जो इंस्पेक्टर राज की परेशानी आती है उसके कारण से उन पर जिस प्रकार का जुल्म होता है उससे उनको बचा सकते हैं। जिस प्रकार की सीमा बांधी है 3 लाख की, मैं सोचता हूं इस पर विचार करिए और इसमें इस फीगर को बड़ा करिए जिससे सामान्य व्यापारी इस सीमा से निकल जाये। वास्तव में जिनका बहुत बड़ा व्यापार है उन पर अगर आप एक और एक्स्ट्रा टैक्स टर्न ओवर का लगाना चाहते हैं जरूर लगाइए, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से मन में एक विचार बनाना चाहिये कि हम टैक्स को जितना सरल से सरल कर सकते है उतना ही हमें टैक्स प्राप्त करने में और आमदनी बढ़ाने में सुविधा रहेगी।

वैसे तो मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख है कि आपने स्वयं ने ही वित्त विधेयक रखा और आप स्वयं ही इतने अमेंडमेंट लेकर आ गये। यह किस बात को प्रदर्शित करता है कि हम किसी भी चीज का निर्णय करने से पहले गहनता से, 10 लोगों के साथ बैठकर विचार नहीं करते कि इसमें कौन–कौन सी पेचीदगियां आयेंगी। इसके कारण जनमानस में क्या भावना जाती है जब भी हम यहां कोई चीज रखते हैं तो बाहर से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और उस प्रेशर के आधार पर जब हम उसमें परिवर्तन और तरमीम छांटने की कोशिश करते है, हमारी मंशा तो यह हो सकती है कि हम उनके दर्द को कम करना चाहते हैं, उनकी तकलीफ को हम घटाना चाहते है यह बात भी समझ में आती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि रखने के बाद विचार होता है तो जनमानस में और व्यापारी वर्ग में इस बात का अहसास जाता है कि अगर हम प्रेशर करेंगे, अगर हम ग्रुप बना कर इसका विरोध करेंगे तो सरकार जरूर अमेंडमेंट लायेगी। आपने कल जो यहां पर घोषणा की, उसके आधार पर कई अमेंडमेंट इसमें आ गये। जो विलासिता कर है उसको आपने घटाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं आपको इन सब बातों के बारे में पहले ही विचार करना चाहिये। या तो पुख्ता हो जाना चाहिये या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिर एक बार हमने रख लिया, बहुत सोच समझ कर रखा तो यह बैक होने की आदत नहीं होनी चाहिये। इसके कारण से हमारे सिस्टम पर लोग अंगुली उठाते हैं। हमारे सिस्टम पर अंगुली उठे इसके बारे में हम जो कुछ भी कर सकते है वह करें। मैं सोचता हूं कि जब विषय के अनुसार और कुछ चर्चा आयेगी उस समय करेंगे।

आपने मनोरंजन कर के बारे में कहा कि चूंकि हमको 5 पर्सेंट से लेकर 50 पर्सेंट तक, सिनेमा हाल में जितनी सीटें होती हैं उसके आधार पर हमको टैक्स आता है। यह जो मनोरंजन कर है यह निश्चित रूप से नगरपालिकाओं का है। आप इस झमेले में क्यों पड़ते हो। अगर आप अपनी नगरपालिकाओं को ताकत देना चाहते हो तो मेरा आपको एक सुझाव है यह मनोरंजन कर के लिये नगरपालिका अपना स्वयं का टिकट बनाये और उस टिकट पर छाप लगाकर उनको दें और उसके आधार पर वहां टिकट वितरण हो, उसके आधार पर टैक्स का केलकुलेशन निकले तब तो टैक्स सही मिलेगा। वह अपनी मर्जी आये जितने टिकट बनाते है, टिकट तो सबको रोज देते है क्योंकि बिना टिकट के तो कोई सिनेमा हाल में जा नहीं सकता। टिकट तो सारे के सारे बिकते है लेकिन जब आपका रिकार्ड आता है तो उसमें लगता है कि हमारे को तो इस सिनेमा घर में केवल 30 पर्सेंट आकुपेंसी रही हमारा तो एवरेज इतना बैठा। उसके आधार पर टैक्स केलकुलेशन कर के वह आपको टैक्स देता है। इससे टैक्स की चोरी होती है। मैं सोचता हूं कि कोई न कोई सिस्टम आप ऐसा बनाइए कि सिनेमा घर में जो भी टिकट दिये जाते है। वह टिकट आपके द्वारा छपे हुए हो, आपकी सील के हो और वह टिकट वहां वितरण हो ताकि मैक्सिमम कलैक्शन हम कर सकें। अमेंडमेंट के आधार पर उसकी सीमा को बढ़ा कर आप कम से कम 25 पर्सेंट पर लायें। पहले किसी के सिनेमा हास से 5 पर्सेंट आता, किसी से 10 पर्सेंट आता, किसी से 15 पर्सेंट आकुपेंसी आती, मैक्सिमम 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं आया। इस 50 पर्सेंट को आपने नीचे की सीमा में बांधने का प्रयास किया कि यह कम से कम 25 पर्सेंट जरूर हो। मैं सोचता हूं 25 रहे, 60 रहे, 65 रहे, सेंट–पर्सेंट जितने भी व्यक्ति सिनेमा हाल में जाते हैं उसका जो हमारा टैक्स बनता है वह हमारे पास आना चाहिये। उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि जो भी टिकट वहां वितरण किया जाता है उन टिकटों पर हमारी कोई मोहर हो हमारे द्वारा अधिकृत टिकट हो तब तो यह जो फर्जी टिकट बना कर जिस प्रकार का व्यवसाय चलता है इस व्यवसाय को आप रोक सकेंगे।

इसी प्रकार विलासिता कर के बारे में आपने सोचा। मैं सोचता हूं कि आजकल तो छोटे–छोटे कस्बों में और नगरपालिका सीमा में जो होटलें हैं उनका किसी का भी किराया दो सौ, ढाई सौ से कम नहीं आता। कल आप इसको घटाकर 750 ले आये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह दूसरा बिल है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

टर्न ओवर होता है उसके अन्दर थोड़ा–सा हिस्सा राज्य को भी दें इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने कहा है।

जब एक्ट बनता है आप देखेंगे कि इस तरह सेल्स टैक्स के अन्दर कर्नाटक के अन्दर दो लाख रुपये की सीमा, यहां पर तीन लाख का ज़िक्र किया गया, वहां दो लाख रुपये हैं लेकिन वे लोग दो लाख रुपये भी नहीं लेते। यह एक्ट जब बनाये जाते हैं इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है। अब आप सेल्स टैक्स में जानकर ताज्जुब करेंगे कि सेल्स टैक्स की रेट 50 प्रतिशत हो सकती है लेकिन आज तक 50 प्रतिशत का सेल्स टैक्स किसी सरकार ने कभी नहीं लगाया और कितना पुराना एक्ट है और इसके अन्दर लाख रुपये की सीमा है। इसी प्रकार से एक्ट के अन्दर यह प्रोविजन किया जा सकता है कि एक दफे एक्ट बनता है तो भविष्य की चीजों को भी उसके अन्दर, आपको भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिये, इन बातों को ध्यान में रखकर यह सीमा निर्धारित की गई है। तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट के बारे में आप लोगों के मन में जो भ्रान्ति है गलतफहमी है कृपया उसको निकाल दें और हमारा किसी रूप में, आपने एक बात यहां पर कही। यह बात निश्चित है मेरी खुद की भी मान्यता है कि आज दो थ्योरी चल रही है किसी जमाने में अधिक कर लगाकर कर उगाहने की जो थ्योरी थी वह धीरे–धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि केन्द्र सरकार में इनकम टैक्स की रेट किसी जमाने में 97 प्रतिशत हुआ करती थी उसको घटाकर 30 प्रतिशत तक ले आये। इसी प्रकार से अभी एक चीज और नई हुई है कि केन्द्र सरकार ने तमाम् राज्य सरकारों से सलाह–मशविरा करके एक सेल्स टैक्स की फ्लोर रेट तय की है। केन्द्र सरकार के लम्बे हाथ हैं इनकम टैक्स के बारे में। माननीय सदस्य अगर आप कहें तो मैं समाप्त कर दूं, गौर से सुन लें। रामस्वरूपजी आप अपनी जगह पर आ जाये तो बड़ी कृपा हो (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज अगर एस.टी. के पास बैठ गये तो क्या दिक्कत हुई ? अगर आज...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं माफी चाहूंगा इन्टरप्ट कर रहा हूं, सैक्शन–13 क के अन्दर तो आपने तीन लाख टर्न ओवर की बात कही है और बजट भाषण के अन्दर आपने कहा है 50 लाख का सालाना टर्न ओवर। यह क्लियर कर दें कि क्या है ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अन्दर टू नोटिफाई द रेट हमको अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं, कई एक्ट्स में राज्य सरकारों को नोटिफाई करने का अधिकार प्राप्त होते हैं सरकार उन अधिकारों को लेती है और जन–भावनाओं के अनुरूप उसी प्रकार नोटिफिकेशन निकालती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मंशा क्या है, इतना असीमित आप ले रहे हैं, आप किन–किन श्रेणियों के लोगों पर टर्न ओवर टैक्स लगाना चाहते हैं, 50 लाख वाली बात मानू या तीन लाख वाली मानू। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा ना नोटिफिकेशन निकल गया 50 लाख का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 50 लाख का नोटिफिकेशन ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : I have issued the notification.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो आप टर्न ओवर टैक्स लगायेंगे इसमें वह व्यापारी या तो कर मुक्त चीज खरीदता है, टैक्स पैड खरीदता है यह उस पर भी लगेगा क्या, वह टैक्स वसूल नहीं करता है, उस पर भी लगेगा क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैक्स पैड के ऊपर यह नहीं लगेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Please, let me clear it again. जो व्यापारी टैक्स फ्री चीज खरीदता है या टैक्स पैड दो चीजें ही खरीदता है उस पर तो नहीं लगेगा ना यह ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि जो सेल्स टैक्स का रजिस्टर्ड डीलर है और जिसका टर्न ओवर 50 लाख रुपये से ऊपर है उसको यह टैक्स देना पड़ेगा वह बात बिलकुल साफ है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो आपने सीमा बता दी व्यवसाय की, सेल की मैं यह निवेदन कर रहा हूं जो केवल टैक्स फ्री या टैक्स पैड दो ही आइटम बेचता है उस पर भी लगेगा क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है इसमें दो ओपीनियन है। यह टैक्स पैड गुड्स के ऊपर तो लगेगा जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं दो श्रेणी है, जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं अगर उसका टर्न ओवर है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो क्लियर नहीं हुआ, यानि जो केवल टैक्स पैड माल बेचता है, टैक्स दिया किसी को देना था जो, तो आगे तो वह टैक्स वसूल नहीं कर रहा उस माल की सेल है क्या उस पर टैक्स लगायेंगे आप। (व्यवधान) टर्न ओवर एज इनकम और क्या है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साल में कितना माल बेचा ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप मुझे यह समझा रहे हो क्या ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनकी इनकम अलग है, 50 लाख रुपये का माल बेचा उस पर हो सकता है लाख रुपये का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

फायदा हो, दो लाख का फायदा हो, यह इनकम है। टर्न ओवर का मतलब है उसने कुल कितना माल बेचा । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शिक्षा मंत्रीजी, इतना तो मैं समझ रहा हूं, इतना तो मैं भी समझ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी ने बहुत साफ कर दिया है कि जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं उन पर टैक्स लगेगा बाकी सेल्स टैक्स पैड पर लगेगा यह तो वित्त मंत्रीजी ने साफ कर दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो माल टैक्स पैड है और जो टैक्स फ्री आइटम है वही बेचता है उसकी जो टर्न ओवर है उस पर भी आप टैक्स लेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा ना जो टैक्स पैड देकर भी आया है अगर आप इसकी सीमा देखेंगे...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सीमा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। आपको जो लग रहा है कि उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा 50 लाख से एक करोड़ तक ढ़ाई हजार रुपये अब एक करोड़ का जिसका टर्न ओवर है, एक करोड़ रुपये अगर आप उसका प्रोफिट मानकर चलें, एक--दो प्रतिशत से कम तो कोई व्यापारी व्यापार नहीं करता है आज की तारीख में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सवाल अमाउंट का नहीं है, वह कितना है, यह सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, टैक्स देना पड़ेगा, इसको, टैक्स पैड गुड्स के ऊपर ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बताइये। वह कितना देगा, कितना नहीं देगा, वह विषय अलग है। वह भी आपकी परव्यू में आयेगा क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, आएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्योंकि आपके सेल्स टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि जो टैक्स पैड चीजें हैं, उन पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। (व्यवधान) आप जरा पता कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डबल टैक्सिंग नहीं होती है, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है...(व्यवधान) Turnover Tax is a different tax. It is a different tax.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : May be.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह संशोधन उसी में लेकर आ रहे है, मंत्री महोदय ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप संशोधन उसी में लेकर आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : टर्न ओवर का मतलब तो यही है कि कितना माल सेल होता है। चाहे वह एग्जम्टेड गुड्स का हो या पैड गुड्स का हो। टर्न ओवर का तो मतलब सीधा--सा है। अब सीधे में वह उल्टा उलझाते क्यों हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी जो धारा 13 है, सेल्स टैक्स ...

श्री सभापति : सवाल बहुत साफ हो गया। यह हो सकता है कि आपको अप्रिय लगे लेकिन बात स्पष्ट हो गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन 13 में यह प्रतिबन्धित है कि जो टैक्स पैड आइटम है उस पर नहीं लगना चाहिए यह टैक्स, यह प्रतिबंधित है। इसलिये पूछ रहा हूं आपसे मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-- 2, 3, 4, 5 और 6 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें मालूम नहीं था कि एक--एक, फाइनेंस बिल में जितने बिल हैं उनमें हर एक्ट में अलग--अलग बोलना है या एक साथ बोलना है। टर्न ओवर टैक्स, एक पर बोल कर हमने अपनी बात समाप्त कर दी। इसके अन्दर और भी बातें हैं। आपकी आज्ञा होगी तो हमें एक--एक, दो--दो मिनट बोलना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको तीसरे वाचन पर पूरा समय मिलेगा और आप अपनी बात कहिये।

खण्ड--7 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खण्ड–7 में, जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम संख्या–22) की ध ारा 84 की उप धारा (3) को संशोधित किया जाना ईप्सित था, अभिव्यक्ति "या निर्धारित कर या अन्य रकम के चालीस प्रतिशत के, जो भी उच्चतर हो, संदाय का समाधानप्रद सद्दत न हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या निर्धारित कर या अन्य रकम के पन्द्रह प्रतिशत के, जो भी उच्चतर हो, संदाय का समाधानप्रद सद्दत न हो।" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–7 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है, वह स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–7 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–8, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खण्ड–8 में, जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्या–241 की धारा 4 में नयी उप–धारा (क) को अन्तः स्थापित किया जाना ईप्सित था, इस प्रकार अन्तः स्थापित किये जाने के लिये ईप्सित उप–धारा (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(क) उप–धारा (1) के अधीन यथा–संदेय मनोरंजन कर प्राधिकृत सीट क्षमता के अधियोग के ऐसे प्रतिशत पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, संगणित की गयी और निकाली गयी रकम से साधारणतः कम नहीं होगा।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, दुबारा पढ़वाइये। हम समझ नहीं पाये।

श्री सभापति : आप जैसे महान व्यक्ति नहीं समझ पाये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, समझ नहीं पाये। सही कह रहा हूं मैं समझ नहीं पाया। या तो ये एक्सप्लेन कर दें या दुबारा पढ़ दें।

श्री सभापति : एक्सप्लेन ही करें, दुबारा तो......

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर, आप कहें तो इंग्लिश में पढ़ दूं, आपकी कृपा हो तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(व्यवधान) मैं इसको, आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि मेरे लिये हिन्दी के ये बड़े कठिन शब्द हैं।

"In clause 8, by which a new sub-Section (1A) was sought to be inserted in Section 4 of the Rajasthan Entertainments and advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), for sub-Section (1A) so sought to be inserted, the following sub-section be substituted, namely :-

"(1A) The entertainment tax as payable under sub-Section (1) shall generally not be less than the amount calculated and arrived at on such percentage of accupancy of the authorised sitting capacity as may be notified by the State Government from time to time."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–8 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–8 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–9 और 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 और 10 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 और 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड–11, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन पेश करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, अगर आप कहें तो अंग्रेजी में पढ़ दूं। हिन्दी में कठिन है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, क्या दिक्कत है। पढ़ लीजिये, पढ़ लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह :"In clause 11,by which clause (c) of sub-Section (1) of Section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) was sought to be substituted, for clause (c) so sought to be substituted, the following be substituted, namely :-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

"(c) a tax in respect of motor vehicles registered outside the State and using roads in Rajasthan under temporary permits, and in case of motor vehicles and chassis of motor vehicles temporarily registered and passing though the State using roads in Rajasthan, at such rates, as may be notified by the State Government in the official gazette which shall not exceed Rs. 200/- per day per seat in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand kg. of Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight or part thereof for 30 days or part thereof in case of goods vehicles and shall not exceed Rs. 5000/- in case of motor vehicle or motor vehicles chassis temporarily registered and passing through the State;"

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि शायद आपने जो सीमा ली है वह 200 और 250 रुपये ली है। लेकिन आप क्या यह नहीं सोचते हैं कि इसके कारण से इस व्यवसाय के ऊपर किसी प्रकार का बैड–इफैक्ट नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अन्तिम सीमा अभी जरूर बता दी। अभी तो ठीक है, आप उसमें से कुछ कम करेंगे जैसा आप चाहेंगे, वैसा लगा देंगे। अभी पर सीट के हिसाब से आपकी इच्छा होगी तो पचास करेंगे, सौ करेंगे पर आपने अन्तिम सीमा इसकी पर सीट के हिसाब से बांध दी। लेकिन इसके कारण से क्या इस व्यवसाय के ऊपर कोई बैड इफैक्ट जाएगा या नहीं, इसको तो थोड़ा आप स्पष्ट करें। कारण क्या है कि आपने जो सीमा बांधी है, इसको स्पष्ट करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी कर दूं, साहब ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : जरूर फरमाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दो–तीन अमेंडमैंट्स मैंने देखे हैं। इन अमेंडमैंट्स में सरकार पावर लेना चाहती है। असेम्बली के सामने आपको यह बताना चाहिए था कि जो कुछ भी अमेंडमैंट ला रहे हैं, सेल्स टैक्स में ला रहे हैं, मोटर व्हीकल टैक्स में ला रहे हैं या एंटरटेनमैंट टैक्स में अमेंडमैंट ला रहे हैं, उसमें आपने पावर्स लिये कि हम आगे जाकर नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स इम्पोज करेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार अभी तक मानस नहीं बना पायी है कि क्या टैक्स लगाना है। मोटर व्हीकल्स में आपने यह अमेंडमैंट मूव किया, तो उसको यह बताना चाहिए कि आप टैक्स कितना लगा रहे हैं। एंटरटेनमैंट टैक्स में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने सीट्स के आधार पर टैक्स लगाने की बात कही है तो सरकार क्लियर नहीं हो रही है, सभापति महोदय, यह घातक प्रवृत्ति है सरकार की और घातक प्रवृत्ति इसलिए है कि असेम्बली को बिलकुल अन्धेरे में रखकर हम टैक्स लगायें, आज हम नहीं कर सकते, कुछ दिनों के बाद में जब हमारी इच्छा होगी, नोटिफिकेशन के हिसाब से हम सारी व्यवस्था करेंगे। उसमें एक परेशानी होती है, यदि असेम्बली में आप फाइनल करके चलें कि अमुक चीज पर इतना टैक्स लगेगा, बारगेनिंग की कोई बात नहीं। इसमें ही बारगेनिंग की बात पैदा होती है। अब मोटर व्हीकल्स में आपने अभी अमेंडमैंट किया। अब मोटर व्हीकल्स के जितने व्यवसायी हैं, वे आपके पास आएंगे और हमारे पास आएंगे और आकर कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया। आएंगे, ऐसी बात मत करो यह। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजें तो सही मैं आपसे निवेदन कर दूं। विराजिए एक मिनट आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं आपको। मै तो सिद्धान्ततः आपसे पूछता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका सिद्धान्ततः यह प्रश्न बिलकुल वाजिब है लेकिन बदकिस्मती से माननीय, एक मिनट आप बैठ जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका और बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां जो गाड़ियां बिकती हैं, उससे कोई लेना–देना नहीं है, नम्बर एक। हमने यह कहा है कि हमारे स्टेट की सड़कों को जो टेम्प्रेरी परमिट के ऊपर हमारी स्टेट से पास होती है, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमारी स्टेट के अन्दर, पहले एक अमेंडमैंट आया था इसलिए यह अमेंडमैंट दुबारा अपनी तरफ से आया, ओरिजनल अमेंडमैंट दूसरा था। ओरिजनल अमेंडमैंट यह था कि हमारी स्टेट के अन्दर कोई गाड़ी आये तो मैंने प्रश्न किया एक दिन मेरे दिमाग में आया, माननीय सभापति महोदय, कि हमारे यहां बोडी बिल्डिंग का तो बहुत बड़ा काम है। आज सीकर के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, नागौर के अन्दर, जयपुर के अन्दर अगर उन गाड़ियों के ऊपर, तो हमारे कुछ पैसे के खातिर जो हमारे सैकड़ों–हजारों मजदूर लगे हैं, बोडी–बिल्डिंग के काम के अन्दर, वे बेरोजगार हो जाएंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए यह लाया लेकिन जो मोटर डीलर्स हैं यहां पर, व्हीकल डीलर्स हैं, विभिन्न कम्पनियों के उन से यह सरोकार नहीं है। यह उन गाड़ियों पर टैक्स लगेगा जो हमारी स्टेट से पास होकर निकलती हैं और हमारी स्टेट की रोड्स को यूज करती हैं, यह एक एडिशनल सोर्स, एक एडिशनल रिसोर्स मोबीलाइजेशन का एक तरीका निकाला है और इसमें मैक्सिमम सीमा हमने फिक्स की है, पांच हजार की लेकिन आज की तारीख के अन्दर इनके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ऊपर जो रेट लग रही हैं, यह टैक्स आज भी जारी है। और यह सिर्फ, एक केटेगरी इसके अन्दर एग्जम्प्ट थी जो टेम्प्रेरी, आज वह चैसिस निकलती है, अगर आपने गौर किया होगा, यह टैक्स उन व्हीकल्स को कवर करने के लिए हमने लगाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इस पर्टिकुलर टैक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं इस बारे में बोल रहा था कि आप टैक्स नोटिफिकेशन से लगाएंगे, यह अधिकार आप लेना चाहते हैं। इस सारे एक्ट में, चाहे टर्न–ओवर टैक्स आपने जो लगाया है, सेल्स टैक्स वाले में, इन सब में यह पहला बिल होगा इस तरह का कि जिसमें गवर्नमेंट पावर्स लेना चाहती है और पावर्स लेकर क्या टैक्स लगाएगी, इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। आपको यह बताना पड़ेगा कि, यह बजट एक दिन में तो पेश हुआ नहीं है। बजट जिस दिन पेश किया था उस समय से लेकर आपने मानस बनाया होगा कि अमुक चीज पर हम कितना टैक्स लगाएंगे, आप इसको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं ? बाद में उसको अधिकार रखकर नोटिफिकेशन के जरिए जारी करना चाहते हो, यह प्रैक्टिस गलत है। मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बाद में नोटिफिकेशन से टैक्स लगाएंगे, किस समय टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, टैक्स के प्रपोजल तो जितने क्लियर होने चाहिए। आपने एप्रोप्रिएशन बिल पास कराया और अब यह बिल पास करवा रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क क्या है ? आप इतना लीवर इसमें क्यों रख रहे हैं कि इसका टैक्स यह हो सकता है, उसका टैक्स यह हो सकता है तो उसके बारे में बिलकुल आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि अमुक प्रकार का टैक्स कितना होगा और इस प्रकार की स्थिति होगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, थर्ड रीडिंग के टाइम में कुछ करना हो तो कर दें, इस वक्त तो इस क्लाज को, इस वक्त तो इस क्लाज को, ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह मैं अभी क्लियर कर देता हूं।

श्री सभापति : कर दीजिए आप। कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज थर्ड रीडिंग का मौका ही नहीं आएगा। आज थोडा–सा जल्दी कार्य समाप्त हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं होगा, चिन्ता मत करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व के अन्दर भी, मैं कोई नई चीज लेकर नहीं आया हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह तो प्रिवेलेंट चीज है। कई मामलों के अन्दर, अधिकांश एक्ट्स के अन्दर राज्य सरकार को रूल्स बनाने की पावर और एज नोटिफाइड फ्रोम टाइम टू टाइम यह पावर्स सरकार के पास कई एक्ट्स के अन्दर है, मैं कोई नई चीज लेकर आया हूं ? आपने यह कहा कि... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मना नहीं करता हूं इसको। मैं मना नहीं कर रहा हूं इसको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है। मैं निवेदन करूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जब कोई चीज आप अमेंड करते हैं, आज अब एक नई चीज को मैं इस दायरे में लाया हूं। मैं निवेदन करूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय; मैं एक नई चीज को लेकर आया हूं। एक नई चीज को I am going to tax. और जब उसके ऊपर टैक्स लगना है, उस नई चीज के ऊपर तो लोगों से बातचीत करने के उपरान्त, यह स्टेट्स का नहीं है... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मैं कह रहा हूं कि यह बातचीत करने का जो प्रश्न है न यह सबसे ज्यादा घातक है। यह मैंने जो बारगेनिंग शब्द यूज किया था, वह इसीलिए किया था कि आप बातचीत करने के बाद में टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, आप मेरा निवेदन सुन लें। इसमें कोई बारगेनिंग का कोई पावर किसी के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बातचीत का मतलब क्या है ? बातचीत का मतलब क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : न तो स्टेट का कोई डीलर इसके अन्दर कवर हो रहा है। स्टेट का गाड़ी बेचने वाला कोई कवर नहीं हो रहा है। उनकी जो गाड़ियां आएंगी यहां बिकने के लिए उन पर एक पैसा कोई एन्ट्री के नाम पर या रोड टैक्स के नाम पर उन पर लग नहीं रहा है। यह तो राज्य से जो गाड़ियां निकलेंगी उनके ऊपर लगाया है। अब उनसे कोई क्या बारगेनिंग करेगा ? तो आप काल्पनिक बात कह कर... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। आप गाड़ियों के चक्कर मत लगाइये, आप गाड़ियों के चक्कर मत लगाइये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या है उसमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप बातचीत के आधार पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो यह बातचीत आज तक खतम हो जानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि कितना टैक्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगेगा। आप हाउस को अन्धेरे में रखना चाहते हैं और पावर्स लेना चाहते हैं मुझे इसकी आपत्ति है। मैं पर्टिकुलर, मोटर व्हीकल पर आप कितना टैक्स करेंगे, एंटरटेनमैंट पर कितनी सीट्स पर आप कितना टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाने का आपका अधिकार है। टैक्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होता है। टैक्स के लिए रूल्स भी बनते हैं लेकिन अच्छी बात वह होगी कि आप पहले से खुलासा करके चलें कि यह टैक्स लगाएंगे।

श्री सभापति : ठीक है, माननीय।

प्रश्न यह है कि खण्ड--11 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड--11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड--11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड--12 और 13 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड--12 व 13 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड--12 व 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड--14, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : "In clause 14, by which Section 10-A was......

श्री महेश जोशी : यह आपके लिए बोल रहे हैं, अकेले के लिए। आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए भी बोलें, हम यह चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दी में बोल लें। नहीं--नहीं, इनके सामने भी समस्या आ रही है। यह जो पढ़कर सुनाया, अगर मैं दुबारा इनसे पूछता कि इसका मतलब बता दो तो नहीं बता पाते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह नहीं कहें, जो पूछना है वह पूछ लेना, अब आप यह नहीं कहो, यूं नहीं करो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वित्त मंत्रीजी, आप कोई आक्सफोर्ड में तो पढ़े नहीं हो, हिन्दी में ही पढ़कर सुना दो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़े कठिन शब्द हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, और भी लोग हैं, कठिन हिन्दी तो आनी चाहिए। राष्ट्र भाषा है। आपको हिन्दी तो आनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पढ़ देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, हिन्दी में पढ़िये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूठ मत जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह इनकी पक्ष लेने की जरूरत क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं साहब।

श्री सभापति : पढ़ दीजिए, साहब, जिसमें चाहे उसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पढ़ देता हूं, हिन्दी में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोर का भाषण दो, 162 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : खण्ड–14, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या–11) की धारा 6 की उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक को प्रति स्थापित किया जाना ईप्सित था, इस प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"परन्तु शास्ति की रकम किसी भी दशा में शोध्य कर की रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–14 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–15 से 22, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–15 से 22 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–15 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड–23 प्रभारी मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड–23 में, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या–8) की धारा 10–क को अन्तः स्थापित किया जाना ईप्सित था, इस प्रकार अन्तः स्थापित किये जाने के लिए ईप्सित उक्त धारा की उप धारा (3) में, शब्दों में "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–23 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–23 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–23 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–24 से 30, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–24 से 30 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–24 से 30 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करें कि राजस्थान वित्त विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–4) संशोधत रूप में पारित किया जावे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, जब से यह सरकार आयी है तब से राजस्थान के आम अवाम पर जितने कर इन्होंने लगाये हैं, शायद किसी सरकार ने नहीं लगाए हों। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सरकार ने 362 करोड़ के कर अपने बजट में प्रस्तावित किये और, माननीय सभापति महोदय, प्रवेश कर लगाना प्रारम्भ किया। कपड़ा, चीनी और तम्बाकू के नाम से फिर बिक्री कर बढ़ाया। पेट्रोल पर सरचार्ज 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया। 180 करोड़ रूपये यह कर लगाये और उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पश्चात् राजस्थान की गरीब जनता पर रोडवेज के किराये और बिजली की दरों से 525 करोड़ रूपये का भार इन्होंने लाद दिया। इस बार वित्त मंत्रीजी ने 106 करोड़ रुपये के कर तो अभी लगा दिये हैं। टर्न ओवर टैक्स 20 करोड़, बिक्री कर 10 करोड़, मोटर वाहन कर 10 करोड़, होटल पर विलासिता कर 2 करोड़, प्रोफेशनल कर 14 करोड़, विद्युत शुल्क 50 करोड़, माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का अधिकार प्रचण्ड बहुमत के घमण्ड पर वित्त मंत्री ले रहे हैं, कितना कर नोटिफिकेशन के द्वारा इस राजस्थान की जनता पर लादा जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी वित्त मंत्रीजी ने मोटर वाहन कर की बात कही थी। मैं उन्हीं के द्वारा जो भाषण इन्होंने दिया, पढ़कर सुना रहा हूं। मोटर वाहन की एकमुश्त अदायगी की सुविधा के लिए कुछ श्रेणियों की मद के लिए वाहनों की उपलब्धि सुविधा की कल्पित आटो रिक्शा व आटो तरंगों को दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, सभापति महोदय, अभी जिसका उल्लेख माननीय मंत्री कर रहे थे कि हमारी सड़कों से जो वाहन गुजरते हैं, एक तो अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड वाहन गुजरते हैं जिनके चेसिस बनाने के लिए हमारे यहां आते हैं। इसके अलावा दूसरे वाहन वह जो रजिस्टर्ड हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर, वह हमारी सड़कों का उपयोग करते हैं। इसलिए इन्होंने राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट की धारा। (3) के अन्दर उन पर कर लगाने का अधिकार लिया है। मंत्री महोदय, शायद मध्यप्रदेश की कार्बन कापी करना तो आपकी आदत पड़ गयी है। मध्यप्रदेश ने भी इसी तरह का कर लगाया है। और यातायात मंत्रीजी विराज रहे हैं, अपने अधिकारियों से पूछ लो, मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रक माल लेकर जाता है वह बाहर जिस तरह इंदौर की साइड से जाएगा तो देवास के चुंगी नाके पर उतार देगा। वहां से मध्य प्रदेश का दूसरा ट्रक आएगा, वह लेकर जाएगा। अब एक वाहन जो दिल्ली से चला, रजिस्टर्ड है, दूसरे प्रदेश का टेम्परेरी परमिट लेकर आ रहा है। ज्यों ही आपके यहां प्रवेश किया, आप उससे कर लेंगे। अगर इसी तरह का आपका यही विचार है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में ट्रक व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सड़कों पर राजस्थान के रजिस्ट्रीकृत वाहन चलें, यह संभव नहीं है। चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, दिल्ली की बसेज आएंगी, राजस्थान में प्रवेश करेंगी। दिल्ली से रजिस्टर्ड टैक्स आप लेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं देंगे। इसको स्पष्ट कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल स्पष्ट कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि —

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस तरह राजस्थान की गरीब लोगों का अहित करके आप इस तरह का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, कल सदन में चर्चा चली थी, बागनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल खड़े किये थे एक्साइज के मामले में, और आपने हमें विश्वास दिलाया था कि आप एक–एक विषय का उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज नहीं । ऐसा है जब मैंने कल कहा था, आपसे निवेदन किया था कि कल एक आर्डीनेंस है एक्साइज का, कल या परसों है, रिप्लेस करूंगा बिल से, उसके ऊपर उस वक्त आपको चर्चा में जवाब दूंगा। मैंने यह कहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : कहा था, कहा था। यह यहां नहीं थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आपको ध्यान हो। सभी माननीय सदस्यों ने सुना था। जो भी आपने यहां पाइंट्स उठाये हैं, पूरे दस साल का इतिहास शराब के बारे में, पांच साल का, चार साल का, जो भी आप पूछेंगे पूरा इतिहास, मैं नया आदमी हूं, इसके बारे मैं नया आदमी हूं, मुझे इसके बारे में पता नहीं लेकिन थोड़ी–बहुत जानकारी है। क्योंकि कल ही तो इसका एप्रोप्रिएशन बिल था, यह सवाल यहां उठाया, मैं आपको निश्चित रूप से इसका जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान के पास गर्व करने लायक कोई बात है तो राजस्थान के हैरिटेज, राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास है। इसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। आपने होटल पर विलासित कर के नाम से हालांकि स्लैब आपने बढ़ा दिया परन्तु मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूं इस साढ़े सात सौ रुपया जो मिनिमम किया है, उल्टे होना तो यह चाहिए कि राजस्थान के अन्दर पर्यटकों के लिए अच्छे होटल स्थापित हों, हम इन्सेंटिव दें। आपने उसके ऊपर कर लाद कर राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल इस पर आपको विचार करना पड़ेगा वरना राजस्थान के अन्दर जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, थाती है, सम्पदा है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिल आगे आ रहा है, दूसरा बिल है एक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनोरंजन कर के नाम पर आपने सिनेमा घरों में करवंचन को रोकने के लिए व्यवस्था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की है। अब आपने पहले तो कह दिया हम 25 परसेंट सिनेमा की सीट को बढ़ा हुआ मानकर टैक्स लेंगे: 25 परसेंट तो लोग देखने आयेंगे ही आयेंगे। अब आपने कह दिया स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। मनोरंजन कर पर अधिकार हैं स्थानीय निकाय का। नगरपालिका का अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने दो वर्ष में 24 करोड़ की राशि मनोरंजन कर के नाम से इकट्ठी कर ली परन्तु आज नगरपालिकाओं की हालत क्या है, एक कौड़ी आपने नहीं दी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे अधिकारों को केंद्रित करने की बात नहीं सोचे। ठीक है आप स्लैब तय कर लीजिये परन्तु यह अधिकार नगरपालिकाओं को मिल जाय। मनोरंजन कर पर जो टैक्स, जो टिकट हो, उस टिकट की व्यवस्था आप कर सकते है परन्तु नगरपालिका का अधिकार हैं उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रशासनिक सुधार के नाम पर भूमि भवन कर के अन्दर कुछ सरलीकरण किया हैं। जो सरलीकरण किया है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु जब आपने सेक्शन चार के अन्दर भूमि और भवन की कीमत का निर्धारण, सरकार द्वारा निर्धारित आधार, समय–समय पर सरकार के नोटिफिकेशन पर बात छोड़ दी है और उसके बाद आप सैल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब खानापूर्ति है। कितना कर लगेगा, किस दर से लगेगा इसको जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि जिस तरह की आपकी मंशा है वह मंशा आपकी पूरी नहीं हो पायेंगी। मंत्री महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स का एक सेच्यूरेशन पाइंट हैं। राजस्थान की जनता पर इतना कर है, अब उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। आपको नोनटैक्स रेवेन्यू को ट्रैप करना चाहिए और नान टैक्स रेवेन्यू के नाम पर जो ए.आर.एम. आपको लेना था उसमें तो आप विफल हो गये, अब मात्र टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर आप इस तरह के कर राजस्थान की गरीब जनता पर लाद रहे हैं, समय बतायेगा, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री रामनारायण चौधरी : नान टैक्स खुलासा करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितने कारपोरेशन हैं, प्रोफिट में करिये लोस में नहीं जाऐगी।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आप करके बता गये दस साल में। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दस साल का मुकाबला कर लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, इस फाइनेंस बिल के माध्यम से जो आप अमेंडमैंट्स कर रहे हैं उसी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर बोलना चाहता हूं और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई अपोर्चुनिटी नहीं है। मैं सदन में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आप नोटिफिकेशन निकाल कर के और आम जनता के साथ नाइंसाफी करते हैं, जाने–अनजाने, इन्एडवर्टेंटली भी करते होंगे, मैं यह नहीं कहता । (व्यवधान) नहीं, है। आपके पास है। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि नया नोटिफिकेशन.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक ही कापी है, जरूरत पड़ जाए इसलिए रखी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वापस दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, ले लीजिये। अभी भिजवाता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मेरा मूल प्रयोजन यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको अधिकार है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी जैसा कहा कि आप नोटिफिकेशन लगाकर के टैक्स की रेट डिसाइड कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, जो सब अधिकार आपको हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय लगाते आये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, लगाते आये हैं, मैं इसको कहीं चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं वह यह है कि आज राजस्थान लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स के अन्दर सैल्फ असेसमेंट का जो प्रोविजन आपने रखा है वह अपनी जगह अलग है, उसके विषय में निवेदन नहीं कर रहा हूं।

(14.00 बजे)

लेकिन सभापति महोदय, मुख्य बात यह है कि आज राजस्थान की जनता को पता ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं। कल ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बोलते हुए इस विषय पर चर्चा की थी लेकिन मेरे खयाल से वित्त मंत्रीजी ने नोटिस दिया कि नहीं दिया, मैं नहीं कह सकता, मैंने भी आपको मौखिक रूप से निवेदन किया था। अब यह पहले नोटिफिकेशन था। 1.4.1997, अब वह टैक्स की रेट आप डिसाइड करते हैं भूमि एवं भवन के बाजार मूल्य के प्रथम दस लाख रुपये शून्य। भूमि एवं भवन कर के बाजार मूल्य के अगले छह लाख रुपये एक प्रतिशत भूमि एवं भवन के बाजार मूल्य प्रथम दस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लाख रुपये शून्य। भूमि एवं भवन के बाजार मूल्य के अगले 16 लाख रुपये अधिक पर 1.50 प्रतिशत। इसको आप चेंज करें इसमें इतनी आपत्ति नहीं हैं लेकिन इसमें, बहुत रेलेपेन्ट क्लाजं हैं,, क्लाज 5 मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। 1.4.1996 को छूट की सीमा में आने वाले भूमि एवं भवनों का 1.4.1997 के बाजार मूल्य के आधार पर पुनः कर निर्धारण किये जाने पर ऐसी भूमि एवं भवन पर देय कर, की अधिकतम सीमा 2000 रुपये वार्षिक होगी। यह जो कैप लगायी गयी है न, सीलिंग की दो हजार की, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेलेवेन्ट सेक्शन कौन सा है अण्डर रूल्स ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रेलेवेन्ट क्लाज हैं 5। आप नोटिफिकेशन निकालिए। वित्त विभाग का हैं। राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 की धारा 3 एवं 21 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा खाली भू खण्डों को आवासीय भूमि एवं भवनों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भूमि एवं भवनों और 1.4.1997 के बाजार मूल्य की दरें निम्नानुसार निर्धारित करती हैं। इसका क्लाज पांच पढ़ें आप। 1.4.1996 को छूट की सीमा में आने वाले भूमि एवं भवनों का 1.4.1997 के बाजार मूल्य के आधार पर पुनः कर निर्धारण किये जाने पर, ऐसे भूमि एवं भवनों पर देय पुनः कर निर्धारण किये जाने पर ऐसे भूमि एवं भवनों पर देय कर की अधिकतम सीमा दो हजार रुपये वार्षिक होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो सीलिंग है यह बड़ा रिलीफ है पब्लिक को। मंत्रीजी, आप इस बात को जानते हैं, आप राजस्थान के वित्त मंत्री हैं और बहुत संभ्रांत परिवार से आते हैं परन्तु आप जयपुर में मकान बनायेंगे तो अम्बाबाड़ी में मकान मिलेगा आपको। कुछ सेठ साहब भी यहां आयेंगे तो मानसरोवर में जाकर करोड़ों रुपये का मकान बना लेंगे लेकिन जयपुर का मूल निवासी स्वयं बाबू हो सकता हैं। लेकिन उसका जौहरी बाजार में मकान हो सकता हैं, उसका एम. आई. रोड पर भी हो सकता है। उसके ग्रेट ग्राण्ड फादर, ग्राण्ड फादर पुश्तैनी यहां का जो रहने वाला है, अब भूमि एवं भवन डिलेपिडेटेड हाउस, जीर्ण–शीर्ण अवस्था का मकान और जमीन बहुमूल्य। मंत्रीजी, आप जयपुर में बहुत रहे है। आप देखते हैं जयपुर शहर में। ऐसे पुराने मकान मिल जाएंगे आपको। एक एफिनिटी होती है। आदमी को नहीं छोड़ता। आपकी कर निर्धारण की जो प्रक्रिया हैं, इस बात के लिए विवश कर देगी ऐसे लोगों को कि वह अपने मकान और जमीन बेचकर जाकर बाहर बसें क्योंकि उनकी आर्थिक क्षमता ही नहीं हैं, जो आप कर निर्धारण करेंगे वह उसका पेमेन्ट कर सके। मंत्रीजी, आप एक बात पर और विचार करें कि ऐसे मकानात के अन्दर 30–30, 40–40 और 50–50 साल से लोग रहते है। बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। आदमी साधारण स्तर का है। एल.डी. सी., यू.डी.सी. हैं, मिडल क्लास आदमी है और उसके पास बहुत बड़ा मकान है और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किरायेदार है। उसके किराया क्या आता है– 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। पूरा किराया मिलाकर मिलेगा, कमायेगा कितना वह –800 रुपये महीने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वे बढ़ा नहीं सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बढ़ाता कहां है चौधरी साहब। आप भी इस बात को जानते है कि न किराया बढ़ाता है और न मकान खाली होता है। (व्यवधान) नहीं–नहीं, आप बिलकुल दे रहे हैं मैं आपका आभारी हूं। आप उसका कर निर्धारण करेंगे दो लाख रुपये तो दो लाख रुपये तो उसकी आमदनी ही नहीं है गरीब की न किराये की है न, दूसरी आमदनी है। यह जो पहले वाला आपका नोटिफिकेशन हैं उसके अन्दर सीलिंग का जो प्रोविजन है वह उसको सेफगार्ड करता था। आपने कुछ कहा नहीं नये नोटिफिकेशन में। वित्त मंत्रीजी, मैं खुद तो मेरी वाली बिल की कापी भूल आया और आपने दिया नहीं समय पर......

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने दे दिया आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, कोई बात नहीं। अब निकालने में थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे पेज नम्बर बतायेंगे लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का ?(व्यवधान) आपके पास तो पूरा विभाग बैठा है मंत्रीजी। मैं विधान सभा सचिवालय में ऊपर से नीचे सब जगह चक्कर लगा चुका। रिसर्च एण्ड रेफरेंस सेक्शन, विधान सेक्शन और सर्बोडिनेट लेजिस्लेशन सेक्शन कहीं पर कापी उपलब्ध नहीं है। मैम्बर्स को आपने कापी दिलवायी नहीं। टैक्स लगायेंगे आप नोटिफिकेशन के जरिये, नोटिफिकेशन आप आलरेडी इश्यु कर चुके हैं। अधिकारियों से यह भी पूछ लो कि कौन से पेज नम्बर पर हैं मैं निकाल लूं, ताकि मैं कुछ निवेदन कर सकूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 103 पेज नम्बर पर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी ने मुझे जो दिया है वह तो चालू ही 499 (2) से होता है। आप 103 कहां पहुंचा रहे हैं मुझे ? यह तो 499 से चालू होता है। इसका मतलब जो चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं वह नहीं है इसके अन्दर ?

श्री सभापति : अगली बात पर आइये, आप तो छोड़ो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो ही नहीं सकती।

श्री सभापति : इलाज क्या है तो ? कागजं अपने पास हैं नहीं। छोड़ेंगे नहीं तो क्या इलाज है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कागज सरकार के पास है। मंत्रीजी, आप मुझे नहीं दें आप खुद तो बतायें। आपका नया नोटिफिकेशन कहां है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इसमें नहीं हैं। आप 103 बता रहे हैं 499 से चालू होता हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके पास अभी भेज रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : थैंक यू सर। मंत्रीजी, उसका अवलोकन आप करें। आपने उसमें कोई रास्ता डिसाइड नहीं किया क्योंकि भूमि का मूल्य तो लोकेशन से तय होगा। एम.आई. रोड की और जयपुर के जौहरी बाजार की भूमि निश्चित रूप से बहुमूल्य है और आगे चले जायेंगे तो बहुमूल्य नहीं है। यह मंत्रीजी, 50 लाख से दो करोड़ एक हजार or every slab of rupees ten lakhs or part there of in addition to rupees five thousand every year. Above two crores, twenty thousand plus .5 percent of the value above rupees two crores. Will you kindly calculate it?

यह तो ओपन भूमि पर है। यह आवासीय भूमि एवं भवन एवं 39 हजार रुपये। मंत्रीजी, दो करोड़ की गणना करने के लिए केलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपने क्या किया हैं ? भूमि की वेल्यू तो वही रहेगी चाहे जीर्ण–शीर्ण अवस्था का मकान हो वह तो आपने निर्धारण किया है और सही किया है उसका मैं आपसे यह अर्ज नहीं कर रहा हूं, आपने गलत किया है। उस भूमि पर जीर्ण–शीर्ण अवस्था का मकान हैं। मकान की कीमत, हो सकता है कि ऐसा चांस आपको मिलेगा कि मकान की कीमत दस लाख रुपये और जमीन की कीमत दो करोड़ रुपये। ऐसे मकान हैं। डिप्टी चीफ व्हिप शहर से आते है वे मेरी बात को ताईद करेंगे। इनके क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं। अब उस पर आपने लगाया हैं दो करोड़ के ऊपर 39 हजार प्लस। प्रतिशत आफ द वेल्यू एबव रुपीज दो लाख। यह गयी न लाखों पर। महेशजी, आपको वह लोग पकड़ेंगे आकर के चिल्लायेंगे जिनकी आमदनी ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये लोगों के बीच में जाते ही नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं –नहीं, जायेंगे। ऐसी बात नहीं हैं। अपन ने कोई ठेका नहीं ले रखा लोगों का। सभी लोग जाते हैं।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : मेरे यहां तो माहिर भाई को भेज दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, इस बात में व्यवहारिकता रखें। अब देखिये, सुनिये। आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि बी.जे.पी. शासन में जो कुछ हुआ वह गलत हुआ, और आप सबका अनुसरण कर रहे हैं। यह काम तो अच्छा ही किया बी. जे.

श्री सभापति : कहीं यह उन प्रावधानों में तो नहीं आता है कि माननीय सदस्य सदन में किसी की पैरवी नहीं करेंगे। उसको ध्यान में रखकर कहिये आप बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इस चीज को जानता हूं। मैं तो सरकार के हित में यह बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : हित खिलाफत किसी की भी नहीं है। रूल्स का वायोलेशन नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं खिलाफत किसी की नहीं कर रहा हूं। मैं पढ़कर सुनाता हूं कि लीगल आपिनियन दी।

I have examined the provisions of the Rajasthan Entertainment and Advertisement Tax Act, 1957. As per the provisions of sub-Section 2 of Section 7, the Government in public interest has power to reduce or remit entertainment tax which any entertainment is chargeable. In this case tax has been collected by the cinema owners from the viewing public and therefore the tax so collected belongs to the Government and as such under the provisions of the Act it was not possible to refund this amount to the cinema owners. The tax collected by the cinema owners from the public cannot be returned by the cinema owners under the scheme of the Act. Such return of the tax by the cinema owners is not permissible. The view expressed by the Accountant General vide his letter dated 9th October, 1990 at page 66 is therefore correct.

माननीय सभापति महोदय, लीगल आपीनियन यह दी कि जो टैक्स वसूल किया गया वह जनता से वसूल किया गया। पिक्चर हाल के जो मालिक हैं उसने तो अपना जो मुनाफा लेना था वह ले ही लिया। तो यह 28 लाख रुपया विभिन्न दर्शक जो पिक्चर देखने आए उनसे लिया गया इसलिए उनको वापस लौटाना संभव नहीं हैं। इसलिए इस रकम को राज्य सरकार के खाते में जमा करा दी जाए, यह लीगल आपीनियन आ जाने के बाद, कोर्ट में पिक्चर हाल के मालिक के मुकदमा हार जाने के बाद और राज्य सरकार के अकाउन्टैंट जनरल के आडिट आब्जेक्शंस के बावजूद भी इन श्रीमान्‌जी ने यह रकम उस पिक्चर हाल के मालिक को लौटा दी। क्या यह कानूनी काम है वित्त मंत्रीजी ? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और आज स्थिति यह हैं कि आप उसकी रिकवरी की बात करते नहीं। इतनी बड़ी रकम, दस हजार से ज्यादा का पावर एक डिप्टी कमिश्नर सैल्स टैक्स या ए.सी.टी.ओ. को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लौटाने का पावर नहीं। उसने 28 लाख रुपये इतना सब होने के बावजूद लौटा दिये।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन यही है कि इसकी तो आप जांच कराइये। यह पेपर मैंने आपको सब्मिट किये हैं और इसकी रिकवरी की आप कार्यवाही करिये। राज्य वैसे भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिन अधिकारी ने यह काम किया उन अधिकारियों को आप प्रमोशन दे चुके हो। गवर्नमैंट का आरोप साबित होने के बावजूद प्रमोशन दे दिये और अब आप तीसरा प्रमोशन और उनको देने जा रहे हैं। आप उनको आई.ए.एस. बनाने की सिफारिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सभापति महोदय, यह है कि आगे से इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। आप जो कायदे कानून बनाएं या उनमें जो संशोधन करें, उन संशोधनों का पालन होना चाहिए। सभापति महोदय, यह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 जिसकी तरफ अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी ध्यान इंगित किया था,

मैं भी इस सम्बन्ध में आपसे दो बात कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि आपने कह दिया कि दूसरे राज्यों के जो वाहन हमारे राज्य से गुजरेंगे हम तो उनके ऊपर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लेन चेसिस।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्लेन चेसिस जायेंगे, जो भी जायेंगे। खाली चेसिस पर आपने फिर सीटों पर भी कहा है। इसमें जो है 200 रुपये प्रति, यह नहीं होगा। राजकीय अधिसूचना में जारी यात्रीयानों की दशा में 200 रुपये प्रति दिन, प्रति सीट से अधिक नहीं होगा। सीट कहां होती है चेसिस में ? चेसिस तो ट्रक का भी होता है। मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, हमारी बसें दूसरे राज्यों में भी जाती हैं और दूसरे राज्यों के वाहन हमारे राज्य में भी आते हैं। क्या आपका इस तरीके का दूसरी राज्य सरकारों से कोई समझौता है कि हमारे वाहन आपके राज्य से गुजरेंगे उनसे आप टैक्स नहीं लेंगे ? हम भी हमारे राज्य से गुजरेंगे, नहीं लेंगे। और यदि नहीं है तो फिर क्या आज दूसरे राज्यों के जो वाहन आपके राज्य से गुजरेंगे आप उनके ऊपर किसी तरीके का कर लगायेंगे। तो क्या राजस्थान के वाहन दूसरे राज्यों में जायेंगे वह सरकार नहीं लगायेगी ? आखिर उसका भार क्या पड़ेगा, उसके काम्पलीकेशंस क्या होंगे, इन सारी चीजों पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह प्रोविजन लगा रहे हैं, आप अपने आप में अभी क्लियर भी नहीं हैं कि कितना लगे। एक अधिकतम सीमा लगा दी। आपको अब तक तय करके बताना चाहिए। मैं समझता हूं आप अपने उत्तर में बतायेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना था। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा, हवामहल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय समापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान बिक्री कर की धारा 13 (ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने जो संशोधन किया है टर्न ओवर टैक्स के जो प्रोवीजन रखें हैं उसमें जो कर मुक्त चीज है उसको भी इसमें जोड़ दिया। जबकि नियम यह है कि धारा 2 सब सैक्शन 42 के अन्तर्गत आलरेडी जिसमें टैक्स पे कर दिया गया वह टैक्सेबल टर्न ओवर में नहीं जोड़ा जा सकता। इसको कानून में आप देख लीजिए। वरना तो यह कानून के विपरीत धारा होगी। जो व्यक्ति केवल वह माल बेचता है जिस पर कर लगता नहीं, या वह माल बेचता है जिस पर आलरेडी टैक्स उसने दे दिया उसको भी आप इसमें शामिल करेंगे यह कानून के विपरीत भी होगा और ठीक भी नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस सैक्शन दुबारा देखें और उसमें जो कर मुक्त, सैल्स टैक्स पैड है उसको इसमें ना जोड़े। दूसरा यह कि जब कोई व्यापारी अपील करता है। उसमें स्टे का प्रोवीजन हैं उस स्टे के प्रोवीजन को आपने उस प्रकार खतम कर दिया और यह तय कर दिया कि जितना टैक्स उसको देना है, पहले वह 20 परसेन्ट पे करके अपील करता था और अपील में उसको स्टे मिलता था। आपने यह कर दिया कि अब 40 परसेन्ट देगा और अपील अगर 6 महीने में तय नहीं होगी तो स्टे होगा 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जावेगा। एम आई क्लियर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is from 40 percent. By amendment it has been reduced to 15 percent.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : That is different matter. अगर वह अपील 6 महीने में तय नहीं होती है तो स्टे अपने आप खारिज हो जावेगा। जो स्टे दिया जाता है, अपील का निर्णय तो कौन करेगा, अधिकारी करेगा और 6 महीने में यदि निर्णय नहीं होगा तो स्टे आटोमेटिकली खतम हो जावेगा। यह आपने स्टे का प्रावधान खतम कर दिया और अमाउण्ट भी बढ़ा दिया। यह दोनों ठीक नहीं है।

अण्डर बिलिंग का भी प्रोवीजन रखा आपने। अण्डर बिलिंग का मामला रोज आता है। जो व्यापारी माल बेचता हैं और ट्रान्सपोर्टर से उसको लाकर खरीददार को देता है तो वह बिल माल बेचने वाला बनाता है। खरीदने वाले व्यापारी का उस बिल बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। बेचने वाला व्यापारी अगर अण्डर बिलिंग करता हैं और ट्रान्सपोर्टर उसको लेता है तो जो खरीदने वाला व्यापारी है उस पर दंड किस बात का लगाते हैं आप। मेरा सुझाव यह है कि जब ट्रांसपोर्टर बिल लाता है तो क्या अण्डर बिलिंग की जिम्मेदारी उसकी हो सकती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माल मैं मंगवाऊंगा। ट्रान्सपोर्टर की जिम्मेदारी है भंवरलालजी। माल मैं मंगवाऊंगा दिल्ली से और ट्रान्सपोर्टर की जिम्मेदारी है। कमाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जी हां, है जिम्मेदारी उसकी। कानूनी जिम्मेदारी है उसकी भी हो सकती क्या? आपने माल मंगवाया आगरा से वहां बिल बनाने वाला कौन है, बिल कौन बनाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रुपया तो मैंने दिया। जिम्मेदारी तो मेरी हैं। I have paid the money. It is not the duty of the transporter. परचेजर की लाइबिलिटी है। परचेजर मैं हूं। मेरे आर्डर के ऊपर माल आया। आप उम्मीद करेंगे ट्रान्सपोर्टर उससे बिल लेकर आएगा। यह कहां सम्भव होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यवहारिक बात करिये। यहां जो दुकानदार माल खरीदता है। उधार भी खरीदता है। अण्डर बिलिंग उसने कहां किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उधार का भी, उधार का भी देखते हैं। आउटस्टेण्डिंग निकाल कर देखते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिल बनाता कौन है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बेचने वाला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कलकत्ता में रहता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बिल नहीं आएगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसने अण्डर बिलिंग मेरे कहने से तो बनाया नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सौदे होते हैं। सब कीमतें लिखी जाती हैं। किसको आप कह रहे हैं यह। सारे सौदे होते हैं। टेलीफोन पर होते हैं। चिट्ठी पत्रियों के जरिये होते हैं। आज आप समझ रहे हैं कोई इतना भोला रह गया है कि बिना सौदा हुए माल वहां से रवाना हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी समझ बहुत ज्यादा हैं। मैं चुनौती नहीं देता कैसे अण्डर बिलिंग होता हैं। उस पर तो एक्सपर्ट आदमी अपनी ओपीनियन दे सकता हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसी का तो लाभ उठाया है यहां सरकार ने।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर अण्डर बिलिंग अगर हो भी गया तो आपका जो अधिकारी है वह उसकी प्राइज तय करता है कि नहीं यह अण्डर बिलिंग है। वास्तव में यह है।

(14.27 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष,पदासीन)

(श्री भवंरलाल शर्मा)

तो मनमाने ढंग से तय कर देता है। मेरा सुझाव यह है कि अण्डर बिलिंग जब होता है तो उस वस्तु को आप नीलाम करते हो, बाजार में नीलाम करते हैं आप उसको। तो शर्त यह लगा दीजिए कि जो वेल्यू आपने असेस की है उससे कम कीमत में नीलाम नहीं होना चाहिए। यदि उससे कम कीमत मिलती हैं, आपके निर्धारित मूल्य से तो व्यापारी का कसूर कहां हो गया फिर। आप 100 की चीज को 150 की मान रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे आपका अनुभव क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बदकिस्मती से बहुत छोटी उम्र में राजनीति में आ गया इसका अनुभव उठा ही नहीं पाया मैं भैरोंसिंह जी। बड़ी बदकिस्मती रही मेरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पुराने बहीखाते देख लो घर वालों के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां से छुट्टी होगी थोड़े दिनों में तो पुराने बहीखाते ही देखूंगा जाकर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी तो तीन साल रखे हैं छुट्टी में, हो जायेंगी पर अभी समय लगेगा थोड़ा।

मेरा निवेदन यह है कि आपने एक इन्सपेक्टर या अधिकारी को यह अधिकार दे दिया कि वह इसको असेस करें कि वैल्यू कम है इसकी। वह करता है इस काम को करे भले ही वह लेकिन यदि आप उसको नीलाम करते हो तो नीलाम करने के बाद जो कीमत आपने असेस की है उससे कम में नीलाम नहीं होना चाहिए और यदि उतनी बोली नहीं आती है और जितनी व्यापारी ने रेट लगाई है वही मिलती है तो अण्डर बिलिंग कैसे हुआ यह ? तो आपने इस करप्शन को बढ़ाने के लिए उस अधिकारी को पूरी ताकत दे दी कि मर्जी आये जिसको अण्डर बिलिंग कर दें और चाहे जिसकी उससे पूरी कीमत तय कर दे वह यदि उससे कम पर बिकती है तो Officer will be liable for it. (व्यवधान) जैसे आपने एक प्रतिबंध लगा दिया है यदि कोई माल खरीदेगा तो माल बेचने वाले को यह लिखना पड़ेगा कि वह माल कहां से लाया, किससे खरीदा, किस रेट पर खरीदा। अगर किसी आदमी ने 20 आइटम खरीदे....

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो अमेंड कर दिया। गौर से देखियेगा It has already been amended.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या अमेंड किया है उसमें.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : समाप्त कर दिया इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह हटा दिया क्या आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे लगा आपका रात–दिन, आप मेरे अध्ययन में लगे हुये थे, आपने देखा नहीं इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : श्रीमान्, आपने जो अमेंडमेंट दिया है वह कल रात ही भेजा है। पहले भेजना चाहिये था। सर्कुलेट भी नहीं किया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा अब मान लो ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मान लो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए सर्कुलेट न करने पर हमने इसमें आपत्ति नहीं करी उसमें धन्यवाद दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ी कृपा है आपकी।

श्री महेश जोशी : आपका दर्द यही है कि आपकी बिना आपत्ति करें इसको हटा दिया। परेशानी तो यही है आपकी सुनने से पहले ही मान लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, तो अच्छी बात है इसे हटा दिया। मुझे कहां आपत्ति है। पहले ही मान लिया तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं। संशोधन हमको समय पर मिला नहीं इसलिए वह रह गया इसके अन्दर और वाकई में ठीक है। यही मेरे सुझाव थे। इसमें आपने जो स्टे का प्रावधान किया है ना कि 6 महीने तक यदि अपील के अधिकारी ने अपील को तय नहीं किया तो स्टे अपने आप वेकेट हो जावेगा। यह तो बड़ा अजीब हो जावेगा। यह जो प्रोविजन लाये हो इसमें तो अमेंडमेंट नहीं किया कोई......

श्री प्रद्युम्न सिंह : वैसे मैं जब जवाब देता कह देते देखिये यह ईमानदारी की बात है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टे के नाम के ऊपर सालों केस पड़े रहते हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : और उसके अन्दर सब्सटेंशियल अमाउंट बहुत बड़ा करोड़ों रुपयों के अंदर सौ–सौ, डेढ़–डेढ़ सौ करोड़ रुपये का अमांउट गवर्नमेंट का ब्लाक रहता है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रुकी रहती है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Because of the slackness of your Officers.

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया सुन लें आप मेरी बात। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। अब हमने प्रावधान किया है कि 6 महीने के अन्दर इस पीरियड में आपको डिस्पोजल और इसके लिये मैं एडमिनिस्ट्रेटर की राय कैसे मान लूं, एक्शन और लेंगे। वह आफिसर जो फेल होंगे कि इसके अंदर,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अभी जो हायर कोर्ट से ले आया, वह बात तो दूसरी है कि जो हायर कोर्ट से जाकर ले आया हायर कोर्ट से या टैक्स बोर्ड से ले आया अगर उसके अंदर प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे उसके खिलाफ। अगर नयी अदालतें हमको नये अपीलेट कोर्ट खोलने पड़े दो, चार तो वह भी खोलेंगे। टाइम बाउंड देंगे। अगर उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तो ए. सी.आर. में क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी जानते हैं। आज स्टे के नाम के ऊपर सरकार का बहुत बड़ा जो धन हैं, चाहे वह हाई कोर्ट का स्टे हैं। चाहे टैक्स बोर्ड का स्टे हैं। चाहे हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के स्टे हैं, बहुत बड़ी संख्या के अन्दर अदालतों के आदेश के चक्कर में आज बहुत बड़ी रकमें सरकार की स्टे के तहत फंसी पड़ी हुई हैं। उसका बरसों–बरसों फैसले नहीं होते हैं इस दुरुपयोग को रोकने के लिये यह प्रावधान इसके अन्दर डाला गया। मूल मकसद इसका यह हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी चिंता से तो......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जानते हैं कि दुरुपयोग दो तरह से होता हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां बिलकुल। व्यापारी भी करता हैं और अधिकारी भी करते हैं। यह बिलकुल आप सही है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकारी भी करते हैं। आपने व्यापारी के लिये तो सख्ती की व्यवस्था की है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके लिये भी हम कर रहे हैं। वह प्रशासनिक स्तर पर करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह देखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक मेरी जानकारी है कि आपके जितने यहां अपील होती हैं वह 50 से ज्यादा केसेज डिस्पोज आफ नहीं करते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठें तो मैं यह निवेदन करूं। इस सारे मामले को जब यह आया है इसको पूरा मैं रिव्यू कर रहा हूं and I will take appropriate action.कि इसका दुरुपयोग अधिकारी स्तर के ऊपर इसको किस प्रकार से रोका जाये, और निश्चित रूप से इसको रोकेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यह प्रावधान करिये और अधिकारी पर समय की पाबंदी लगा दीजिये कि जब अपील पेश होती हैं तो उसके 6 महीने में वह डिस्पोजल करे उसका। यह तो नहीं किया। 6 महीने तक अगर डिस्पोजल नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करे। तो वह स्टे अपने आप खारिज हो जायेगा, यह प्रावधान किया हैं विदाउट एनी फाल्ट आफ दी असेसी। इसमें असेसी क्या कर सकता है असेसी तो अपील ही करेगा। अपील के बाद जब भी तारीख आयेगी इसमें एवीडेंस तो कोई होती नहीं, कागजात तो कोई पेश होते नहीं, केवल नीचे की जो फाइल पर ही निर्णय होता हैं और अपील अधिकारी को ऐसे कोई लम्बे चौड़े कागज भी नहीं देखने होते हैं। फिर भी आपका अपीलीय अधिकारी यह निर्णय नहीं करे और 6 महीने निकल जायें तो स्टे आटोमेटिकली वेकेट हो जायेगा। यह तो एक अजीब ही कानून बना दिया। इसलिये मेरा निवेदन हैं कि आपकी जो रियलाइजेशन की कमी है उसको पूरा करने के लिये बजाय आप असेसी को दंडित कर रहे हैं, अपने अधिकारी पर पाबंदी लगाइये कि विदिन सिक्स मंथस या एक साल का समय दे दीजिये। विदिन सिक्स मंथस और वन ईयर। वह डिस्पोज आफ करेगा ही करेगा। आपने ऐसा नहीं करके उल्टा कर दिया जैसे प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि आपने व्यापरी को तो प्रताड़ित कर दिया लेकिन अधिकारी नहीं निर्णय करेगा उसका क्या होगा। इसलिये मेरा आपको सुझाव यह था कि इसमें आप यह अमेंडमेंट करें कि अधिकारी निर्धारित समय में ही अपील का निर्णय कर दे। यदि नहीं करे तो डिफाल्टर असेसी को नहीं होना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय, यह आप जानकारी कर लीजिये कि जो माल बाहर से आता है उसमें जो बिलिंग होता है क्या उसमें ट्रांसपोर्टर की भी जिम्मेदारी है। आप पता कर लीजिये कि ट्रांसपोर्टर भी यदि कम बिल लाता हैं, अंडर बिलिंग करता है तो If he is also responsible. ऐसा प्रावधान है क्या ? यदि है तो आप उसको दंडित करिये। व्यापारी यहां बैठा है और माल बाहर से आ रहा है, बिल बेचने वाला बनायेगा, जिम्मेदारी खरीददार की होगी। आप कानून बना रहे हों। सैल्स टैक्स एक्ट में आप पूछ लें अधिकारियों से कि क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि ट्रासंपोर्टर भी यदि अंडर बिलिंग लाता है तो He may be liable.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यापारी कहीं से भी खरीदता है और अगर वह कानून में कहीं व्यवस्था हो सकती है कि ट्रांसपोर्टर पर भी इसकी जिम्मेदारी डाली जा सकती है तो वह ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप खरीददार पर डालो। यह कानून देख लीजिये। Shri Shantiji, you will share with me कि अगर ट्रांसपोर्टर पर जिम्मेदारी कानून में है तो अंडर बिलिंग माल न लावे।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : ट्रांसपोर्टर कोई सर्वे थोड़े ही करता है कि अंडर बिलिंग है या ओवर बिलिंग है इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने इसलिये निवेदन किया कि अगर कानून

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में आलरेडी व्यवस्था है तो यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की भी है। अगर कानून में ट्रांसपोर्टर की भी, जिम्मेदारी है और खरीददार की भी है, दोनों की जिम्मेदारी अगर है कानून में, तो दोनों के बजाय एक पर जिम्मेदारी डाल दीजिये ताकि वह अपने आप ध्यान करेगा और वरना खरीददार यहां बैठा, बिल बाहर से कटकर आता है। वह अंडर बिलिंग का कहां से वह जवाबदार होगा। यह कुछ मेरे सुझाव हैं इन पर आप विचार करिये और इनको जिस तरीके से हो सके अमेंड करिये ताकि इसकी व्यवस्था ठीक हो सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, तृतीय वाचन के समय मैं सिर्फ दो–तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्षजी, हमने मोटरयान कराध ान अधिनियम, 1951 संशोधित करने के प्रावधान रखे हैं। अभी तक सदन के सामने यह रखा गया नहीं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन जिस व्हीकल का होता है उस पर हमारे यहां प्रावधान है कि दस साल का टैक्स एक साथ जमा कराने के बाद वह जिंदगी भर के लिये व्हीकल टैक्स फ्री हो जाती है। अब जो प्रावधान माननीय मंत्री महोदय रख रहे हैं कि एवरी ट्रांसफर यदि मैंने व्हीकल खरीदी नयी और उस पर एक बार भी सब मैंने टैक्स दे दिया और मैंने उसको दूसरे व्यक्ति को दो साल बाद में, तीन साल बाद में, बारह महीने में बेच दी तो उस पर भी उतना ही टैक्स और लगेगा। उसने तीसरे को बेच दी। आप जानते हैं जो हमारे यहां गाड़ियों की व्यवस्था है, हर गाड़ी कम से कम दस बार, पांच बार ट्रासंफर होती रहती है इसलिये माननीय मंत्री महोदय, यह इतना बड़ा प्रहार आपने इस मोटर मालिकों पर करने की चेष्टा की है, यह मेरे खयाल से उचित नहीं होगा। और एक बारगी टैक्स का हमने यह प्रावधान कर दिया था। लोगों ने जब टैन टाइम्स उसका देते और अपने आपको फ्री मान लिया था अब आप उसको बराबर बार–बार प्रताड़ित करने की चेष्टा करते हो इसलिये इसमें सोचने की चेष्टा कीजिये माननीय वित्त मंत्रीजी, और यह बहुत ही हार्डशिप हो जाएगी।

दूसरा माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जब टैक्सेज इम्पोज किये और रिलेक्सेशन किया उस वक्त खल को टैक्स फ्री करने की चेष्टा आपने की और आपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सभी प्रकार की खल, क्योंकि यह पशु आहार के काम में आती है इसलिये इसको मै टैक्स फ्री करता हूं। जो नोटिफिकेशन आपका निकला है माननीय मंत्री महोदय, इसमें थोड़ी गलतफहमी है और वह गलतफहमी इस हद तक जा सकती है कि आपके अधिकारी और सैल्स टैक्स के अधिकारी हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। आपने आइटम नम्बर 67 पर किया है कि खली एवं तेल रहित खली पर

(श्री शिवनाथ सिंह)

चार परसेन्ट टैक्स लिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है दिनांक 30 मार्च, 2000 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन हैं, खली एवं तेल रहित खली, बिनोले की खली और तैल रहित खली को सम्मिलित करते हुए विक्रय को इस शर्त पर इसके द्वारा कर से छूट देती हैं कि इसका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राइडर आपने लगाया है कि इसका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जा रहा है, इसको कौन साबित करेगा ? इसका क्या प्रावधान आप रखेंगे ? मैं चाहता हूं कि जो भी री–प्रोसेसिंग में खल जाये उस पर टैक्स निश्चित रूप से लगे लेकिन जो शुद्ध रूप से पशु आहार में जाती हैं उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये और आपकी जो एसेसिंग अथारिटी हैं, जो वहां सैल्स टैक्स वसूल करने वाले हैं वह यह एसेस कर देंगे कि इसका उपयोग तो खल में या पशु आहार में नहीं हो रहा हैं और व्यापारी ने आपके विश्वास में आकर यह कह दिया कि आपकी यह खल है वह टैक्स रहित होगी क्योंकि पशु आहार में जा रही हैं और साल भर बाद में उसके ऊपर एसेसमेंट किया गया और आपके अधिकारियों ने यह एसेस कर दिया कि यह खल तो पशु आहार में नहीं गयी है। दूसरे काम में गयी है यह बहुत बड़ी हार्डशिप होगी।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी मंशा स्पष्ट है, आप चाहते हैं कि जो पशु आहार में काम में आवे वह खल टैक्स रहित हो लेकिन यह जो लाइन आपने डाल दी हैं, यह इन्नोसेंटली डाली गयी हैं यह भी मानता हूं। लेकिन इसको सुधारिये और खल को, खासतौर से जो बिनौले की खल हैं वह कहीं भी री–प्रोसेसिंग में नहीं जाती हैं इसलिए इस लाइन को सुधारकर और व्यापारी को निश्चित कीजिये कि किस पर टैक्स लगेगा और किस पर नहीं लगेगा और इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार व्यापारी को होना चाहिये कि यह उसकी खल पशु आहार में जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह हैं कि हमारे यहां कृषि ऊपज मंडी सेस हैं, दो आइटम ऐसे हैं जिसमें कहीं भी कृषि ऊपज का सम्बन्ध नहीं है, एक चीनी और एक देशी घी, यह दोनों आइटम ऐसे हैं जिनका किसी भी रूप में कृषि पैदावार से सम्बन्ध नहीं हैं। कृषि उपज मंडी सेस और कृषि ऊपज मंडी हमने इसलिए स्थापित की थी कि काश्तकारों को राहत मिलें, उनकी लूट नहीं हो और उससे जो टैक्स लिया जाता हैं उससे मंडियों का विकास हो लेकिन उसमें शर्त यह है कि कृषि पैदावार से संबंधित और खासतौर से कृषि द्वारा पैदा हुए आइटम पर ही आप टैक्स लेते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम यह नहीं कर सकते हैं तो फिर उस आदमी के ऊपर आप कैसे छोड़ते है कि वह मार्केट वैल्यू के आधार पर कैसे एसेसमेंट करके आपको सुपुर्द करेगा। इस दृष्टि से आप निश्चित रूप से, मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप यह लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के चक्कर में मत पड़िये। इससे आपको एक कौड़ी की आमदनी नहीं होती है जितना कमाते हो उतना स्टाफ में खर्च हो जाता है। फिर यह तलवार लटकाने की जरूरत नहीं हैं। इसका कोई दूसरा रास्ता निकालियें और जिन लोगों के पास वास्तव में बहुत बड़ी संपत्ति हैं शहर में उन लोगों से जरूर आमदनी करनी चाहिये और छोटे–छोटे गरीब व्यक्तियों को इससे मुक्त करना चाहिये। यह अनावश्यक तलवार लटकाने का काम आप लोग कर रहे हैं।

मेरा एक और सुझाव है यह जो आपका मोटर वाहन एक्ट है, इसमें आपकी आमदनी के बहुत सोर्स हैं। जितना पैसा हम मोटर वाहन एक्ट के माध्यम से करना चाहते हैं आप जानते है, हम जानते हैं। हम सब लोग रोज देखते हैं कि अवैध वाहनों का बड़ा जबरदस्त प्रचलन है। इन अवैध वाहनों के प्रचलन को लीगलाइज करिये। इन अवैध वाहनों से हटाइये। ताकि जो वाहन चला रहा है उसको भी अपने आप में संतोष रहे और सरकार को भी आमदनी का साधन बने। उस दृष्टि से आप कोई भी कानून अगर इसमें तरमीम करना चाहते हैं तो उसमें जोड़िये। क्योंकि आज की तारीख में कोई तहसील हैडक्वार्टर नहीं है, जहां 50–50, 100–100 जीपों पर 35–35 सवारियां भरकर के लटकती हुई, एक तरफ से कोई इधर लटक रहा है, वह जाते हैं। इसको आप कानून का रूप दीजिए, सरकार को जितनी आमदनी हो सकती है, वह लेने की कोशिश कीजिए। जितनी वीडियो कोचेज चलती हैं, आपने टैम्परारी परमिट उनको दे रखा है, हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बाद भी हम उन पर हाथ नहीं डालते, हम इसको कानून का जामा दें, जिसके कारण से जो भी उसका आनर हैं, वह भी संतुष्ट रहे और हमको भी उसमें से आमदनी मिले। इसके लिए आप कोई न कोई जैसा इसमें आपने किया है, इसमें उसी प्रकार से लाइये। अब आपने अपनी तरफ से कर दिया, कि हमारे स्टेट से गुजरेगा, हम यह करेंगे। दुर्भाग्य से आप और हम लोग जाते हैं। आजकल सभी स्टेट्स ने अपनी बाउण्ड्री में जैसे ही घुसता है व्हीकल, उस पर टैक्स लगा है, वह इतना हैवी टैक्स है कि सामान्यतः आदमी जाने से पहले चार बार सोचेगा कि पार करें या न करें। हरियाणा पार करके उत्तर प्रदेश जाना है तो तीन स्टेट आ जाते हैं, हरियाणा आ जाता हैं, दिल्ली आ जाता हैं, फिर उत्तर प्रदेश का बार्डर आ जाता है। उस पर इतना टैक्स लगता है कि वह गाड़ी को वहीं छोड़ जाता है, उसके कारण से प्राइवेट नम्बर की जितनी टैक्सी गाड़ियो हैं, उनका टैक्सी के रूप में उपयोग हो रहा हैं। प्राइवेट नम्बर पर टैक्स नहीं लगता है। आप चला करके किसी को चोरी सिखने का काम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं करें। दूसरे राज्यों के साथ भी जब आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो उनके साथ बैठकर विचार करें, इसमें भी समानता लाने की कोशिश करें। आपने अपनी तरफ से कह दिया कि दो सौ रुपये प्रति सीट के हिसाब से लेंगे, आपने लास्ट लिमिट दो सौ रुपये रखी है। इसी तरह से आपने एक हजार किलो पर 250 रुपये तक की सीमा रख दी, इतना वजन जाएगा तो हम उस पर 250 रुपये तक लगा सकेंगे। अब 250 रुपये और एक हजार किलोग्राम है, उसमें 50 लाख का माल भी जा रहा है, एक ऐसी चीज हैं जिसमें पांच लाख का माल है और एक हजार किलो वजन आ जाता है, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस क्राइटेरिया को भी बिलकुल एनेलाइज करके इसको ठीक प्रकार से करिये, उसके वजन और उसकी कीमत, दोनों का तालमेल बैठ सके, तब तो आपका टैक्स लगाने का परपज है, वह परपज ठीक होगा अन्यथा यह इसमें से नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्टाम्प के बारे में जो सरकार की सोच है इसको आप थोड़ा व्यवस्थित कीजिए। केवल उदयपुर ट्रेजरी के बारे में बताना चाहता हूं। रजिस्ट्री करवाई 25 हजार का तो स्टाम्प लिया और उस पर एक लाख की टिकट चिपका दी। उन कलाकारों ने क्या काम किया कि उसका एक लाख का टिकट निकाल लिया, निकालते चले गए। लास्ट में जाकर जब वह व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री कराई, वापस जरूरत पड़ी तो रजिस्ट्री को देखा, उसने देखा कि आरिजनल स्टाम्प सवा लाख का लगाया उसकी जगह 25 हजार का स्टाम्प तो लगा हुआ है उस पर एक लाख का टिकट चिपकाया था, वह गायब है। इस तरह जो कमियां, खामियां निकालते हैं, यह टिकट वाला मामला है, उसके कारण से आप इसको और थोड़ा परफैक्ट करिए, इसके कारण बहुत अधिक चोरियां होती है। बहुत ज्यादा मिल करके जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाइए जिसके कारण से यह जो जब टिकट लगाकर उसको फिर से उखाड़कर दूसरी बार प्रयोग करने का काम ट्रेजरी और मिला हुआ स्टाफ करता है, उस स्टाफ को पाबन्द करिए। यह तो केवल उदयपुर की घटना खुल गई, मेरा ऐसा मानना है कि ये कलाकार सब जगह पैदा हो गए और इस कलाकारी से, तरकीब से अपना इतना काम करते हैं कि हमारा पैसा हमको खाए चले जा रहे हैं और हमको पता भी नहीं लगने दे रहे हैं और वापस वही टिकट बेचकर दूसरे की रजिस्ट्री पर चिपका रहे हैं। इस कारण से कम पैसों के आधार पर जिस प्रकार का लेन-देन कर रहे हैं, इसको कण्ट्रोल करने के लिए भी आपको उपाय निकालना चाहिए। इसमें बहुत अधिक गुंजाइश निकल सकती है। हमारे पास कई ऐसे तरीके हैं, इन तरीकों से बहुत अधिक आमदनी हो सकती है। यदि हमारे मन में इस बात का संकल्प हो, इस बात का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निश्चय हो कि जिसकी पे करने की शक्ति है, उससे हम जरूर वसूल करें लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना बात कानून के दायरे में लाकर परेशान करने का काम हम करते हैं, वह इसमें न करें। विशेषकर के मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह भूमि और भवन कर की जो भी बात इसमें लाए हैं यह राजस्थान की जनता को त्राहि–त्राहि करा देगा। दो–तीन साल बाद जब अपन मिलेंगे, फिर कभी बजट पर अपना भाषण होगा, इसके रिजल्ट तब आप देखेंगे तो आप स्वयं मानेंगे कि हमने क्या सोच करके कानून में परिवर्तन किया, यह सैल्फ असेसमेंट और मार्केट वेल्यू के कारण से लोगों के गले में इतनी भयंकर समस्या फंसेगी जिसका हल हमको दूसरा कोई अमेंडमेंट लाकर करना पड़ेगा। हम ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जिसके कारण से हमको कानून बदलने की स्थिति में जाना पड़े। हम पहले तो यह सोचें कि हमको कितनी आमदनी की जरूरत है, कितने रुपयों की जरूरत है। हम टैक्स पर टैक्स तो लगाते चले जा रहे हैं लेकिन यह टैक्स कामन मैन को लगा दिया, यह टैक्स क्या मालिक देगा? वह उसी जनता से वसूल करेगा जिसका काम पड़ेगा, यह टैक्स का तरीका है, कामन मैन से वसूल करने के लिए तो आप अपने इस घाटे की पूर्ति करने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं, यह वास्तव में टैक्स लगाने का तरीका नहीं है। टैक्स लगाने का तरीका है जिसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब में से कैसे निकाला जाए, इस बारे में आपने व्यापारियों पर टर्न ओवर टैक्स लगा दिया। अब इस टर्न ओवर टैक्स से, किसके पास से जाएगा? कंजूमर के पास से जाएगा, इससे लाभ क्या मिलेगा? आपको तो किसी भी तरह से पैसा मिलना चाहिए। थोड़े दिन बाद तो आप एक–एक आदमी पर टैक्स लगा देंगे। एक घर में 10 आदमी हैं, इतना टैक्स दें, क्योंकि आपको तो गणित का हिसाब आता है, आपको यह हिसाब तो नहीं आता है कि वे 10 आदमी घर में रहते हैं लेकिन रोटी खाने का भी बराबर उनके पास पैसा नहीं है, आप 10 से वसूल करेंगे। अगर एक घर में दो ही आदमी रह रहे हैं लेकिन अरबों रुपयों की कमाई करके जमा कर रखे हैं, उनसे निकाला जाए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए उन लोगों से पैसा निकाल करके, जिन लोगों के पास बहुत अधिक, एक्सेस मनी है, उनसे वसूल कैसे करें। हम सरकार चलाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उन पर प्रहार होना चाहिए लेकिन कामन मैन को हमें इससे बचाना चाहिए। लेकिन घूम फिरकर जब कभी भी हम इस टैक्स पर आते हैं तो बिलकुल छोटे से छोटा आदमी है उस पर टैक्स वसूल करने की गणित लगाकर उसमें से 20 करोड़, 8 करोड़ या 3 करोड़। यह कोई पैसा है 8 करोड़, सरकार के लिए 3 करोड़ कोई पैसा है? 3 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए आप कानून की मदद लेना चाहते हैं। एक छापा ऐसा मारो जिससे एक हजार करोड़ रुपये निकले, इससे हमारी समस्या का भी समाधान होगा। आपको हंसी जरूर आ रही है लेकिन मैं बिलकुल आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ठीक तरह से कह रहा हूं कि जिन लोगों के पास में बहुत अधिक एक्सेस मनी है, जिनको पैसों के कारण से अपच हो रहा है, जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों पर हम कैसे टैक्स लादें और उनसे पैसे वसूल करके गरीब आदमी की कैसे मदद करें, यह हमारा सोच होगा तो इसमें से कुछ चीज निकलेगी, बाकी यह केवल खानापूर्ति रह जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्रीजी जब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे थे, उनसे प्रश्न किया गया कि राजस्थान में औद्योगीकरण क्यों नही हो रहा है तो उसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश में इस समय मंदी का वातावरण बना हुआ है। औद्योगीकरण के सम्बन्ध में मंदी की आड़ ले ली लेकिन क्या यह टैक्स लगाते वक्त आपने इस पर विचार नहीं किया कि इस मंदी के वातावरण में यदि हमने किसी प्रकार की सख्ती की तो उस सख्ती के परिणाम क्या होंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में इस कर व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा है कि कर का कानून सरल हो और इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें लोग कर की चोरी न करें और जो भी कर की देनदारी है उसका समय पर और ईमानदारी से भुगतान कर दें। इस सम्बन्ध में जितनी भी आर्थिक क्षेत्र में जांच हुई है, उन जांचों का एक ही परिणाम निकला है कि कर की व्यवस्था जितनी सरल होगी उतना ही लोग ईमानदार बनेंगे, ईमानदारी से कर चुकाएंगे वरना राज्य के अंदर या देश के अंदर इन्सपेक्टर राज कायम हो जाएगा और उस इन्सपेक्टर राज से सरकार को लाभ नहीं होगा, व्यापारी को भी लाभ नहीं होगा लेकिन वह पैसा और कहीं जाएगा, इसको रोकने के लिए पिछले 10 वर्षों में इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि कानून सरल बने, व्यवस्था सरल हो और इन्सपेक्टर राज खतम किया जाए। वित्त मंत्रीजी, आप नाराज न हो, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने वापस राजस्थान में इन्सपेक्टर राज कायम करने की व्यवस्था की है। आपने अभी कानून में संशोधन किया है, उन सारे संशोधनों में जितना डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का जितना ऐलीमेंट है, उस एलीमेंट के कारण से आप विश्वास रखा कर चलिए, इन्सपेक्टर राज निश्चित रूप से कायम होगा। जैसी आपने अभी अण्डर बिलिंग की बात की, अण्डर बिलिंग होगी और आपने अपना असेसमेंट ज्यादा किया, माल उतना नहीं है और उस माल को आपने नीलाम करने की व्यवस्था की। माल का जितना आपने असेसमेंट किया है, नीलामी में उतना पैसा नहीं मिला। तो दोनों में से किसी एक जगह भूल हुई है। या तो भूल हुई है ज्यादा असेसमेंट किया वरना असेसमेंट करने का काम कि कितना टैक्स लगाना चाहिए और उस टैक्स के अगेंस्ट किया उतनी नीलामी से इनकम नहीं हो तो आपका असेसमेंट तो गलत हो गया, लेकिन भुगतान टैक्स–पेयर को करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहुंगा आप टैक्स लगायें, लेकिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि टैक्स बिलकुल स्पष्ट रूप से सरल भाषा में किस आदमी को कितना टैक्स देना है, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए।

(15.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 1989–90 में बिक्री कर की आय 592 करोड़ रुपये थी, कुल 592 करोड़ रुपये बिक्री कर की आय थी। 1988–89 में यह 2058 करोड़ हुई और इस बीच में 12 से लेकर 18 प्रतिशत हर वर्ष में बिक्रीकर की आय बढ़ी है। आपको सुनकर खुशी होगी कि इतने वर्षों में इस पीरियड के अंदर 1300 करोड़ रुपये बिक्री कर के अंदर छूट दी गई। उस छूट का परिणाम यह निकला कि 592 करोड़ से बढ़कर 1998–99 में 2058 करोड़ रुपये की इनकम हुई है। अब ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि जब टैक्स जमा कराने का तरीका सरल हो और कर की परिभाषा सरल हो और उसमें किसी प्रकार का इंस्पेक्टर का एलिमेंट किसी तरह से शामिल न हो तो कोई आदमी छोटी–सी चीज के लिए बेइमान होना नहीं चाहेगा। जितना कर आज ज्यादा लगाएंगे और कर वसूली में जिस प्रकार का इंस्पेक्टर का दखल होगा आप यह मानकर चलिए कि ईमानदार आदमी में भी चोरी करने की प्रवृत्ति आएगी। यह सख्ती से प्रवृत्ति नहीं रुकेगी, यह सरल तरीके से उसकी प्रवृत्ति रुकेगी। अब 1999–2000 में आपको 2,550 करोड़ रुपये की एस्टिमेटेड इनकम इस[illegible] हुई है, लेकिन यह एस्टीमेटेड इनकम कि[illegible] तरह से हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सा[illegible] हिन्दुस्तान में कर समानीकारण की बा[illegible] कही है कि करों का समानीकरण कि[illegible] जाए। उस कमेटी में मैं भी लगातार पां[illegible] वर्ष तक रहा हूं और यह कमेटी कि[illegible] आधार पर बनी थी, हम सब लोगों ने मां[illegible] की कि दिल्ली में और इस प्रकार के राज्[illegible] में कर बहुत कम है इसलिए पंजाब है, उत्त[illegible] प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यू. पी[illegible] है, सबका व्यापार दिल्ली के अन्द[illegible] कंसंस्ट्रेट हो गया और अगर इसक[illegible] डिसेंट्रलाइज करना हैं, क्योंकि दिल्ली [illegible] अन्दर आबादी का संकट, दिल्ली में आबोहव[illegible] का भी संकट दिल्ली में यातायात का भ[illegible] संकट, ये मामले कई बार कोर्ट्स में भी ग[illegible] और कोर्ट्स में जाने के बाद एक फार्मूल[illegible] निकला कि सारी दिल्ली का विस्तार इ[illegible] ढंग से किया जाये कि दिल्ली का उद्यो[illegible] और व्यापार राजस्थान में जाये, हरियाणा [illegible] जाये, यूपी. में जाये, सब जगह जाये, लेकि[illegible] उसमें सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि दिल्ल[illegible] राज्य ने सबसे कम टैक्स लगा रखा था आज कोई आदमी गाड़ी में बैठकर दिल्ल[illegible] जाये और सस्ते टैक्स पर, सस्ती कीमत प[illegible] उसको सामान मिले तो यहां ले आएगा इसके कारण से हमको नुकसान हो रहा था इस नुकसान के आधार पर बात चलते–चलत[illegible] टैक्स के समानीकरण की बात आई। इस समानीकरण में एक सिद्धान्त और था कि टैक्स कन्सेसेशंस की जो बार चलती है वह टैक्स कन्सेसेशंस की बार खतम हो और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स कन्सेसेशंस इस आधार पर दिये जाते थे कि आज हिन्दुस्तान में कई राज्यों में कई प्रकार के टैक्स की अलग–अलग व्यवस्थायें हैं लेकिन उस व्यवस्था के आधार पर किसी जगह कोई इण्डस्ट्री लगाना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, तो कोई स्टेट टैक्स में ज्यादा छूट दे दे तो वहां चले जाते हैं। इसलिए टैक्स कन्सेशन की बार खतम की जाये उस दृष्टि से समानीकरण का सिद्धान्त बना था मुझे अफसोस है माननीय वित्त मंत्रीजी आपको कहते हुए कि जब टैक्स समानीकरण की बात आप लोग दिल्ली में स्वीकार करके आये तो वहां आवश्यकता इस बात की थी जो फ्लोर रेट है उसमें समानीकरण होना चाहिए। फ्लोर रेट में समानीकरण होने के लिए आपने, फ्लोर रेट में समानीकरण करने की दृष्टि से रेट जहां कम करनी चाहिए थी वो तो नहीं की, और मैं आपको कह सकता हूं कि 59 आइटम्स पर बिक्री कर के तहत आपने कर बढ़ाया समानीकरण के नाम पर। यह कहीं समानीकरण नहीं है। यह टैक्स बढ़ाने के पीछे किसी प्रकार का समानीकरण का सिद्धान्त नहीं है इसी तरह से आपने इतना ही नहीं किया, एक जगह टैक्स बढ़ाया और दूसरी जगह आपने जहां आपको कम करना चाहिए था वहां पर टैक्स कम नहीं किया। पांच श्रेणी की वस्तुओं पर, 46 वस्तुओं पर समान बिक्री कर योजना में आपको टैक्स कम करना था, लेकिन एक में नहीं किया और जिसमें बढ़ाना था उन सबमें टैक्स बढ़ा दिया। इसके कारण से आपको जो इस वर्ष की इनकम हुई है वह टैक्स समानीकरण के नाम से लगभग 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय हुई है। इसलिए मैंने आपको आरंभ में कहा था, बीच में आपको दखल करते हुए मैंने कहा था कि टैक्स सिस्टम में जब तक क्लेरिटी नहीं होगी, आज आप नोटिफिकेशन के जरिये टैक्स लगाने का अधिकार ले लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई बार होता भी है आवश्यक भी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जब तक क्लेरिटी नहीं होगी जिस समय बजट पेश किया उस समय आपने यह घोषणा कर दी अपने बजट भाषण में ही अमुक अमुक प्रकार से हम टैक्स लगायेंगे। मैं समझता हूं एक महीने का समय काफी है। और आप खुद जानते हैं, बिक्री कर के सम्बन्ध में काफी माहिर हैं, ऐसी स्थिति में आप आज तक यह तय नहीं कर पाये कि कौन सी वस्तु में हम को कितना टैक्स लगाना है। यह दुर्भाग्य कि बात है और इस प्रकार की बात जब चलती है तो जैसा आपने खुद न भी कहा था, भूल से कह दिया कि फिर बातचीत होगी और बातचीत के आधार पर टैक्स का निर्णय लिया जाएगा। इस बातचीत को अंग्रेजी में बारगेनिंग भी कहते हैं और उस बारगेनिंग की गुंजाइश मैं छोड़ना नहीं चाहता था। कानून में किसी प्रकार की बारगेनिंग की गुंजाइश न हो। जो कुछ आपको टैक्स लगाना है वो इसी समय आप टैक्स लगा दें। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आप टैक्स लगाने में यहां तक पहुंच गये। अभी शिवनाथ सिंहजी बोल रहे थे और शिवनाथ सिंहजी ने कहा मोटर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्हीकल के ऊपर वन टाइम टैक्स देने के बाद यदि डिफरेन्ट जब भी सेल होती है उसके ऊपर और भी टैक्स लगेगा। यह मेरी सरकार ने किया था और मैं समझता हूं आपको याद होगा लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स के बारे में हमने निर्णय लिया था कि एक बार कोई टैक्स दे दे, अब वर्ष का मुझे पता नहीं, 10 वर्ष या 20 वर्ष के लिए तय किया था, 10 वर्ष के लिए मोटर व्हीकल का टैक्स जमा करा दें और 10 वर्ष के लिए लैण्ड एण्ड बिल्डिंग का टैक्स जमा करा दें, आज एक सरकार ने किया और उनसे पैसे ले, जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिये मोटर व्हीकल के नाते जमा करा दिये, लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स के नाते जमा करा दिये आप उनको दुबारा टैक्स लगायेंगे तो किस सरकार की प्रतिष्ठा रहेगी। क्या कोई सरकार का भरोसा करेगा ? सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन कुछ बातें, आप टैक्स रेट बढ़ायें इसकी मुझे चिंता नहीं है लेकिन चिंता इस बात की है कि एक गवर्नमेंट ने पब्लिक को कमिटमेंट दिया कि आप 10 वर्ष के लिए टैक्स जमा करा दो फिर प्रतिवर्ष आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है एक वर्ष के लिए आप लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स जमा करा दो, एक बार दस वर्ष का जमा करा दो फिर आप को बार बार जमा कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप उनको टैक्स करते हो तो चाहे आज आप यह मत समझिये कि मैंने जो निर्णय लिया उस निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। यह बात आगे भी आ सकती है कि आपके निर्णय को भी स्वीकार नहीं करें तो जनता में सरकार की आमतौर से विश्वसनीयता खतम होगी। आप इसके ऊपर विचार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं, यह टैक्स लगाया, आज आपने टर्न ओवर टैक्स लगाया, ऐन्ट्री टैक्स आपने लगाया, सरचार्ज आन सेल्स टैक्स आपने लगाया है। अगर माननीय मंत्री महोदय इसके मूल में जायें। तो ये तीनों चीजें पैदा कहां से हुई ? माननीय सदस्य कई बार चुंगी वापस लगाने और विरोध करने की बात करते हैं लेकिन आप इस चुंगी के मामले में मेरे खयाल से 13 स्टेट्स ने कमीशन नियुक्त किये थे कि चुंगी किस तरह खतम की जाये। 13 स्टेट्स ने किया, लागू कितने में हुआ, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके तीन विकल्प बताये थे। यदि चुंगी खतम की जाये तो टर्न ओवर टैक्स लगाया जाये, चुंगी खतम की जाये तो एंट्री टैक्स लगाया जाये और चुंगी खतम की जाये तो सरचार्ज आन सेल्स टैक्स लगाया जाये। आप विचार कर लें, राजस्थान में हमने चुंगी खतम की एक चुंगी खतम तो आपके हिसाब से 176 करोड़ रूपये की इनकम हुई। जहां 225 करोड़ रूपये की इनकम होनी चाहिये थी, 176 करोड़ रूपये इनकम तो केवल आपको सरचार्ज से हुई है। केवल सरचार्ज से हुई है और काहे से हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कहें तो मैं बीच में इंटरवीन कर लूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर लीजिए, मुझे भी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको थोड़ा–सा आराम चाहिए, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरचार्ज से आप 176 करोड़ रुपये कह रहे हैं, सरचार्ज से 176 करोड़ नहीं आ रहा। रफली सरचार्ज से 12.5 पर्सेन्ट था, बाद में पिछली साल उसको 15 पर्सेन्ट किया, रफली अबाउट 140 करोड़। 140 करोड़ के करीब हैं। 176 करोड़ रुपये जो आप कह रहे हैं चुंगी समाप्त करने के पेटे, इनिसियल स्टेज में आ रहा था उनको 300 करोड़ रुपया। और उसके ऊपर भी 10 परसेंट इंक्रीज की बात थी तो यह काफी बड़ा भार राजस्थान पर, खैर, एक फैसला हो गया था। सारे देश के अन्दर फैसला हुआ लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय इस चुंगी के मामले में दूसरी थी। मैं एल. एस. जी. डी. मिनिस्टर था लेकिन पार्टी और सबके आगे, सबका निर्णय वह मुझे स्वीकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं जो 176 करोड़ की बात कह रहा हूं, यह आप ही के आंकलन के आधार पर कह रहा हूं। आप चाहे इसको 140 करोड़ रुपये मानें, चाहे 160 करोड़ रुपये मानें, जिस समय आपने सरचार्ज लगाया था जिस समय यह सरचार्ज की बात आयी, अनुमान शायद कम था लेकिन जब वसूली शुरू हुई, और उसके बाद मैंने कई बार वित्त मंत्रीजी के और हमारी सरकारी पत्रावलियों में देखा है कि लगभग 175–176 करोड़ रुपये की इनकम हुई। मैं यह मानता हूं जिस समय सरचार्ज लगाया था वह शायद साढ़े 12 परसेंट था उसको बढ़ाकर आपने 15 परसेंट किया। उससे इनकम बढ़ी है। इस इनकम बढ़ाने की मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं लेकिन साढ़े 12 परसेंट से आपने 15 परसेंट तक का सरचार्ज बढ़ा दिया, उसे बढ़ाने के कारण से निश्चित रूप से आय होगी। लेकिन यह मानकर चलिये कि जब आपने टर्न ओवर टैक्स और एंट्री टैक्स, इन दोनों को और लगाते है तो फिर आपको यह विचार करना पड़ेगा कि पुराने एस्टिमेट्स, और यह एस्टिमेट्स मेरे नहीं हैं, यह मथुरा दासजी माथुर की एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि आक्ट्राय खत्म होनी चाहिए और उस आक्ट्राय के उन्होंने तीन विकल्प दिये और यही विकल्प जो मैं बता रहा हूं कि टर्न ओवर टैक्स या तो इससे लग सकता हैं या एंट्री टैक्स भी हो सकता हैं या सैल्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज हो सकता हैं। तीनों की अलग अलग आमदनी आंकी गयी है कि इससे इतनी आमदनी होगी, इससे इतनी आमदनी होगी और इस संबन्ध में सब लोगों से सलाह मशविरा किया गया है। तो सलाह मशविरा में यह बात आयी कि टर्न ओवर टैक्स नहीं लगाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहिए, एंट्री टैक्स नहीं लगाना चाहिए। एंट्री टैक्स इसलिये नहीं लगाना चाहिए कि वह चुंगी की तरह से वसूली का सिस्टम होगा इसलिए इस टैक्स को खतम किया जाय । जहां तक टर्न ओवर टैक्स का सवाल था , तो टर्न ओवर टैक्स में सबसे बड़ा मुद्दा यह आया कि जिन चीजों पर सैल्स टैक्स नहीं लगता है। या जिन चीजों पर आक्ट्राय नहीं लगता वह टर्न ओवर टैक्स में शामिल किये जाय या नहीं किये जाय, उस विवाद का फैसला नहीं हुआ और इसके कारण से सैल्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाने की बात आयी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आप यह सरचार्ज भी ले रहे हैं दूसरी तरफ आपने टर्न ओवर टैक्स भी लगा दिया, तीसरी तरफ आपने एंट्री टैक्स भी लगा दिया । अब ऐसी स्थिति में फिर भी आप यह कमी बताकर चलें कि हमने 220 या 240 करोड़ या कितना बताया कि इतनी आमदनी चुंगी से हमारी आमदनी होनी चाहिए थी उतनी आमदनी नहीं हो रही हैं । तो आप अंदाज लगाकर चलें, आप कितना ही टैक्स लगा दें, टैक्स के मामले में अगर आपने इसी प्रकार के उलझनपूर्ण कानून बनाये तो टैक्स के कारण कभी वसूली ज्यादा नहीं होगी ।

मैं उपाध्यक्ष महोदय , इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कर बढ़ाने से आप क्या लेना चाहते हैं , कितना कर बढ़ायेंगे और किस सीमा तक बढ़ायेंगे ? मैं कहता हूं राजस्थान या अन्य राज्य यह सब सेच्युरेशन पाइंट पर पहुंच गये हैं । चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें , चाहे बंगाल की बात कर लें , चाहे यू. पी. की बात कर लें, आज सब सरचार्ज की या किसी भी प्रकार के टैक्सेशन के मामले में विचार करते हैं , तो इस नतीजे पर पहुंचते है कि हम सेच्युरेशन पाइंट पर पहुंच गये हैं । अब हमको दूसरी प्रकार की आमदनी की चिन्ता करनी चाहिए। टैक्स के कारण से ही हम आमदनी बढ़ायें इसका कोई आधार नहीं होना चाहिए । मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि कौन सा आइटम छोड़ा हैं जिस पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं , कौन सा आइटम छोड़ा है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय , जब आप सुबह नहीं थे उस समय , मैंने एक पाइंट रेज किया था कि आप टैक्स लगाने के बारे में स्पष्ट बात करें , किस किस चीज पर कितना टैक्स लगायेंगे । मैंने तो आपका नोटिफिकेसन अभी देखा हैं , मेरी यह समझ में नहीं आता, आप यह देख लें , यह पेज 13 हैं , अब सैल्स टैक्स की , यह समझ में नहीं आता नोटिफिकेसन आपने निकाल दिये । और यह सही हैं कि इस विषय में जितना जानता हैं आदमी वही पता लगा सकता है कि इस नोटिफिकेशन के पीछे राज क्या है और क्या नहीं है। मैं पढ़ते पढ़ते अभी इस 13वें नम्बर पर आया तो मेरी यह समझ में नहीं आया , मैं नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाता हूं —

जयपुर , दिनांक 30 मार्च , 2000 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 ,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1956 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या–74 की धारा 8 की उपधारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा निर्देश देती है कि राज्य में अपने कारोबार का स्थान रखने वाले किसी भी व्यवहारी या अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम में कारोबार किसी भी ऐसे स्थान पर उसके द्वारा दिये गये केल्शियम कार्बोनेट के विक्रय के सम्बन्ध में उपधारा की उपधारा एक और दो के अधीन संदेय कर रूप "ग" के घोषणा–पत्र या "घ" प्रमाण–पत्र दिये बिना दो परसेंट की दर से संगणित किया जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैक्स अनाउंसमेंट था मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं बताउ ना। 4 परसेंट का टैक्स था इस पर , इसको आप 2 परसेंट पर लाये। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं , आप कौनसा जनता का हित इससे करने वाले हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अभी बताऊंगा आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सुनूंगा न , आप बताऐंगे तो मैं सुनूंगा , उस समय मैं कोई कान बन्द नहीं करूंगा । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यह सलेक्टिव बेसिस पर आप जो काम कर रहे हैं उसी की मुझे आपत्ति थी और इसलिए मैंने कहा था कि टैक्स जो भी आप लायें , प्रपोजल लायें , इस सदन से छुपाकर नहीं लायें , इस सदन को विश्वास में लेकर टैक्स लायें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट , उपाध्यक्ष महोदय , यह मैं छुपाकर नहीं लाया । यह तो मैंने जो अपना बजट भाषण दिया था उसके अन्दर ही मैंने इस बात का अनाउंसमेंट किया था । I have not done it through the back-door.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कब कहा यह ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां , लाया हूं , साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं , लाया हूं , साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं , यह कहा है न आपने , यही जो बात मैं कह रहा हूं , वही सही है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, यह है। मैंनें अपना जो बजट भाषण दिया था उसके अन्दर इस बात का जिक्र मैंने किया था और वह देने के बाद चूंकि उसी दिन फाइनेंस बिल पेश हुआ था और यह कायदा है कि जिस दिन फाइनेंस बिल पेश हो जाता हैं उसी दिन से...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आपने तो उस पर भी लगा दिया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिनौला वाले पर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब तो फ्री कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फ्री कर दिया लेकिन इस शर्त के साथ कि इसमें से तेल नहीं निकलता हो । अब आप सब का ही तेल निकालना चाहते हो तो मर्जी की बात है । मैं इसलिए कह रहा था कि आप जो कह रहे है न कि बाद में नोटिफिकेशन से कर देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति हैं कि 50 करोड़ रूपये के टैक्स लगाये , इस सदन को आपने कान्फीडेंस में नहीं लिया । आप अगर इस सदन में यह कहते है कि समानीकरण के नाम से अमुक-अमुक स्टेट्स में इन चीजों पर इतना-इतना टैक्स बराबर हमने रखा हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कई स्टेट्स में टैक्स बढ़े नहीं , कई स्टेट्स में घटे नहीं । दिल्ली के सामने जरूर समस्या पैदा हुई है कि दिल्ली ने जो टैक्स बढ़ाया उसका लाभ हमको मिलेगा लेकिन दिल्ली में उसका वातावरण आज भी जनता के अन्दर बड़ा तीखा बन रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह टैक्स मामूली बात नहीं है, आप टैक्स एग्जीक्युटिव पावर से टैक्स लगाना चाहें तो इस सदन का तिरस्कार करना है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था और इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया कि आपने नोटिफिकेशन तो 105 या कितने एक दिन में पेश किये थे, 105 नोटिफिकेशन आपने रख दिये, कौन माननीय सदस्य ऐसा होगा जो 105 को पढ़े और पढ़कर इस बात का अनुमान लगाये कि हमने इस नोटिफिकेशन में किस नोटिफिकेशन में क्या व्यवस्था है और किसमें नहीं है। मैंने तो अभी गुलाब चन्द कटारिया से नोटिफिकेशन की कापी ली और 13वें नम्बर पर पहुंचा तो मुझे यह ध्यान में आया कि ये टैक्स किस जनहित में आपने हटाया है मेरी समझ में नहीं आता है। राजस्थान में मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की केवल एक ही इण्डस्ट्री है और वह जोधपुर के अन्दर है । अब उस इण्डस्ट्री को लाभ पहुंचाना हो तो मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है लेकिन कम से कम यह क्लियर होना चाहिए कि उस इण्डस्ट्री को हमने फायदा दिया हैं, अब उस इण्डस्ट्री को फायदा क्यों दिया यह मेरे अभी तक समझ में नहीं आया । कितना फायदा होगा और कितना नहीं होगा.....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सब के आ गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी यह समझ में नहीं आया । अब ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा , आप यह मानकर चलिये , मुख्यमंत्रीजी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना खून चूसने की कोशिश करेंगे, व्यापारी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खून नहीं चूसा जाएगा, खून चूसा जाएगा उपभोक्ता का । कोई चीज ऐसी नहीं हैं जो आपने टैक्स लगाया है उसका भुगतान व्यापारी को करना पड़ेगा । टर्न ओवर टैक्स आपने लगाया । अभी टर्न ओवर टैक्स में आपने अधिकार तो ले रखा हैं , अधिकार का कब प्रयोग करेंगे , पता नहीं है। लेकिन टर्न ओवर टैक्स में एक व्यापारी अगर आपने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया तो जितनी बार सामान बिकेगा उतनी बार टैक्स लगेगा। आज अगर कोई सामान जयपुर में आया और जयपुर से मेरे गांव के पास कस्बा रेनवाल में वहां सामान लाया तो वहां भी टैक्स लगेगा । रेनवाल में टैक्स लगेगा और रेनवाल के आगे मेरे गांव पहुंच गया तो उस व्यापारी पर भी टैक्स लगेगा। यह इस प्रकार का टर्न ओवर टैक्स लगाकर आप निकालना क्या चाहते हैं ? कौनसी खल में से तेल निकालना चाहते हैं ? आज अकाल का मौका है, इस अकाल के मौके पर लोगों की वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब है , परचेजिंग पावर बिलकुल कमजोर होती जा रही है और यहां पर आप टैक्स बढ़ायें, सरचार्ज बढ़ा दिया , हमने समानीकरण के नाम से पैसे बढ़ा दिये और बाकी में अब और टैक्स लगा रहे हैं । 106 करोड़ रूपये का टैक्स आप इस सेशन में लेकर आये हैं । 106 करोड़ रूपये का जिसमें बिजली की , इलैक्ट्रिक ड्यूटी और व्यवसाय कर, ये सब चीजें हैं। कौन सा सेशन है, आपने राज लिया, पिछली बार भी आपने भारी टैक्स लगाये, इस बार भी आप 106 करोड़ रूपये का टैक्स लगा रहे हैं और उस टैक्स के आधार पर आप यह मानकर चलिये, मैंने अपोजिशन में रहकर भी अनुभव किया है और सरकार में रहकर भी अनुभव किया है, जितना टैक्स आप सस्ता और सरल बनायेंगे, उसकी व्यवस्था सरल होगी उतनी ही ज्यादा आपकी इन्कम होगी , बढ़ेगी । ऐसी स्थिति में अब आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी हैं और कितनी नहीं करनी है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास में मेजोरिटी है , आप टैक्स लगायें हम विरोध करें वह विरोध आप स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन अल्टीमेटली इसका भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ेगा । वह उपभोक्ता धीरे–धीरे इस प्रकार की व्यवस्था में चलेगा तो सरकार को उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए उन आइटम्स के ऊपर जिनका सीधा सम्बन्ध उपभोक्ता से है, उसकी परचेजिंग पावर से जिसका सम्बन्ध है और जहां परकेपिटा इन्कम गिरती जा रही है , एस. डी. पी. गिरती जा रही है वहां हम टैक्स बढ़ाने का एक सिस्टम चालू करें , इससे काम नहीं चलेगा । मैं ऐसा समझता हूं कि आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है राजस्थान में जिसके ऊपर कर नहीं लगाया हो । अब तो कर बढ़ाने का क्रम चल रहा है । वह कर बढ़ता जा रहा है उससे काम नहीं चलेगा । उपाध्यक्ष महोदय , मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष में राजस्थान की सरकार ने टैक्स या इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी और बाकी की सब चीजें मिलाकर यह 1239 करोड़ रुपये का भार राजस्थान की जनता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर पटका है। एक वर्ष में । यह इतिहास है। सुखाड़ियाजी के शासन से लेकर 1989--1990 तक आ जाइये , इतना टैक्स किसी एक वर्ष में नहीं लगा है । एक वर्ष में 1239 करोड़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी शामिल है , और भी कुछ शामिल हैं , इतना टैक्स का भार राजस्थान की जनता पर कभी नहीं आया । दुर्भाग्य है कि इतना बहुमत होने के बाद भी आज भी रामनारायणजी जिक्र कर रहे थे कि नॉन टैक्स रेवेन्यु बढ़नी चाहिए। आप नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में हमारा जो सहयोग चाहेंगे वह सहयोग हम देंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप और सहयोग । आप यह बता दीजिये इस सदन में कि कौन--कौन से नान टैक्स के सोर्सेज हैं जहां हम टैक्स लगाकर के नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा दें । आप यही बताइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही बता रहा हूं। यहां पर राजस्थान में इतनी जमीन है, आज सुबह डाक्टर किरोड़ी लालजी ने जिक्र किया , एक जमीन जो बर्फखाने के लिए गवर्नमैंट ने अलाट की थी। इस शर्त पर अलाट की थी कि यह बर्फखाना बनेगा और नहीं होगा तो इसकी लीज कैन्सिल हो जाएगी । 12 करोड़ रुपये का इन्होंने असेसमेंट किया। यदि आप यह धंधा करना चाहें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 करोड़ का काम मैं आपको बता दूं। 100 करोड़ तक के इस तरह के मामले बता दूंगा लेकिन सख्ती के साथ न्याय की दृष्टि से उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा ।

दूसरा , नॉन टैक्स रेवेन्यू , आपके जितने भी कार्पोरेशन्स हैं उनके अन्दर इन्कम क्यों नहीं बढ़ रही है ? आज वहां आवश्यकता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की , वहां आवश्यकता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ की और वहां आवश्यकता है फालतू खर्च को खतम करने की । करने के बाद आप देख लीजिये आप अंदाज लगा लें कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे सारे कार्पोरेशन्स घाटे में मिले थे । कुछ कार्पोरेशन्स घाटे में रह गये लेकिन अधिकांश लाभ में आये हैं और इसलिए मैं कहता हूं, अधिकांश लाभ में आये हैं उस प्रवृत्ति को आप चलाइये । उस प्रवृत्ति को चलायें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी समझ में तो आपके वक्त में कोई कार्पोरेशन्स प्रोफिट में नहीं आया।

श्री जगमाल सिंह यादव : 1991 में 14 करोड़ का तो रोडवेज मुनाफे में आ गया था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके वक्त की नहीं , एक साल के लिए था । जहां आपके वक्त के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जगमाल सिंहजी कह रहे हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे और 35 करोड़ का घाटा कवर किया और 14 करोड़ रुपये नेट प्रोफिट में 1991 में आ गया था । आप कैसे कहते हो कि नहीं आया ? मैं अगर गलत तथ्य दे रहा हूं तो आप मंगाकर पूछ लीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके बाद क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक इतना और बता दूं। उसके बाद में क्या हुआ, मेरी सुनिये आप । मैं ऐसा समझता हूं कि तीन बार पारितोषिक मिला राजस्थान रोडवेज को. इस बात के लिए कि हिन्दुस्तान में यह कार्पोरेशन फायदे में चला । अब आपकी जानकारी में नहीं हो तो मैं उसके बारे में खेद प्रकट नहीं करता ।

श्री जगमाल सिंह यादव : फायदे में ही नहीं , नम्बर एक पर रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नम्बर एक पर रहा । ऐसी स्थिति में नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये । इसमें जो सहयोग चाहिये, अब आप कहें कि मेरा आपने आज तक सहयोग नहीं किया तो जैसा आपने किया वैसा ही मैंने किया । आपने कभी मेरा सहयोग किया हो तो बता दो तब तो मैं भी विचार करूं कि दूसरी तरह से तो मुझे सहयोग मिल रहा है......

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो सुधार कर लें । अब तो दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करना शुरू करें ।

श्री अमराराम (धोद) : दोनों ही एक हो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे कह रहे हैं कि सुधार कर लें तो ज्यादा अच्छा हो कि पहले आप अपने आप में सुधार कर लें तब जाकर सारी व्यवस्था होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों ही सीकर के हैं । एक सीकर से आने वाले हैं और एक धोद से आने वाले हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये धोद से आने वाले हैं । मैं धोद और सीकर का अंतर जानता हूं। इनको बोलूंगा तो धोद का और उनको कहूंगा तो सीकर का । इसलिए मैंने धोद का नाम नहीं लिया । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारी टैक्स की व्यवस्था पर आप पूरा पुनर्विचार करें और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में कोई दुनियाभर के कमीशन बना रहे हैं तो एक कमीशन जिसमें अच्छे एक्सपर्ट्स हों, इकोनोमिस्ट हों, व्यापार से सम्बन्ध जानने वाले ,खेती से सम्बन्ध जानने वाले , उपभोक्ता की समस्याओं को समझने वाले हों, वह एक कमीशन अपाइंट करिये । आज के शायद 20 वर्ष पहले राजस्थान में सुखाड़ियाजी ने किया था या किसी ने एक टैक्स इन्क्वायरी कमेटी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपाइंट की थी उस टैक्स इन्क्वायरी कमेटी का लाभ काफी मिला ।

मैं ऐसा समझता हूं कि अब बहुत समय हो गया, राजस्थान में सैचुरेशन पाइंट पर पहुंच गये इसलिये एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन आप अपाइंट करिये जो राजस्थान की सारी व्यवस्था को देखें और देखकर सरकार को सलाह दें जिसके कारण से जनता भी आगाह हो जाये कि हमें अमुक प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा । आज टैक्स का सिस्टम क्या है उपाध्यक्ष महोदय , आप यहां पर आज बैठे हुए हैं । मैं भी भुगता हुआ हूं, कोई नई बात नहीं हैं, मैं भी भुगता हूं, वह आप भी भोगोगे ? न तो आपको पता है, न मुझे पता रहता है, हमारे सामने जिस प्रकार के प्रपोजल आते हैं कि बजट में घाटा इतना नहीं होना चाहिए । इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जाये । जनरल फार्मूला है और यह जनरल फार्मूला आता है कि बजट में इतने करोड़ का घाटा होगा , इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाये , तो पहला तो प्रश्न आता है कि मितव्ययता की जाये । मितव्ययता करने के प्रपोजल , वह धीरे–धीरे होता–होता जीरो हो जाता है और जीरो होने के बाद में दूसरा साधन है, टैक्स बढ़ाकर हम इस चीज की व्यवस्था करें । फिर देखा जाता है कि टैक्स में किस–किस पर टैक्स बढाया जा सकता है। कहां दूसरे स्टेट में टैक्स बढ़ा हुआ है ? दूसरे स्टेट्स को देखा जाता है और देखने के बाद में टैक्स के प्रपोजल आते हैं , कोई स्टडी नहीं होती है। मैं खुद भी मंजूर करता हूं, कि मैंने भी कोई इस सम्बन्ध में स्टडी नहीं कराई। यह एक प्रेक्टिस हो गई है कि कोई स्टडी नहीं होती कि इस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाये, हम बढ़ा देते हैं। प्रपोजल ले आते हैं, विधान सभा में पास हो जाते हैं और उसके बाद में धीरे–धीरे परिवर्तन होता है, कभी बढ़ता रहता है, कोई चीज घटती रहती है। इसलिए एक बार आज जो सेचुरेशन पाइंट पर सरकार भी पहुंच गई कि 1300 करोड़ रुपये का टैक्स बढ़ाकर, फिर अगली बार आप टैक्स लायेंगे, जबरदस्त लायेंगे। ज्यादा अच्छा होता कि इस बार यह टैक्सेशन कमीशन अपोइंट करिये जो पूरे राजस्थान की इकोनोमी की स्टडी, राजस्थान की जो लायबिलिटी है उनके बारे में विचार करें। राजस्थान में किस–किस चीज से हमारी इन्कम बढ़ सकती है, उसके ऊपर विचार करें और विचार करके अगले साल आप कोई टैक्स के प्रपोजल लायें। उसके पहले सदन को भी जानकारी मिल जायेगी, आपको भी जानकारी मिल जायेगी कि टैक्स के एवेन्युज खतम हो गये या टैक्स के एवेन्युज और दूसरी प्रकार से लाये जा सकते हैं, इस आधार पर विचार करें मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो आप टैक्स के प्रपोजल लाये हैं, इस तीसरे वाचन में सारे टैक्स के प्रपोजल्स का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय , मैं सभी माननीय सदस्यों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिन्होंने राजस्थान फाइनेंस बिल के तहत जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में जो सुझाव दिये, मैं उन सबका बहुत आभारी हूं। चर्चा भी रोचक हुई। अब प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो हालात राज्य के बने हैं, उसके तहत ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह तो सारे स्टेट्स की वही स्थिति है, आपकी ही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं। अब यह शुरूआत फिर से वहीं से होगी, फिफ्थ पे कमीशन से जाकर शुरूआत होगी, वह सब मालूम है। अब प्रश्न सिर्फ यह पैदा होता है कि कोई भी राज्य क्योंकि वह तो अब सिद्धांत है कि आवश्यकता से अधिक अगर आप टैक्स लगायेंगे तो उसका जस्टिफिकेशन आप स्टेट लेजिस्लेचर के सामने नहीं दे पायेंगे। अगर आप सरप्लस बजट होता तथा रेवेन्यु अकाउंट में मेरा सरप्लस होता और मैं एक नये टैक्स के प्रपोजल लेकर आता तो मेरे पास में टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर, जोकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मदर कहलाती है, वहां पर इस बारे में बहुत चर्चा कई दफा हो चुकी हैं तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, अब टैक्स की थ्यौरी है --Lesser the tax, more the revenue.यह आजकल इस थ्यौरी के ऊपर सारे के सारे चल रहे हैं लेकिन भारत सरकार इस थ्यौरी के ऊपर, इस सिद्धांत के ऊपर रिस्क ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार के पास चूंकि सीमित साधन हैं और राज्य सरकार के पास जब सीमित साधन हैं तो राज्य सरकार इसमें बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा सकती। कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटल के तौर पर आप कर कम करके देख सकते हैं और उनके रिजल्ट, अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, आगे आने वाले वर्षों के अन्दर आप कुछ नये आइटम्स को उसके अन्दर जोड़ सकते हैं। इस बात को मैं यहां पर इस समय कहना चाहूंगा, और उसी के अनुरूप हमने कई आइटम्स के ऊपर, दो चार आइटम्स के ऊपर हमने टैक्स फ्लोर रेट को कम किया है। हमने तो उसके मुताबिक कुछ फ्लोर रेट यहां पर कम किया है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि फ्लोर रेट का कंसेप्ट है, इसको भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि खासतौर से जो दिल्ली के चारों तरफ के प्रांत हैं, हरियाणा, राजस्थान, यू. पी., यहां के लोगों को बहुत शिकायतें थी कि दिल्ली के अन्दर टैक्स रेट्स बहुत कम हैं और यहां पर तरह-तरह की माल-प्रेक्टिसेज चलती हैं और इस बात की बहुत शिकायत कई दफे हुई थी और एक कमेटी बहुत दिनों से बनी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स स्तर के ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा हुई और उन्होंने तय किया कि एक सर्टेन लेवल से आप टैक्स रेट को कम नहीं कर सकते।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह फ्लोर लेवल कहलाया और उसके ऊपर आप टैक्स रेट को ले जा सकते हैं लेकिन उसके नीचे नहीं रख सकते हैं । और उसके अनुरूप ही हम कुछ को तो उस लेवल के बराबर लाये पूर्व वित्त मंत्रीजी , और कुछ मामलों के अन्दर टैक्स को उन्होंने बढ़ाया भी है , इस बात को मैं यहां पर स्वीकार करता हूं । लेकिन बाध्यता है कि उसके नीचे नहीं ले जा सकते , आप उससे ऊपर जा सकते हैं , आपको इस बात को समझना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय , यहां पर टैक्स के बारे में बातें कहीं । अब टैक्स जिन हालात में लगाये गये हैं , यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, आवश्यकता थी और इस बार जो करारोपण किया , जो टैक्सेशन किया , मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि लोगों के ऊपर कम से कम भार डाला जाये और जो सम्पन्न वर्ग हैं , जो सम्पन्न लोग हैं , उनसे टैक्स के रूप में लिया जाये । अब टर्न ओवर टैक्स की आप बात देखिये । मैंने इस बात को कहा , जिस व्यक्ति का , जिस व्यापारी का 50 लाख तक का टर्न ओवर है, उसको एग्जेम्प्ट किया हैं तो आप सोचिये, 50 लाख से ऊपर लगाकर हायर स्लैब जाकर हजार करोड़ रुपये तक का किया । अब हजार करोड़ के अन्दर तीन कम्पनियां है, राजस्थान में तीन आयल कम्पनीज हैं, अब उनके ऊपर भी मैंने कोई ज्यादा बोझ नहीं डाला है। 33 लाख रुपये उनसे एक कम्पनी से लूंगा जबकि मैं डाल सकता था उनके ऊपर , लेकिन इस प्रकार से मैंने 50 लाख से एक करोड़ रुपये का स्लेब ,एक करोड़ रुपये का स्लेब , मुझे स्लेब याद नहीं है । इस तरह प्रोग्रेसिव तरीके से मैंने लगाये हैं । अगर आज मैं उस वर्ग को भी छोड़ू, अगर उससे भी टैक्स नहीं लूं तो , जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि यह टैक्स तो चलते—चलते गांव तक पहुंच जाता है। अब गांव में ऐसा कौन सा व्यापारी है जो 50 लाख का टर्न ओवर है ? सिर्फ तेल परचून की दुकान करता है या मामूली कपड़े भी कोई दुकान करता है या कस्बे में कोई दुकान करता है तो 50 लाख का उसका टर्न ओवर कहां से है ? आखिर अपने विकास के कामों के लिए राज्य के विकास में.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसलिए नहीं कहा था , मैंने टर्न ओवर टैक्स की व्यवस्था है, वह कहा हैं । वह मल्टीपल टर्न ओवर टैक्स है। जितनी जगह जाकर बिकेगा, वह टैक्स लगेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके अन्दर सिर्फ 18,000 आदमी है। ऐसा कोई भोला व्यापारी नहीं है जो घाटे में जाकर व्यापार करेगा, वह छह जगह बिकेगा और छह जगह जाएगा तो यहां तो इस देश की प्रथा है, इस देश की व्यवस्था हैं कि फैक्ट्री से माल चलता है और जाते—जाते कंज़ूमर के पास पहुंच जाता है । उसके बीच में अगर तीन बिचौलिये आ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाते हैं और तीनों का प्रोफिट उसके अन्दर जुड़ जाता है और तीनों से हमको थोड़ा–थोड़ा टैक्स निश्चित रूप से लेना पड़ेगा । या तो इस देश में यह व्यवस्था कायम हो कि सारी चीजें ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वह सारा टैक्स कंजूमर से ले रहे हो । आप उस गरीब को मार रहे हो । नहीं , वह ही मर रहा है ।

श्री महेश जोशी : आपने जो टैक्स लगाये थे , वह किससे लिये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई गरीब नहीं मर रहा है । आपकी तो आदत है लोगों को भड़काने की , लोगों को आग लगाने की , इससे काम चलने वाला नहीं है । इस टर्न ओवर टैक्स के बारे में मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि किसी क्वार्टर्स से इसका विरोध नहीं हुआ ।

लोगों ने असेप्ट किया । इस टर्न ओवर टैक्स को लोगों ने असेप्ट किया । मैं आपसे कहता हूं जस्ट फार द सेक , इतने रिप्रजेंटेशन आये हैं बजट प्रजेंट करने के बाद, इस रिप्रजेंटेशन की मेरे पास और मुख्य मंत्रीजी के पास मिला करके संख्या, कम से कम सौ, डेढ़ सौ रिप्रजेंटेशन आये । और टर्न ओवर टैक्स के बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय , मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि दो–चार रिप्रजेंटेशन में जिकरा था बट फार द सेक आफ रिप्रजेंटेशन कि इसको आप खतम कर दीजिये । तो मेरा आपसे कहना यह है कि मुझे कहीं न कहीं से एडिशनल ......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने खुद ने ही तो विरोध नहीं किया है न , टर्न ओवर टैक्स का ...याद नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार जब मैं मुख्यमंत्री था.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप प्रस्ताव ही कब लाये थे साहब , क्यों गप लगा रहे हैं साहब । कभी प्रस्ताव नहीं लाये आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव नहीं लाया । मैं यह कह रहा हूं कि आप विरोध में तो नहीं खड़े हुए थे न ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं साहब , मुझे पक्का है । मैंने आपसे कहा था । मैंने आपको एम्बरेसिंग पोजीशन में 77 में डाला था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं विरोध में बैठता था , आपने अपने मेनिफेस्टो में कहा था , 77 में जब आपकी सरकार बनी थी कि हम सेल्स टैक्स समाप्त करेंगे, स्वर्गीय मास्टर आदित्येन्द्रजी वित्त मंत्रीजी थे, वह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यहीं विराजते थे, तब मैंने सवाल किया था कि क्या बी. जे. पी. सरकार अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक सेल्स टैक्स को समाप्त करना चाहती है और उस वक्त काफी हंगामा इस सदन के अंदर हुआ था । तब आपने जवाब दिया था कि हमारा सेल्स टैक्स समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है । मुझे अभी भी रिकार्ड में मिल जाएगा और आप भी स्वयं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बात मैंने भी कही थी , जब आपकी तरफ से चुंगी कर खतम करने की बात कही तो मैंने कहा चुंगी कर खतम नहीं होगा । आपको मैं चुंगी की याद दिला रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी जमाने के अंदर बी. जे. पी. सबसे बड़ी एडवोकेट थी कि सेल्स टैक्स को समाप्त किया जाय । You were the biggest advocate.

आपसे बड़ा इस मांग को मांगने वाला, इसकी सबसे बड़ी पैरोकार , सेल्स टैक्स के खिलाफ , आपकी पार्टी थी लेकिन जब आप राज्य में आये यहां पर , आप इसी जगह बैठे थे श्रीमान् ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं 77 में बी. जे. पी. नहीं आई थी , जनता पार्टी आई थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चीफ मिनिस्टर थे और बी. जे. पी. सबसे बड़े घटक के रूप में थी और मास्टर साहब थे यहां पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारतीय जनसंघ था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मुख्य मंत्री थे ।

श्री रामनारायण चौधरी : उस समय आपका घटक जनसंघ था , जनसंघ को मिलाकर के जनता पार्टी बनी थी ... (व्यवधान)

श्री जर्नादन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय , विरोधी दल के नेता भैरोंसिंहजी ने कब जनता दल बनाई , कब बी.जे.पी. बनाई , कब जनसंघ , कई बार पर्दे बदलते रहे । वित्त मंत्रीजी भूल रहे हैं उस समय जनता दल था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके यहां बदलने वालों की संख्या ज्यादा है , मेरे मंत्रीमण्डल में रहे हुए भी वहां कई बैठे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि आपने अपना वजुद ही समाप्त कर लिया था। सत्ता पाने के लिए आपने अपना वजूद समाप्त करके एक नये दल का गठन किया था और फर्स्ट अवेलेबल अपार्चुनिटी के अन्दर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपने नया दल बना लिया। खैर, मैं इस राजनीति मे नहीं जाना चाहता।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां बहुत जबरदस्त,सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यहां पर कहा, अब 105 नोटिफिकेशंस की बात कह डाली कि आपने एक संग 105 नोटिफिकेशंस निकाल दिये। हां–हां , आप बिलकुल सही कह रहे हैं । किसलिए निकले, एक भ्रम की स्थिति रहती हैं, कुछ नोटिफिकेशंस तो वर्षो से चले आ रहे थे जिनकी कि एक–एक साल की मियाद बढ़ती हुई चली जाती है, उनका पुनः नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। आप स्वयं जानते हैं। यह मैंने पूछा था, जब वहां पर आये। मैंने कहा कितने नोटिफिकेशंस हैं, उन्होंने कहा इतने। मैने कहा इतने सारे काहे को निकाल रहे हैं, कि साहब, यह तो हर साल से चले आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे है, एक–एक साल की बढ़ती चली जाती है, मियाद बढ़ती चली जाती है, तो यह नोटिफिकेशन इस हिसाब से निकलते हैं, तो इसके अन्दर कहीं कोई.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपने पूछा , इसी तरह से मैंने कह दिया । 194 हैं , मैंने तो अभी देखा है।

श्रीमती कमला : नहीं, तो कोई बात नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके कितने हैं इसमें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं , यह इधर पीछे इण्डेक्स लगा हुआ था , इसको देखा है ,194 हैं । आप 105 की बात नहीं करें , आपको भी जानकारी नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं , मुझे खुद जानकारी नहीं है , मैं तो कहता हूं । वह मैं दस्तखत , डी. एस., रेवेन्यू आये कि साहब दस्तखत करिये, असेम्बली में जाने है, क्योंकि असेम्बली में कई दफा चर्चा हो चुकी है कि नोटिफिकेशन्स देर से पेश करने के अन्दर यहां कई दफा एतराज हुआ है और आसन की व्यवस्था हुई है कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली पेश करने चाहिए। यह तो वैसे भी ....

श्रीमती कमला : एप्रिसिएशन की बात है यह तो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब उपाध्यक्ष महोदय , यहां पर दो– तीन बातें टर्न ओवर टैक्स के बारे में कुछ बातें मैंने यहां पर कहीं। एक सबसे बड़ी बात यहां पर एल.बी.टी. के बारे में मालपुरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य , बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ,हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एल. बी. टी. के बारे में यहां पर कुछ जिकरा किया और झुंझुनूं से आने वाले सम्माननीय सदस्य गुढ़ा से आने वाले सदस्य, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने यहां पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहा, आपने तो एक बात के ऊपर, खास तौर से आपने खली के मामले में कुछ थोड़ी—बहुत भ्रांति रह गई है आपने अपना स्ट्रेस उसके ऊपर दिया है.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक भ्रांति मुझे भी हो रही है, यह जिकरा वर्ड क्या है । आप बार—बार जिकरा—जिकरा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह हमारे यहां की....

श्री जनार्दन गहलोत : यह जैसे आपका जिगरा है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : धौलपुर..... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कृपया मेरी यह जानकारी बढ़ने दीजिएगा , जिकरा वर्ड है या जिक्र है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप बैठ जाइये जरा । आप तशरीफ रखिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बड़े लोग जिकरा ही बोला करते हैं ।

श्रीमती कमला : आप उस तरह से समझेंगे नहीं इसलिए जिकरा बोल रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर उन्होंने चर्चा की । मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिये अभी कि कोई गलतफहमी न रहे , लोगों में कोई भ्रांति है तो उसको दूर करने की चेष्टा कर दी जावेगी। यहां पर खासतौर से एल. बी. टी. के बारे में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और निवेदन किया माननीय कटारियाजी ने कहा कि खर्चा आपका इतना है, आपको क्या मिलता होगा। एक्सपेंडीचर दो करोड़ का है, रेवेन्यू 26 करोड़ रुपये का है, फोर इन्फोर्मेशन । यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, दो करोड़ का हमारा है। क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में चाहे सेल्स टैक्स हो, राजस्थान में एक अच्छी परम्परा रही है, अपना रेवेन्यू/एक्सपेंडीचर टैक्स कलेक्शन के लिए रिलेटेड पर्सेंटेज काफी कम है और एक अच्छी बात है , यह बढ़ना नहीं चाहिए और यह सिद्धांत है । अब इस एल. बी. टी. के मामले में बहुत शिकायतें आ रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन ने भी अपनी रिकमंडेशन में कहा था यहां पर कि एल. बी. टी. की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है क्योंकि इतना डिस्क्रिशन था अधिकारियों का, आप मेरी बात सुन लें डाक्टर साहब, मेरी बात सुन लें , आप मुझसे पूछ लें....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं , एक निवेदन है । मंत्रीजी , जो उसमें डिस्क्रिशन था , जो आप कह रहे हैं , आपकी भ्रांति मैं दूर कर देता हूं कि जो सब रजिस्ट्रार के यहां से प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं न, वह बकायदा लिस्ट आपके असिस्टेंट डाइरेक्टर लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स, के हरेक आफिस में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पड़ी हुई हैं और उसी प्रिस्क्राइब्ड रेट से उनको असेस करना पड़ता था , इसलिए कोई यह भी थोड़ी आपके दिमाग में भ्रांति हो कि बहुत डिस्क्रिशन था, बड़ा आर्बिट्रेरिली एक्सरसाइज किया जाता था ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खैर , एनी वे । जो लोगों को शिकायत थी वह यह थी कि इस महकमे के अंदर डिस्क्रिशन असेसिंग अथोरिटी के हाथ में बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट वेल्यू डिटरमिन कौन करेगा, लैण्ड भी वेल्यू तो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आप डी. एल. सी. की जो रेट है उसके मुताबिक आप मार्केट की वेल्यू तो कर सकते हैं डिटरमिन, तब हो सकती है , लेकिन....

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय ,मार्केट की रेट भी डिटरमिन करना आसान बात नहीं है । हर जगह–जगह की अलग–अलग रेट्स हैं । जयपुर के अन्दर भी सैकड़ों प्लेसेज ऐसे है कि जिसकी इस जगह से उस जगह डिफर करेगी । मेन रोड पर है उसकी अलग हैं , उसके पीछे वाली कम है , उससे पीछे और भी कम है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सही कह रहे हैं और कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी कीमत क्या हो । आप गये । अब लोगों ने जो मुझे बताया, इस विभाग का मंत्री होने से पहले लोग बताते थे , चर्चा होती थी कि आपके तो ग्रेनाइट लगा है , आपके तो इटेलियन मार्बल लगा है ...

आपके तो सी. पी. टी. ईंट लगी हुई है, आपके तो फलानी फिटिंग लगी हुई है इस किस्म का वेल्यूएशन और क्या था कि कौनसी मार्केट की कीमत मिलेगी बेचने पर वह मार्केट वेल्यू है । आप किसी प्रापर्टी को बेचते हैं तो मार्केट की वेल्यू क्या होगी इतना बड़ा डिस्क्रिशन किसी आदमी के हाथ में हो तो यह हुआ कि इसमें क्या करें , और इस पर विचार किया । माथुर साहब की कमेटी ने इस पर विचार किया और उन्होंने कहा कि दो तरह का टैक्स नहीं होना चाहिए । हाउस टैक्स भी आप लें , क्योंकि इनिशियली मेरा इरादा था इसको एक्सपांड करने का लैण्ड एंड बिल्डिंग टैक्स को और जिलों में भी ले जाने का मेरा इरादा था । लेकिन जब यह रिपोर्ट आयी, जब यह माथुर कमेटी की रिपोर्ट आयी यहां पर, उस रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने कहा कि दो तरह का कर नहीं होना चाहिए। लेकिन समय बहुत थोड़ा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन्हीं दिनों रिपोर्ट आयी थी जिन दिनों में बजट की तैयारी चल रही थी । अब यह तय हुआ कि म्यूनिसपेलिटीज लेती हैं हाउस टैक्स नगर परिषदें और नगरपालिकाएं लेती हैं और इतनी जल्दी म्यूनिसिपल लाज के अंदर और एल. बी. टी. एक्ट में सामंजस्य बैठाना कोई आसान काम नहीं था तो मैंने कहा कि अभी तो इसमें यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देते हैं उसके उपरान्त मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ......

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मित्र हैं कह रहा हूं, साहब । था नहीं कह रहा हूं। हैं। मेरे तो इनसे पुराने सम्बन्ध हैं।

श्री रामस्वरूप : और दुश्मन हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां तो क्या करें अब मेरे पिताजी इनके साथ थे यह तो सबको मालूम है।

श्री रामस्वरूप : मेरे पिताजी भी यहां सदस्य रहे हैं । 1957 से 1962 तक।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मैं आपसे निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय , यह बात बिलकुल सही है, अब उस व्यवस्था में से निकले उनके डिस्क्रिशन को समाप्त किया । उनके डिस्क्रिशन को समाप्त किया तो एक नयी समस्या खड़ी हो गई और बहुत वाजिब बात है । आप जो कह रहे हैं कि किसी के फोरफादर्स पैसे वाले रहे हों और आज स्थिति बिगड़ गई हो , बड़े मौके की जगह पर मकान हैं , चाहे वह जौहरी बाजार में हो या चाहे कहीं हो । मकान चाहे जीर्ण--शीर्ण अवस्था में हो गया हो ,आज सेल्फ वेल्युएशन के हिसाब से हमने भी चाहे मकान का कितना ही हो , तीन सौ रूपये रख दिया टीनशेड का डेढ़ सौ रूपये रख दिया । डिस्क्रिशन नहीं छोड़ा है मकान के वेल्युएशन के बारे में उनके हाथ में तो एक डिस्क्रिशन नहीं छोड़ा है । लेकिन आपने एक निकाल दिया सैल्फ असेसमेंट के बारे में जो कि एक्ट से एक्टिव सपोर्ट नहीं था उस पर भी मैंने पूछा , जब मेरी जानकारी में दो--तीन दिन पहले एक सम्माननीय सदस्य लाये कि पहले तो यह था आपने क्या किया , कुए में से निकले और खाई में गिरे । तो मैंने पूछा तो उसके अन्दर कहा कि उसको एक्ट का सपोर्ट नहीं था । अब किस किस्म से नहीं था, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत इस बात की नहीं है कि किसी को ह्रेस करे क्योंकि जब यह सिम्प्लीफिकेशन की दिशा में एक कदम उठाया है, हमने जब सरलीकरण की दिशा में कदम उठाया है तो उस कदम को कायम रखते हुए खुले दिमाग से इस बात को एग्जामिन करेंगे कि इस किस्म के कैसेज में उनकी कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार से हो , यह उपाध्यक्ष महोदय , मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री महोदय , सीलिंग एक्ट में जो प्रोवाइडेड था पुराने नोटिफिकेशन में ,वह किसी भी तरह से , आपके विभागीय अधिकारियों से आप कंसल्ट कर लें, किसी भी तरह से इल्लिगल नहीं है वह । और वह सीलिंग के लिए ही मैं आपसे बार--बार प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि एक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सीमा होती है कि दो हजार से ज्यादा नहीं लगायेंगे । नयी ट्राजेक्शन पर आप लगायें वह बहुत ठीक हैं लेकिन पुराने मकान, जिनका आप खुद कह रहे है सेल्फ असेसमेंट में जिस आदमी का एम. आई. रोड पर मकान हो, सी–स्कीम में हो । आप तो जानते हैं कि सी–स्कीम में जमीन हैं , तो उस जमीन की कीमत कम कैसे करेगा । उसको तो प्रेस्क्राइब्ड रेट लगानी पड़ेगी । तो जमीन की कीमत तो हुई उसकी एक करोड़ रूपये और मकान की कीमत हो गई पांच लाख, कुल एक करोड़ पांच लाख रुपये तो यह बहुत बड़ी समस्या है । आपको सीलिंग पहले और....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया उपाध्यक्ष महोदय , कि किस प्रकार से......

श्री उपाध्यक्ष : समय के अभाव में हुआ है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका निराकरण कर सकते हैं । मैं इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा, और मेरा आपके माध्यम से सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस फाइनेंस बिल को पारित करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता , हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता । डिवीजन ।

श्री रामस्वरूप : हां पक्ष जीता , हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये–बैठिये। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक , 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Noes have it .

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पारित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Noes have it . डिवीजन करायें । नहीं–नहीं , यह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिवीजन चाहते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Noes have it . We want division.

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन करा देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन! डिवीजन ! डिवीजन ! (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । जो पक्ष में हों खड़ें हो जाएं । प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टैक्स लगाने वालों को सबको खड़ा कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है ।

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान की जनता ने आपको बैठा दिया.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आगे आपको बैठा देंगे हमको खड़ा कर देंगे ....(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर संशोधन विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.–5) को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप में से कोई बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री जी बोलना चाहती हैं वे गई कहां, बीना काकजी ?

श्रीमती कमला : जरूरत नहीं समझ रहे हैं वे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे बोलना चाहती थी वे गयी कहां ?

श्री उपाध्यक्ष : आपमें से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं क्या ? प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.–5) को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.–5) को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं.–5) को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिए संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं–5) को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार

खण्ड –2 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड–2 राजस्थान (होटलों एवं वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 के खंड–2 , जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, 1996 के अधिनियम संख्या–9 की धारा 2 की उप धारा 1 के खंड– ब में संशोधन किया जाना इप्सित है, मैं अभिव्यक्ति पांच सौ रूपये उससे अधिक के स्थान पर अभिव्यक्ति 750 रुपये या अधिक प्रस्थापित की जावे ।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी आप संशोधन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी इजाजत हो तो ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तो इजाजत ही है ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा संशोधन यह है कि आपने पहले साढ़े 12 सौ रखा था और उसको 500 किया । 500 के बाद 750 किया। उपाध्यक्षजी, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इसको 200 रुपये तक की सीमा में रखा जाय ।

उपाध्यक्षजी , उद्देश्यों के कारणों का जो कथन आपने दिया है उसमें दिया है कि महाराष्ट्र में यह 200 रुपये प्रतिदिन है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कमरे विलासिता कर की सीमा में आते हैं जिनका टेरिफ प्रतिदिन 60 रुपये हैं । उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार के प्रान्तों में 200 और 60 रुपये की सीमा में रखा गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जिन कमरों का

(श्री शिवनाथ सिंह)

किराया हो, उन कमरों को भी इस परिधि में लाया जाये। इस सीमा को बढ़ाकर हम आज किसको लाभ देना चाहते है। मनोरंजन ही नहीं इसमें विलासिता शब्द काम में लिया गया है जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनके भोग के लिये हम किसी को रियायत दें, यह अच्छा नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करते हुए इस राशि को 200 रुपये रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वयं शुरू में 500 रुपये किया था लेकिन यहां के होटल वाले, ट्यूरिज्म वाले, ट्रेवल ऐजेंसी वाले और हमारी ट्यूरिज्म मंत्री महोदया की स्वयं की राय का सम्मान करते हुए मैंने इसको 750 रुपये किया । गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि महाराष्ट्र में तो 200 रुपया है और आन्ध्रा में 60 रुपया है , दिल्ली में 500 रुपया है , यह बात सही है। इस साल हम इसको 1200 रुपये से घटाकर 750 पर लाये हैं और अगले साल मैं गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना का निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा । इसको तो इसी रूप में आप स्वीकार कर लें , आपकी बड़ी कृपा होगी ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मैं संशोधन वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड–2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री शिवनाथ सिंहजी संशोधन वापस लेने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी , मैं अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री शिवनाथ सिंहजी संशोधन वापस लेने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करेंगे?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खंड–1 अधिनियम सूत्र , नाम आदि कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड–1 , अधिनियम सूत्र , नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड–1 अधिनियम सूत्र , नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय , राजस्थान में जिस तरह की ऐतिहासिक विरासतें हैं ,राजस्थान में जिस तरह की पुरातत्व महत्व की चीजें हैं , हमारा इतिहास है और इस इतिहास को देखने के लिये देश–विदेश के पर्यटक आते हैं । अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन इस महानगर के किसी वैभवशाली घर को देखने नहीं आये थे , आधुनिक जयपुर को देखने नहीं आये थे ,वह देखने आये थे यहां के पुरातत्व और यहां के इतिहास को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं , माननीय मंत्रीजी ने हालांकि अपना संशोधन प्रस्तुत किया है । मिनिमम लिमिट जो 500 रुपये थी उसको बढ़ाकर 750 रुपये तो आपने किया है परन्तु 750 रुपये में पर्यटकों के लिये किस तरह का कमरा होटलों मे मिलता है उसकी कल्पना की जा सकती है। हमारी विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय और हमारा पर्यटन जो धीरे–धीरे एक उद्योग का रूप ले रहा है अगर हमने इस कर को ज्यादा नहीं किया और इसी तरह लागू कर दिया तो उस पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिनिमम लिमिट आपने 750 रुपये की है इसको बढ़ाकर आपको कम से कम 1000 करनी चाहिये । 750 रुपये में तो आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करता है उस पर कर लगाने की मंशा सरकार ने जाहिर की है। उपाध्यक्ष महोदय, आय के ऊपर कर हो गया यह। व्यवसाय से आय और आय पर कर लगाने का अधिकार संविधान के अनुसार इस सरकार को कब प्राप्त हो गया, यह समझ के बाहर की बात है। इनकम पर टैक्स लगाने का केन्द्र सरकार का विषय है। इन्होंने एक तरीके से अतिक्रमण कर लिया उस अधिकार पर और इसे व्यवसाय कर नाम देकर इन्होंने राजस्थान की जनता पर टैक्स लादने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून की धारा 2–ज को देखें जिसमें इन्होंने मजदूरी करने वाले व्यक्ति की मजदूरी को शामिल कर लिया इस व्यवसाय कर में सरकार की मंशा क्या है ? आज तो आपने घोषणा कर दी कि डेढ़ लाख रुपये प्लस जो इनकम टैक्स पेई है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह कानून लेकर आये थे तब इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी। अब भी यह जो नोटिफिकेशन निकला है, नोटिफिकेशन नम्बर 391 में इन्होंने 21 व्यवसायियों की सूची दी है जिस पर यह कर लगायेंगे, परन्तु इसकी क्या गारण्टी है कि इसका दायरा बढ़ेगा नहीं ? इस सरकार की मंशा यह है कि राजस्थान का हरेक व्यक्ति किसी न किसी इन्सपेक्टर राज के चंगुल में रहे और यह प्रावधान किया गया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन छह में इन्होंने कहा कि जो एम्प्लायर हैं उसको एप्रोप्रिएट अथोरिटी के सामने रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और सेक्शन–6 (2) के अंदर इन्होंने कहा कि जो टैक्स देता है उसको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एम्प्लायमेंट का, यानि एम्प्लायर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराये एम्प्लाई भी जाकर रजिस्ट्रेशन कराये हालांकि दीगर बात है कि सारी की सारी जिम्मेदारी इन्होंने एम्प्लाई पर डाली हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आपकी मंशा क्या है ? 14 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने की बात कह रहे हो परन्तु इस 14 करोड़ की आय में लोगों को कितनी परेशानी होगी, जिस तरह प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि कर लगाने की भी कोई सीमा होती है, सारी सीमा सरकार ने तोड़ दी। आजादी के बाद डेढ़ वर्ष में सर्वाधिक कर लगाने की एक तरह से चेम्पीयनशिप जीत ली सरकार ने।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो यह कह रहे हैं, धारा–3 में कह रहे हैं कि ढ़ाई हजार रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं लगायेंगे। सीमा निर्धारित की हैं परन्तु मैं समझता हूं कि जहां सेक्शन 2–ज के अंदर मजदूर की मजदूरी को शामिल कर रहे हैं तो मंशा साफ है कि धीरे–धीरे इसका दायरा बढ़ेगा और बढ़ाकर यह अपना टारगेट जो 114 करोड़ रुपये का था, उस टारगेट को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपना जवाब दें तब इनको कहना चाहिये कि किस–किस केटेगरी के लोगों को इस कर के दायरे में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप अपनी मंशा साफ कर दें कि आपकी इच्छा क्या है तो कम से कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की जनता आज इस कानून के पास होते ही उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर चर्चा चलेगी कि वही व्यवसाय कर जिसको राजस्थान की जनता ने जजिया कर कहा था उसको वापस सरकार लगा रही है इसलिये मैं इस कर का विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कर लगाने की प्रवृत्ति से सरकार बाज आये वरना वैसा ही आंदोलन होगा राजस्थान में और सरकार को फिर घुटने टेकने पड़ेंगे।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब राज में आई थी, आपकी जानकारी में होगा उस टाइम में प्रचण्ड बहुमत मिला था और उस समय प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने इम्पोज किया था, और आपको याद होगा कि शायद पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहले बजट सेशन के अंदर राजस्थान विधान सभा के मुख्य द्वार बंद करने पड़े, लोगों ने इतना भयंकर विरोध किया और उस कारण से यह टैक्स वापस लेना पड़ा। अब ओनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं होम मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर आने के बाद में इसको बड़ा मेनीपुलेट करके राजस्थान की जनता पर स्थाई रूप से भार डालने का साधन और राजस्थान के लोगों को परेशान करने का, आमदनी करने का जरिया ढूंढा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स लग रहा है इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो इनकम टैक्स देता है और जिनकी आमदनी डेढ़ लाख होगी उसी को यह टैक्स देना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकम टैक्स भारत सरकार लेती है और उसी इनकम के ऊपर यह दूसरी बार टैक्स ले रहे हैं। इसमें इन्डिविजुअल जो सैलेरी हो, वेजेज हो चाहे किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहा हो, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कई प्रकार के टैक्स देता है। इस प्रकार यह टैक्स लागू किया गया है, यह अनकांस्टीट्यूशनल, अनजस्टिफाइड है और इससे मात्र यह 14 करोड़ की आमदनी एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इस 14 करोड़ में राजस्थान की जनता बड़ी असमंजस में है कि किस–किसको इसके दायरे में सम्मिलित किया गया है। मैं आपको यहां तक कहना चाहता हूं कि यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है आपके यहां पर विधान सभा सचिवालय के अंदर जाओ तो एम. एल. एज. की तनख्वाह नहीं बना रहे हैं ये कह रहे हैं हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि इसमें कौन–कौन सी चीज प्रमाणित होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : इसलिये जब यहां पर बैठे हुये लोग जो रात–दिन काम करते हैं, उनको ही स्पष्ट नहीं है कि यह टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है तो राजस्थान की जनता कहां तक यह मालूम कर पायेंगी। इसलिये यह बहुत कन्फ्यूज्ड मामला हैं। आज 200 रुपये लगाया है उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में राजस्थान

(श्री सांवर लाल)

के लोगों के ऊपर और भी ज्यादा यह बढ़ा सकते हैं, यह घोर अन्याय है। जिस प्रकार औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, राजस्थान में कमाने वाले, नोकरीपेशा, मजदूरी करने वाले लोगों पर यह टैक्स लगाया है यह कतई उचित नहीं है अपने आपको डेमोक्रेटिक और लोक कल्याणकारी सरकार कहने वाली, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि जनहित में मात्र 14 करोड़ आपने कहा है, इस 14 करोड़ से आपका खजाना भरने वाला नहीं है क्योंकि आज तक आपने ऐसा कोई लोक—कल्याण का काम नहीं किया और 14 करोड़ से कुछ होने जाने वाला नहीं हैं। लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, लोगों को पता नहीं है कि आप इसको कहां तक ले जाएंगे किस एक्सटेंट तक लोगों को सम्मिलित करेंगे इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस टैक्स को सरकार वापस विद्ड्रा कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का है। उपाध्यक्षजी, जैसी कि सदन में चर्चा चली, पिछले बजट के समय भी इसी प्रकार का एक बिल हमारे सामने आया था और उसमें बहुत विरोध हुआ। जनता की तरफ से विरोध हुआ, यहां सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से उसका विरोध हुआ। और उस वक्त की हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने उसको वापस लिया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं जनमत जानने के लिये, कि इसमें जो प्रभाव में आयेंगे लोग—बाग, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। इतने लोग इससे प्रभावित होंगे कि बेशुमार लोग—बाग इस परिधि में आयेंगे। इस वक्त मैं, जो इस बिल मे क्लाजेज दिये गये हैं, उन्हीं तक अपनी बात को सीमित रखता हूं। अभी चर्चा आयी थी डेढ़ लाख और यह न तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने यहां बिल को विचारार्थ रखने के लिये किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है और न इस बिल मे मंत्री महोदय कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं। यदि अमेंडमेंट लाते, हमें पता लगता कि क्या अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। उस हिसाब से हम अपनी बात कहते। लेकिन इस वक्त जो बिल एज—एट—इज हैं, उसी की धाराओं पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल में क्लाज 3 है, कौन आदमी इसमें प्रभावित होगा, किस पर यह टैक्स लगेगा इसमें सरकार ने पावर्स अपने लिये हैं। मैं एक लाइन पढ़ सकता हूं। Subject to the provisions of Article, 276 of the Constitution of India and of this

(श्री शिवनाथ सिंह)

Act, there shall be levied collected a tax on professions, trades, callings and employments at such rates not exceeding Rs. two thousand five hundred per annum per individual person as may be notified by the State Government in the official gazette. माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने एक सीमा तो रख दी कि ढाई हजार से ऊपर टैक्स नहीं होगा लेकिन कितनी सीमा तक, कितनी आमदनी तक यह वसूल नहीं होगा उसके क्या स्लेब्स होंगे। वह अभी तक हमारे सामने नहीं है, न वित्त मंत्रीजी ने हमको दिये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इससे बचेगा नहीं। अभी जैसी चर्चा चली कि डेढ़ लाख की बात हमारे सामने आयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज डेढ़ लाख की जो इन्कम है और इन्कम टैक्स पेई है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, इससे बच नहीं सकता है। जिसकी भी इन्कम डेढ़ लाख है उसको यह टैक्स देना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी, मुझे यह बताएं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जिसकी डेढ़ लाख की इन्कम हैं, रिटर्न में दिखाता है, उसको टैक्स नहीं देना होगा। जितने भी एग्जम्पशंस इन्कम टैक्स एक्ट में है, उन सबको देखते हुए भी डेढ़ लाख वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। इसलिये हम स्पष्ट रूप से यह मानकर चलते हैं कि जिस भी व्यक्ति की आमदनी डेढ़ लाख होगी उसको इस बिल के प्रावधानों के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरे और क्लाजेज हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और वह एम्प्लायर को भी कराना जरूरी है। एम्प्लायर के माध्यम से नहीं देना चाहे तो एम्प्लॉयी को भी कराना जरूरी है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसके लिये बहुत बड़े प्रावधान रखे गये हैं। जब टैक्स देना ही है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हैं। लेकिन इसी सन्दर्भ में मैं आपसे आगे निवेदन करना चाहूंगा रिटर्न जो फाइल करने आये, उसके भी प्रावधान हैं। उसके अन्दर भी पैनल्टी है। आखिरी क्लाज, क्लाज 26 मुलाहिजा फरमायें। क्लाज 26 में आपने कहा है, मैं पढ़ देता हूं। आपने कहा है Offences and Penalties. Any person or employer who, without sufficient cause, fails to comply with any of the provisions of this Act or such rules made there under, the prescribed authority may direct that such person or employer shall pay by way of penalty, a sum not exceeding rupees one thousand and when the offence is a continuing one with a penalty not exceeding rupees twenty five per

(श्री शिवनाथ सिंह)

day during the period of the continuous of the offence." मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि जब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की पैनल्टी रख दी, रिटर्न फाइल नहीं करने पर हमने पैनल्टी रख दी तो कौन से इस प्रकार के आफेंसेज हैं जिनके लिये यह क्लाज 26 आप रख रहे हैं। मेरी समझ में, पूरे क्लाज, बिल को पढ़ने के बाद में एक भी ऐसा एक्शन नहीं बचता है किसी इंडिविजुअल का या एम्प्लायर का जो इसमें आफेंस की तारीखं में आये। माननीय वित्त मंत्रीजी इसको दिखलाएं और मेरे खयाल से यह बिलकुल ही रिडंडेंट है और इसको देखने में कोई तुक मुझे नहीं लगती है।

दूसरा क्लाज 18, माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज 18 है Liability under this Act to be the first charge. दूसरे कोई भी कानून जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर फर्स्ट चार्ज रखा गया हो पहले, और आप यह कह रहे हैं कि किसी भी कानून में होते हुए हमारा इस बिल के माध्यम से जो टैक्स बनता है, रेवेन्यू बनता है, वह फर्स्ट चार्ज होगा। माननीय वित्त मंत्रीजी, मै निवेदन करना चाहूंगा लोग–बाग बैंकों में अपनी सम्पत्ति, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और उनका फर्स्ट चार्ज, बैंक का चार्ज उस पर है। कैसी दुविधा बनेगी जब बैंक अपना रुपया वसूल करना चाहेगा, कोर्ट में दावा करेगा और दावा करने के बाद वसूली की बात होगी तो बैंक कहेगा कि हमारा फर्स्ट चार्ज है, आप कहेंगे हमारा फर्स्ट चार्ज है और इसी प्रकार से दूसरे एक्ट में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने यह प्रोविजन रखा है इससे पहले जितने भी दूसरे एक्ट बन चुके हैं, यदि उनमें यह प्रावधान है राजस्थान के एक्ट्स में कि फर्स्ट चार्ज उनका होगा तो उनको ओवर–राइट कैसे कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार के ये जो बिल हैं, उसमें बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनको देखने की आवश्यकता है और समाज के सभी वर्गों की इसमें राय लेना और उनसे जानकारी लेना, उनकी पीड़ाओं को सुनना हमारे लिये जरूरी है। अब इस बिल को यदि दो महीने बाद में, 4 महीने बाद में हम पास करें, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 12 महीने, डेढ़ साल पहले भी इंतजार कर लिया। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसको सिम्पलीफाई करने के लिये और जस्टिफाई करने के लिये यह जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि बिल का जो क्लाज 3 है, यह बहुत ही भ्रामक है। आप इसको किस सीमा तक करना चाहते हैं, आप इस बिल में संशोधन लाइये। आपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डेढ़ लाख किया है, स्लेब किये है, तो वे स्लेब आपने जो डेलीगेटेड पावर्स लिये हैं उसमें भी कहीं आपका जिक्र नहीं है कि आप किस सीमा तक इसको रखना चाहते हैं, क्या स्लेब

(श्री शिवनाथ सिंह)

रखना चाहते हैं। इसलिये इस बात को, डेढ़ लाख का प्रावधान रखने का यदि आपके मन में है तो आप इस बिल में संशोधन ले आइये और उसके माध्यम से इसको कीजिए। आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से, मेरे खयाल से यह उचित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए ताकि सब समूह की, सब वर्गों की बात हमारे सामने आ सके। धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरड़क।

मांग

विधायक कोष की राशि में बढ़ोत्तरी

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा चाहूंगा, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात उठाने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय हैं जिसने सभी सम्मानीय सदस्यों को चिन्तित और उद्वेलित किया हुआ है। बजट वैसे तो टैक्निकली कल पास हो चुका है लेकिन उसकी अन्तिम कड़ी आज है। हम आज तक इंतजार कर रहे थे कि सम्भवतः हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है उसके ऊपर सरकार विचार करके हमें आज निर्णय सुनाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, 2 तारीख को विधान सभा का सत्र समाप्त हो रहा है और 2 तारीख के पश्चात् हम सब अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाएंगे। सदी का भीषणतम अकाल है और इस अकाल में, दो ढाई महीने तक जनता को जूझना है और हमको भी जूझना है। जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र की जनता हमसे अपेक्षा करेगी। कई जगह पर पेयजल की समस्या, हैण्ड पम्प खुदवाने की आशा करेगी। कई जगह पर पाइप लाइन बिछवाने की करेगी। कच्चे काम में, पक्के काम की भी जनता उम्मीद करेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो हमारे विधायक कोष का अमाउंट है वह सिर्फ 25 लाख रुपये है। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस सत्र के अन्दर सरकार अन्य कई राज्यों की तरह से विधायक कोष को 25 लाख रूपये से 50 लाख रुपये करेगी। मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिहार के अन्दर एक करोड़ रूपये का प्रावधान हैं, दिल्ली के अन्दर एक करोड़ रूपये का प्रावधान है, महाराष्ट्र के अन्दर 60 लाख रुपये का प्रावधान है, मध्य प्रदेश के अन्दर 50 लाख रुपये का प्रावधान है। नागालैण्ड और अरुणाचल जैसी जगह पर भी वहां पर पचास–पचास और साठ–साठ लाख रूपये का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वित्त मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है कि इस विषय मे गम्भीरता से विचार करें क्योंकि इसमें राज्य सरकार के ऊपर कहीं पर भी कोई वित्तीय बोझ नहीं आता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे एडिशनल चीफ इंजीनियर, उदयपुर, वह हैण्ड पम्प की अगर कहीं मांग आती है तो वह हैण्ड पम्प स्वीकृत कर देते हैं, अगर यही पावर्स

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

विधायकों को दे दी जाए तो हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और जगह–जगह पर हैण्ड पम्प की मांग आएगी, सिर्फ हमें तो स्वीकृत करने की पावर्स मिलनी चाहिए, उसके बाद एग्जिक्यूशन तो पी. एच. ई. डी. को करना है। इसी प्रकार से अल्प बचत का जो पैसा है, वह कलेक्टर महोदय के माध्यम से सैंक्शन होता है, उसमें हमारे प्रस्ताव से वह पैसा सैंक्शन हो जाए। इसी प्रकार से स्मॉल स्कीम्स का, एस. एस. ओ. का जो पैसा है, वह उसको डाउटेलिंग करने की जरूरत है इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संरकार अन्य राज्यों की तरह से 25 लाख से 50 लाख रूपये करे। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली रखो। चाहेंगे जितने लोगों को बुलाऊंगा, आप विराजिये न। सबको बुलाऊंगा।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि पचास लाख की जगह एक करोड़ की मांग रखें ताकि एक करोड़ हो सके।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक मिनट । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में टुअर करने के लिये पांच दिन का प्रावधान है। पांच दिन का। दस–दस, बारह–बारह साल से पंचायत समिति की जीपें बिलकुल खटाला हो गयी हैं और हमारे तहसीलदार की तो बिलकुल नई–नई जीपें हैं। एस. डी. ओ. की बिलकुल नई–नई जीप और विधायक धक्का देने वाली उन जीपों के अन्दर पांच दिन कैसे इस अकाल के समय में ढाई महीने तक टुअर कर सकेगा इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निर्देश दिलवाइये कि कलेक्टर पूल के माध्यम से पूल से पांच दिन के लिये या सात दिन के लिये विधायकों को वाहन उपलब्ध कराये और इसमें फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : फाइनेंस मिनिस्टर साहब, सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के ऊपर एक पैसे का भी इन दोनों मांग को मानने के अन्दर कहीं पर भी वित्तीय रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरे खयाल से अधिकतर विधायकों की और सभी विधायकों की यही भावना है इसलिए कृपया वित्त मंत्रीजी, इस विषय के अन्दर स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : शैलेन्द्रजी जोशी। विराजिए, प्लीज। बैठिये–बैठिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान विधान सभा के सदस्य से बहुत ज्यादा अपेक्षा की जाती है। जनता में, खासतौर से ऐसे समय में जब राजस्थान एक दुर्भिक्ष के दौर से

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गुजर रहा है। हम अभी सत्रावसान होने के बाद जब क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र का हमें एक–एक जगह का दौरा करना पड़ेगा। चाहे वह निरीक्षण के कार्य देखने हो अकाल के। भले ही हैण्ड पम्प की कहां जरूरत है, पानी की कहां जरूरत है, तलाई का कहां काम हो रहा हैं, उसके लिये हमें भ्रमण के लिये वाहन चाहिए किन्तु अभी तक जो व्यवस्था की गयी है, राजस्थान सरकार की ओर से वह समुचित नहीं है बिलकुल नगण्य प्राय है। उसके तहत पंचायत समिति के वाहन जो खटाला हैं, जिनमें चलने की स्थिति नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दो, वह तो बात हो चुकी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार आदेश दे कि जिला पूल से हमें अच्छी कंडीशन की गाड़ी सात दिन के लिये उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एम. एल. ए. फण्ड से आज पूरे भारत के अन्दर जो स्थिति है, उसी इक्वल फुटिंग पर हमको रखा जाए। बिहार के अन्दर एक करोड़ मिलता है, मेघालय में 65 लाख, आन्ध्रप्रदेश में 55 लाख, महाराष्ट्र में 50 लाख, एम.पी. में 50 लाख और दिल्ली में एक करोड़......(व्यवधान)वहां पर अभी डेढ़ करोड़ किया गया है। अभी किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज एस. ई. एडिशनल चीफ इंजीनियर डेढ़ करोड़ के हैण्ड पम्प, उन्हें मालूम नहीं है कि कहां होने चाहिए या कहां नहीं होने चाहिए, फिर भी उनकी पेन से हो जाते हैं और एक विधायक जिसको एक–एक गांव और ढ़ाणी का मालूम है कि हैण्ड पम्प यहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, उसको चिन्हित मालूम है कि यहां--यहां चिन्हितीकरण होना चाहिए, हैण्ड पम्प का, उसके बाद भी उसके हाथ में यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : हम घेराव करेंगे आपका ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। आपका काम करने जा रहे हैं। वह आपके काम से ही जा रहे हैं, जाने दो, इनको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे एक--एक निर्वाचन क्षेत्र में जब पन्द्रह–पन्द्रह, बीस–बीस लाख के हैण्डपम्प एक एस.ई. और एडिशनल चीफ इंजीनियर के कहने से लगाते हैं तो वह राशि हमारे कहने से, विधायक महोदय के कहने से, उनकी अनुशंषा से वह राशि खर्च हो, जिससे कि हम जनता के साथ समानता का और समान क्षेत्र में सन्तुलन का वादा जो करके आये हैं, उसको कर सकें। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि आज हमें लिपिक सहायक नहीं मिल रहा है जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने, केरल असेम्बली में लिपिक सहायता मिली हुई है। हर विधायक को एक अशंकालीन लिपिक मिलता है और यदि वह विधायक अंशकालीन स्टेनोग्राफर नहीं लेना चाहता है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

तो उसे दो हजार रूपये मिलते है। ऐसी स्थिति में और वह लिपिक, वह उनके लिए डिस्ट्रिक्ट का होगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस लिपिक, स्टेनोग्राफर के लिए आहरित करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में, आपकी भावनाओं को समझ गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मेरा अन्त में यह निवेदन है कि एक एम.एल.ए. फण्ड को 25 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाए। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिये जिला पूल से कलेक्टर के माध्यम से सात दिन के लिए व्हीकल अवेलेबल किया जाए। इसके अतिरिक्त हमें एक लिपिक सुविधा दिलायी जाए और यह अल्प बचत का पैसा जिसको माननीय जिलाधीश महोदय मन में आये जिस फण्ड में खर्च करने को तैयार हैं, वह भी विधायक की अनुशंषा से ही खर्च हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। माननीय विराजिए, नम्बर आ रहा है, सबको बुलवाउंगा। आप चिन्ता मत करो।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से.....(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : बिल बिल में गया।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा। बिल आ जाएगा। बिल खतम थोड़े ही हुआ है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं बस एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्या, आप विराजिये, आप बीच में बोल रही है। आप विराजिये, एक मिनट।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यहां अकाल की बात सब करते हैं लेकिन जहां बाढ़ आती है उसकी बात कोई नहीं करता हैं। हमारे यहां बाढ़ आती है और उससे सड़कें इस हालत में हो गयी हैं कि सड़कों का नामोनिशान भी नहीं रहा है।

श्री ललित भाटी : दूसरी बात हो रही है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है, उसको भी अतिरिक्त बजट दिया जाए ताकि.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आर्डर, आर्डर।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : बाढ़ हमारे यहां आती है। कैसे नहीं आती है। बरसात में आती है, उसकी वजह से कई सड़कें खराब हो गयी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कोई बात नहीं। कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। विराजिए आप।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : नहीं, तो हमारे बाढ़ के कारण से खराब स्थिति है। सड़कों पर जा नहीं सकते हैं, हम हमारे

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

मुख्यालय, विधान सभा क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। किस तरह जाएं हम हमारे विधान सभा क्षेत्र में। आज अकाल की बात सब करते हैं लेकिन यहां पर बाढ़ आती है, उसकी बात कोई नहीं करता है। इसलिए हमारे क्षेत्र में भी अतिरिक्त बजट दिया जाये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक करोड़ रुपया मांग रहे हैं अकाल पर और आप सड़क पर आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंहजी ने जो बात यहां पर उठायी है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे तो केस कमजोर हो जाएगा।

श्री ललित भाटी : उनकी अभिव्यक्ति से अपने आपको जोड़ते हुए और पूरे सदन की भावना से आपको अवगत कराना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक पहलू और जो वित्तीय भार नहीं पड़ने की सारी बातें बांदीकुई और भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहे यहां बैठे हैं, चाहे वहां बैठे हैं, हम सब राजनीतिक जमात के लोग हैं। हम कोई साधु समाज से यहां नहीं आये हैं। और अगर हमारा राजनीतिक सोच इस दृष्टिकोण में स्पष्ट नहीं होगा कि हम हर माननीय सदस्य जिसकी यहां हैसियत समान है, यहां सबकी हैसियत समान है, वह अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किस तरीके से जनता की और ज्यादा सेवा कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमने करोड़ों, अरबों रुपये का बजट यहां पर पास किया और वह प्रदेश की जनता की बहबुदी के लिये हमने पास किया। उसमें हमने किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात नहीं की है। यहां पर माननीय सदस्यों की जो भावना है, वह अपने–अपने क्षेत्र में, प्रदेश की जनता के लिये विकास कार्य करने की है, मगर उसमें मैंने जो राजनीतिक पहलू की बात की है क्योंकि आज हमें जो मेण्डेट मिला है, 155 की संख्या के अन्दर हम आये हैं और आने के बाद मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रीजी ने पांच लाख से 25 लाख की है, उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि जन अपेक्षाएं विधायकों के साथ बढ़ी हैं और उपाध्यक्ष महोदय, यह जन अपेक्षाएं रोज बढ़ रही हैं। अकाल की स्थिति में ज्यादा बढ़ रही हैं। आज गांवों के अन्दर जे.आर.वाई. के माध्यम से एक सरपंच एक–एक लाख रुपये का काम करता है अगर हम एक–एक माननीय सदस्य की पंचायतों को लेवें तो 25 लाख का डिवीजन करें तो पचास हजार भी पाती नहीं आते हैं तो सरपंच से भी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी गहलोत। (व्यवधान) लेते हैं, लेते हैं। पहले इनको निपटा दें।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में जिस भावना को रखा है, मैं चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनके विचार भी आएगें रूकों। बुलाएगें। इनको भी बुलाएंगे। इनको बोलने दो। आर्डर–आर्डर, बोलेने दो न।

श्री जनार्दन गहलोत : जहां सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे वह इधर बैठे हैं, चाहे उधर बैठें हैं। इसमें पहले 10 लाख रुपये का प्रावधान था एम.एल.ए. को अपनी सुविधा के काम कराने की। हम आभारी हैं मुख्य मंत्री जी के, कि जिन्होंने पिछली बार 10 लाख से बढ़ाकर इसको 25 लाख रुपये किया। सही मायने में यह पैसा राज्य के कोष में रहता हैं, एम.एल.ए. के पास नहीं रहता हैं। जो कुछ कर सकते हैं, खाली चिट्ठियां ही तो देनी पड़ती हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ राजस्थान सरकार के खजाने का पैसा वित्त मंत्रीजी अलग–अलग विभागों के अन्दर खर्च हुए। हम केवल मात्र यही तो चाहते हैं कि हमारी चिट्ठी के आधार पर हमारी प्राथमिकता हो जाए। इसके अलावा हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। न आपके ऊपर भर डालना चाहते। राज्य के खजाने में वित्त मंत्रीजी, विभाग के अन्दर जो पैसा खर्चवा रहे हैं उसके अन्दर हमारी इतनी–सी भावना हैं सदन की। आज अकाल की बड़ी खराब हालत हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य राजस्थान के सभी जिलों का दौरा करके लौटे हैं। जो यहां मौजूद हैं उनको मालूम हैं राजस्थान के अन्दर भीषण हालत हैं। सबसे ज्यादा अकाल की खराब हालत हैं पानी की। पानी की जिस प्रकार की हालत पूरे राजस्थान में हैं, उससे मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य परिचित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक ही बात कहनी हैं और वह यह हैं कि जो 25 लाख रुपये की राशि हैं, मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफ अकाल की मार हैं। अकाल की बहुत खराब हालत हैं, आपको उसमें भी बहुत पैसा खर्चना पड़ रहा हैं। इसमें अपना दृष्टिकोण जहां तक हैं, इस राशि को 50 लाख रुपये किया जाना चाहिए और उसके अन्दर आपको मेरा एक सुझाव हैं। मैं सोचता हूं कि 25 लाख रुपये की राशि केवल आप एम.एल.एज. को पी.एच.ई.डी. में कर दें तो मैं सोचता हूँ पानी की जिस प्रकार की हालत हैं, उस हालत के अन्दर हम पानी के कामों को ज्यादा प्रायोरिटी से कर सकेंगे।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर निकला

(श्री जनार्दन गहलोत)

हुआ है पहले, कि माननीय विधायक महोदय जब भी अपने विधान सभा क्षेत्र में जाएं तो पंचायत समिति की गाड़ी का पांच दिन इस्तेमाल वह अपने दौरे पर कर सकते हैं। सात दिन हैं। सर्कुलर गया हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : गया हुआ है। गया हुआ है, आपको मालूम नहीं है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उधर सामने बैठे हैं, उनके वहां प्रधान नहीं हैं। कई ऐसे विधायक हमारे में से हो सकते हैं उनके यहां बीजेपी के प्रधान बैठे हुए हों। कभी भी बी.डी.ओ. को गाड़ी देने के लिये अलाऊ नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश हैं एक सर्कुलर राज्य सरकार द्वारा जाना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी उस पर आदेश करें। चीफ सेक्रेट्री महोदय जिला कलेक्टरों को आदेश दें कि पूल में से कोई व्यक्तिगत कार्य, निजी कार्य के लिए नहीं। कोई एम. एल.ए. अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। महीने में सात दिन उस गाड़ी का इस्तेमाल क्षेत्र की समस्याओं को, वहां के निवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए सात दिन गाड़ी पूल में से उपलब्ध हो। मैं सोचता हूं राज्य सरकार ने सभी संसद सदस्यों के लिए प्रावधान आलरेडी कर रखा है और वह आज भी राजस्थान के अन्दर जहां-जहां भी जाते हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी भारत सरकार ने नहीं किया, राजस्थान सरकार ने किया है।

श्री जनार्दन गहलोत : चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब राजस्थान सरकार ने किया है तो एम.एल.एज. को वंचित क्यों रखा जाए ? उसको जिला पूल में से कर दिया जाए।

तीसरी बात, खास तौर से बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार ने यह किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सही बात हैं। यह दोनों सर्कुलर मेरे पास उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिला अध्यक्षों, जिला कलेक्टरों और कमिश्नरों को यह हिदायत दी हुई है कि पूल में से उनको गाड़ी उपलब्ध करायी जाए। जहां तक मैं सोचता हूं वित्त मंत्रीजी बड़े चिन्तित हैं, खासतौर से सी. पी. जोशी साहब भी काफी चिन्तित रहते है। सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा है। राजस्थान में कई जगह उनको निकालने की नौबत आ रही है। उनको कम करने की नौबत आ रही है, फिर भी कम नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी की बात मैं सुन रहा था, आज लाबी के अन्दर भी सुन रहा था, एम.एल.ए. विधान सभा में कुछ सीखने के लिए आते हैं और

(श्री जनार्दन गहलोत)

नये विधायकों को तो और ज्यादा सीखना पड़ता है और मैं सोचता हूं कइयों को यहां पर, इसी विधान सभा के अन्दर कई बार जब नरोत्तम लाल जोशी यहां पर विधान सभा के अध्यक्ष थे, पांच-पांच आदमी विधान सभा के लगा रखे थे कि एम.एल. एज. को यह सिखाया जाए कि कैसे प्रश्न लगते हैं, कैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाता है। आज हालत यह है, हम लोग राजस्थान की जनता की नुमाइंदगी यहां करने आते हैं। आज हमारे कागजों को तैयार करने के लिये अगर आपका हर कलेक्ट्रेट से या जिला कार्यालय से एक–एक आदमी अटैच कर दिया जाए, हम यह नहीं कहेंगे कि परमानेंट हमको कर्मचारी दिये जाएं। जैसे किसी माननीय मंत्री को, आज प्रद्युम्न सिंहजी जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने किसी को गनमैन अटैच कर रखा है, वैसे ही आप एक–एक लिपिक को, अच्छा कोई खर्चा बढ़ नहीं रहा। वित्त मंत्रीजी, कोई खर्चा नहीं बढ़ रहा। एक–एक लिपिक, एक–एक एम.एल. ए. के पास, 200 एम.एल.एज. के साथ अटैच कर दें। केवल मात्र 150 एम.एल.एज. को ही तो अटैच करने हैं, इसके अलावा वो किसी को करना नहीं। ताकि तो हमारी क्षमता राजस्थान की जनता की सेवाएं करने के लिए वह लिपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारी....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरप्लस बहुत है। प्रत्येक जिले में सरप्लस हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : विधान सभा क्षेत्रों से आने वाले लोगों की समस्याओं के पत्र हमारे विधायक लिखवा सकें, उनका जवाब दिलवा सकें।

आज इतने ढेर सारे विधान सभा से कागज आते हैं, इन कागजों को आज यहां सदस्य बैठे हैं, मैं सोचता हूं मुश्किल से बहुत कम लोग होंगे जो यह कह सकते हैं कि पूरे कागजों को, पूरी किताबों को पढ़ते हैं। वह जाती हैं और हमारी अलमारियों में रख देते हैं। उनको पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं हैं। इसलिए हमको एक–एक लिपिक सिर्फ अटैच कर दें, परमानेंट न दें। जब तक वह एम. एल. ए. है, तब तक अटैच कर दें। जब कोई सदन के दूसरे माननीय सदस्य आ जावें, वह उनके साथ अटैच हो जाएं। ऐसा एक आदेश आप फरमा दें तो मैं समझता हूं इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार आने वाला नहीं हैं। वित्त मंत्रीजी अभी कहेंगे मुझे मुख्यमंत्रीजी से पूछना हैं। पूछना जरूर चाहिए। मुख्यमंत्रीजी का आदेश तो आवश्यक है। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं सोचता हूं कि यह सारी ऐसी बातें है जिससे राज्य सरकार पर आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है। जितनी आपकी योजनाओं का जो पैसे का आपने प्रावधान किया हैं, इस बजट में उनके ऊपर हमको खर्चने का प्रावधान, प्रायोरिटी इन एम.एल.एज. को मिल जाए जिनके दस्तखत के बाद वह आदेश जारी हो जाएंगे। क्योंकि आज वह पॉवर्स आपके डिपार्टमेंट के लागों के पास है। वह एम. एल. एज. को मिल जाएंगे। इतनी ही तो बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप

(श्री जनार्दन गहलोत)

इस आसन के ऊपर बैठे हैं और हमारी भावनाओं से आप भी सहमत होंगे क्योंकि आपने भी वह सारा जमाना देखा है। आसन पर बैठकर हमारी इसमें आप मदद करें। हमारा आपसे भी निवेदन है। धन्यवाद ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर, बैठो। टाइम बढ़ाएंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा बढ़ाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विधेयक पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी बात कहने से यह सरकार कुछ विचार करने का मानस रखती हो तब तो इस विषय को कहा जाए और अगर सरकार की मानसिकता केवल बात सुनकर के यहीं समाप्त कर दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कंडीशनल बात मत करो। आपको कुछ बोलना है इस पर तो बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर बात कहने से कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि हमारे कहने से इनको कोई दर्द हो जाए और यह करते हुए भी नहीं करें, ऐसी तो स्थिति नहीं है। (व्यवधान)

हमारे बात कहने से अगर कोई इतना ही एतराज हो और हमारे कारण से आपका बना–बनाया खेल बिगड़ता हो तो हम बाधक नहीं बनना चाहते हैं आपके बीच में।

सामान्यतः निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी का राज था उस समय हमने इस विषय को रखा था और पहली बार 10 लाख रूपये वाला जो प्रोविजन किया था वो उसी के कारण से एक शुरूआत हुई। इसमें कोई दोराय नहीं कि इससे विधायक को क्षेत्र में जाने और क्षेत्र की समस्या के अनुसार वहां तुरन्त हल करने का एक रास्ता है। पैसा कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। क्योंकि किसी विद्यालय में अगर कोई टूंटी नहीं है और टंकी नहीं है और पांच हजार से भी टूंटी और टंकी लग जाती है और बच्चों को पीने का पानी मिल जाता है। तो

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं सुबह नहीं था, शाम को नहीं हूं और अब भी नहीं हूं। वातावरण बनाकर, यह सारी चर्चा आज नहीं हुई पहले भी कई बार हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका फल मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बताऊं आपको। चर्चा इस आधार पर, ज्यादा अच्छा यह होता, ग्रेसफुल यह होता कि मंत्री महोदय जब लक्ष्मण सिंहजी ने मांग खड़ी की, उसी समय तुरन्त बात कह देते। वातावरण तो आपने ही बनाया है वरना कोई के कहे बिना नहीं बोलता था। सबको यह विश्वास है कि सरकार करने वाली है तो फटाफट, इसकी चर्चा कराने की क्या जरूरत है, डू इट।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक विधायक जब गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में जाता है तो सेंट्रल एपोंसर्ड जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनका सारा पैसा स्वीकृत करने के पावर्स कलक्टर के पास होते हैं और विधायक गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में केवल मात्र उसको स्रूवल करने के लिए जाता है। उसके पास सिर्फ 25 लाख रुपये होते हैं, उन 25 लाख रुपये में जो कुछ कार्य वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर सकता है करा सकता है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से आपके लेबर के पैसे बढ़े हैं उन सबके हालात देखते हुए 25 लाख रुपये बहुत कम हैं, यह तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, इसको एक करोड़ रुपया करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा। अभी हाल ही में 6 जिलों के लिए स्कीम्स बनीं और उन स्कीम्स में 15 सौ करोड़ रुपया उन 6 जिलों के विकास के लिए आपने स्वीकृत किये। इस राजस्थान में बाकी भी और अन्य जिले हैं, उन अन्य जिलों में यदि 15 सौ करोड़ के बजाय दस–दस करोड़ रुपये भी उनके विकास के लिए दे दें तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्या वो जिले बिलकुल उपेक्षित रहेंगे ? इस तरह से यह एक भावना पनप रही है कि उन जिलों की तरफ ही आदमी अग्रसर हो और बाकी जिले बिलकुल उपेक्षित रहेंगे।

श्री रमजान खान : जिले नहीं, शहर।

श्री राजेन्द्र पारीक : शहर जो हैं इन शहरों का जिस तरह से विकास करने की ललक आपको पैदा हुई, इन शहरों को तो आप पेरिस बनाना चाहते हैं बाकी शहरों की हालत यह हो गयी कि आज न तो वहां सड़कें हैं, न वहां पर ड्रेनेज की कोई स्कीम हैं, न वहां पर सिवरेज की कोई स्कीम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्ट्रीट लाइट बंद हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : स्ट्रीट लाइट्स बंद है तो ऐसे हालात में मेरा विशेष रूप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

से निवेदन है कि एक करोड़ रुपया यह तो आप करें ही करें साथ में उन शहरों को भी, जो बड़े शहर हैं, जब अन्य बड़े शहरों को भी आप तीन–तीन सौ करोड़, चार चार सौ करोड़ रुपये देना चाहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। एक–एक तो होने दो अभी।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो बाकी शहरों को भी ज्यादा नहीं तो दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह करोड़ रुपया आप दिलाने की व्यवस्थां करें। साथ ही एम.एल.ए. कोटे का जो पैसा है वह आप एक करोड़ करें जिससे अपने क्षेत्र का विकास संभव हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री महोदय, आपका क्या विचार है ?(व्यवधान) आर्डर ,आर्डर ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से यह मांग हुई है और पक्ष और विपक्ष यह चाहता है कि एम.एल.एज. को कोई ज्यादा बड़ी सुविधा नहीं, यह सुविधा कि उनको अपने काम में जो 25 लाख जो ठाकुर साहब के वक्त में सिर्फ 10 लाख रूपये दिये थे और वो भी बडी मुश्किल से, मेरा जी जानता है। लेकिन उस सरकार ने, हमारी सरकार ने 25 लाख किये और अब सब चाहते हैं कि इनको 50 लाख कर दें।

अनेक माननीय सदस्य : एक करोड़, एक करोड़ ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक करोड़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक करोड़, एक करोड़ कर रहे हो आप, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने इनको 50 लाख कहा हैं, यह कहां से एक करोड़ की बात कर लेंगे ? यह सदन की भावनाओं का यहां सवाल नहीं है। सदन की भावनाओं का आपके सामने सवाल नहीं है, जितना मुख्यमंत्रीजी ने कहा है वो आपने कह दिया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : 50 लाख मुख्यमंत्रीजी ने कह दिया, 50 लाख आपकी तरफ से कह दो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय यों बहुत चतुर और पार्लियामेंटरी अफेयर्स में भारत में अपना नाम और रुतबा रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप रखते हो कि यह रखते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन कभी–कभी भूल भी कर देते हैं। अगर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मुख्यमंत्रीजी से मेरी बात हो गयी होती, और मुख्यमंत्रीजी ने मुझे यह स्वीकृति दे दी होती तो मेरे में यह कमजोरी होती क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता देऊं आपको। एक और सुन लो। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी 50 लाख की बात नहीं कहते तो खेतसिंहजी पांच लाख की भी बात नहीं करते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपकी भावनाओं को कह रहा हूं। सदन की भावनाएं यह हैं कि कम से कम 50 लाख रूपये देने चाहिए और मेरे पास विराजे हुए हैं वित्त मंत्रीजी। वित्त से भी बात की है। यह, यह कहते हैं कि बजट आज से 25 दिन पहले पेश हुआ था और आज आखरी जब यह बिल पास हो रहा है उस वक्त में आप यह मांग लाये है....(व्यवधान) आज नहीं कल दी होगी। तो यह कहते हैं, इनका यह फरमाना है कि अपन क्यों नहीं मुख्यमंत्रीजी और केबिनेट के साथियों से बात करके इसको फाइनल कर लें। आपकी ओपीनियन तो आ गयी है। हम आपसे ऊपर कहीं नहीं जा सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओपीनियन आप मानते नहीं हैं। बताइये, सारा सदन आपको कह रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप 50 लाख पर क्यों अटके हुए हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो करेंगे, जायेंगे कहां, लेकिन मुख्यमंत्रीजी को पूछ कर करें। आप यह चाहते हो कि हम लड़ लें।

(17.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टेलीफोन पर जब बात कर रहे थे तो 50 लाख की और कर लेते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसीलिए कुछ भी हो, आपने जो तीन सुझाव दिए हैं इनके बारे में आज शाम को मुख्यमंत्रीजी के आते ही हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो दो तारीख तक अपना सैशन चलेगा। उससे पहले—पहले हम निश्चित तौर पर ये फैसले कर लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बजट को रि—एडजेस्ट करने वाली बात ही कहां है ? बजट का कहीं पर इससे कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान) सिर्फ डिक्लेरेशन की बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अतिरिक्त पैसा खर्च होने वाला नहीं है। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर—आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके पास इतना बड़ा विभाग है। डिपार्टमेंट है, डक्टेलिंग करने की जरूरत है, अकाउन्टिंग करने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मुख्य मंत्रीजी से बात करने के लिए छोड़ दिया। अब आप छोड़ दो इस बात को, छोड़ो।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका बजट का कोई इम्पलीकेशन नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी पधार जाएंगे उनसे चर्चा करके दो तारीख से पहले आपको निर्णय बता देंगे। तो ठीक है फिर क्या बात है ? वित्त मंत्रीजी, बोल रहे है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सदन की भावनाओं का आदर करते हुए (व्यवधान) देखिए, एक बात सुनिये, इस अपनी परम्परा के अनुसार, कल माननीय लक्ष्मण सिंहजी ने कागज दिया था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए मैंने कहा कि वातावरण जानबूझकर बनाया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन तो रहे नहीं हैं, साहब। पूरा निवेदन सुनें। कल मैंने भीम से आने वाले माननीय संदस्य से निवेदन किया था कि आप कृपया इसको मुख्यमंत्रीजी को दे दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दे दिया मैंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मिल गया। बिलकुल। आप कह रहे हैं मिल गया। कल यहां साढ़े आठ बजे तक सदन हुआ। रात्रि 9 बजे केबिनेट थी और रात को 12–12.15 बजे केबिनेट से फ्री हुए और यहां पर आज चूंकि इसकी तैयारी करनी थी। रात को खाना खाया, देर हो गयी। चर्चा नहीं हो पायी है। मैं, सदन की भावनाओं को रखते हुए मेरा इसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक दफा मुख्यमंत्रीजी से चर्चा हो जाए। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपको यहां पर आश्वासन दिया और मैं भी मुख्य मंत्रीजी को आपकी भावनाओं से निश्चित रूप से अवगत करवाउंगा। मेरी पूरी सहानुभूति रहेगी।

श्री हेमन्त कुमार : एक करोड़ के लिए निवेदन करना।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। होगा जो हो जाएगा। एक करोड़।

माननीय सदस्य, बैक टू बिजनेस। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने समय रहते सदन की भावनाओं के अनुसार सबको बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इतना अधिकार तो मेरे को है, साहब।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठ गया, कितने उठायेंगे ?

श्री जनार्दन गहलोत : अब इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में इस व्यवसाय कर के माध्यम से हमने कुछ पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया। मैं केवल आपसे उस व्यवसाय कर का सारे राजस्थान में जिस प्रकार से विरोध हुआ, मुझे यह लगता है कि सरकार ने बहुत चतुराई से इस व्यवसाय कर को टुकड़ों–टुकड़ों में बांटकर लागू करने का मानस बनाया है। शायद पहली बार राजस्थान की जनता को यह एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हम ड़ेढ़ लाख से ज्यादा जिनकी आमदनी है अथवा जो इनकम टैक्स पेअर हैं, उन्हीं से यह व्यवसाय कर वसूल करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस आदमी की इनकम केलकुलेट होती है किसी कारण से वह तो राजस्थान में इनकम टैक्स देता है। केन्द्र सरकार ने अभी इनकम टैक्स पर, ड़ेढ़ लाख पर सरचार्ज और लगा दिया और उसके साथ आपने एक व्यवसाय कर और जोड़ा तो जिनकी आमदनी बिलकुल केलकुलेटेड होती हैं या जिसको वह कहीं भी छिपा नहीं सकता वह व्यक्ति तो इस आधार पर टैक्स देगा। मुझे इसमें भी कोई दुःख नहीं है कि जिसकी क्षमता हो उससे आप टैक्स लेकर के राज्य के विकास के काम में लें इससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकेगा। लेकिन कभी आपने इस बारे में गिनने की कोशिश की कि राजस्थान नहीं हिन्दुस्तान के लोग अपनी आमदनी को दिखाते क्यों नहीं हैं, अपनी आमदनी को क्यों छिपाते है ? पहले दिन से बेइमानी का रास्ता आप, मैं और सब मिलकर अपनाते हैं, कि अपनी आमदनी को टैक्स से कैसे बचाया जाए। मैं भी मानता हूं कि हमारा जो टैक्स का सिस्टम है यह आदमी को ईमानदारी से बेइमानी की ओर ले जाने की शुरूआत कराता है और इसी कारण से इस मुल्क में, मतलब चाहे कहीं से भी लें हमारी मानसिकता यह हैं कि असत्य बोलो, फरेब करो और आराम से रहो और उसी कारण से यह चोरी की स्थिति बनी है। आपने साढ़े बारह हजार रुपया महीने की जिसकी आमदनी होगी उसको इस टैक्स में छोड़ा और जैसे ही साढ़े बारह हजार से एक रुपया भी अधिक होगा तो उनके लिए आपने टैक्स की स्लैब बांधी है कि हम 100 रुपया लेंगे, 16 हजार से 20 हजार तक 150 रुपया लेंगे और 20 हजार से अधिक जिनकी आमदनी होगी उनसे 200 रुपया प्रतिमाह से लेंगे। अब आप थोड़ा–सा अनुमान करेंगे, गृहस्थी के खर्चे का तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी आदमी जिसके पास टेलीफोन हो और जिसके पास एक मोटर साइकिल हो और उसके बिजली और बच्चों की फीस का पैसा लगेगा ईमानदारी से उसकी गिनती लगायी जाए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी परिवार की तो वह टेलीफोन का कितना बिल पेमेन्ट करता है, बिजली का कितना करता है, पानी का कितना करता है और उसकी गाड़ी में पैट्रोल महीने भर का कितना लगता है। इन चारों आइटम्स को जोड़े तो मेरा ऐसा कहना है कि अधिकांश लोगों का यह खर्चा सात हजार से लेकर साढ़े आठ हजार रुपया तो उन आइटम्स में चला जाता है। अभी तो उसकी गृहस्थी का कोई लेना-देना नहीं है। और यदि वह मकान किराये का लेकर रहता है तो वह और जोड़ लीजिए तो यह जो साढ़े बारह हजार की गिनती लगायी जिसके आधार पर आपने टैक्स लगाने का मानस बनाया, उससे वास्तव में आप उस आदमी को भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स की लाइन में आने से रोक रहे हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स की रेंज में कैसे आयें और आदमी टैक्स देने की मनोवृत्ति कैसे बनाये। उसको उतना हल करो लेकिन आप इसको उलझाते चले जा रहे हो। आपने केलकूलेशन भी किया। मैंने पिछली बार भी बोलते हुए कहा कि आप केवल गणित के आंकड़े लगाकर पैसा इकट्‌ठा करने का मानस बनाकर चल रहे हैं। इसके कारण से निश्चित रूप से जो लोग ऐसा व्यवसाय नहीं करते जिनकी आमदनी का हिसाब किताब नहीं रहता है या सैलेरी पैड छोटा-मोटा जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को या ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी आपको निश्चित लगती है उसको एक और टैक्स लगाने का तरीका है वह लगा दीजिए।

मैं एक बात और कहूंगा, आपने इस बात का बिलकुल मानस बनाया है तो इस सूची में कह दिया कि आप यह टैक्स किन-किन पर लगायेंगे। अगर आप ईमानदार हो तो आपने जितने सूची में दिये हैं कि किन-किन लोगों के ऊपर टैक्स में हम इनको इन्क्ल्यूड करेंगे, 21 लोगों की सूची बनायी है। अगर इन 21 लोगों की सूची पर स्टैण्ड करें कि हम इस व्यवसाय कर को इस सीमा से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर इस सीमा से बाहर नहीं जाने देंगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा इस बात में कि कम से कम इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों को जिनकी डेढ़ लाख से ज्यादा आमदनी है और जो इनकम टैक्स पेअर हैं, उनसे ही आप वसूल करें, कोई एतराज नहीं है लेकिन यह नहीं कि कल आपने गली बनायी इस व्यवसाय कर की और आज आप इनकम टैक्स की डेढ़ लाख की सीमा में जा रहे हैं। कल आपको थोड़े और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसके नीचे उतर आयेंगे फिर उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो फिर और नीचे उतर आयेंगे। या तो इस मानस के साथ कहें कि वास्तव में हमने जो रेंज बनायी है, मेरी तो आपसे प्रार्थना है क्योंकि डेढ़ लाख पर उधर भी इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगा है। अगर आप इस रेंज को बढ़ा सकें और बढ़ाने के बाद इसका जो आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अमाउन्ट किया इस अमाउन्ट को आप अगर बढ़ा सकें क्योंकि वे लोग अब छूट नहीं सकते जिनकी इससे अधिक आमदनी है उन लोगों के ऊपर आप सौ रुपया और दो सौ रुपया जो रखा है उसको भले ही आप बढ़ा दीजिए लेकिन इस रेंज को आगे बढ़ायें। कम से कम आप जो डेढ़ लाख है उसको दो लाख तक ले जाइये। दो लाख से अधिक जिनकी आमदनी है। उनके ऊपर आप इस टैक्स को लगाकर जितना केलकुलेशन आपको करना है, जितनी आमदनी आपको चाहिए उसे आप करें परन्तु इससे नीचे रेंज नहीं आये नहीं तो आदमी झूठें अकाउन्ट्स देकर अपने आपको बचाने की कोशिश करेगा। केवल सैलेरी हैड वाला व्यक्ति नहीं बच सकेगा। बाकी सारे लोग इसमें अपने व्यवसाय में बचाकर हिसाब किताब दिखाकर आपको डेढ़ लाख से ऊपर अपनी आमदनी नहीं बताएंगे। फिर ना तो आपको इनकम टैक्स मिलने वाला है ना कुछ और तो भविष्य में इनकम टैक्स पेअर बननां चाहते हैं और जो देने की मंशा रखते हैं कि हम भी सूची में आ जाएं। पहले बीच का एक ऐसा समय आया था कि लोग यह सोचते थे कि मैं इनकम टैक्स पेडर हूं तो वह अपने आप में क्वालिटी मानता था और आदमी इनकम टैक्स पे करने की कोशिश करता था कि मैं भी थोड़ा बहुत दे ही दूं लेकिन अब आपने जो टैक्स की नयी प्रथा तो प्रारम्भ की है इससे लगेगा कि व्यक्ति इनकम टैक्स पे करना ही नहीं चाहेगा और अपने मनगढ़ंत अकाउन्ट्स पेश करेगा। बाकी बच्चों की जो ट्यूशन फीस देते हैं न हम, स्कूल और कालेजेज, में से अगर उसकी रसीद मांग ली जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग इस रेंज में आते हैं और कितने लोग नहीं आते हैं। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि आप आदमी को बेइमान मत बनाइये। उसको इस बात के लिए मजबूर मत करिये कि वह मनगढ़ंत अकाउन्ट देकर इस पाप के अन्दर भागीदार बने। आप उसको ठीक आदमी रहने दीजिये। उसी के आधार पर इसका निर्णय करेंगे तो लाभकारी होगी अन्यथा यह व्यवसाय कर छोटे–छोटे व्यावसायियों का गला पकड़ने का और दबाने का एक माध्यम आप बना रहे हो। यह राजस्थान की जनता इसको भुगतेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो पहले ही कहा था आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो इन्कम उसकी व्यवसाय से होगी उस पर ही टैक्स लेंगे या उसकी सकल इनकम पर लेंगे? जैसे कोई डाक्टर है, डाक्टरी पेशे से दस हजार रुपये कमाता है और उसकी और भी इन्कम है तो वह सब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जुड़ेगी या केवल व्यवसाय से जो कमाता है उसी पर यह कर लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उससे मान लिजिये डाक्टर भी है, आपने जैसा कहा डाक्टर है, बिजनस भी करता है, अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में रहता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजनस करता है, कोई नहीं है एक चार्टेड अकाउन्टेंट है, मान लिजिए प्राइवेट चार्टेड अकाउन्टेंट है, किसी नौकरी पेशे में नहीं है और उसका बिजनस भी है, he will have to pay only on one. अगर चार प्रोफेशन भी कर रहा है, चार प्रोफेशन पर कर नहीं लगेगा। सिर्फ एक प्रोफेशन के ऊपर कर निकलेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जो बिजनस टैक्स, व्यवसाय कर जो पिछली बार भी चर्चा में आया था और +++ सरकार ने उसको वापस ले लिया था इस बार पुनः उसको लगाया हैं। अब जो इसकी हैड लाइन्स दी हैं, कुछ और आमदनी जुटाने के सिलसिले में मैं नया व्यवसाय कर, प्रोफेशन टैक्स विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। इस टैक्स के बारे में व्याप्त भ्रान्तियों के निराकरण के लिए आज नई अधिसूचना जारी की जा रही है और उसके आगे दिया है कि कुल चौदह करोड़ वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूं पहले टैक्सों की क्या भरमार नहीं है और टैक्सों की क्या कमी है ? आप तो कल स्थिति ऐसी पैदा करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यह जजिया कर का नाम तो दिया हमारे राजेन्द्र राठौड़ साहब ने लेकिन यह क्या आज यह मलमूत्र टैक्स, कोई पेशाब करने जाएगा तो भी आप लगाने वाले हैं। घर जाओ तो टैक्स, घर आओ तो टैक्स और चिप्स खाओ तो टैक्स, पापड़ खाओ तो टैक्स, यह भी विलासिता में आ जाएगा। आप दुकान पर जाओ तो टैक्स, इतने टैक्स आप लगाने वाले हैं। टैंटों पर आपने लगाया, बाद में वापस लिया। टैंट लगाओ तो टैक्स, टैंट हटाओ तो टैक्स, यह क्या आपने जनता को बिलकुल खेल तमाशा समझ लिया बहुमत के कारण ? बहुमत मिल गया तो क्या आप बिलकुल ऐसे +++ बन गये है कि इन छोटे–छोटे टैक्सों के माध्यम से जनता को पीड़ित करना चाहते हैं,दुखी करना चाहते है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पुरानी परम्पराओं में दुकानों पर, व्यवसाय पर और गद्दियों पर मुनीम की व्यवस्था होती थी।

+++ शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मुनीम बहुत कम खर्चा करते थे। मुनीमों के माध्यम से कोई ज्यादा पेमेण्ट भी, वेतन भी नहीं देना पड़ता था परन्तु आज उन्हीं व्यवसाय करने वालों को कितने टैक्स के खाते, कितने लैजर बुक, कितने कैश बुक रखने पड़ते हैं। कितना आडिटर के द्वारा हिसाब करवाना पड़ता है। सैल्स टैक्स के वकील उनको लूटते हैं, चार्टर्ड अकाउन्टेंट उनको लूटते हैं और इसके ऊपर से टैक्सों की भरमार है। तो आप टैक्सों की भरमार से एक कंसोलिडेटैड कोई टैक्स सैल्स टैक्स के नाम से जो आप चला रहे हैं उसमें अगर आप शामिल करके कुछ ऐसा करते बढ़ाना या घटाना, लेकिन नये–नये टैक्सों का नाम देकर के, व्यवसाय कर का नाम देकर उसकी भी रेंज जो आपने रखी है, माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया महोय ने कहा है...

श्री हेमन्त कुमार : आहूजा साहब, आप तो निश्चित रहो, मूंछों पर टैक्स नहीं लगेगा। मूंछों पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। इससे डरो मत आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो मूंछें रखिये फिर अगर मूंछों पर टैक्स नहीं लगेगा तो हेमन्त साहब आप भी मूंछें रखिये ना। आप मूंछ मुण्डे क्यों हुए हो ?

श्री हेमन्त कुमार : अभी कह रहे थे कि कितना टैक्स लगाएगी सरकार, मूंछों पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी मूंछों के लिए नहीं कहा है इन्होंने। इन्होंने तो उन मूंछों के लिए कहा है जो नीची रहती है। आपकी मूंछें तो ऊंची रहती है हमेशा और आपने तो काली और कर रखी है मूंछों को। पता ही नहीं नकली है या असली है। नकली मूंछें हैं आपके तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप लटक करके देख लो। माननीय रामस्वरूपजी मीणा साहब आ जाओ, लटक जाओ और देख लो फिर एक बार मूंछों की चर्चा ख्वाहमख्वाह चलाना चाहते हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कोढ़ पर खाज की तरह, कोढ़ और ऊपर से खाज, और नहीं है इस कांग्रेस सरकार को लाज। जरासी भी लाज इन लोगों को आती नहीं है। कितने टैक्सों की भरमार कितने टैक्स लगाने के बाद भी हम लोगों को चैन नहीं आ रहा। जो सही मायने में, जिस पर सारा सदन एकमत था उस पर तो कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से राय करेंगे लेकिन यह जो टैक्सों की भरमार है, जिसमें व्यवसाय कर मुख्य रूप से जो लगाया गया है इसको विलासिता के रूप में इन्कम टैक्स के साथ नहीं जोड़कर के व्यक्ति की जो आय है उस आय को जोड़ा जाए। इसके पहले यह बीस करोड़ सालाना आमदनी होगी, यह जो किया गया,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चौदह करोड़ आमदनी होगी ऐसे कितने टैक्सों की भरमार केवल बजट में, आपको कोई शोक है माननीय प्रद्युम्न सिंहजी वित्त मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपको कोई शौक है लम्बी चौड़ी बजट की पुस्तिका छापने का तो जरूर छापिये। स्थिति ऐसी होगी, पुराने मंत्री जी चन्दन मलजी वैद बहुत अनुभव रखते थे। अनुभव के साथ सामने की सीट पर बैठते--बैठते पीछे की सीट पर चले गये और आप उससे भी पीछे की सीट कहीं और दरवाजे के बाहर न हो जाएं। इसलिए इन टैक्सों को कम करें।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, इन टैक्सों को आप चिप्स और पापड़ के साथ न जोड़ें, इनकम टैक्स और टर्न ओवर के साथ न जोड़कर जनता को राहत देने वाले टैक्स लगाएं। जिससे आपको भी राहत मिले हमको भी राहत मिले। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना मैं आज पर्याप्त समझता हूं। ज्यादा लम्बा इस विषय पर नहीं बोलूगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी, श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया था लेकिन आपकी अनुमति से मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं। कृपया अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, श्री नंदलालजी पूनिया,। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी यह प्रोफेशन टैक्स लाया गया था, यह बात सही है और पिछले साल कुछ भ्रान्तियां इस प्रकार की फैला दी गयी थी जिससे कि इस टैक्स का विरोध काफी हुआ। अन्ततोगत्वा तत्कालीन वित्त मन्त्रीजी ने इसको वापस ले लिया। इस साल जब मैंने इसको लागू किया तो मैंने पूरा प्रिकाशन बरता कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग है, गरीब वर्ग के लोग है, उन पर इसका भार न पड़े। इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखते हुए इस टैक्स का इण्ट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो लोगों के मन में एक भ्रांति है उसको मैं दूर करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले भ्रांति नहीं थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले भी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले लोकसभा भंग हो गयी थी, चुनाव का डर था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना बिलकुल कोई डर नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तारीखें देख लीजिए, यहीं चर्चा हुई थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विपक्ष के नेता महोदय, तब तो आपने लोगों में यह फैला दिया कोबलर पर लग जाएगा, बारबर पर लग जाएगा, कारपैंटर पर लग जाएगा, ब्लैक स्मिथ पर लग जाएगा, वाशरमैन पर लग जाएगा, इस किस्म की बातें आपने सारी जनता के अन्दर फैला दी थी और इसका एक बिना बात का (व्यवधान) बतंगड़ बनाकर के आपने इस बात को किया था। सर्वप्रथम तो मैं इस बात को बहुत साफ करना चाहता हूं कि इस कर की सीमा किसी भी सूरत के अन्दर 2500 रुपये साल से ऊपर हो नहीं सकती। यह भारत के संविधान में प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कबूतर पकड़ने का नया तरीका है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नया तरीका नहीं, साहब। अब आप कबूतर कहें और चाहे आप कुछ कहें। आपका तो मैं उत्तर नहीं दे सकता मेरी मजबूरी यह है। "Notwithstanding anything in Art. 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board or other local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid of the ground that it relates to a tax on income.

(2) The total amount payable in respect of any one person to the State or to any one municipality, district board, or other local authority in the State by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed two thousand and five hundred rupees per annum." तो एक बात तो मैं इसको राज्य सरकार ही सक्षम नहीं है, इस टैक्स को लोकल बाडीज भी लगा सकती है तो सबसे पहली बात तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह टैक्स किसी भी सूरत के अन्दर 2500 रुपये साल से अधिक हो नहीं सकता है, यह बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैग्जिमम इसकी लिमिट कांस्टीट्यूशन के अन्दर प्रेसक्राइब की हुई है, भारत के संविधान के अन्दर इसलिये 2500 रुपये से ज्यादा हो नहीं सकता है। और संविधान के संशोधन का अधिकार इस विधान सभा को है नहीं। वह भारत की संसद करेगी 2/3 में उसमें लम्बा प्रोसीजर है। तो लोगों के मन में जो भ्रान्ति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इस टैक्स की सीमा बढ़ा दी जाएगी, बहुत अधिक कर दिया जाएगा। वह नहीं, नम्बर—1.

श्री रामनारायण चौधरी : हमसे कितना लोगे यह बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन करता हूं, (व्यवधान) दो मिनट में निवेदन करता हूं आपको। अब एक प्रश्न यहां आया, पहले आया कि डेढ़ लाख रुपया। पिछले टैक्स में था कि इनकम टैक्स असेसीज, जैसे आप मान लीजिये इनकम टैक्स में करीब 70–75 हजार रुपये के ऊपर इनकम टैक्स का असेसमेंट शुरू हो जाता है, पेमेन्ट शुरू हो जाता है। आलमोस्ट डबल कि जिसकी डेढ़ लाख रुपये साल की आमदनी है जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है और टैक्स देता है, किन्हीं कारणों से उसको अगर एक्जम्प्शन मिल जाता है, तो वह उसके परव्यू में आएगा। वैसे मिलता नहीं है किसी भी तरीके से। कोई सेविंग्स के तरीके से और किसी तरीके से मिलता है तो he will not be covered under this Act.

फिर एक बात यहां पर हवामहल से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने पूछी कि अगर एक आदमी चार प्रोफेशन करता है तो क्या चारों प्रोफेशन के ऊपर टैक्स देय होगा ? नहीं। ऑनली एट वन प्रोफेशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने पूछा, गुढ़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि किन के ऊपर लगेगा आपने यह नहीं बताया। इसके बावजूद भी मैंने प्रिकाशन बरता है कि जिनकी 12,500 रुपये का मतलब हुआ रुपया 1,50,000 , 12500 रुपये महीने का मतलब हुआ 1,50,000 से लेकर 16,500 यह करीब 2,00,000 रुपये के करीब हो गया यह सिर्फ देंगे 1200 रुपये साल। 100 रुपये माहवार के हिसाब से देंगे। नम्बर–1, और 16,501 से लेकर 20,000 तक डेढ़ सौ रुपया महीना 1800 रुपये साल। और 20,000 से ऊपर जिनकी तनख्वाह है वह देंगे 2,40,000 से ऊपर है वह देंगे 200 रुपया महीना। अब एक प्रश्न आपने पूछा कि उसके अन्दरे माननीय रामनारायणजी ने एक सवाल पूछा कि हम पर लगेगा कि नहीं लगेगा, यह बता दें आप हमको। आप इस टैक्स के अन्दर, आपको अलाउन्सेज मिलते है, आपको डी. ए. मिलता है, आपकी सैलेरी बहुत कम है। आपकी सेलेरी कम है तो जहां तक 99.9 जो जानकारी मैंने कल परसों प्राप्त की थी आप इससे कवर नहीं होने वाले है। यह मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपका मेजर कम्पोनेन्ट जो है वह है आपका डेली अलाउन्स। हमारे ऊपर लगेगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के ऊपर लगेगा तो इसलिए मैंने कहा, फिर प्रोफेशन भी आप देखें, 21 प्रोफेशन। आपका जो एप्रिहैशन है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस टैक्स नैट के अन्दर बिना सदन की अनुमति के कुछ नहीं करूंगा यह मैं आपको विश्वास दिलानाचाहता हूं। यह मेरा एश्योरेंस है इस हाउस के अन्दर। I will not extend. I will not go beyond this list. This is my assurance. कटारियाजी ने मुझसे पूछा कि आप हमें आश्वासन देंगे। मैं बिना सदन की अनुमति से बैक डोर से इसमें किसी और को इन्क्लूड नहीं करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है की राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः खण्ड–2 से 33 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 33 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 से 33 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–6) को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–6) को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे अभी। विपक्ष के नेता महोदय बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : मैं तो एक संशय, स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने बताया कि 1,50,000 से ऊपर यह टैक्स इम्पोज होगा। अब मेरी आमद 1,00,000 रुपये है और कृषि से आय मेरी, कृषि भी प्रोफेशन है, उससे मेरी 5,00,000 है तो मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता हूं, तो इनकम टैक्स का जो स्लेब है उसका स्लेब तय करने के लिए यह 10 परसेन्ट की सीमा से टैक्स देगा या 20

(श्री जगमाल सिंह यादव)

परसेन्ट या 30 परसेन्ट, तो टैक्स का जो स्लेब निकाला जाता है उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ी जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर की इनकम मिलाकर मेरी सारी इनकम हो गई 6,00,000 और अदर दैन एग्रीकल्चर मेरी इनकम है 1,00,000 तो मैं क्या इनकम टैक्स की परिधि में आउंगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक मुझे जानकारी है। मुझे इनकम टैक्स एक्ट की इतनी डिटेल्स मालूम नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो शंकाएं हैं, (व्यवधान) वह यह है। उपाध्यक्ष महोदय मेरी आमद अदर दैन एग्रीकल्चर 1,00,000 है और उस 1,00,000 पर जब टैक्स का स्लेब निकाला जाएगा कि मैं 10 परसेन्ट टैक्स अदा करूंगा या 20 परसेन्ट या 30 परसेन्ट, मैग्जिमम 30 परसेन्ट है। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई 5,00,000 की और 1,00,000 अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम तो मेरा जो प्रोफेशन हुआ उसकी जो टैक्स की रेट निकाली जाएगी, मेरी टोटल इनकम हो गई 6,00,000 तो क्या आप एग्रीकल्चर इनकम को उस 1,00,000 के साथ जोड़ कर 1,00,000+5,00,000=6,00,000 हो गई। चूंकि एग्रीकल्चर तो पेशा है, प्रोफेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात तो आपने कह दी ना पहले। आप रिपीट कर रहे हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : या तो मैं क्लीयर नहीं कर पाया। मेरे कहने का मतलब यह है। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा। मैं इसलिए कहता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स से फ्री नहीं है। इसलिए फ्री नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, शायद इनको भ्रान्ति है कि अगर मेरी आय 70,000 है और केवल मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो मेरे को 10 परसेन्ट इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम है 5,00,000 एग्रीकल्चर से, तो उसी 70,000 पर मेरे को 30 परसेन्ट स्लेब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, बिलकुल नहीं है। एग्रीकल्चर जो इनकम है वह टैक्स के रेट....

श्री उपाध्यक्ष : हो गई ना आपकी बात। अब जवाब दे देंगे वह।

श्री जगमाल सिंह यादव : निकालने के लिए इनकम में जोड़ी जाती है उस पर टैक्स लिया जाता है। अगर 70,000 रुपये के अलावा मेरी और कोई आमदनी है तो ....

श्री उपाध्यक्ष : कह दी ना आपने यह बात।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो मैं टैक्स दूंगा 10 परसेंट और अगर 70,000 आमद है और पांच लाख की एग्रीकल्चर से इनकम तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मेरे को 30 परसेंट के स्लेब से टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए जो एग्रीकल्चर इनकम है वह टैक्स से फ्री नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है कि जो हमने प्रोफेशन्स इसमें कवर किये हैं उसमें एग्रीकल्चर नहीं है, अतः इसके अन्दर जो एग्रीकल्चर से जिनकी इनकम है, वह इसमें नहीं आयेंगे। मैंने अभी विभागीय अधिकारियों से यह पूछा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी बात समझ नहीं रहे है आप.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय विपक्ष के नेता महोदय। माननीय सदस्य, विराजिये। बात खतम हो गयी ना...

श्री जगमाल सिंह यादव : एग्रीकल्चर से..... (व्यवधान) कैसे मान लूं ,सर।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री के अलावा और किससे मानोगे आप। वह कह रहे हैं, नहीं है

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी जो शंकाएं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं ना आपकी शंका....

श्री जगमाल सिंह यादव : आपके कहने से, इनके कहने से मान लूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष : और किसके कहने से मानोगे आप यहां हाउस में ? और किसके कहने से मानोगे ? माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा। जगमाल सिंह जी ने जो बात, कही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर...

श्री हरजीराम बुरड़क : वह इस बात को समझा नहीं सके। मैं इसको क्लीयर कर रहा हूं। आपका कहना यह है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में.....

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या कहना है, जो बतायें। उनका कहना तो सुन लिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स नहीं लगता, यह बात सही है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ अगर दूसरा धंधा है तो वह स्लेब में जुड़ता है। उसकी रेट बढ़ जाती है। जैसा आपने बताया कि डेढ़ लाख पर यह लगेगा और उसके ऊपर यह लगेगा। तो उनका कहना यह है कि आपका

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जो स्लेब है वह भी इसमें एग्रीकल्चर को जोड़कर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बात यह है।

श्री उपाध्यक्ष : बात का जवाब दे दिया ना इन्होंने.... (व्यवधान) दे दिया ना जवाब...(व्यवधान) दे दिया कि नहीं लगेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका जवाब नहीं है, साहब। इसका जवाब नहीं है यह।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय मंत्रीजी खुद ही क्लियर नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने जवाब दे दिया है। अब आप उससे संतुष्ट हो कि नहीं, यह तो अलग बात है लेकिन अब इनके अलावा जवाब किससे लोगे आप यहां पर।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह इसका जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वन मोर क्लेरीफिकेशन। वन मोर क्लेरीफिकेशन। माननीय मंत्री महोदय, एक और बताइये। एक डाक्टर की इनकम एक लाख रुपया है। 24,000 का मकान किराया आता है और सोर्स से 26,000....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो व्यवसाय से कमाता है उस पर लगेगा, या उसकी पूरी इनकम पर लगेगा। यह मैंने पहले पूछा था अब फिर बताइये। व्यवसाय पर या और सारी इनकम पर ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : This is on professions, अगर उसकी आमदनी किराये से है, किराये का रुपया बाद दे दिया जाएगा। यह बात मुझसे एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने यह सवाल पूछा था मुझसे। इसलिए मैंने स्थिति साफ कर दी है आपको इसके अन्दर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता,–प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार जब यह टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स के बिल में और इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है और उस समय जब यह वापस लिया गया, उस समय यह सही है कि आन्दोलन भी हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन यह भी सही है कि चुनाव थे और चुनाव के भय से आपने इस बिल को वापस ले लिया। आज भी आपने बड़ी चतुराई से इस बिल को पायलट किया है... (व्यवधान) हां, हमने तो लिया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके मुंह से सही बात निकल जाती है कभी–कभी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी बड़ी चतुराई से यह बिल प्रस्तुत हुआ और बीच में कांग्रेस के मित्र चाहते थे कि विधायक का भत्ता, विधायक को जो राशि दी जाती है, वह बढ़े। उसकी चर्चा चलायी गयी ताकि इस कर का कोई विरोध नहीं करे। अब एक प्रकार से मुंह बंद करने की चेष्टा की गयी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस चर्चा में आपने क्यों भाग लिया अगर वह गलत थी चर्चा ? इसी वजह से चलायी गयी तो आपने चर्चा में क्यों भाग लिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने भाग नहीं लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने लिया है। आपने कहा कि कई बातें कहीं आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो चर्चा में भाग नहीं लिया। मैंने तो यह कहा था कि आप कल से तय करके बैठे हो इसलिये चर्चा कराने की आवश्यकता क्या थी। आप यह घोषणा कर देते कि इतने हम पच्चीस लाख से एक करोड़ या पचास लाख करना चाहते है। यह कोई आज की बात थोड़े ही है, यह तो कल ही तय हो गया। लेकिन आज यहां जिस ढंग से चर्चा करायी गयी इससे सारे सदन में एक वातावरण बनाया गया कि हम आपका एक करोड़ रुपया करेंगे इस बिल के ऊपर आप कुछ बोलना मत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काल्पनिक बात कर रहे हैं आप तो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा कल ही तय हो गया तो आपकी पार्टी के सैकंड लेफ्टिनेंट है, इनको अंधेरे में रखा। इनको तो पता ही नहीं था.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे का ?

श्री रामनारायण चौधरी : इनको कि यह पारित हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अंधेरे में है। इनको, हां यह बात सही है कि ....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो मांग कर रहे थे कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको पता नहीं होगा। लेकिन आपको पता था जो बोले नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स व्यवसाय कर के नाम से लग रहा है। पहले सदन इस बात का विचार कर ले कि आज ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय खुले इसकी आवश्यकता है, या व्यवसाय नहीं खुले इसकी आवश्यकता है जैसा मैंने कल कहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था कि राजस्थान में बेकारों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी नौकरियां नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुल नहीं रहीं है। लोगों के पास कमाई का किसी प्रकार का साधन नहीं है। उस स्थिति में आप यह टैक्स लगा रहे है इसका सीधा मतलब यह है कि नया कोई व्यवसाय चालू करने के पहले उस आदमी को विचार करना पड़ेगा कि मुझे इतना टैक्स देना है।

अभी माननीय सदस्य जो समर्थन कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं इस टैक्स का भार इनकम टैक्स वालों पर तो पड़ेगा ही और कमाई करते हैं, उन पर पड़ेगा, लेकिन गांवों में इस समय जितने व्यवसाय खुले हैं वह सब इस टैक्स के नैट में आयेंगे। आप चाहे चिड़ावा चले जाओ, चाहे पिलानी चले जाओ, चाहे किसी भी छोटे कस्बों में आप चले जाओ। जिन लोगों ने अपनी पूंजी लगाकर किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू किया है। चाहे किसी ने लकड़ी का व्यवसाय शुरू किया हो। चाहे किसी ने किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू किया हो। चिड़ावा के बाजार में जाने वाले जानते होंगे कि चिड़ावा में कुछ नहीं था। लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी खेती की कमाई से और बाकी के साधनों से कुछ व्यापार शुरू किया है। चहल–पहल शुरू हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी का जरिया बना है। आज यह कहना चाहता हूं कि आज उस क्षेत्र में यदि टैक्स यह लगेगा तो सबसे ज्यादा संकट वहीं आएगा। जहां ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे–छोटे कस्बों में व्यवसायियों को इस टैक्स के नैट में ले करके इसने हिसाब–किताब मांगा जाएगा और ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाये। उस स्थिति में लगाये जब व्यवसाय काफी क्षमता में राजस्थान में खड़े हो जाये। आज सबकी नीयत है कि हम कोई न कोई व्यवसाय करें और उस व्यवसाय में यदि इस प्रकार की अड़चने आ गयी। आज आप कहते हैं कि डेढ़ लाख आमदनी के ऊपर यह होगा लेकिन आप मानकर चलिये। आप नहीं कोई दूसरा आएगा। इस डेढ़ लाख के नैट में बाकी के लोगों को लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जाल बिछाया जाता है और जाल में 15–20 कबूतरों को पकड़ लिया जाये या और पक्षी है उनको पकड़ लिया जाये। लेकिन उस जाल का कोई अंत नहीं है। उस नैट का कोई अंत नहीं है। इसी तरह से व्यवसाय कर जो आप लगा रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है। यह नैट बढ़ता रहेगा।

आज आपने तनख्वाह का माध्यम रखा है 12,500 और इससे आप कम भी कर सकते हो। कोई रोकने वाला आपको नहीं है। डेढ़ लाख की आपने बतायी, इसको आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसमें भी कोई रोकने वाला नहीं है। रोक तो केवल इतनी सी है कि 2500

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुपये से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा और संवैधानिक व्यवस्था के कारण से। लेकिन आपको इस नैट को फैलाने में कोई रोक नहीं सकता। जितने व्यवसाय इसमें आपने गिनती में लिये हैं उनको ज्यादा करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप भी ज्यादा से ज्यादा यह एश्योरेंस दे रहे हैं कि इस नैट को बढ़ाया जाएगा तो विधान सभा में उसको पारित कराया जाएगा। विधान सभा में पारित कराना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आज ट्रेड एंड कामर्स इंडस्ट्रीज यह जितनी पनपेंगी उतनी ही राजस्थान की इनकम बढ़ेगी और उतनी ही राजस्थान की बेकारी की समस्या का समाधान होगा। आज 12 हजार रुपये क्या है। आप दर्जी की, नाई की बात कर रहे हैं। यहां कई सैलून ऐसे हैं जिनमें 12 हजार रुपये की इनकम कोई ज्यादा नहीं है। छोटे–छोटे धंधे सब तरह के हैं। उन धंधों में एसेसमेंट का सवाल आ गया कि आपकी 12 हजार की इनकम है या नही है। इस एसेसमेंट के चक्कर में ही लोग पड़े रहेंगे। इसलिए आज यह मौका नहीं है, इसलिए नहीं है कि राजस्थान में एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है। आप खुद भी मानते हैं कि पर केपिटा इनकम गिर रही है आप यह भी जानते हैं कि एस.डी.पी. में गिरावट आ रही है। इस सारी स्थिति में इस प्रकार का टैक्स लगायें यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा।

आप यह कहेंगे कि महाराष्ट्र में लगा हुआ है, मध्यप्रदेश में लगा हुआ है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में कब लगा, किन परिस्थितियों में लगा, लेकिन उनकी नकल करें। आज के दिन हम नकल करें यह ठीक नहीं है। विधायकों ने जैसे मांग की कि अकाल के कारण से हमें 25 से एक करोड़ रुपये की सुविधा दी जाये। आज मैं कह सकता हूं कि अकाल की छाया सारे राजस्थान में है। अकाल के कारण से व्यापार ठप्प हो रहा है। अकाल के कारण से सारी व्यापारिक गतिविधियां खतम होती जा रही है। कृपया आप लाना चाहें तो कम से कम राजस्थान में अकाल की स्थिति नहीं हो उस स्थिति में लायें। इस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था करें तो ठीक है। अभी भंवरलालजी को आप उत्तर दे रहे थे कि एक ही प्रोफेशन पर लगेगा। मैं राजस्थान में बहुत से एडवोकेट्स को जानता हूं जो केवल काला कोट पहनते हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोर्ट में जाते हैं तो लोगों से मिलने के लिये या चाय पीने के लिये जाते हैं। लेकिन वकालत की कोई इनकम नहीं है। इनकी इनकम होगी अपने पुश्तैनी मकान या पुश्तैनी धंधों से, लेकिन ज्योंही उनका रजिस्ट्रेशन हुआ वह इस नेट में आये तो दोनों इनकम निश्चित रूप से शामिल होगी। जो कमाई नहीं करता है वह जो प्रोफेशन नहीं करता है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके आधार पर उसको टैक्स देना पड़ेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी, आप इस टैक्स के बारे में यह सोचकर चलें कि राजस्थान में इस प्रकार के सेल्फ एम्प्लायड व्यक्ति ज्यादा बढ़े इसकी आवश्यकता है, या इसमें किसी प्रकार का अंकुश लगे, इसकी आवश्यकता है। आज तो गवर्नमेंट पैसा देती है, छोटे–छोटे कामों के लिये कहीं ग्रान्ट एड देती है, कहीं बैंक से लोन दिलवाती है और यह कोशिश कर रही है कि यह व्यवसाय फैले और लोगों को धंधा मिले। मैं समझता हूं यह टैक्स की इस प्रकार की स्थिति रही तो एक बार ऐसा झटका लगेगा जिसके कारण से लोग यह व्यवसाय नहीं करेंगे, हतोत्साहित होंगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि, आपने इसे न तो सलेक्ट कमेटी में दिया न पब्लिक ओपिनियन के लिये दिया और केवल बहुमत के आधार पर इसको पास कराना चाहते हैं। यह दिन आ जाएगा कि आप इस टैक्स को वापस लेंगे। और जिस दिन यह टैक्स लगना शुरू हुआ और लोगों के सामने कितना हरेसमेंट होगा, उसके बाद में आपको यह समझ में आएगा कि हमने गलती की है। मैं चाहता हूं कि यह गलती बाद में समझ आये। जैसे पिछले बिल के बारे में आपने कह दिया कि इसमें भ्रान्तियां थी वह भ्रातियां दूर कर रहे हैं। तो वह भ्रान्तियां उस समय आपकी समझ में नहीं आयी थी चुनाव के कारण से आपके भ्रांतियां समझ में आयी। उसी प्रकार की स्थिति आज बनेगी, ज्यादा अच्छा हो कि इस टैक्स को नहीं लगायें। और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आसानी से आप इस टैक्स का समर्थन कर रहे हैं, आप यह समझ लेना कि जिस दिन इस टैक्स का नेट पूरे राजस्थान में फैलेगा उस दिन अंदाज होगा कि हमने लोगों को इस व्यवसाय कर के नाम पर किस प्रकार से तंग करने की कोशिश की है। लोग पहुंचेंगे, एसेसमेंट के नाम से जायेंगे और किसी बात के नाम से जायेंगे, और यह स्थिति पैदा होगी कि कोई किसी प्रकार का व्यापार और धंधा शुरू नहीं कर सकेंगे। आज गांवों में जो छोटे–छोटे ईंट के भट्टे लग रहे है, आज ईंट के भट्टे किसमें जायेंगे ? अगर वह ईंट का भट्टा 12 हजार रुपये महीने की इनकम, यह गांवों में जो सारे धंधे चल रहें है वह सारे इस नेट में आयेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो, बिलकुल नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन आयेंगे तो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कैसे कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बतायें कैसे नहीं आयेगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे इस सदन के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सीनियर मोस्ट वयोवृद्ध नेता, अनुभवी, लीडर आफ दी अपोजिशन और मुख्य मंत्री रहे हैं 10 वर्ष, 10 वर्ष मुख्य मंत्री रहने के बाद अब तो भगवान के लिये भ्रांतियां फैलाना बंद करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें क्या भ्रांति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : भगवान के लिये भ्रांति फैलाना बंद करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बतायें कि यह टैक्स नहीं लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बातायें कि यह टैक्स नहीं लगेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जो भ्रांति मैं आज बता रहा हूं जिस समय टैक्स का नेट लागू होगा, लोगों की आंखें खुल जायेंगी। आज आपको भ्रांति लग रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह रिकार्ड में रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिकार्ड है तो देख लेना आज। इसमें कोई ज्यादा देर नहीं है। यह जो कुछ है मैंने आपको बताया कि यह नेट बढ़ेगा, यह नेट रूकेगा नहीं। आज आप लिमिटेड आइटम्स पर टैक्स लगायें, लिमिटेड प्रोफेशन्स पर टैक्स लगायें। लेकिन एक बार टैक्स का नेट शुरू हो गया व्यवसाय के ऊपर तो इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो काल्पनिक सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं काल्पनिक नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हाइपोथेटिकल सवाल है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं करता। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं कि यह काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर तो किसी के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काल्पनिक प्रश्न नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस समय आपने एंट्री टैक्स यहां राजस्थान में लगाया था। मुझे याद है विधान सभा में आपने कहा था कि तीन चीजों पर एंट्री टैक्स लगाया है। केवल तीन चीजों पर ही, आपको याद होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उस वक्त नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं तो आपकी जगह बाद में कोई दूसरा आ जाएगा, कह दें कि काल्पनिक बात है। इससे क्या मतलब है। तीन चीजों पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स लगाया था, एंट्री टैक्स लगाया था एक तो तम्बाकू पर, एक लागया था शराब पर और एक चीनी पर, तीन चीजों पर आपने एंट्री टैक्स लगाया था। अब एक ही साल में इस एंट्री टैक्स का नेट कितना बढ़ गया है ?

श्री अमराराम (धोद) : उस समय तो अफीम पर था, चीनी पर तो बाद में लागू किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि हम केवल तीन चीजों पर एंट्री टैक्स लगा रहे हैं और उस धोखे में आपने सारे सदन का समर्थन लिया और आज आप कह रहे हैं कि यह जो इसमें आइटम दिये हुए हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन आप मानकर चलिये यह व्यवसाय कर ऐसा जाल है कि एक बार आपने राजस्थान में फेंक दिया तो कोई भी व्यवसाय करने वाले, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करें इससे नहीं बचेगा और बचने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप यह कहें कि यह काल्पनिक है। उस समय मैंने जब विरोध किया था एंट्री टैक्स का वह भी उसी आधार पर किया था कि एक बार आपने एंट्री टैक्स लगा दिया तो इसका नेट बढ़ता जाएगा। वह नेट बढ़ गया। आज वह संकट लोगों के सामने हो रहा है और आप इसको पास करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं चाहे भ्रांतियां फैला रहा हूं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे लेकिन मैं भ्रांति नहीं, मैं वास्तविकता में इसका विरोध करूंगा और कराउंगा इसमें कोई संदेह करने की आवयश्कता नहीं है। मैं इस बात को छिपाता नहीं हूं और इसलिए मैं कह देना चाहता हूं आपको कि आज जो जिस तरह का नेट आप बिछा रहे हैं इसके अंदर न ग्रामीण क्षेत्र बचेगा, न शहरी क्षेत्र बचेगा, न छोटा–मोटा व्यवसायी बचेगा। यह सब इंस्पेक्टर के हाथ में चले जायेंगे और इंस्पेक्टर उनको किस प्रकार से परेशान करेगा, इसका आप अंदाज लगा लें। आखिर एसेसमेंट करने वाली कोई आथोरिटी तो होगी और वह अथोरिटी सबको परेशान करेगी। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप चाहे मानें या नहीं मानें। नेक्स्ट ईयर यही व्यवसाय कर का नेट फिर फैला हुआ आपके सामने आएगा। यदि आज आपने मंजूर किया तो आगे बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बीच में कह दिया। मैंने इस हाउस को अश्योर किया है यहां पर कि बैक डोर से कतई नहीं किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या होता है बैक डोर ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैक डोर क्या होता है ? बैक डोर किया है या क्या किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको इस सदन में आश्वासन दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन में नहीं, आपको मालूम है जिस समय एंट्री टैक्स का मैंने विरोध किया था उस समय कहा था कि तीन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी स्थिति साफ की है जो मेरी मंशा है मैंने बहुत साफ कर दी है। इसके अंदर जो फीचर्स थे वह भी बता दिये है और जो भ्रांतियां है जो एप्रिहैशन है उनका कोई आधार नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वृत्ति, व्यापार, नियोजन और आजीविका पर कर विधेयक, 2000 को पारित किया जाये ? जो पक्ष में हों, हां कहे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ना पक्ष जीता है।

डा. किरोड़ी लाल : ना पक्ष जीता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां पक्ष जीता है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वापस रख लें। प्रश्न यह है कि राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 को पारित किया जाये ? जो पक्ष में हों, हां कहे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहे।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता। हम डिवीजन क्लेम करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : विरोध करने वालों को खड़ा कर दें..।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खड़ा कर दूंगा, खड़ा करने का स्टेज आएगा जब आप डिवीजन बेल बजायेंगे। आपने पिछली बार भी डिवीजन बैल नहीं बजायी, माननीय सदस्य बाहर रह गये। आप अगर डिवीजन करवाना चाहते हैं तो पहले डिवीजन बैल बजाइये। आपने पिछली बार भी डिवीजन बैल नहीं बजाई। कई माननीय सदस्य बाहर रह गए।

श्री उपाध्यक्ष : बजा देते हैं। अगर आपको यह....

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : कहां जरूरी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूरी है। जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि डिवीजन बेल न बजे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप खड़े करके पूछ सकते हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडामीम) : बजा लो, कितनी भी बेल बजा लो, हां पक्ष जीत गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो हमारे हैण्ड्स अप करवाइए न, घर जाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : बेल बजाना तो जरूरी है। बजवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेल बजना जरूरी है। बजाइये वह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे हाथ ऊंचे करवाइये। इनके पास तो 18–19 है।

श्री रामस्वरूप : आपके तो 30 में से 10 बैठे हैं, बजा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन का सवाल तब आएगा, डिवीजन बेल के बाद में प्रश्न पूछा जाएगा कि हां पक्ष जीता या ना पक्ष। उस समय सवाल पैदा होगा। पहले डिवीजन बेल बजेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बजने दो।

श्री रामस्वरूप : क्यों बजने दो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, डिवीजन बेल जब लॉबीज में भेजने की व्यवस्था हो, उस वक्त बजती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बिलकुल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था मेरी देखी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ो न आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार नहीं, 40 वर्ष हो गए इस व्यवस्था में से निकलते हुए, पहले डिवीजन बेल बजेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन की राय को काउण्ट करने के कई तरीके हैं, लॉबीज भी क्लीयर करवाते हैं, हाउस के अंदर भी, लेकिन बेल आपको बजानी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको डिवीजन बेल बजानी पड़ेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको बेल बजानी पड़ेगी, क्योंकि इधर–उधर हो सकते हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बेल बजा दो साहब, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो, वे खड़े हो जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं होगा। यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान) पहले बेल बजाइए। बेल बजाइए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 पारित किया गया।

(स्वीकृत)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.52 बजे, बुधवार, दिनांक 26 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या—536 का विवरण)

परिशिष्ट—1

झुंझुनूं जिले को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में रा.रा.वि. मण्डल, झुंझुनूं द्वारा वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में बिजली सुविधा उपलब्ध कराये गांवों की सूची तथा उन बस्तियों में व्यय की धन गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है

क्र. सं. 1	वर्ष 2	हरिजन बस्ती का नाम 3	व्यय राशि 4
1.	1998—99	महराना	36,000
2.	1998—99	रेलवे लाइन के पास कासनी	76,350
3.	1998—99	जोधाका बास कासनी	45,840
4.	1998—99	मोई सादा	35,000
5.	1998—99	सीगड़ी	48,300
6.	1998—99	वार्ड न. 7 मण्डावा	45,500
7.	1998—99	लालपुर	49,600
8.	1998—99	डूमोली कलां	72,000
9.	1998—99	गोगामण्डो के पास नवलगढ़	1,04,716
10.	1998—99	वार्ड नं.—9 सूरजगढ़	4,694
11.	1998—99	रामदेवरा मंदिर के पास नवलगढ़	1,20,619
12.	1998—99	अम्बेडकर नगर के पास नवलगढ़	1,47,024
13.	1999—2000	शिव कालोनी रोड नं. 3 झुंझुनूं	85,600
14.	1999—2000	वार्ड नं. 7 सांवलोद	28,700
15.	1999—2000	ढाणी सहड तन पचेरी	49,400
16.	1999—2000	सरकारी अस्पताल के पास नवलगढ़	3,66,210

परिशिष्ट–2

राज. अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	व्यय राशि (98-99)	फरवरी तक (99-2000)	योग
1.	पोप	23,50,00	16,00,00	39,50,000
2.	स्काइट	6,50,00	6,48,000	12,98,000
3.	कुओं का विद्युतीकरण	2,21,237	43,162	2,64,399
4.	उन्नत कृषि यंत्र	6,41,445	2,80,00	9,21,445
5.	कार्यशाला	27,20,000	27,42,000	54,62,000
6.	स्वच्छकार पुनर्वास	1,14,000	2,10,000	3,24,000
7.	एन.एस.एफ.डी.सी.	7,04,000	8,59,083	15,63,083
		74,00,682	63,82,245	1,37,82,927

परिशिष्ट–3

राज कल्याण विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

1. शिक्षा :– राजकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययन करने वाले अनु. जाति, जनजाति के छात्रों पर निम्न प्रकार से राशि व्यय की गई है।

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष	व्यय राशि	लाभान्वित छात्र सं.	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
1.	**राजकीय छात्रावास**						
1.	अनु. जाति छात्रावास	98–99	498395	121	99–2000	863042	156
2.	स्वच्छकार	98–99	330587	75	99–2000	481683	75
3.	विमुक्ति जा.छात्रा.	98–99	103000	24	99–2000	129972	23
4.	अनु. अनु. जा. छात्रा	98–99	750000	175	99–2000	999455	162
2.	**उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति**						
1.	अनु.जाति	98–99	3039344	887	99–2000	2603869	1016

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अनु. जनजाति	98–99	399555	136	99–2000	299364	105
3.	विकलांग छात्रवृत्ति	98–99	209970	380	99–2000	146375	585
4.	विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	98–99	100000	20	99–2000	80000	16
5.	अनु. जा. जनजाति के व्यक्तियों पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार के मामलों में सहायता						
1.	अनु. जाति	98–99	17000	3	99–2000	10000	01
6.	विकलांग युवक युवति की शादी पर प्रोत्साहन राशि						
1.	विकलांग को सहायता	98–99	5000	1	99–2000	–	–

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–538 की मानदण्ड की प्रति)

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा–5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा 1–5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 किमी परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु :–

जनसंख्या (1991)छात्र विद्यालय	2500	2000
छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा–8 छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	20
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (किमी)	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

(राज मंत्री, पर्यटन)

कार्य प्रणाली एवं क्षमता को ध्यान में रखा जाता हैं।

(2) राज्य में पर्यटन विकास के लिए राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2000–2001 में प्रस्तावित विकास कार्य की सूची परिशिष्ठ 'क' पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा मैले–त्यौहारों के आयोजन, विज्ञापन, पर्यटन साहित्य का मुद्रण व वितरण, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की टेबल सेमीनार में भगीदारी, प्रदर्शनियां, पर्यटन लेखकों, मीडिया, ट्रेवल एजेण्टों को राज्य में आमंत्रित करने आदि की योजनायें प्रस्तावित हैं। वर्तमान में उदयपुर व जयपुर में शिल्पग्राम स्थापित हैं। सवाई माधोपुर में शिल्पग्राम स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां। राजस्व विभाग ने शिल्पग्राम, सवाईमाधोपुर हेतु 38 बीघा 15 बिस्वा भूमि का सशर्त आवंटन गांव शेरपुर में 13.4.2000 को किया हैं। भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर ही स्थापना की कारवाई संभव होगी।

(4) जी हां। योजना के प्रारूप पर संबंधित विभागों से विचार विमर्श किया जा रहा हैं।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 2000–2001 में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास के लिए प्रस्तावित विकास कार्य–योजना

क्र.सं.	विकास योजना का नाम	प्रावधान राशि (लाखों में)
1.	ओसियां मंदिर, जोधपुर विकास कार्य	20.00
2.	आमेर महल, जयपुर विकास	30.00
3.	राज्य हिस्सा (C.S.S.)	10.00
4.	रोयल छत्तरियां, मण्डोर, जोधपुर	15.00
5.	किराडू मंदिर, बाड़मेर	32.00
6.	पर्यटक स्थलों पर सम्पर्क सुविधाएं	13.00
7.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स विकास	20.00
	कुल योग	140.00

जिला भरतपुर में औद्योगिक विकास हेतु किये गये प्रयास

540. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भरतपुर में गत तीन वर्षो में किस–किस प्रकार के कितने–कितने उद्योग स्थापित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में औद्योगिक विकास हेतु सरकार क्या कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में गत तीन वर्षो में भिन्न–भिन्न किस्मों के 235 उद्योग स्थापित हुये हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जिले में औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिये रीको के माध्यम से भूमि आवंटन एवं रीको, राज. वित्त निगम एवं अन्य वित्तीय बैंकों द्वारा उद्योगों को स्थाई पूंजी/कार्यशील पूंजी हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य सरकार ने उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हाल हीं में "एकल खिड़की योजना" शुरू की हैं, उद्योगों के लिये डी.जी.सेट अनुदान एवं बिक्री कर मुक्ति के लिये प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

तेजमिल (तेल एवं खल निर्माण)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	उत्पाद
1	2	3
1.	मै. डी. आर. आयल मिल्स प्रा. लि.	तेल व खल
	वृ. ओ. दो, भरतपुर	"
2.	" गौतम आयल इन्डस्ट्री भरतपुर	"
3.	" एम. डी. आयल इन्ड, भरतपुर	"
4.	" जय श्रीराम आयल इन्डस्ट्रीज, रायसीस	"
5.	" चौधरी आयल प्रा. लि. ओ. दो. भरतपुर	"
6.	" जगदीश आयल मिल, नगर	"
7.	" राधिका इन्डस्ट्रीज, डडरा, नदवई	"
8.	" फौजदार आयल मिल, कटरा, नदवई	"
9.	" वी. आर. ट्रेडर्स, बयाना	"
10.	" शकुन आयल सलि ओ. क्षेत्र, भरतपुर	"
11.	" एम. जी. बाल मिल, डहरा, नदवई	"
	वर्ष 1997–98	
12.	,, डा. आर. आयल इन्डस्ट्रीज मथुरी रोड, भरतपुर	"
13.	,, लक्ष्मी उद्योग रीको, भरतपुर	"
14.	,, एन. के. इन्डस्ट्रीज, रीको, भरतपुर	"
15.	,, एस. वृन्दावन आयल, प्रोडेक्स रीको, भरतपुर	"
16.	,, गयालाल शिवदयाल, जुरहरा	"
17.	,, राकेश आयल इन्डस्ट्रीज रीको, भरतपुर	"
18.	,, बाबा आयल इन्डस्ट्रीज रीको, भरतपुर	"
	वर्ष 1998–99	
19.	,, बाबा आयल्स, रीको, डीग, भरतपुर	"

1	2	3
20.	„ रामआयल मिल इवराहिमपुर, (रूपवास)	„
21.	„ पारस आचल मिल पिडयानी, (रनपवास)	„
22.	„ विजयश्री इन्डस्ट्रीज रीको, बयाना	„

अनाज पिसाई मसाला पिसाई दाल निर्माण

वर्ष 1996–97

1.	मैसर्स विष्णु मसाला उद्योग, रूदावल	मसाला पिसाई (जाब वर्क)
2.	मैसर्स बलवत सिंह आटा चक्की, सेपलाकला	अनाज पिसाई
3.	मैसर्स वीरीसिंह आयल एण्ड फ्लोर मिल, गोदोली नदबई	अनाज पिसाई
4.	मैसर्स जगन फ्लोर मिल, कोठेन खुर्द (नदबई)	अनाज पिसाई
5.	मैसर्स गयालाल आयल एण्ड फ्लोर मिल, गादोली (नदबई)	अनाज पिसाई
6.	मैसर्स उमा मसाला स्माल इण्ड., अटलबन्द मण्डी भरतपुर	मसाला पिसाई

वर्ष 97–98

1.	मैसर्स हनीफ आटा चक्की, दुदावल (नगर)	अनाज पिसाई
2.	मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल, मथुरागेट भरतपुर	अनाज/मसाला पिसाई

वर्ष 1998–99

1.	मैसर्स डायमण्ड मसाला उद्योग, भरतपुर	मसाला पिसाई
2.	मैसर्स अमित इण्ड. रीको, भरतपुर	दाल, चुनी, छिलका, पैट बोटल्स

प्रिंटिंग कार्य नोट बुक रजिस्टर वर्ष 1996–97

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	उत्पाद
1	2	3
1.	मैसर्स निखिल पेपर वर्क्स, भरतपुर	नोट बुक रजिस्टर
2.	मैसर्स राज प्रिन्टर्स, भरतपुर	प्रिंटिंग प्रेस जाब वर्क
3.	मैसर्स के. सी. कापी हाउस, भरतपुर	कापी रजिस्टर
4.	मैसर्स कुशवाह प्रिंटिंग प्रेस, रूपवास	प्रिंटिंग प्रेस जाब वर्क
	वर्ष 1997–98	
5.	मैसर्स देव प्रिन्टर्स	प्रिंटिंग जाब वर्क
6.	मैसर्स चौधरी बुक बाइण्डिंग एवं प्रिंटिंग प्रेस, नगर	प्रिंटिंग जाब वर्क
	वर्ष 1998–99	
7.	मैसर्स अंकित पेपर वर्क्स, भरतपुर	कापी रजिस्टर
8.	मैसर्स बाबा प्रिन्टर्स, कुम्हेर	प्रिंटिंग प्रेस जाब वर्क
9.	मैसर्स जैन प्रिंटर्स, डीग	प्रिंटिंग प्रेस जाब वर्क
	वर्ष 1996–97 रेडीमेड गारमेन्ट्स/टेलरिंग	
1.	मैसर्स गजाला सिलाई कटाई केन्द्र, भरतपुर	कपडे सीने का कार्य जाब वर्क
2.	मैसर्स आर. एस. टेलर्स, नगर	वस्त्र सिलाई
3.	मैसर्स रायल टेलर्स, हलैना	वस्त्र सिलाई
4.	मैसर्स प्रभाती टेलर्स, हलैना	वस्त्र सिलाई
5.	मैसर्स गर्ग गारमेन्ट, भरतपुर	रेडीमेड गारमेन्ट्स
6.	मैसर्स अमर टेलर्स, कुम्हेर	वस्त्र सिलाई
7.	दौजी टेलर्स, कुम्हेर	वस्त्र सिलाई
8.	मैसर्स शिव गारमेन्ट्स, कुम्हेर	रेडीमेड गारमेन्ट

1	2	3
	वर्ष 1997–98	
9.	मैसर्स रामबाबू लैदर रैग्जीन बैग्स उद्योग, नगर	रैग्जीन बैग सिलाई जाबवर्क
10.	मैसर्स गुड्डी रेडीमेड गारमेन्ट्स, भरतपुर	रेडीमेड गारमेन्ट जाबवर्क
11.	मैसर्स सीमा टेलरिंग उद्योग, भरतपुर	टेलरिंग जाब वर्क
	वर्ष 1998–99	
12.	मैसर्स टीकम टेलरिंग, रूपवास	टेलरिंग जाब वर्क
13.	मैसर्स पूरन वस्त्र सिलाई उद्योग, सुनारी	वस्त्र सिलाई कार्य
14.	मैसर्स गिरधारी टेलर्स नानकपुर, (रूपवास)	वस्त्र सिलाई कार्य
15.	मैसर्स धीरज टेलर्स, मथुरा गेट, भरतपुर	वस्त्र सिलाई कार्य
	आयरन फैब्रीकेशन	
	वर्ष 1996–97	
1.	मैसर्स सोनू आयरन वर्क्स, हलैना	लोहे के वर्क्स
2.	मैसर्स राज आयरन फैब्रीकेशन 14 महादेव गली, भरतपुर	आयरन फैब्रीकेशन
3.	मैसर्स हम्बीर आयरन वर्क्स, नदबई	कृषि उपकरण (टैक्टरफाल)
4.	मैसर्स हिन्दुस्तान शीट मैटल वर्क्स नई मण्डी, भरतपुर	स्टील फर्नीचर
	वर्ष 1997–98	
5.	मैसर्स संदीप इण्ड. बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर	आयल एक्सपेलर पार्ट्स
6.	मैसर्स अग्रवाल आयरन इण्ड. पुरानी, डीग	कृषि यन्त्र

1	2	3
	वर्ष 1998–99	
7.	मैसर्स मारूति हैवी इंजीनियरिंग उधोग ब्रज ओ. क्षेत्र, भरतपुर	आयल मशीनरी पाटर्स
8.	मैसर्स यूनिटेक सिस्टम इण्ड. बिडयारी, (बयाना)	टायर रोलर बियरिंग
9.	मैसर्स शीतल इण्ड. किशन पुर, (डीग)	खराटकार्य स्लीवम
10.	मैसर्स ओमशिव आयरन उधोग अनाहगेट भरतपुर	कूलर बाडी आलमारी
11.	मैसर्स धर्मचन्द वैल्डिंग उधोग, कुम्हेर	लोहे के गेट जंगला
12.	मैसर्स श्रीराम स्टील फर्नीचर उधोग, रूपवास	स्टील आलमारी
13.	मैसर्स आर्य स्टील सुभाष पार्क, बयाना	स्टील फर्नीचर
14.	मैसर्स के.एल. इंजीनियरिंग, (इण्डिया) प्रा. लि. बृज ओ. क्षेत्र, भरतपुर	आयरन/स्टील फब्रीकेशन
	ईट निमार्ण	
	वर्ष 1997–98	
1.	मैसर्स गणेश ईंट उधोग बरोलीछार, (नदबई)	ईट निर्माण
2.	मैसर्स श्याम ईट उधोग कवई, (नदबई)	ईट निर्माण
3.	मैसर्स लक्ष्मी विक्रस फैक्ट्री, (नदबई)	ईट निर्माण
4.	मैसर्स उत्तम ईट उधोग उमेर, (नदबई)	ईट निर्माण
5.	मैसर्स श्रीराम ईट उधोग उमेर, (नदबई)	ईट निर्माण
	वर्ष 1998–99	
6.	मैसर्स तुलसी ब्रिक्स उधोग, नदबई	ईट निर्माण
7.	मैसर्स श्री कृष्णा ईंट उधोग हलेना रोड, वैर	ईट निर्माण
8.	मैसर्स अजय ब्रिक्स उधोग कवई, (नदबई)	ईट निर्माण
9.	मैसर्स पार्वती ईंट उधोग रामनगर, (वैर)	ईट निर्माण
	वर्ष 1996–97	
10.	मैसर्स गोल्डन ब्रिक्स उधोग, अरोदा	ईट निर्माण
11.	मैसर्स दीपसन ब्रिक्स उधोग, अरोदा	ईट निर्माण

1	2	3
	स्टोन टाइल्स, ग्रिट डस्ट आदि	
	स्टोन टाइल्स कटिंग वर्ष 1996–97	
1.	मैसर्स बजरंग मिनरल्स उधोग बीरमपुरा, बयाना	स्टोन चिप्स
2.	मैसर्स मनोज इण्ड. औ. क्षे., बयाना	स्टोन टाइल्स
3.	मैसर्स कंवर इण्ड. औ. क्षे., बयाना	स्टोन टाइल्स
4.	मैसर्स राधा स्टोन इण्ड. चरण, पहाडी	स्टोनग्रिटव डस्ट
	वर्ष 1997–98	
5.	मैसर्स एम. एम. स्टोन इण्ड. मर्रकी, (बयाना)	सैण्डस्टोन सलेब
6.	मैसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर अंसरावली, (कांमा)	स्टोनग्रिट डस्ट
7.	मैसर्स जे. के. स्टोन्स भीमनगर, (बयाना)	स्टोन टाइल्स
8.	मैसर्स कपिल स्टोन्स भीगनगर, (बयाना)	स्टोन टाइल्स
9.	मैसर्स बी. के. स्टोन क्रेवर मंगरावली, कॉका	स्टोन ग्रिटव डस्ट
10.	मैसर्स अंकित स्टोन इण्ड. बिडयधारी, (बयाना)	स्टोन टाइल्स
11.	मैसर्स बृज स्टोन क्रेशर उधोग अंगरावली, कॉमा	स्टोन ग्रिट व डस्ट
12.	मैसर्स के. के. इण्ड. रीको, बयाना	स्टोन टाइल्स
13.	मैसर्स आरा मार्बल्स रीको, बयाना	स्टोन टाइल्स
	वर्ष 1998–99	
14.	मैसर्स कमल टाइल्स, बयाना	स्टोन टाइल्स
15.	मैसर्स कमल इन्टर प्राईजेज वैररोड,, बयाना	स्टोन ग्रिटवडस्ट
16.	मैसर्स हरियाणा स्टोन क्रेशर अंगरावली, कामॉ	स्टोन ग्रिटवडस्ट
17.	मैसर्स निर्मल स्टोन इण्ड मीरांनारोड, बयाना	स्टोन टाइल्स
18.	मैसर्स रांवस्टोन उधोग अगरावली, (कॉमा)	स्टोन ग्रिटव डस्ट
19.	मैसर्स वंशी पहाड़पुर स्टोन इण्ड. रीको, बयाना	स्टोन टाइल्स
20.	मैसर्स सुल्तान स्टोन इण्ड. रीको, बयाना	स्टोन टाइल्स

कृषि विभाग में कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन

542 **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) क्या यह सही हैं कि कृषि विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी ,व कृषि पर्यवेक्षक के पद रिक्त हैं ? यदि हां तो कितने ?

(2) क्या उक्त पदों को भरने के लिये आवश्यक कदम उठायें जा रहें हैं ?

(3) क्या यह सही हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी गई हैं ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त पदों को नियमानुसार भरने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) कृषि विभाग के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ हैं।

रिक्त पदों की सूचना

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	पद	कुल रिक्त पद	अनुसूचित जाति 16प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 12प्रतिशत
1.	कृषि अधिकारी	47	7	5
2.	सहायक कृषि अधिकारी	119	19	14
3.	कृषि पर्यवेक्षक	318	51	38
	योग	484	77	57

निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित कर्मी

543 **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में निजी क्षेत्र में कुल कितने पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत चिकित्सालय संचालित हैं ?

(2) क्या उक्त समी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स में कार्यरत कर्मचारी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं ? यदि नहीं तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था करने जा रहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों का पंजीकरण किये जाने का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं हैं।

(2) वर्तमान में निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स का विभाग द्वारा पंजीकरण का प्रावधान नहीं हैं। इस संबंध में "राजस्थान क्लीनिकल स्थापना (विनियमन) विधेयक" राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़के

544 **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षो में किस-किस सड़क हेतु योजना बनाई गई.? नाम एवं अनुमानित राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना अभी भी चालू है या बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां तों वर्ष 2000-2001 में इसके अन्तर्गत कौन-कौनसी सड़क बनाने का प्रावधान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 से प्रारम्भ किये गयें थें। विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक निम्न दो कार्यो की योजना बनाई गई हैं।

1.मादड़ी पीपलवाड़ा बावलवाड़ा पर पंचायत मुख्यालय पीपलवाड़ा को डामर सड़क से जोड़ने हेतु कुल 8.00कि.मी लम्बाई के रूपयें 83.14 लाख की योजना बनाई गई थी। इसमें 4.0कि.मी.कार्य की स्वीकृति वर्ष 1999-2000 में रूपयें 31.33 लाख की नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जारी की गई। शेष लम्बाई में से लगभग 3.00कि.मी. सड़क निर्माण की स्वीकृति कृषि विपणन बोर्ड द्वारा रूपयें 16.27 लाख की जारी की गई।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

2. पानरवा के पास ओगणा पानरवा सड़क पर एक सबमर्सिबल पुल मय सड़क के निर्माण हेतु रूपयें 105.23 लाख की योजना भी बनाई गई थी परन्तु सीमित संसाधनों के कारण उक्त कार्य को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(2) जी हां यह योजना अभी भी चालू हैं। वर्ष 2000–2001 में नाबार्ड योजना के स्वीकृत कार्यो के प्रावधानों की सूची संलग्न हैं।

(प्रावधानों की सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या–545

(स्थगित)

वक्फ बोर्ड के पूर्व चैयरमेन द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

546 **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या सड़क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सहीं हैं कि वक्फ बोर्ड के पूर्व चैयरमेन ने बोर्ड में गंभीर अनियमितताएं की हैं। यदि हां ,तो कौन–कौनसी कितनी–कितनी राशि की ? क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई हैं ? यदि हां तो उसमें कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सहीं हैं कि पूर्व चैयरमेन ने कनिष्ठ लिपिको/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर बिना मानदण्ड निर्धारित कियें ही नियुक्ति की हैं ? यदि हां ,तो कितने लोगों को कब सें नियुक्तियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बोर्ड में कुल कितने कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य पदों के पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने कब सें रिक्त हैं ? रिक्त रहने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार वर्ष 2000–2001 में उक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सहीं हैं कि बोर्ड में दैनिक वेतन पर भी नियुक्तियां कर रखी हैं ? यदि हां तो किस–किस व्यक्ति की कब सें उनको कितना–कितना वेतन दिया जा रहा हैं ? क्या सरकार उनकों भी स्थाई करने का विचार रखती हैं ? यदि हां ,तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न हैं। इन शिकायतों की विस्तृत जांच संभागीय आयुक्त जयपुर से करवाई जा रहीं हैं। जांच अभी लम्बित हैं।

(2) यह सहीं नहीं हैं। पूर्व सें ही कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

(राज्य मंत्री, सड़क)

के पदों पर नियुक्तियों के मानदण्ड राजस्थान मुस्लिम वक्फ रेग्युलेशन ,1964 में अंकित हैं। उन मानदण्डो की पालना नहीं करतें हुए पूर्व चैयरमेन द्वारा वक्फ रेग्यूलेशन के विपरीत एक कर्मचारी की नियुक्ति उसके निर्धारित आयु से कम की आयु होने के बावजूद दिनांक 10.03.1997 को की गयी।

(3) बोर्ड में 21.11.1983 को स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अनुसार बोर्ड में कुल 22 पद स्वीकृत हैं। जबकि बोर्ड में कुल 54 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसलियें पदों का रिक्त होना व चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्तियां करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वक्फ बोर्ड में नियुक्ति एवं पदोन्नति वक्फ रेग्यूलेशन ,1984 में दियें गये प्रावधानों के अनुसार किये जाते हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) नहीं। बोर्ड में दैनिक वेतन पर कोई नियुक्तियां नहीं की हैं। अतः वेतन व स्थाई करने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

भूतपूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं की सूची

विवरण	राशि	प्रत्यक्ष दोषी कर्मचारी
1. वक्फ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय कार्यालय से तीन लाख रू.केश जोधपुर भेजे जाने के आदेश दियें थें ,लेकिन वहां जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की केश बुक में जमा ना होने के कारण इन तीन लाख रू.की राशि को गबन मानतें हुए बनीपार्क जयपुर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई (अनुसंधान लंबित हैं)	3,00,000	श्री इकरामुलहक, भूतपूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, जोधपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में 15,06,500 रू. की राशि जो विधवा औरतो की लड़कियों की शादी के लियें दियें गयें। परन्तु न तो विधवाओं के कोई प्रार्थना पत्र लिये न ही उनकी कोई रसीद ली और न ही सहायता राशि प्राप्त करने वाली विधवाओं के पतें थें। अतः दी गई सहायता राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। इसलियें थाना उदयमन्दिर जोधपुर में 15,06,000 रू. की एफ.आई.आर.दर्ज कराई गई।	15,06,000	श्री शौकत अन्सारी पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड जयपुर।

3. मूतपूर्व अध्यक्ष श्री शौकत अंसारी द्वारा 1,50,000 रू.गुलिस्तां कालोनी की जोधपुर की जमीन को रजिस्ट्री कराने हेतु अमानता रूप से प्राप्त किए साथ ही अन्य कार्य हेतु दो लाख का अग्रिम प्राप्त किया जाना रिकार्ड से ज़ाहिर होता हैं इस राशि को जमा कराने हेतु उनको नोटिस दिया जा चुका हैं ,तथा मामला बोर्ड के सामने भी आ चुका हैं बोर्ड द्वारा उनकी बैठक दिनांक 29.03.2000 मे यह निर्णय लिया गया कि अगर वे राशि जमा नहीं करातें हैं अथवा संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेंगी।	1,70,000	श्री शौकत अन्सारी पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर द्वारा 3,50,000 का भुगतान मुख्यालय को चैक द्वारा करना बताया परन्तु यह राशि मुख्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण इसकी भी एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु बोर्ड ने स्वीकृति दे दी हैं।	3,50,000	श्री इकरामुलहक, भूतपूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, जोधपुर।
5. गुलिस्ता कालोनी, जोधपुर की जमीन खरीद एवं रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने तथा अन्य गम्भीर अनियमितता को देखतें हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया हैं कि इस मामले की जांच हेतु भ्रष्टाचार निरीक्षक विभाग को सौप दिया जायेगा । भ्रष्टाचार निरीक्षक विभाग जयपुर द्वारा जांच की जाकर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेंगी।		

नोट :– तत्कालीन चैयरमेन वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त जयपुर से करवाई जा रहीं हैं उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अन्य वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव हैं। संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा ही अपनी रिपोर्ट में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के दोषी कर्मचारी/अधिकारी/पदाधिकारियों की जानकारी मिल पायेंगी।

[FIRST PUBLISHED IN THE RAJASTHAN RAJPATRA, PART IV. () DATED 5.10.1994]

RAJASTHAN BOARD OF MUSLIM WARDS RAJASTHAN, JAIPUR

NOTIFICATION

JAIPUR, OCTOBER 5, 1964

No. IV. W.B/b & W/18/02-In execise of the powers confered section-08 of the Wakf Act. 1954 (Central, Act. 20 of 1954), The Rajasthan Board of Muslim Wakfs, with the previous sanction of the state (Governemtn), hereby makes the following regulations for carrying out the function namely : -

"The Rajasthan Muslim Wakfs Regulation, 1964".

Terms and Condition of service of the officers and servants of the Board-Section 68(2) (c).

02. Service under the Board.-(1) All posts under the

Board shall be classified as stated below :-

(i) Posts carrying a minimum salary of Rs. 250/- or more shall be classified as Class I;

(ii) Posts carrying a minimum salary of Rs. 65/- or more but less than Rs. 250/- shall be classifed as Class II; and

(iii) Posts carrying a minimum salary below Rs. 65/- shall be classified as Class III.

(2) The grade and scale of pay under each category of posts shall be determined by the Board from time to time. The Board may, however, prescribe other emoluments for each catagory of posts as it may deem necessary and proper.

30. Qualfications for oppointments.-(i) No. person shall be eligible for appointment to a post in Class I, unless he is a graduate and possesses sufficient administrative experience and is conversant with office procedure. For technical posts, the qualifications shall be equivlent, techincal qualification i.e. Diploma in Engineering for Over ? and Degree in Engineering for Assit. Engneer. For Class II posts, the minimum qualification small be High School.

Provided that the Board may precribe such other qualifications for recruitment to specified catagories of posts as may be necessary.

(2) The minimum age limit for recruitment shall be 24 years for Class I posts, 21 years for Class II posts and 18 years for Class III posts.

(3) The Selection Committee may, however, in special cases on grounds of merit and experience relax the conditions as regards the educational qualifications for appointment to Class I posts.

(4) If the person appointed is already a Government servant he shall be entitled to draw the same pay as he would have drawn in Government service, had he not been so appointed under the Board, plus a deputation allowance, not exeeding 20% of his pay as per Rajasthan Service Rules.

(5) If the person appointed has already retired on superanunation from Government service, he shall draw pay in the sanctioned scale plus his pensioin in full, subject to the condition that the total of the pay and pension so drawn (including pension equivalent of any gratuity drawn by him) shall not exceed the pay at the time of retirement.

31. Working hours : The working hours of the employers of the board shall be the same as fixed for the empleyees of the Govt., unless otherwise fixed by the Board.

32. Appointing authority etc.-(i) Appointment to Posts under the Board shall be made by the authorities specified below :-

Posts	Appointing authority
Class I	Chairman;

Class II	Secretary with the approval of Chairman;
Class III	Secretary

(2) All appointments to be made by the chairman shall be on the recommondations of a Selection Committee appointed by the Board which shall consist of the Chairman and two members of the Board.

(3) The appointing authority shall be the Disciplinary Authority in respectsof all catagories of posts and the Board shall be the Appellate Authority in regard to Class I and Class II posts and the Chairman shall be Appellae Authority in respect of the III posts.

(4) All order of postings and transfers of Class I employees shall be made by the Chairman and those of Class II and Class III employees shall be made by the Secretary.

33. Probaction-Every appointment to a post in Class I and Class II shall be subject to probation or trial for a period of one year which is liable to be extended further by the appointing authority at his discretion. A person shall be confirmed at the earliest opportunity on the expiry of the period of probaction ordinarily fixed or so extended.

34. Termination of probation-The appointing authority nav, before the expiry of the period of probation or trial, or reasons to be recorded in writing, terminate the probaion of any person and revert him to his permanent post

आकोली जिला जालौर के उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

547. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु क्या–क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(2) जिला जालोर में मानदण्ड के आधार वर्ष 1999–2000 में कितने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ?

(3) क्या सरकार आकोली गांव, तहसील जालोर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से संबंधित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला जालौर में वर्ष 1999–2000 में 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में एवं 4 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(3) वर्ष 2000–2001 में 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में एवं 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालयों को क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आकोली (जालोर) के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त ग्राम की जनसंख्या विद्यालय की छात्र संख्या, फीड़र विद्यालय क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियां एवं भवन व्यवस्था आदि एवं जन प्रतिनिधियों की मांग प्राप्त होने पर सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुये गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाएगा।

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा—5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा—1 से 5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीड़र प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथ0 विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु

जनसंख्या (1991)	छात्र विद्यालय	2500	2000
	छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा—8	छात्र विद्यालय	30	20
	छात्रा विद्यालय	20	20
	फीडर विद्यालय	2	2
	दूरी कि.मी.	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

3. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु

जनसंख्या	1—छात्र विद्यालय	4000	3000
	2—छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र सं. कक्षा—10	छात्र संख्या	50	30
	छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या		2	2

(ऊर्जा मंत्री)

फेस सप्लाई दी जा रही है। सायंकाल 7 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच में किसानों द्वारा केपेसिटर का उपयोग कर मोटर चला लेने के कारण लोड बढ़ जाने पर फीडर काटने पड़ते है। जिससे किसी–किसी क्षेत्र में कभी–कभी बिजली बंद होना संभव है।

(5) जी, नहीं। सिंगल फेस सप्लाई सायंकाल 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक की जा रही है। इस अवधि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दियें जा चुके है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि में औद्योगिक इकाइयों के विद्युत उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है।

(6) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित टैरिफ के अनुसार ही बिल जारी किये जाते है।

(7) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ,क्योंकि मिनिमम चार्जेज पहले से ही इस बिन्दु को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गयें हैं।

जेल विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित जांच

550. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जेल विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी विभागीय जांच प्रस्तावित/विचाराधीन है ? उक्त आरोप–पत्र देने की क्या तारीखें रहीं और जांच कब से चल रही है ?

(2)उक्त विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच किन–किन आरोपों के लिये किस नियम के अन्तर्गत है ?

(3) क्या उक्त सभी जांच जेल विभाग में पुलिस विभाग और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाने के बाद से ही प्रस्तावित की गई ? यदि हां, तो क्या जेल विभाग के अधिकारी अचानक नाकाबिल हो गये ? यदि हां, तो इनके सुधार के प्रयास क्या किये गये है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में 31 जेल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) जेल अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 व 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच चल रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं। पुलिस विभाग और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लगाने से पूर्व ही जेल विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होती रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

किसी भी अधिकारी के विरुद्ध जांच कार्यवाही किये जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग के अन्य अधिकारी अचानक नाकाबिल हो गये हों।

परिशिष्ट–"अ"

कारागार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन जांच नियम 16 सी.सी. ए. का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	आरोप–पत्र जारी करने की तिथि/ जांच विचाराधीन होने की तिथि	आरोप जिसके लिए जांच विचाराधीन है (संक्षिप्त विवरण)	वर्तमान स्थिति
1.	श्री शिवचरण लाल, उपाधीक्षक तत्कालीन से. नि. (धौलपुर)	प.1 (85) कार्मिक/क–3/86 दिनांक 14.4..87 से आरोप–पत्र दिया	गलत तथ्यों के आधार पर नियुक्ति पाने बाबत	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है जांच जारी है।
2.	श्री एम. ए. अंसारी, उमनि (से.नि.) तत्कालीन मुख्यालय, जयपुर एवं श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, उपाधीक्षक, सीकर (सेवानिवृत)	प.1 (33) का/क–3/89 दिनांक 16.11.90 से आरोप–पत्र दिया	जेल सीकर पर वर्ष, 1996 में किसान आंदोलन तहत् गम्भीर अनियमिततायें।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।

1	2	3	4	5
3.	श्री एम. ए. अंसारी, उमनि (से.नि.) मुख्यालय कारागार, राज., जयपुर	प.1 (233) का /क–3/88 दिनांक 18.6.91 से आरोप पत्र दिया गया।	वर्ष, 1987 में सहायक कारापालों के पद हेतु साक्षात्कार के नम्बरों में काटा फांसी करने बाबत्।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
4.	श्री कन्हैया लाल पाठक, उपाधीक्षक तत्कालीन (से. नि.) पाली।	प.1 (110) का/क–3/91 दिनांक 25.10.91 से आरोप–पत्र दिया गया।	वर्ष, 89 में बीमारी के बहाने बंदी जेल से बाहर निकाल कर रिश्तेदारों/मित्रों से मिलाना।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जरी है।
5.	श्री जे. के. शर्मा, अधीक्षक, जयपुर।	प.1(88) का/क–3/91 दिनांक 31.1.92 से आरोप–पत्र दिया गया।	बन्दी गोपी पुत्र श्योचन्द की समय पूर्व रिहाई में गलत तथ्य प्रस्तुत करना।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
	श्री विशवेश जोशी, उपा. जयपुर।	उपरोक्तनुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5
6.	श्री जे. के. शर्मा, अधीक्षक, जयपुर।	प.1 (226) का/क–3/90 दिनांक 31.1.92 से आरोप–पत्र दिया गया	बन्दी रमेश व मुन्ना के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत करना।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
7.	श्री मुकुट बिहारी पुरोहित, अधीक्षक, अजमेर।	प.1 (34) का/क–3/93 दिनांक 18.8.93 से आरोप–पत्र दिया गया।	दिनांक 10.11.92 को जेल अजमेर से बन्दी फरारी।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
8.	श्री चैतन देव उपाध्याय, अधीक्षक उदयपुर।	प.1 (156) का/क–3/93 दिनांक 25.6.94 से आरोप–पत्र दिया गया।	दिनांक 16.11.91 को बंदी फरारी, जेल उदयपुर।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
9.	श्री शुभकरण सिंह उपाधीक्षक, नागौर	प.1 (84) का/क–3/94 दिनांक 27.5.94 से आरोप–पत्र दिया	मंत्री महोदय के निरीक्षण के दौरान अनियमिततायें पायी गई।	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।

1	2	3	4	5
10.	श्री शुभकरण सिंह, उपाधीक्षक एवं अन्य	प.1 (285) का/क–3/95 दिनांक 18.3.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	मण्डल अधिकारी के निरिक्षण के दौरान अनियमितायें	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
11.	श्री करतार सिंह उपाधीक्षक धौलपुर।	प.1 (108) का/क–3/95 दिनांक 23.2.96 से आरोप–पत्र दिया गया ।	बंदीयों को जेल से बाहर निकाल कर काम कराना	राज्य सरकार के जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
12.	श्री चेतन देव उपाध्याय, अधीक्षक, बीकानेर।	प.1 (202) का/क–3/96 दिनांक 18.3.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जिलाधीश बीकानेर को जेल का निरिक्षण न करने वेना व अभद्र व्यवहार करना।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है। जांच पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण निर्णय स्टेज पर है।

1	2	3	4	5
13.	श्री अशोक उपाध्याय, धौलपुर।	प.1 (37) का/क–3/96 दिनांक 11.3.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल धौलपुर से बंदी कप्तान सिंह की फरारी	जांच पुर्ण हो चुकी है, प्रकरण निर्णय स्टेज पर है।
14.	श्री एम. ए. अन्सारी, उ. म. नी. (से. नि.) धौलपुर।	प.1 (224) का/क–3/94 दिनांक 19.1.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	वर्ष 1986–87 में प्रहरी भर्ती में रिश्वत लेना।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
	श्री करतार सिंह, उपाधीक्षक	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
15.	श्री मिठूलाल चौहान, अधीक्षक, गंगानगर।	प.1 (223) का/क–3/94 दिनांक 14.8.95 से आरोप–पत्र दिया गया।	वर्ष 1992 में 9000 रुपये रिश्वत लेकर धोबी भर्ती करना	जांच पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण निणर्य स्टेज पर है।

1	2	3	4	5
16.	श्री चेतनदेव, उपाध्याय, अधीक्षक (नि.) जयपुर।	प.1 (130) का/क–3/96 दिनांक 25.7.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	वर्ष 87–88 में खाद्य सामग्री में अनियमितताएं।	जारी ज्ञापन के जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया है।
	श्री जे. के. शर्मा, अधीक्षक, जयपुर।	प.1 (130) का/क–3/96 दिनांक 25.7.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	वर्ष 1989 में नींबू खरीद में अनियमितताएं।	जारी ज्ञापन के जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया है।
	श्री चेतन देव उपाध्याय, अधीक्षक, बीकानेर।	प.1 (282) का/क–3/96 दिनांक 24.12.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल बीकानेर पर अमचूर खरीद में की गई अनियमितताएं।	प्रकरण में अभिलेख देख रहे हैं। जारी पत्र का जवाब अपेक्षित है।
17.	श्री जे. के. शर्मा, अधीक्षक, बीकानेर।	प.1 (282) का/क–3/96 दिनांक 24.12.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल बीकानेर पर अमचूर खरीद में की गई अनियमितताएं।	प्रकरण में अभिलेख देख रहे हैं। जारी पत्र का जवाब अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
	श्री मुकुट बिहारी पुरोहित, अधीक्षक, बीकानेर।	प.1 (282) का/क–3/96 दिनांक 24.12.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल बीकानेर पर अमचूर खरीद में की गई अनियमितताएं।	प्रकरण में अभिलेख देख रहे हैं। जारी पत्र का जवाब अपेक्षित है।
	श्री मिट्ठूलाल चौहान, अधीक्षक बीकानेर।	प.1 (282) का/क–3/96 दिनांक 24.12.96 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल बीकानेर पर अमचूर खरीद में की गई अनियमितताएं।	प्रकरण में अभिलेख देख रहे हैं। जारी पत्र का जवाब अपेक्षित है।
18.	श्री चेतन देव, उपाध्याय, अधीक्षक, उदयपुर।	प.1 (10) का/क–3/96 दिनांक 31.1.97 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल उदयपुर पर महानिरीक्षक, कारागार के निरीक्षण के दौरान अभद्र व्यवहार एवं अनियमिताएं।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।

1	2	3	4	5
19.	श्री रामजीलाल मीणा, उपाधीक्षक, झूंन्झूनूं	प.1 (152) का /क–3/97 दिनांक 10.7.97 से आरोप–पत्र दिया गया।	महिला बन्दी सुमन से अश्लील हरकत करना।	प्रकरण सी.आई.डी. (सी.बी.) के अनुसंधानाधीन है। न्यायालय में पेश हो चुका है चार्ज बहस होनी है।
20.	श्री एस. आर. बोस, अधीक्षक, कारागार उद्योग, मुख्यालय, जयपुर।	प.1 (285) का/क–3/97 दिनांक 8.1.98 से आरोप–पत्र दिया गया।	पक्कामाल भण्डार में वर्ष 90 से 92 तक 1.75,000 रुपये का गबन।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जरी है।
21.	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी, अधीक्षक भरतपुर।	प.1(272) का/क–3/97 दिनांक 22.3.97 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेलर पाराशर की हत्या में कर्तव्यों के प्रति शिथिलता बरतने बाबत।	जारी आरोप–पत्र का जवांब अपेक्षित है।
22.	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी अधीक्षक, भरतपुर।	प.1(286) का/क–3/97 दिनांक 22.12.97 से आरोप–पत्र जारी।	अनुशासनहीन वातावरण के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।	जारी आरोप–पत्र का जवाब अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
23.	श्री चेतनदेव उपाध्याय. (नि.), जयपुर।	प.1(221) का/क–3/97 दिनांक 27.3.98 से आरोप–पत्र दिया गया।	जेल जयपुर पर बन्दी राजेश व शराफत के साथ अमानवीय व्यवहार।	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, जांच जारी है।
24.	श्री चेतन देव उपाध्याय, अधीक्षक, (नि.) हाल मुख्यावास, जयपुर।	प.1(163) का/क–3/99 दिनांक 30.7.99 से आरोप–पत्र जारी।	प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी की ए.सी.आर. बाद पूर्ति समय पर न लौटाना।	जारी आरोप–पत्र का जवाब अपेक्षित है।

परिशिष्ट–"ब"

कारगार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन जांच नियम 17 सी.सी.ए. (राज्य सरकार के स्तर पर)

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	विचाराधीन जांच तिथि	संक्षिप्त आरोप	वर्तमान स्थिति
1.	श्री भरत सिंह उपाधीक्षक जेल (पत्रांक 40402 दिनांक 2.12.99 से प्रस्ताव भेजे।	प.1 (19) का/क–3/2000 दिनांक 28.3.2000 से आरोप–पत्र दिया गया।	दिनांक 18.4.98 को जेल जयपुर पर कार्य करते हुए सलाहकार मण्डल के समक्ष बन्दी उदय लाल का प्रकरण गलत प्रस्तुत करना।	प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रस्तावित जांच नियम 17 सी.सी.ए.

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	विचाराधीन जांच तिथि	संक्षिप्त आरोप	वर्तमान स्थिति
1.	श्री विश्वेश जोशी, अधीक्षक	मुख्यालय के पत्रांक 18427 दिनांक 29.5.99 से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये।	वर्ष 97–98 में जेल उदयपुर पर कार्यरत अवधि में बन्दी ओमप्रकाश व राजेश की अनियमित मुलाकात कराना व लिपिकीय कार्य बन्दी से लेना .	राज्य सरकार के स्तर से आरोप–पत्र जारी होना है।

1	2	3	4	5
2.	श्री वी. के. माथुर, अधीक्षक	मुख्यालय के पत्रांक : 9448 दिनांक 20.4.2000 से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये।	जेल जोधपुर पर रहते हुए कर्तव्य निर्वहन में बरती गयी लापरवाही एवं अनियमितताएं।	राज्य सरकार के स्तर से आरोप–पत्र जारी होना है।
		सी. सी. ए. नियम 17 की जांच मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन		
3.	श्री शुभकरण सिंह, उपाधीक्षक	मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक : वि. जा. प्र../6875–76 दिनांक 28.3.2000 से ज्ञापन दिया गया।	दिनांक 13.12.99 से 19.12.99 तक स्वेच्छिक अनुपस्थित रहना।	ज्ञापन की तामील व जवाब प्राप्त, प्रकरण निर्णय स्तर पर है।

परिशिष्ट–स

कारागार विभाग में पुलिस विभाग और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाने से पूर्व कारागार विभाग के अधिकारियों को दिये गये दण्ड एवं प्रस्तावित की गई जांच कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	आरोप का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान उपाधीक्षक	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से दिनांक 11.9.83 से 14.9.83 तक की अवधि में अनुपस्थित रहने बाबत।	आदेश संख्या पी. एफ/259/पार्ट–3/31672–75 दिनांक 21.10.83 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दंडित किया गया।	
2.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, उपाधीक्षक	झूठी अनुपस्थिति अंकित करने तथा यात्रा बिलों में अनियमित भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में सी.सी.ए. रूल्स, 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। नोटिस दिनांक 5.2.87 को दिया गया।	आदेश संख्या प. 14 (48) जांच/लेखा/87 दिनांक 17.11.87 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।	

1	2	3	4	5
3.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	कर्तव्य के प्रति वर्ष 85–86 में जिला कारागृह, सीकर पर उपाधीक्षक के पद पर कार्य करते हुए म. नि., कारागार द्वारा 15.9.65 को आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत 27.1.87 को ज्ञापन दिया गया।	आदेश संख्या 10202–6 दिनांक 27.5.87 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दंडित किया गया।	

1	2	3	4	5
4.	श्री शिवचरण लाल, उपाधीक्षक (सेवानिवृत)	गलत तथ्यों के आधार पर नियुक्ति पाने बाबत राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : प.1 (85) कार्मिक/क–3/86 दिनांक 14.4.87 से आरोप–पत्र दिया गया जिसके प्रस्ताव राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : एफ.1 (जोन "ए") 807 दिनांक 1.10.86 द्वारा प्रेषित किये गये।		जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जांच कार्यवाही राज्य स्तर पर जारी है।

परिशिष्ट–"द"

कारागार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित जांच नियम–16 सी. सी. ए. का विवरण (राज्य सरकार के स्तर पर)

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	प्रस्तावित जांच दिनांक	संक्षिप्त आरोप	अन्य विवरण
1.	श्री शुभकरण सिंह, उपाधीक्षक, डूंगरपुर।	पत्र क्रमांक : वि. जा. प्र./9701 दिनांक 22.4.2000	दिनांक 23.12.99 से 28.2.2000 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने बाबत।	राज्य सरकार के स्तर से जांच प्रस्तावित है।

जिला डूंगरपुर में जनजाति के काश्तकारों को देय मिनीकिट्स

551. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सहीं है कि जिला डूंगरपुर में जनजाति के काश्तकारों को खाद, बीज, के मिनीकिट्स दिये जाते है ? यदि हां, तो उक्त जिले में वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक कितने काश्तकारों को मिनीकिट्स दिये गये ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मिनीकिट्स से काश्तकारों को फायदा हुआ है ? यदि हां, तो क्या–क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले मे जनजाति के काश्तकारों को कृषि विभाग से केवल बीज के मिनीकिट्स दिये जाते हैं। वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक जनजाति के 7701 काश्तकरो को विभिन्न फसलों के 7701 बीज के मिनीकिट्स दिये गये। पंचायत समितिवार उपलब्ध कराये गये मिनीकिट्स की संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त मिनीकिट्स का वितरण लाटरी प्रणाली द्वारा कराया गया। परिशिष्ट–"स" उद्यान विभाग द्वारा भी बीज के वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक विभिन्न फसलों के 178 मिनीकिट्स जनजाति के 178 काश्तकारो को दिये गये। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। खाद के कोई मिनिकिटस नहीं दिये जाते हैं।

(2) उक्त मिनी किट्स के उपयोग से काश्तकारों में अधिक उत्पादन देने वाली नवीन किस्मों के बारे में जानकारी बढ़ी है एवं स्थानीय जलवायु में प्रचलित किस्मों के मुकाबले में इनकी उपयुक्तता भी प्रमाणित हो जाती है तथा कृषकों में इन मिनीकिटों से अच्छे बीजों का फैलाव भी होता है।

परिशिष्ट–अ

जिला डूंगरपुर में वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक पंचायत समितिवार जनजाति के कृषकों को उपलब्ध कराये गये बीज मिनीकिट्स की सूचना

(पंचायत समितिवार लाभान्वित जनजाति कृषक संख्या)

वर्ष	फसल	डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	सीमलवाड़ा	सागवाड़ा	आसपुर	योग
खरीफ 1998	अरण्डी	26	96	458	289	130	999
	मक्का	115	146	186	120	96	663
	धान	15	39	17	11	10	92
रबी 1998–99	सरसों	193	193	344	195	185	1110
	चना	100	106	126	108	87	527
	गेहूं	264	254	338	329	177	1362
खरीफ 1999	सोयाबीन	34	55	77	28	32	226
	उड़द	10	10	9	12	5	46
रबी 1999–2000	गेहूं	137	200	212	104	115	768
	सरसों	269	392	640	332	275	1908
	योग	1163	1491	2407	1528	1112	7701

परिशिष्ट–"ब"

जिला डूंगरपुर में वर्ष 1998 से मार्च, 2000 तक पंचायत समितिवार जनजाति के कृषकों को उपलब्ध कराये गये बीज मिनिकिट्स की सूचना

(पंचायत समितिवार लाभान्वित जनजाति के कृषकों की संख्या)

क्र. सं.	नाम फसल	सागवाड़ा	आसपुर	बिच्छीवाड़ा	सिमलवाड़ा	डूंगरपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्याज	10	3	15	0	0	28
2.	टमाटर	17	7	17	0	13	54
3.	बैंगन	7	4	12	0	0	23
4.	मटर	8	5	17	0	2	32
5.	धनिया	11	0	15	1	0	27
6.	मैथी	4	10	0	0	0	14
	योग	57	29	76	1	15	178

परिशिष्ट--"स"

लाटरी प्रणाली द्वारा मिनिकिट वितरण

क्षेत्र में मिनीकिट्स का वितरण निम्नांकित गठित कमेटी द्वारा लाटरी प्रणाली से किया जाता है :--

1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	प्रगतिशील कृषक	सदस्य
3.	कृषक (अनु. जाति/जनजाति)	सदस्य
4.	ग्राम विस्तार कार्यकर्ता	सदस्य सचिव

कृषि पर्यवेक्षक (ग्राम विस्तार कार्यकर्ता) उनके क्षेत्र में आवंटित मिनी किट्स की लाटरी खोलने की तिथि समय एवं स्थान के बारे में कृषकों को जानकारी देते हैं।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 11 अप्रेल, 2000)

जिला पाली का वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

340. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला पाली की पंचायत समितियों में वर्ष 1996--97 से 1999--2000 तक 65 वर्ष से अधिक आयु के कितने पुरुष व महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गई। कोषागारवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों में इस प्रकार के वर्तमान में कितने प्रार्थना--पत्र विचाराधीन है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वृद्धावस्था पेंशन का गत कितने महीनों से भुगतान किस आदेश के अनुसार नहीं किया जा रहा है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने वृद्धावस्था की पेंशन के भुगतान पर रोक लगाने के पूर्व भारत सरकार से भी इस विषय में सहमति ली है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समितियों में वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक 65 वर्ष से अधिक आयु के 2718 पुरुष व 4127 महिलाओं को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गई। कोषागारवार सूची संलग्न है। (एनेक्सर "अ")

(2) उक्त पंचायत समितियों में इस प्रकार के वर्तमान में 156 प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। ग्राम पंचायत अनुसार संख्या सूची संलग्न है। (एनेक्सर "ब")

(3) 1.4.1999 के बाद सर्वे के फलस्वरूप स्वीकृत नये पेंशन प्रकरणों के बारे में शिकायतें प्राप्त होने के कारण उक्त प्रकरणों में भुगतान पर रोक तथा इनकी जांच करने हेतु पुनः सर्वे के आदेश क्रमांक एफ–9(5) (6)वृपे/सकवि/99/दिनांक 17.11.1999 को किये। आदेश की प्रति संलग्न है। (एनेक्सर "स")

(4) जी, नहीं।

(सूची एवं आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नोहर के चिकित्सालयों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

552. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी व कहां–कहां है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां तथा कब से ?

(4) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालय नोहर में महिला चिकित्सक, नेत्र/शिशु विशेषज्ञ तथा सर्जन डाक्टरों के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर, एक प्रसवोत्तर केन्द्र मय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, नोहर एवं 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नही। वित्तीय वर्ष 2000–2001 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

होने के कारण उक्त क्षेत्र में और चिकित्सा संस्थान खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर में महिला चिकित्सक एवं नेत्र विशेषज्ञ के अलग से पद स्वीकृत नहीं है। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, नोहर में सी.ए.एस. एवं प्रसोवोत्तर केन्द्र, नोहर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के स्वीकृत पद भरे हुये है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) के पद विरूद्ध चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है, जो शिशु रोग में स्नातकोत्तर है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद भरा हुआ है। उक्त पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र नोहर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसोवोत्तर केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण निम्नप्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	2
1.	सामुदायिक संस्थान केन्द्र,नोहर प्रसोवोत्तर केन्द्र, नोहर मातृ शिशु कल्याण केन्द, नोहर।
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरमसर।
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्लू।
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़।
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलणिया।
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धानसियां।
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दरपुरा।
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगामेड़ी।
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीपलाना।

1	2
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फेफाना (एम.सी.एच.)
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसाना।
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघाना।
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,बिरकाली।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया की मरम्मत योग्य सड़कें

553. **श्री के.सी.विश्नोई** (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर से रावतसर तक की सड़क खराब है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 2000–2001 में उक्त सड़क की मरम्मत हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा है ?

(3) संगरिया से मालपुरा की सड़क कब बनकर तैयार हुई व उसकी कब–कब मरम्मत की गई ?

(4) संगरिया से सार्दुल शहर तक की सड़क की कब–कब मरम्मत की गई ? अब शेष खराब सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जाएगी ?

(5) वर्ष 1999–2000 में क्या संगरिया उदय सिंह चौक से बस अड्डे तक सड़क हेतु 6.5 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त सड़क पर कितनी राशि व्यय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या संगरिया से मालारामपुरा सड़क पर लिंक रोड ढाबा गांव तक बनी हुई है ? यदि हां, तो कब बनी व उसकी कब–कब मरम्मत की गई ? यदि नहीं, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार है ?

(7) संगरिया से सार्दुल शहर जाने वाली सड़क से लिंक रोड, नुकेरा व जण्डेवाल सिखान गांव तक सड़क कब बनी व उसकी कब–कब मरम्मत की गई ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(8) हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर जाने वाली सड़क कब बनी व उसकी मरम्मत कब की गई। यदि हां, तो अब कब तक उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सरदार शहर से रावतसर सड़क राज्य उच्चमार्ग संख्या–7 का भाग है एवं इस सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 107.20 कि.मी. है। (कि.मी. 85/0 से 192/200) वर्ष 1999–2000 में सरदारशहर से रावतसर सड़क मार्ग योजना मद में 64.15 कि.मी. सड़क लम्बाई में लागत 229.00 लाख से सुधरीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था जिसमें से 48.25 कि.मी.का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार इस सड़क मार्ग पर गैर योजना मद में 22.00 कि.मी. सड़क लम्बाई में लागत रूपये 52.00 लाख से नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत किया गया था जिसमें से 13.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध शेष कार्यों को उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे। उपरोक्त स्वीकृति के अलावा शेष सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) वर्ष 2000–2001 में उक्त सड़क की मरम्मत/सुधरीकरण हेतु योजनामद में 55.00 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(3) संगरिया से मालारामपुरा की सड़क संगरिया–अबोहर सड़क का भाग है इसकी राजस्थान सीमा तक कुल लम्बाई 18.90 किमी. है जिसका निर्माण अलग–अलग चरणों में वर्ष 1962 में पूर्ण हुआ। इस सड़क पर करवाई गई मरम्मत/नवीनीकरण का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष 1986–87	किमी. 6/0 से 8/0,
वर्ष 1987–88	किमी. 13/0 से 15/0,
वर्ष 1988–89	किमी. 0/0 से 2/0 एवं 9/0 से 11/0,
वर्ष 1992–93	किमी. 16/0 से 18/0,
वर्ष 1993–94	किमी. 6/0 से 9/0 एवं 14/0 से 18/0,
वर्ष 1995–96	किमी. 3/0 से 5/0,
वर्ष 1999–2000	किमी. 0/0 से 1/700 एवं 7/0 से 13/750 ।

(4) संगरिया से सार्दुलशहर की कुल लम्बाई 32.00 किमी. है। (किमी. 0/0 से 32/0) इस सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण अलग–अलग चरणों में की गई जो इस प्रकार है :–

वर्ष 1993–94	किमी. 17/0 से 19/0 एवं 20/0 से 24/0,
वर्ष 1997–98	किमी. 28/0 से 30/0,
वर्ष 1998–99	किमी. 10/0 से 13/0
वर्ष 1999–2000	किमी. 1/0 से 2/0, 8/0 से 10/0 एवं किमी. 13/0 से 16/0

शेष सड़क की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(5) जी, हां। वर्ष 1999–2000 में उद्यम सिंह चौक से बस अड्डें तक सड़क जिसकी लम्बाई 1.50 किमी. है, में नवीनीकरण का कार्य करवाने हेतु 6.50 लाख रूपये की राशि योजना मद में स्वीकृत है। सामग्री की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय संदर्भ में संसाधनों की सीमितता के कारण इस कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया।

(6) जी, हां। संगरिया से मालारामपुरा सड़क से लिंक रोड ढाबा गांव तक का निर्माण कार्य वर्ष 1966 में किया गया। इस सड़क की लम्बाई 6.00 किमी. है। उक्त सड़क में नवीनीकरण के कार्य निम्न वर्षों में करवाये गये तथा सड़क की साधारण मरम्मत व रख–रखाव का कार्य समय–समय पर बजट की उपलब्धतानुसार करवाया गया :–

वर्ष 1984–85	किमी. 3/0 से 4/500,
वर्ष 1985–86	किमी. 4/500 से 6/0,
वर्ष 1988–89	किमी. 0/0 से 2/0

(7) संगरिया से सार्दुलशहर जाने वाली सड़क से लिंक रोड, नुकेरा व जन्डेवाल सिखान गांव तक का निर्माण कार्य वर्ष 1975 में पूर्ण हुआ जिसकी लम्बाई 6.00 किमी. है इस सड़क के किमी. 4/0 से 6/0 में वर्ष 1982–83 में नवीनीकरण का कार्य करवाय

गया तथा सड़क की मरम्मत व रख–रखाव का कार्य समय–समय पर बजट की उपलब्धतानुसार करवाया गया।

(8) हनुमानगढ से श्रीगंगानगर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में वर्ष 1958 से पूर्व हुआ। इसकी कुल लम्बाई करीब 60.00 किमी. है। इसके उपरांत यह सड़क ग्रेफ की स्थानान्तरण की गई। पुनः ग्रेफ द्वारा वर्ष 1991 में इस सड़क के कुछ भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किये गये जिसके अन्तर्गत 23,300 किमी. सा. नि. वि. को हस्तानान्तरित हुये। इस सड़क में करवाये गये नवीनीकरण का कार्य इस प्रकार है :–

वर्ष 1996–97	किमी. 1/600 से 1/800,
वर्ष 1998–99	किमी. 1/0 से 1/500 एवं 2/0 से 2/500 (हनुमानगढ खण्ड)।
वर्ष 1999–2000	किमी. 1/0 से 2/0, 4/0 से 5/0, 6/0 से 9/0, 17/0 से 17/500 एवं 17/500 से 18/300 (गंगानगर खण्ड)।

सा. नि. वि. को हस्तानान्तरित सड़क भाग में शेष क्षतिग्रस्त लम्बाई में नवीनीकरण व साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अटरू/कोटा में अंशकालीन कर्मचारियों का स्थायीकरण

554. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 से 1999 तक की अवधि में अटरू व कोटा शहर में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के अंशकालीन रसोइयों को स्थाई किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन को ?

(2) स्थाई किये गये कर्मचारियों के नामों की सूची पतें सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितने अंशकालीन कर्मचारी कब से कार्यरत है ? नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को अब तक स्थाई कर देना चाहिए था तथा अब कब तक स्थाई कर दिया जावेगा ?

(5) उक्त में कितने अंशकालीन कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार स्थाई अवधि पूर्ण कर ली है।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995 से 1999 तक की अवधि के दौरान कोटा शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के 5 अंशकालीन रसोइयों/चौकीदारों को नियमित रूप से नियुक्त किया गया है जिनका विवरण परिशिष्ठ "अ" में उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार स्थाई किये गये कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में अटरू कस्बा एवं कोटा शहर में संचालित राजकीय छात्रावासों में अभी 6 अंशकालीन रसोईया/चौकीदार उनके सामने अंकित दिनांक से कार्यरत है। सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) वर्तमान में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(5) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.03.96 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के तहत 145 अंशकालीन कर्मचारियों ने अवधि पूरी कर ली है।

परिशिष्ट--"द्ध"

कोटा शहर में नियमित रूप से नियुक्त रसोइयों/चौकीदारों का विवरण

आदेश संख्या	क्र.सं.	नाम कर्मचारी	चौकीदार /रसोइया	छात्रावास का नाम	विवि
1	2	3	4	5	6
41559 19.7.1999	1.	श्रीमती रतनी बाई पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	रसोइया	राजकीय एस. सी. छात्रावास, छावनी, कोटा।	
49449 28.8.1998	2.	श्रीमती मूलीबाई पत्नी श्री चेतराम	रसोइया	राजकीय एस.टी. छात्रावास, छावनी, कोटा।	
41559 16.7.1998	3.	श्री गंगाराम पुत्र श्री मूलचन्द	रसोइया	राजकीय छात्रावास, मालारोड, कोटा।	
35759 19.7.1997	4.	श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री हर गोविन्द	रसोइया	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, तलवन्डी, कोटा।	
35759 19.7.1997	5.	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री छोटूराम	चौकीदार	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, कन्सुवा, कोटा।	

परिशिष्ट–"ब"

वर्तमान में अटरू कस्बा एवं कोटा शहर में कार्यरत अंशकालीन रसोइया/चौकीदारों का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	छात्रावास का नाम	कब से कार्यरत
अटरू कस्बा				
1.	श्रीमती केलाबाई पत्नी श्री छीतरमल ढ़ोली	चौकीदार	राजकीय कन्या छात्रावास, अटरू।	8/94 से
2.	श्रीमती तुलसा बाई पत्नी श्री बलराम खटीक	रसोइया	राजकीय बालक छात्रावास, अटरू।	2/95 से
3.	श्रीमती बद्रीबाई पत्नी श्री दुर्गाशंकर	रसोइया	राजकीय बालक छात्रावास, अटरू।	12/94 से
कोटा शहर				
1.	श्रीमती मोनाबाई पत्नी श्री गंगाराम	रसोइया	राजकीय अनु0जाति छात्रा. मालारोड़, कोटा।	15.11.94 से 22.2.96 तथा 1.12.96 से
2.	श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री ओमप्रकाश	रसोइया	राजकीय अनु0जाति छात्रा. मालारोड़,कोटा।	31.1.94 से 24.11.94 एवं 7.2.96 से 1.2.97 तथा 1.7.98 से
3.	श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री राजूलाल खटीक	रसोइया	राजकीय स्वच्छकार छात्रा. कन्सुआ, कोटा।	24.1.95 से

डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा निर्मित सड़कें

555. **श्री जर्नादन गहलोत** (करौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10 मई, 1999 को डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई थी ?

(2) क्या उक्त बैठक में डांग विकास के लिये किये जाने वाली सड़कों के निर्माण बाबत मुख्य सचिव को सूची देने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो डांग विकास में दी गई सूची में किन–किन क्षेत्र को सड़कें स्वीकृति हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़कों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। योजनान्तर्गत वर्ष 1999–2000 हेतु नवीन कार्यो हेतु बजट उपलब्ध नहीं होने से कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) जिले को आवंटित होने वाली राशि में से पूर्व वर्ष के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये राशि रखते हुये शेष राशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड की अगली बैठक में निर्णय लिया जावेगा।

सब डिवीजन डग में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को देय कुटीर ज्योति–विद्युत कनेक्शन

556. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998 से मार्च, 2000 में राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य कितना था एवं कितने कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या लक्ष्य पूरे किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिला झालावाड़ में आवंटित लक्ष्य के तहत सभी मकानों को कनैक्शन दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सब डिवीजन डग में लक्ष्य पूरे किये गये ? यदि नहीं तो कितने बकाया है और किस कारण से लक्ष्य पूरे नहीं किये गये ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1998–99 व 1999–2000 के लिये कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत 10,000 कनैक्शन प्रतिवर्ष देने का लक्ष्य था उसके सापेक्ष क्रमशः 8997 व 9940 कनैक्शन प्रदान किये गये। कुटीर ज्योति योजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कनैक्शन देने के अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार सम्मिलित हैं को कनैक्शन दिये जाते हैं।

(2) इस योजना में चयनित परिवारों में से विद्युतिकृत ग्रामों में जो कनैक्शन मात्र सर्विस लाइन से हो सकते है, उन्हे कनैक्शन देने का प्रावधान है। इस प्रकार लक्ष्यों एवं उपलब्धि में कुछ अन्तर रहना स्वाभाविक है।

(3) जी, नहीं। जिला झालावाड़ में वर्ष 1998–99 व 1999–2000 के लिये आवंटित लक्ष्य व उपलब्धि निम्न प्रकार है

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1998–99	288	271
1999–02	277	277

उपरोक्त बिन्दु–2 में वर्णित कारणों से लक्ष्य के सापेक्ष कनैक्शन नहीं दिये जा सके।

(4) सब–डिवीजन के लिये कुटीर ज्योति कनैक्शन का अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। जिले के लिए दिये गये लक्ष्यों में से ही कनैक्शन दिये जाते है। सब–डिवीजन डग में वर्ष 1998–99 में 53 व वर्ष 1999–2000 में 50 कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कनैक्शन जारी किये गये

पंचायत समिति रानी/पाली/देसूरी का डोर्कजोन क्षेत्र

557. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार पंचायत समिति रानी, पाली, देसूरी (पाली) में डार्क जोन हटाने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) उक्त डार्क जोन किस वर्ष से लागू किया गया है ?

उत्तर

(1) नवीनतम भू–जल मूल्यांकन के अनुसार पंचायत समिति–रानी एवम् पंचायत समिति–पाली डार्क जोन में नहीं है। पंचायत समिति–देसूरी डार्क जोन में है। राज्य में अगला भू–जल पुर्नमूल्यांकन कार्य वर्ष 2001 में प्रस्तावित है जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में विकास की दर में यदि कोई परिवर्तन पाया गया तो क्षेत्रों का पुर्नवर्गीकरण किया जावेगा।

(भू–जल मंत्री)

(2) पंचायत समिति–रानी एवं पाली भू–जल मूल्यांकन प्रतिवेदनों के अनुसार कभी भी डार्क जोन श्रेणी में नहीं रही है। पंचायत समिति–देसूरी वर्ष 1995 से लगातार डार्क जोन श्रेणी में वर्गीकत की गई है।

पंचायत समिति–लाडपुर (बेगूं) के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन

558. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में से किस–किस केन्द्र का भवन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति–लाडपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब स्वीकृत हुआ ? क्या उक्त केन्द्र हेतु भवन के लिए कभी राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि और नहीं, तो कब स्वीकृत होने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिनमें से 2 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त सभी केन्द्रों पर भवन उपलब्ध है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति–लाडपुरा की पंचायत समिति, जिला–चित्तौड़गढ़ में नहीं है। लाडपुरा ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समिति–भैसरोड़गढ़ जिला–चित्तौड़गढ़ में आती है। वर्ष 1990–91 में ग्रामीण डिस्पेंसरी लाडपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कर स्वीकृत किया गया।

जी नहीं। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाडपुरा, पंचायत समिति–भैसरोड़गढ़ के भवन निर्माण पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं (50 रोगी शैय्या)
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा (30 रोगी शैय्या)
1.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारसोली
2.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैसरोडगढ़
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निचोर
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काटून्डा
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायता
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, चेची
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघपुरा
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवायें, नन्दबई
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराव
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाडपुरा
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा

सूची

क्र.सं.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	भवन उपलब्ध है	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेंगू	भवन उपलब्ध है	
2.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारसोली	भवन उपलब्ध है	
3.	सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिचोर	भवन उपलब्ध है	
4.	सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काटूडांमोड	भवन उपलब्ध है	
5.	सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायता	भवन उपलब्ध है	विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	सैक्टर प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेची	भवन उपलब्ध है	(ग्राम परिवार कल्याण केन्द्र, चेची भी सम्मिलत है)
7.	सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघपुरा	भवन उपलब्ध है	
8.	सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्दवई	भवन उपलब्ध है	मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवायें, नन्दबई भी सम्मिलित है
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा	भवन उपलब्ध है	किन्तु निर्धारित नक्शे एवं मानदण्ड अनुसार नहीं है नगरपालिका–रावतभाटा द्वारा भूमि का पट्टा एक माह पूर्व कार्यालय को प्राप्त हुआ है भवन निर्माण स्वीकृति हेतु कार्यवाही जारी है।

[illegible]

1	2	3	4
10.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैंसरोडगढ़	भवन उपलब्ध है	
11.	सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराव	भवन उपलब्ध है	
12.	सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाड़पुरा	भवन उपलब्ध है	जो अनुपयुक्त है, निर्धारित नक्शे एवं मापदण्ड अनुसार नहीं है, दो कमरों में निर्मित है।

जिला भरतपुर की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

559. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :--

(1) क्या सरकार राज्य में स्वीकृत अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) जिला भरतपुर को सिंघाड़ा से तरसूमा वाया थानाडांग और घाघरैन से ईटखेड़ा सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में स्वीकृत अपूर्ण सडकों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) सिंघाड़ा से तरसूमा सीधी सड़क से जुडा हुआ है। जिसकी लम्बाई 13 किमी. है। सिंघाड़ा से थानाडांग की लम्बाई 8 किमी. है जिसमें 6.67 किमी. डामर सड़क है। शेष सड़क निर्माण कार्य उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। थाना डांग से तरसूमा की लम्बाई 7 किमी. है जिसकी कोई स्वीकृति नहीं है। घाघरेन से ईटखेड़ा सड़क की कुल लम्बाई 7.60 किमी. है जिसमें 1.80 किमी. डामर एवं 2 किमी. मेटल पूर्व में ही निर्मित है। शेष 3.80 किमी. लम्बाई में से 3.20 किमी. में मेटल का कार्य किया गया है। सड़क के शेष भाग का निर्माण कार्य उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। अतः

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सिंघाड़ा से डांग एवं घाघरेन से ईटखेडा सड़क का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा इसकी परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करना सम्भव हो सकेगा।

छबड़ा व छीपाबड़ोद छात्रावासों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण

560. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि छबड़ा एवं छीपाबड़ोद के समाज कल्याण छात्रावासों को आम रास्ते से जोड़ने के लिये कोई सड़क नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी, हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास छबड़ा एवं छीपा बड़ोद के छात्रावासों को जोड़ने के लिये कोई सड़क नहीं है

जी नहीं, विभाग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता है। यह कार्य जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा या उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिला कलक्टर, बारां एवं अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां को उक्त छात्रावासों को सड़क से जोड़ने के संबंध में पत्र लिखा जा चुका है।

जिला झुंझुनूं का प्रस्तावित छात्रा महाविद्यालय

561. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुन्झुनूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 10 जुलाई, 1999 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने झुंझुनूं जिले के ग्राम बिंजुसर में मिश्रीबाई केडिया बालिका कालेज का उद्‌घाटन किया था ?

(2) क्या उक्त गर्ल्स कालेज प्रारम्भ हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कालेज के उद्‌घाटन में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने उक्त समारोह की अध्यक्षता की थी ?

(4) क्या उद्‌घाटन के फलस्वरूप कई छात्राओं ने दूसरी किसी कालेज में प्रवेश नहीं किया और कालेज प्रारम्भ नहीं होने के कारण ऐसी लड़कियों का एक साल योंही बर्बाद हो गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि राज्य सरकार ने महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी नहीं की है। अतः माननीय मंत्री महोदय ने उस दिन केवल भवन का उद्‌घाटन किया था, न कि महाविद्यालय का।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी, नहीं। जन सहयोग से राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की नीति का राज्य सरकार पुनरावलोकन कर रही है। जब तक उक्त नीति निर्धारित नहीं हो जाती है, राजकीय क्षेत्र में कोई नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) ऐसी कोई जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को नहीं है।

सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र में भू–खण्डों की नीलामी की आरक्षित दर में कमी

562. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1998 में रीको द्वारा सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र में 5 भू–खण्डों की नीलामी के लिए 32000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर आरक्षित की गई थी ? यदि हां, तो मार्च, 1999 में उक्त भू–खण्ड की आरक्षित दर कम करके 1760 रुपये किस आधार पर की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कम की गई आरक्षित दर से राजकोष को हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी तथा स्वयं कोलोनाइजर द्वारा सिनेमाहाल निर्माण हेतु उक्त भू–खण्ड में से किस राशि की जमीन क्रय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पूर्व में बड़े एवं छोटे साइज भू–खण्ड़ों की नीलामी में बड़े भू–खण्डों की नीलामी में 32000/– रुपये प्रति वर्गमीटर की आरक्षित दर पर किसी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया एवं बड़े भू–खण्डों की दर छोटे साइज के भू–खण्डों से अधिक प्राप्त नहीं हुई। अतः इस परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये रीको प्रबन्ध द्वारा मार्च,1999 में 18000 वर्गमीटर व उससे अधिक साइज के व्यावसायिक भू–खण्डों की आरक्षित दर 3200/–रुपये से घटाकर 1600/–रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गयी। कार्नर के भू–खण्ड की आरक्षित दर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ली जाती है। अतः 17.3.99 से 3 भू–खण्डो जो कि कार्नर के थे, उनकी आरक्षित दर 1760/–रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी।

(2) जी, नहीं। आरक्षित दर कम करने से इस क्षेत्र की स्कीम की आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा वरन् इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार हुआ क्योंकि इन व्यावसायिक भू–खण्डों की प्लानिंग औद्योगिक भू–खण्डों का भू–उपयोग परिवर्तित कर की गई थी एवं इन भू–खण्डों के नियोजन में किसी प्रकार

(उद्योग मंत्री)

की अतिरिक्त आधारभूत सुविधा प्रदान नहीं की गई। शिवम कोलोनाइजर द्वारा दिनांक 17.3.99 की खुली नीलामी में सिनेमाहाल निर्माण हेतु 3000 वर्गमीटर का भू–खण्ड 1785/–रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से कुल राशि 53,55,000/– रुपये की जमीन क्रय की गई।

सरस्वती नदी से जल दोहन

563. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भू–जल विभाग, केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ईसरो एवं सुदूर संवेदन केन्द्र के संयुक्त प्रयासों से गहन सर्वेक्षण कर सरस्वती नदी का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई है। यदि हां, तो वैज्ञानिकों व अध्ययन दल की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार सरस्वती नदी दोहन जल प्रबन्धन कितना हो सकता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरस्वती नदी के जल दोहन कर बडे पैमाने पर योजनाये बनाकर रेगिस्तानी क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग के द्वारा जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में काजरी, ईसरो एवं सुदूर संवेदन केन्द्र के संयुक्त प्रयासों से पुरा जल प्रवाह योजना के अन्तर्गत विस्तृत अन्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है जिसके पूरा होने के पश्चात् ही सरस्वती नदी एवं उसके दोहन से उपलब्ध होने वाले भू–जल की मात्रा की जानकारी मिल सकेगी।

(2) विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात् ही भू–जल उपलब्धता की सम्भावनाओं की जानकारी मिल सकेगी। इसके उपरान्त योजनायें तैयार करने पर विचार किया जाएगा।

रेफरल चिकित्सालय कापरेन में चिकित्सकों हेतु निर्मित आवास

564. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय रेफरल चिकित्सालय कापरेन में चिकित्सकों के लिये आवास भवनों का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कितने आवासों का निर्माण किया गया था तथा उनका क्या उपयोग हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन के मुख्य भवन से एवं आबादी से लगभग 1½ –2 किमी. दूर, 2 चिकित्सक आवास भवनों का निर्माण कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के पश्चात् चिकित्सक आवास गृह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन के मुख्य भवन से तथा ग्राम की आबादी से लगभग 1½ –2 किमी. दूर होने के कारण उपयोग में नहीं लिये गये हैं।

जिला बांसवाड़ा में निर्मित पेवर सड़कें

565. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में कितनी पेवर सड़कें कब–कब बनाई गई ?

(2) बांसवाड़ा–घाटोल मार्ग पर किस वर्ष में पेवर सड़कें बनाई गई ?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में नई पेवर सड़के बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाडा में वर्ष 1995–96 से पेवर से सड़कों का निर्माण शुरू किया गया था एवं गत पांच वर्षों में पेवर द्वारा निर्माण कार्य निम्नानुसार किये गये :–

वर्ष	पेवर सड़क की लम्बाई (किमी. में)
1995–96	42.000
1996–97	75.500
1997–98	149.150
1998–99	107.500
1999–2000	94.500
योग	468.650

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) बांसवाड़ा घाटोल सड़क स्टेट हाइवे संख्या–4 का हिस्सा है जिसकी लम्बाई 30 कि.मी. है तथा वर्षवार इस मार्ग पर पेवर निम्नानुसार किया गया है :–

वर्ष	पेवर सड़क निर्माण की लम्बाई (कि. मी.)
1998–99	16.300
1999–2000	4.000
योग	20.300 कि.मी.।

(3) नई पेवर सड़कों का निर्माण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

उदयपुर सम्भाग में निर्मित छात्रावास भवन

566. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

उदयपुर संभाग में गत दो वर्षो में कितने छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वीकृत हुए थें ? क्या स्वीकृत भवन बन गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर संभाग में गत दो वर्ष में ग्यारह जनजाति आश्रम छात्रावासों एवं दो आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत हुए है। जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इन छात्रावासों का निर्माण कार्य राज. ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्णय किया गया है। एक छात्रावास (छाली) का कार्य शुरू हो चुका है। शेष शीघ्र आरम्भ किए जा रहे हैं। छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने का मुख्य कारण कार्यकारी ऐजेन्सी का निर्धारण विलम्ब से होना तथा राज्य सरकार द्वारा नवीन कार्य प्रारम्भ न करने के निर्देश थें।

परिशिष्ट–1

गत दो वर्षो में उदयपुर संभाग में स्वीकृत छात्रावासों का विवरण

आश्रम छात्रावास

क्र.स.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	नाम आश्रम छात्रावास	बालक/बालिका	स्वीकृत वर्ष
1.	उदयपुर	1. सराड़ा	1. आश्रम छात्रावास टीडी	बालक	1998–99
		2. गोगुन्दा	2. आश्रम छात्रावास छाली	बालिका	1998–99
2.	बांसवाड़ा	1. बागीदौरा	3. आश्रम छात्रावास बागीदौरा	बालक	1998–99
		2. घाटोल	4. आश्रम छात्रावास डूंगलावानी	बालिका	1998–99
3.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	5. आश्रम छात्रावास डूंगरपुर	बालक	1998–99
4.	चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	6. आश्रम छात्रावास पण्डावा	बालिका	1998–99
		2. प्रतापगढ़	7. आश्रम छात्रावास अरनोद	बालिका	1998–99
		3. प्रतापगढ़	8. आश्रम छात्रावास सांखथली	बालिका	1998–99
		4. प्रतापगढ़	9. आश्रम छात्रावास अबलेश्वर	बालिका	1998–99
		5. बड़ी सादड़ी	10. आश्रम छात्रावास करजू	बालिका	1998–99
5.	राजसमन्द	1.नाथद्वारा	11. आश्रम छात्रावास सेसा	बालिका	1998–99

आवासीय विद्यालय

1.	उदयपुर	खैरवाड़ा	आवासीय विद्यालय खैरवाड़ा	–	1999–2000
2.	डूंगरपुर	चौरासी	आवसीय विद्यालय सीमलवाड़ा	–	1999–2000

तारांकित प्रश्न संख्या–567

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 अप्रेल, 2000)

सरकारी भवनों के निर्माण हेतु आंवटित राशि

355. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999–2000 के बजट में किस–किस जिले की किस–किस तहसील के किस–किस सरकारी भवन निर्माण हेतु कितनी–कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवनों में कितनी–कितनी राशि व्यय की जा चुकी हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष1999–2000 के बजट में सरकारी भवन निर्माण के लिये जो राशि स्वीकृत/आवंटित की गई जिसकी सूचना सभी जिलों की तहसील–वार विवरण प्रपत्र "अ" में सलंग्न हैं।

(2) उक्त भवनों पर व्यय की गई राशि का विवरण भी प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में विद्युत् से मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को प्रदत्त आर्थिक सहायता

568. **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा–बूंदी, झालावाड़ एवं बारां में दिसम्बर, 1998 से 1 मार्च, 2000 तक कितने व्यधि बिजली के चिपकने से मरे हैं ? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों की किस तरह से बिजली से चिपकने से कहां पर मृत्यु हुई ?

(3) उक्त मरने वाले व्यक्तियों के आश्रित परिवारजनों को कितनी–कितनी आर्थिक सहायता कब–कब किस–किस की मृत्यु पर किस–किस को उपलब्ध कराई ?

(4) उक्त बोर्ड में लापरवाही व सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं होने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

उत्तर

(1) जिला कोटा–बूंदी, झालावाड़ एवं बारां में 1 दिसम्बर, 1993 से 1 मार्च, 2000 तक कुल 12 व्यक्तियों की विद्युत् करंट के कारण मृत्यु हुई हैं। मृतकों के नाम व पतों सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) उक्त व्यक्तियों की मृत्यु का कारण एवं स्थान परिशिष्ट "अ" दर्शा दिया गया हैं।

(3) उक्त दुर्घटनाओं में विद्युत मण्डल कर्मचारियों की मृत्यु होने पर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि देय हैं जबकि आम जनों को मण्डल के नियमानुसार अधिकतम 20,000/– रु. तक की अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती हैं। दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता राशि का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया हैं।

(4) उपरोक्त दुर्घटनाओं में मण्डल की लापरवाही व सुरक्षा उपायों में कमी के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हैं।

परिशिष्ट "अ"

बिजली के चिपकने से मृत्यु हुई व्यक्तियों का विवरण

क्र.स.	दुर्घटना व्यक्ति का नाम व पता	जिला	दुर्घटना की दिनांक	स्थान	मृत्यु होने का कारण	विभागीय/ आमजन	आर्थिक
1.	श्री नाथू, ग्राम चेचट जिला कोटा	कोटा	29.6.1999	चेचट	33/11 के. वी. पर कार्य करते हुए करंट से मृत्यु	विभागीय	1,46,200
2.	श्री सुवा लाल, ग्राम फतेहपुरा, सल्तानपुर जिला कोटा	कोटा	16.6.1999	फतहपुरा	11 के. वी. के फयूल बांधते हुए करंट से मृत्यु	विभगीय	1,56,470
3.	श्री जगदीश मणा, ग्राम भवानी--पुरा, इटावा, जिला कोटा	कोटा	9.8.1999	भवानीपुरा इटावा	ट्रैक्टर द्वारा खंभे टूटने से तार गिरने के कारण--	आमजन	सहायता रा. प्रदान
4.	श्री भंवरलाल, ग्राम धास, जिला टोंक	कोटा	7.10.1999	चेचट	चेचट खान क्षेत्र में प्राइवेट ट्रक के विद्युत लाइन के छूने से।	आमजन	करने कार्य--वाही प्र--पत्र हैं।
5.	श्री प्रहलाद, ग्राम धास जिला टोंक	कोटा	7.10.1999	चेचट	उपरोक्तानुसार।	आमजन	
6.	श्री भैरूलाल, ग्रामतीरथ, तालेडा, जिला कोटा	बूंदी	25.7.1999	तीरथ	टूटे तार के करंट से	आमजन	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	श्री चन्दालाल, ग्राम उनियारा, जिला टोंक	बूंदी	26.6.1999	माणजा (के. पाटन)	ट्रैक्टर ट्रोली में रखें बैंड़ बाजे की गाड़ी रखी थी तार से छू जाने के कारण–	आमजन	सहायता रा. प्रदान करने कार्य–वाही प्र–पत्र हैं।
8.	श्री प्रभूलाल, जवाहर नगर, बूंदी	बूंदी	26.6.1999	"	उपरोक्तानुसार।	आमजन	
9.	श्री टीकाराम धाकड़, ग्राम धाकड़ खेड़ी इन्द्रगढ़, जिला बूंदी	बूंदी	25.1.2000	धाकड़खेड़ी (इन्द्रगढ़)	एल. टी. लाइन से सीधे तार डाल कर खेत में फैलाने से करंट से मृत्यु	आमजन	
10.	श्री कहैन्यालाल, ग्राम धाकड़खेड़ी इन्द्रगढ़, जिला बूंदी	बूंदी	"	"	उपरोक्तानुसार–	आमजन	
11.	श्री छीतरलाल	बारां	12.4.1999	33 के.वी. जी.एस.एस. बांरा	बारां–मांग–रोल लाइन, फीडर नम्बर–5, तार से गिरकर	विभागीय	2,26,836
12.	श्री नन्दकिशोर	झालावाड़	5.10.1999	33 के.वी. जी.एस.एस. खानपुर	बिजली चिपकने के कारण	विभागीय	1,70,800

मेडिकल कालेज में व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु आयु सीमा

569. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल आफिसर) पद की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य की मेडिकल कालेजों में व्याख्याता (असिसेन्ट प्रोफेसर) के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी; कार्डियोलोजी, न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलोजी आदि विषयों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल आफिसर) पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम. बी. बी. एस. है. एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यार्थियों को पांच वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विधवा एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में आयु सीमा नहीं है।

(2) राज्य के मेडिकलों कालेजों में व्याख्याता (सहायक आचार्य) के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभ्यार्थी के मामले में 35 वर्ष है तथा राज्य सेवारत व्यक्तियों तथा अ. जा./ अ. ज. जा. के अभ्यर्थियों के मामले में यह सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है। व्याख्याता (सहायक आचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में अधिमान्य स्नातकोत्तर उपाधि (एमडी/ एमएस/डीएम/एमसीएच) है।

(3) राज्य के मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी विषयों तथा कार्डियोलोजी, न्यूरोलोजी, गेस्ट्रोलोजी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलोजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, नैफ्रोलोजी आदि विषयों में व्याख्याता (सहायक आचार्य) पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबन्धित विषय में डी. एम./ एम. सी. एच. की अधिमान्य उपाधि है इन पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा भाग दो के उत्तर में किये गये उल्लेख अनुसार ही है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में निर्मित सड़कों के पेच वर्क मरम्मत

570. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में सरकार ने कोई सड़क स्वीकृत नहीं की है और न ही किसी सड़क में पेच वर्क कराया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पाटनढाबला सड़क जगह–जगह से टूटी गई है ? यदि हां, तो अब तक सड़क की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ? अब कब तक उक्त सड़क की मरम्मत करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में बी. एम. एस. पी. योजना के अन्तर्गत रायपुर पाटन से काचरडा सड़क की स्वीकृति दी गई है व निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1999–2000 में उपलब्ध वित्तीय बजट आवंटन के अनुसार नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में 65.5 कि. मी. लम्बाई में पेच रिपेयर कार्य करवाया गया है।

(2) पाटनढाबला ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 12 कि. मी. है। वर्ष 1999–2000 में इस सड़क के कि. मी. 8/0 से 12/0 में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया। शेष सड़क लम्बाई में वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण साधारण मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका। भविष्य में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर शेष सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़े वर्ग को देय आरक्षण सुविधा

571. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में किस–किस जाति को कितना–कितना प्रतिशत आरक्षण तथा राज्य सेवा तथा राजनैतिक क्षेत्र के पदों पर कितना–कितना प्रतिशत आरक्षण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य पिछड़ा आयेग के समक्ष किस–किस जाति के आरक्षण आवेदन पत्र कब से विचाराधीन है तथा अक्टूबर, 1999 से मार्च, 2000 तक किस–किस जाति को आयोग/सरकार ने आरक्षण दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवी सिंह भाटी)

(3) क्या राज्य सरकार, दक्षिण राज्य व अन्य प्रदेशों में जहां अन्य पिछड़ा वर्ग में भिन्न श्रेणियां बनाकर अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित कर रखें है, कि भांति राजस्थान में भी ऐसी श्रेणियां बनाकर व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में अब तक उपेक्षित जातियों की आरक्षण की मांग व अन्य कारणों से पिछड़ा वर्ग में अन्य प्रदेशों की भांति 69 प्रतिशत आरक्षण या उससे अधिक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रतिशत तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु सीधी भर्ती से एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है इसके अतिरिक्त जनजाति उप योजना क्षेत्र में वन विभाग के वन संरक्षकों, पुलिस विभाग के कांस्टेबिलों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, ड्राइवरों कनिष्ठ लिपिकों, सहायक अध्यापकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन. एम.) बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एम. पी. डब्ल्यू.) वार्ड ब्वाय पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक, आयुर्वेद विभाग के कम्पाउन्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-111 की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की 45 प्रतिशत रिक्तयां अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत अनु. जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है।

इसके अतिरिक्त बारां जिले में सभी विभागों के वेतन श्रृंखला 1 से 6 के सभी पद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवा (ग्रुप सचिव) (वेतन श्रृंखला-7) शिक्षा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला-9) आयुर्वेद विभाग के कम्पाउन्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला-9) शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-111 (वेतन श्रृंखला-9) की सीधी भर्ती भरी जाने वाली रिक्तियों का 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया जनजाति से सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों से 8 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों से 10 प्रतिशत भरने का प्रावधान है। शेष 51 प्रतिशत सामान्य श्रेणी से भरने का प्रावधान है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रत्येक नगरपालिका में कुल जनसंख्या का जितना प्रतिशत इन जातियों का है उतना ही आरक्षण करने का प्रावधान है। जहां तक अन्य पिछड़ा

(समाज कल्याण मंत्री)

वर्ग का प्रश्न है उसमें अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत रखी थी जिसमें बाद में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 9 (3)(ए) में अध्यादेश के द्वारा संशोधन कर 21प्रतिशत का प्रावधान रखा गया था। अधिकतम 21 प्रतिशत का अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति का कुल आरक्षण करने के पश्चात् 50 प्रतिशत से जितने पद आरक्षण से कम रहते है उतने पद ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित किये जायेंगे, परन्तु उन पर प्रतिबंध यह है कि यह सीमा 21 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के लिये अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान अधिनियम की धारा 15 व 16 में किया गया है, जिसके अनुसार अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का किसी पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्त निकटतम वही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों या यथास्थिति जनजातियों की संख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्था में स्थानों का इक्कीस से अनधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किया जावेगा जितना सम्बन्धित जिले में अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है, परन्तु जहां सम्बन्धित जिले मं अनु. जातियों और अनु. जनजातियों को सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किया जायेगा परन्तु राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनु. जनजातियों के लिये आरक्षण कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगा, परन्तु सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होगें।

(2) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वर्तमान में विचाराधीन जातियों के प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति दिनांक/निर्णय/पुनर्विचार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अक्टूबर 1999 से मार्च तक जिन जाति/वर्गो को राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया है। जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न श्रेणियां

(समाज कल्याण मंत्री)

बनाकर अलग–अलग प्रतिशत आरक्षण देने का विचार नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न श्रेणियां बनाकर आरक्षण देने का प्रकरण राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16% अनुसूचित जनजाति को 12% व अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। इन्द्रा साहनी बनाम भारत सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार कुल पदों की आरक्षित संख्या 50% से अधिक नहीं की जा सकती है।

(सूची/अधिसूचनाओं की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा घोषित वेतनमानों का भुगतान

572. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीक्षा द्वारा घोषित चतुर्थ एवं पांचवें वेतनमान अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/पोलिटेकनिकल कालेजों व फार्मेसी संस्थानों को दिये जा चुके है ? यदि हां, तो किन–किन महाविद्यालयों में कब–कब से दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के कतिपय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भिन्न–भिन्न तिथियों से उक्त वेतनमान दिये गये है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कब से दिये जायेंगे ? क्या राज्य कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिसम्बर, 1996 में दिये जा चुके है ?

उत्तर

(1) राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा घोषित चतुर्थ एवं पांचवें वेतनमान अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/पोलिटेकनिकल कालेजों व फार्मेसी संस्थानों की निम्न तिथि अनुसार दिये जा चुके है :–

(तकनिकी शिक्षा मंत्री)

	संस्थान का नाम	चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान	पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु।	1.1.1986	1.1.1996
2.	पोलिटेनीक कॉलेजों के शिक्षकों हेतु।	1.9.1996	अभी तक लागू नहीं किया
3.	फार्मेसी में डिप्लोमा संस्थानों के शिक्षकों हेतु।	1.7.1993	

(2) हां। यह सही है कि राजस्थान के अभियांत्रिकी / पोलिटेनीक एवं फार्मेसी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अभिशंषित चतुर्थ वेतनमान भिन्न–भिन्न तिथियों से दिये गये जबकि पांचवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान मात्र राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शिक्षकों को ही 1.1.1996 से दिये गये है। पोलिटेनीक डिप्लोमा के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिनांक 30.12.1999 को घोषित की है, जो कि विभाग में दि. 22.2.2000 को प्राप्त हुई है तथा विचाराधीन है।

रानीवाड़ा (जालौर) में ग्रिड सब स्टेशन में लगाने का प्रस्ताव

573. **श्री रतनाराम** (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा जिला जालौर के 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन पर भार अधिक है ? यदि हां, तो क्या वहां पर भार को संतुलित करने की कोई योजना है और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रिड सब स्टेशन पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो कब तक लगा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गांग, मैत्रीवाडा, पावली, लीना में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बन कर तैयार तो हो गया है किन्तु उसे चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक चालू किया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम धानोल, जाखड़ी, दांतीवास, सारीयाणा में नये 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। रानीवाड़ा जिला जालौर स्थित 132 के. वी. जी. एस. एस. पर स्थापित 10/12.5 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मर पर वर्तमान में भार अधिक है वर्तमान में अधिक भार तथा आगामी वर्षों में बढ़ने वाली मांग को देखते हुए एक 10/12.5 एम. वी. ए. क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उक्त जी. एस. एस. पर स्थापित 10/12.5 एम. वी. ए. क्षमता का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सिविल कार्य प्रगति पर है तथा इसी वित्तीय वर्ष में ट्रांसफार्मर स्थापित कर चालू करने का प्रयास किये जा रहे है।

(3) ग्राम गांग, मैत्रीवाड़ा तथा पावली में 33 के. वी. सब स्टेशन तैयार करके, चालू कर दिये गये है। ग्राम लीना में 33 के. वी.सब–स्टेशन बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी हां। ग्राम धानौल एवं जाखड़ी में 33 के. वी., सब–स्टेशन के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके है। इन्हें फेज्ड प्रोग्राम में शामिल कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। ग्राम दांतीवास एवं सारियाणा के प्रस्तावों की तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर ही स्वीकृति जारी किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला नागौर में परिवार कल्याण योजना के तहत इन्टेन्सिव राशि का भुगतान

574. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नूं) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 12.1.1999 को एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार जो व्यक्ति आई. आर. डी. पी. या अन्य योजना में चयनित है उसको परिवार कल्याण का आपरेशन कराने पर 200 रुपये प्रति केश इन्टेन्सिव राशि देय होगी ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना नागौर जिले में कब से हो रही है और अब तक कितने व्यक्तियों को कितनी राशि दी गई ? उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला नागौर में अब तक उक्त आदेश की पालना नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके कौन जिम्मेदार है तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा क्या की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां आदेश की प्रति सलंग्न है इस आदेश से पूर्व आदेश 12.2.1098 एवं 12.5.1998 प्रति सलंग्न है, के तहत नागौर जिले में विभाग के जारी आदेशों के तहत पालना की जा रही है। अब तक जिले में वित्तीय वर्ष 1997–98 से अब तक 53 व्यक्तियों को 10600/– का भुगतान प्रति नसबंदी 200/– रुपये के हिसाब से किया जा चुका है जिसकी सूचियां सलंग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजमार्ग नम्बर 8 का रख रखाव

575. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर–अजमेर राजमार्ग नम्बर 8 की स्थिति खराब है ?

(2) क्या सरकार उक्त राजमार्ग की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस राजमार्ग की मरम्मत आदि का कार्य दिनांक 1.4.2000 से राज्य सरकार के अधीन नहीं है। अब उक्त राजमार्ग का रख–रखाव भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा कराया जाता है।

जिला पाली, नागौर एवं सीकर में विद्युत् मण्डल की विजीलेन्स कमेटी द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम

576. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल द्वारा बिजली चोरी को रोकने हेतु विजीलेन्स टीमें बनाई हुई है ? यदि हां,तो जिला पाली, नागौर तथा सीकर में कितनी–कितनी टीमें है तथा उनकी संरचना क्या है ?

(2) गत वर्षो में मार्च, 1998 से दिसम्बर 1999 तक इन्होंने कितनी–कितनी राशि के मांग–पत्र जारी किये ? माहवार तीनों जिलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में इतना फर्क रहने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत् मण्डल द्वारा पाली, नागौर एवं सीकर जिले के लिये विजिलेन्स की दो–दो टीमें बनायी हुई है जिनका संचालन अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है। उक्त अधिकारियों के साथ सुरक्षा हेतु एक सब–इन्सपैक्टर, एक हैड कांस्टेबिल व दो कांस्टेबिल नियुक्त किये गये है व तकनीकी कार्य हेतु प्रत्येक अधिकारी के साथ एक तकनीकी सहायक नियुक्त किया हुआ है।

(2) माह मार्च, 1998 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि में विजिलेन्स पार्टी द्वारा की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है:–

जिले का नाम	कुल जांच	मांग पत्र की राशि
(क) पाली	2342	100.90लाख
(ख) नागौर	2471	438.62लाख
(ग) सीकर	2553	295.74लाख

(3) उक्त फर्क क्षेत्र की विभिन्नता तथा क्षेत्रफल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या–694 का विवरण)

निगम के गत तीन वर्षों के उत्पादन का विवरण

(उत्पादन मीटर में)

परिशिष्ट–1

क्रमांक	वस्त्र का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	टेरीकाट सूटिंग	14050	51669	49236
2.	टेरीकाट शर्टिंग	2876	13067	1159
3.	कोटा डोरिया	1800	8793	22016
4.	बैण्डेज	189218	131213	80723
5.	गाज	167847	81302	46754
6.	खैस	3304	18456	41868
7.	टर्किश टावल	11281	13110	15387
8.	साधारण टावल	6781	7994	4490
9.	बैडशीट चौकड़ी	5569	1544	1098
10.	दरी पट्टी	–	159317	35834
11.	गद्दापाट	5931	8416	23955
12.	2/30X2/30=57"	4366	10395	4476
13.	2/30X2/30=94"	1809	2081	856
14.	2/30X2/30=63"	41945	54309	5787

1	2	3	4	5
15.	2/20X10=63"	14634	17753	11602
16.	ड्रेस मेटेरियल 2/40X2/40	—	3607	18316
17.	काटन पट्टू	504	—	797
1	2	3	4	5
18.	फर्श	—	2872	26394
19.	किनारी धोती	—	20822	38078
20.	मलमल	45	—	10773
21.	ऊनी साधारण वस्त्र	24960	20962	45431
22.	ऊनी जनता कपड़ा	35396	—	—
23.	ग्रे क्लाथ 20 एसX 20 एस	—	—	23443
24.	ग्रे क्लाथ 2/20X10=44"-50"	—	—	7816
25.	टेपेस्ट्री क्लाथ	—	—	642
26.	राज–5	17949	—	—
27.	राज–9	2448	—	—
28.	राज–12	1563	—	—
29.	राज–13	6909	—	—
30.	राज–18	2126	—	—
31.	राज–20	1328	—	—
32.	राज–1	242863	—	—

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–696 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1993 से 1994 से 1999–2000 तक खेल मंत्रालय द्वारा किये गये बजट प्रावधान का वर्षवार/मदवार विवरण पत्र

(रुपये लाखों में)

क्र. संख्या	वर्ष	युवा मामले एवं खेल विभाग हेतु प्रावधान अयोजना मद	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हेतु प्रावधान अयोजना भिन्न मद	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हेतु प्रावधान आयोजना मद	कुल प्रावधान
1.	1993–94	75.00	137.28	179.93	392.21
2.	1994–95	76.00	135.65	175.45	387.10
3.	1995–96	100.80	142.65	136.00	379.45
4.	1996–97	68.00	162.50	99.25	329.75
5.	1997–98	47.10	293.93	75.00	416.03
6.	1998–99	62.00	340.50	79.12	481.62
7.	1999–2000	30.00	337.25	65.00	432.25
	योग	458.90	1549.76	809.75	2818.41

परिशिष्ट "ख"

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक आवंटित राशि का मदवार व्यय विवरण पत्र

(रुपये लाखों में)

वर्ष	मदवार संकुल आवंटन राशि तथा व्यय राशि													
	वेतन भत्ते		खेल संकुल (स्टेडियम खेल मैदान, तरणताल आदि) निर्माण		विविधि खेल खूद गतिविधियां		युवा गतिविधियां		युवा आवास		अन्य विविध व्यय फोटो स्टेट मशीन अनुबन्ध पर वहन हेतु)		योग आंवटित राशि एवं व्यय राशि	
	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	कुल आवंटन	कुल व्यय
1993—94	5.00	5.00	50.00	50.00	9.00	9.00	10.00	10.00	—	—	1.00	1.00	75.00	75.00
1994—95	5.40	5.40	52.50	52.50	15.00	15.00	2.50	2.50	—	—	0.60	0.55	76.00	75.95
1995—96	6.60	6.60	71.00	71.00	18.50	18.50	3.30	3.30	1.40	1.40	—	—	100.80	100.80
1996—97	6.50	5.87	48.60	46.73	6.60	9.87	3.30	1.95	3.00	2.95	—	—	68.00	67.37
1997—98	0.24	0.24	38.00	38.00	8.50	8.50	0.36	0.36	—	—	—	—	47.10	47.10
1998—99	—	—	45.00	45.00	16.75	16.74	0.25	0.25	—	—	—	—	62.00	61.99
1999—2000	—	—	21.50	21.50	8.13	8.10	0.37	0.37	—	—	—	—	30.00	29.97
योग	23.74	23.11	326.60	324.73	82.48	85.71	20.08	18.73	4.40	4.35	1.60	1.55	458.90	458.18

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक आयोजना भिन्न में आवंटित राशि एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

(रुपये लाखों में)

	मद		93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन एवं भत्ते आदि	आवंटित राशि	85.13	85.75	97.00	110.00	220.00	265.50	265.00
		व्यय	74.93	88.45	97.23	106.80	195.22	284.63	277.89
2.	कार्यालय व्यय	आवंटित राशि	9.50	9.00	8.75	10.50	19.78	16.00	15.00
		व्यय	7.61	10.55	8.75	21.28	23.11	22.00	19.20
3.	अनुदान	आवंटित राशि	21.00	20.00	19.55	21.55	23.75	25.00	27.00
		व्यय	16.45	15.65	15.81	23.03	23.52	24.68	19.15
4.	सीधी गतिविधियां	आवंटित राशि	12.25	12.00	10.00	12.60	17.10	18.00	16.00
		व्यय	7.59	13.12	12.23	12.59	15.41	19.51	12.35
5.	सामान्य	आवंटित राशि	3.25	3.25	2.60	2.90	3.80	4.00	3.60
		व्यय	1.01	1.03	2.79	2.33	2.15	4.79	1.26

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	एस.एम.एस.	आवंटित राशि	3.90	2.50	2.50	2.25	5.70	8.00	7.00
	स्टेडियम का विकास	व्यय	1.99	3.59	3.22	2.26	6.08	10.68	0.42
	एवं रख–रखाव								
7.	ग्रामीण खेल	आवंटित राशि	1.50	2.15	1.50	1.80	2.40	2.50	2.25
	गतिविधियां	व्यय	0.02	0.75	1.50	2.78	2.16	0.85	1.32
8.	जनजाति क्षेत्र में	आवंटित राशि	0.75	1.00	0.75	0.90	1.40	1.50	1.40
	खेलखूद	व्यय	0.35	0.44	0.75	0.90	1.49	0.40	0.56
		कुल आवंटित राशि	**137.28**	**135.65**	**142.65**	**162.50**	**293.93**	**340.50**	**337.35**
		कुल व्यय राशि	**109.95**	**133.58**	**142.28**	**171.97**	**269.05**	**367.54**	**332.15**

परिशिष्ठ "ख"

वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक आयोजना मद में आवंटित राशि एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

द्वारा व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

रुपये लाखों में

क्र. सं.	मद		93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वेतन एवं भत्ते आदि	आवंटित राशि	53.45	57.00	60.00	66.25	8.00	11.46	14.00
		व्यय	47.38	59.47	63.30	69.93	9.57	11.46	13.70
2.	कार्यालय व्यय	आवंटित राशि	5.00	6.00	7.00	10.00	15.00	7.62	5.26
		व्यय	2.46	6.47	5.63	7.97	3.54	8.16	4.18
3.	एस.एम.एस. स्टेडियम का	आवंटित राशि	68.13	49.45	11.00	11.50	17.00	36.99	19.38
	विकास एवं रख रखाव	व्यय	65.94	40.37	7.54	21.00	19.27	36.49	18.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	खिलाड़ियों को देय	आवंटित राशि	41.85	44.00	0.00	0.00	13.00	16.52	21.34
	सुविधाएं	व्यय	8.24	58.50	25.54	5.45	28.90	17.93	9.09
5.	अन्य खेल योजना	आवंटित राशि	11.50	19.00	58.00	11.50	22.00	6.53	5.02
		व्यय	8.56	17.98	.49.70	11.58	13.82	5.26	4.53
		कुल आवंटित राशि	179.93	175.45	136.00	99.25	75.00	79.12	65.00
		कुल व्यय	132.58	182.79	151.71	1.15.93	75.10	79.30	49.98

परिशिष्ट "ग"

भारत सरकार से खेल सुविधाओं हेतु वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1.	1993–94	104.95
2.	1994–95	–
3.	1995–96	8.25
4.	1996–97	13.30
5.	1997–98	10.15
6.	1998–99	5.22
7.	1999–2000	6.49
	योग :–	148.36

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–698 की सूची)

परिशिष्ट "क"

दिनांक 1.1.1995 से 31.12.1999 की अवधि में पाली जिलें की कारागृहों में दाखिल हुए बंदियों की सूचना
(जिला/उपकारागृह, पाली/सोजत/बाला/जैतारण)

क्र.सं.	वर्ष	दंडित पुरूष	दंडित महिला	विचाराधीन पुरूष	विचाराधीन महिला	सिविल पुरूष	सिविल महिला	योग	302	307	324 से 326	379 458 380	एन.डी पी.एस. एक्ट.	अन्य	योग
1.	1995	145	2	1508	54/2	5	–	1714/2	170	139/2	150	584	1	670	1714/2
2.	1996	143	4	1594	41/2	5	–	1787/2	145	111/1	266/1	345	10	910	1787/2
3.	1997	131	2	2051	87/7	–	–	2271/7	334	249/7	215	657	3	813	2271/7
4.	1998	152	4	2008	38/4	14	–	2216/4	372/1	177/3	479	429	1	758	2216/4
5.	1999	188/1	6	2043/1	74/9	18/1	–	2329/12	302/2	302	374	519/10	6	826	2329/12
कुल योग :–		759/1	18	9204/1	294/24	42/1	–	10317/27	1323/3	978/13	1484/1	2534/10	21	3977	10317/27

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–700 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

कार्यवाही मिटिंग राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस् मुवरिखो 30.10.1999 बरोज शनिवार बमुकाम दफतर राज. बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ डी, 87 मीरा मार्ग बनीपार्क, जयपुर।

रिजोलेशन संख्या 30/99

" वक्फ कमेटी कोटा के हालात को मध्य नजर, रखते हुए बोर्ड श्री यू. डी. खान मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड को कोटा वक्फ कमेटी का प्रशासक नियुक्त करता है और उन्हें कोटा वक्फ कमेटी की जांच के लिए भी अधिकृत करता है। यह आदेश अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड द्वारा इस रिजोलेशन की रोशनी में जारी किए जायें।"

एस. डी (यू. डी. खान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर

एस. डी. (नासिर अली नकबी)
अध्यक्ष
राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर

THE

WAKE ACT, 1995

along with

THE CENTRAL WAKE COUNCIL RULES 1998

and

COMPARATIVE CHARTS

with

SHORT NOTES

(1) "mutawalli" means any person appointed, either verbally or under any deed or instrument by which a wakf has been created, or by a competent authority, to be the mutawalli of a wake and includes any person who is a mutewalli of a wakf by virtue of any custom or who is a nulb-mutawalli, khadim, mujawar, sajjadanashin, amin or other person appointed by a mutawalli to perform the dutles of a mutawalli and save as otherwise provided in this Act, any person, committee or corporation for the time being managing or administrating any wakf or wakf property (2)Provided that no member of a committee or corporation shall be deemed to be a mutawalli unless such member is an office bearer of such committee or corporation;

The Wakf Act, 1995

12. Provoided that is shall not be necesarry for the members of such committees to be members of the Board.

18. Committees of the Board- (1) The board may, whenever it considers necessary, establish either generally or for a particular purpose or for any specified area or areas committees for the suprivision of wakfs.

(2) The constitution, functions and duties and the term of office of such committees shall be determined from the time to time by the Board:

63. Power to appoint mutawallis in certain cases.- When there is a vacancy in the office of the mutawalli of a wakfs and there is no one to be appointed under the deed of the wakf, or where the right of any personto act as mutawalli is disappionted the Board may appoint any person to act as mutawalli for such period and on such conditions as it think fit.

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–701 की अधिसूचना)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान राज पत्र विशेषांक	Regd. No. Rj. 33/97 **RAJASTHAN GAZET** Exiraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Awhority

अश्विन 24, शनिवार शाके 1921–अक्टूबर 16, 1999

Asvina 24, Saturday, Saka 1921&October 16, 1999

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में समस्त विज्ञप्तियां आदि

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 1, 1999

संख्या 10 (15) देव/99 :– वक्फ अधिनियम, 1995 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43) की मांग 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री उमरदीन खानं आर. ए. एस. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड के पद पर नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजबहादुर सिंह,

उप शासन सचिव

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–703 की प्रति)

परिशिष्ट "1"

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय : भवनी सिंह रोड़, जयपुर

क्रम संख्या	जिला	भण्डार गृह
1	2	3
1.	अजमेर	1. अजमेर
		2. ब्यावर
		3. केकड़ी
		4. किशनगढ़
2.	अलवर	5. अलवर
		6. खैरथल
3.	बांसवाड़ा	7. बांसवाड़ा
4.	बारां	8. बारां
		9. अन्ता
		10. अटरू
		11. सोसवाली

1	2	3
5.	बाड़मेर	12. बाड़मेर
		13. बालोतरा
6.	भरतपुर	14. भरतपुर–I
		15. भरतपुर–II
		16. बयाना
		17. नदबई
7.	भीलवाड़ा	18. भीलवाड़ा
		19. गुलाबपुरा
		20. माण्डलगढ़
8.	बीकानेर	21. खाजूवाला
		22. कोलायत
		23. नोखा
9.	बून्दी	24. बून्दी
		25. कापरेन
		26. केशोरायपाटन
10.	चित्तौड़गढ़	27. चित्तौड़गढ़–I
		28. चित्तौड़गढ़–II
		29. निम्बाहेड़ा
		30. प्रतापगढ़
11.	चूरू	

1	2	3
12.	दौसा	31. दौसा
		32. बांदीकुई
		33. लालसोट
		34. एम. एम. रोड़
13.	धौलपुर	35. धौलपुर
14.	डूंगरपुर	36. डूंगरपुर
15.	हनुमानगढ़	37. भादरा
		38. डबलीराठान
		39. गोलूवाला
		40. नोहर
		41. पीलीबंगा
		42. रावतसर
		43. सांगरिया
16.	जयपुर	44. जयपुर (22– गोदाम)
		45. जयपुर (झोटवाड़ा)
		46. चौमूं
17.	जैसलमेर	47. जैसलमेर
18.	जालौर	48. जालौर
		49. भीनमाल
19.	झालावाड़	50. भवानीमंडी
		51. झालरापाटन
20.	झूंझुनूं	

1	2	3
21.	जोधपुर	52. जोधपुर
		53. बिलाड़ा
		54. फलौदी
22.	करौली	55. करौली
		56. हिण्डौन सिटी
23.	कोटा	57. इटावा
		58. रामगंज मण्डी
		59. सुल्तानपुर
24.	नागौर	60. नागौर
		61. मेड़ता सिटी
25.	पाली	62. पाली
		63. सोजतरोड
		64. सुमेरपुर
26.	राजसमन्द	65. राजसमन्द
27.	सवाईमाधोपुर	66. सवाईमाधोपुर
		67. गंगापुर सिटी
28.	सीकर	68. नीमकाथाना
29.	सिरोही	69. आबूरोड
30.	श्रीगंगानगर	70. अनूपगढ़
		71. गजसिंहपुर
		72. घड़साना
		73. केसरीसिंहपुर

1	2	3
	श्री गंगानगर	74. पदमपुर
		75. रायसिंहनगर
		76. रावला
		77. सादूलशहर
		78. श्रीकरण पुर
		79. श्री विजयनगर
		80. सूरतगढ़
31.	टौंक	81. टौंक
32.	उदयपुर	82. निवाई
		83. उदयपुर
		84. फतेह नगर

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–709 की सूची)

विधानसभा क्षेत्र चुरू के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एवं उपकेन्द्रों में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्था का नाम	रिक्त पद का नाम	पद सं.	जब से पद रिक्त है
1	2	3	4	5
1.	जनरल अस्पताल, चूरू	उप नियत्रंक	1	11.7.1997
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेंथो.)	1	4/1997
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो)	1	1.2.1999
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)	1	27.10.1999
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	8.5.1999
		चिकित्सा अधिकारी	3	8.7.1999
				5.7.1999
				7.8.1999
		नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम	1	1.9.1990
		नर्सिंग अधीक्षक श्रेणीद्वितीय	1	5/1994

1	2	3	4	5
		नर्स श्रेणी प्रथम	10	8.12.1998 1.7.1999 31.7.1999 5/1994 2/1993 11/1993 1/1989 5/1988 10/1989 8/1996
		नर्स श्रेणी द्वितीय	4	6.7.1999 (चार 10.1.1999 ए.एन.एम. 4.2.1999 ग्रेड--II के 6.7.1999 पद विरुद्ध कार्यरत हैं)
		वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	1.5.1987 लैब टैक्नीश पद विरुद्ध कार्यरत है।
2.	बागला पुलिस लाइन, व एडपोस्ट डिस्पेंसरी, चूरू	सहायक रेडियोग्राफर	1	10/1999
3.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डावला रोड, चूरू	चिकित्सा अधिकारी (पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी का चयन पी. जी. में हो जाने के कारण)	1	5.12.1999
		मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	2	7.8.1999 30.7.1997

1	2	3	4	5
		लैब टैक्नीशियन	1	30.7.1997
4.	पोस्टमार्टम सेन्टर, चूरू	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	1	7/1997
		वरिष्ठ लिपिक	1	6/1997
5.	नगर परिवार कल्याण केन्द्र चूरू	वरिष्ठ लिपिक	1	7/1998
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतन नगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	24.3.1999
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1.8.1999
		मेल नर्स श्रेणी प्रथम	1	30.12.89
		स्टाफ नर्स	4	8.4.1999
				11.9.1996
				30.12.1989
				30.12.1989
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुधवाखारा	वाहन चालक	1	8.3.1989
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीनासर	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	9.1.1990
		वाहन चालक	1	9.1.1990
9.	मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, बीनासर	स्टाफ नर्स	1	9.1.1990
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धांधु	लैब टैक्नीशियन	1	6.2.1999

1	2	3	4	5
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहसना बड़ा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	5.11.1990
		वाहन चालक	1	5.11.1990
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमासी	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	21.6.1999
		लैब टैक्नीशियन	1	30.3.1999
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसला	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	20.4.1992
		वाहन चालक	1	20.4.1992
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरासर	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	2	9.1.1999 6.5.1994
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खासोली	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	2	27.3.1998 24.11.1995
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	30.4.1997
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	30.4.1997
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	अनुबन्ध के आधार पर
17.	एडपोस्ट, सेहनाली	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	6.2.1999
		वार्ड बाय	1	6.2.1999
18.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, खण्डवा	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	17.9.1987
19.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, बालसरा आथुना	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	1	16.2.1989
20.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, खिवासर	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	22.7.1998

1	2	3	4	5
21.	उच्चीकृत उपकेन्द्र धोधलिया	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	1	16.2.1989
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	1	16.2.1989
22.	उप केन्द्र, बोड़की	एम. पी. डब्लू.	1	19.9.1998
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	1	19.9.1998
23.	उप केन्द्र, गाजसर	एम. पी. डब्लू.	1	19.9.1998
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	1	19.9.1998
24.	उप केन्द्र, लाखाऊ	एम. पी. डब्लू.	1	19.9.1998
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	1	19.9.1998
25.	उप केन्द्र, गिनंडीपटा	प्रसाविका	1	19.9.1998
		एम. पी. डब्लू.	1	19.9.1998
		पार्ट टाइम च. श्रे. क.	1	19.9.1998

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–710 की सूची)

जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सा संस्थानवार रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है

चिकित्सालय संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2 (सर्जरी, अस्थिरोग)
	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मनो. रोग, नैत्ररोग)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	चिकित्सा अधिकारी	15
	एम. पी. डब्लू.	1
	कनष्ठि लेखाकार	1
	जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक	1
	साख्यिंकी सहायक	1
क्षय निवारण केन्द्र, बांसवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 (क्षेय रोग)
	टी. बी. एच. वी.	2
	बी. सी. जी. टैक्नीशियन	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 (मेडिसिन)
	सहायक रेडियोग्राफर	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1

1	2	3
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3 (सर्जरी, मेडि.),
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	2
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	सहायक रेडियोग्राफर	1
	दंत तकनिशियन	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीदौरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 (मेडिसिन)
	चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	लैब टैक्नीशियन	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 (सर्जरी)
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, छोटाडूंगला	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मेडिसिन, सर्जरी)
	चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	कनिष्ठ लेखाकार	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनौड़ा	सहायक रेडियोग्राफर	1
	कनिष्ठ लेखाकार	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (सर्जरी, मेडिसिन)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1

1	2	3
	कनिष्ठ लेखाकार	1
	रेडियोग्राफर	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटीसरवन	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेरीबड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मेडिसिन, सर्जरी)
	चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	लैब टैक्नीशियन	1

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–715 की सूची)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति लम्बाई (कि. मी. में)	स्वीकृति राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	रायपुर पाटन से काचरड़ा सड़क निर्माण (जोब नं. 534/5054/बी.एम.एस. पी./पी/1999–2000)	4.00	24.00	कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–717 की सूची)

वर्ष 1998-99

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	चालक का नाम	श्रेणी	लम्बाई	स्वीकृत राशि	पेच कार्य पर किया गया व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीकानेर–श्रीडूंगरगढ़–चालू सड़क किमी. 10/0 से 70/0	एम.डी.आर 38	60 किमी.	8.89 लाख	12,40,800	इस सड़क पर 60 किमी. की की लम्बाई में पेच कार्य करवाया गया व 2.4 किमी. की बाइण्डिंग की गई।
2.	बीकानेर– दिल्ली सड़क किमी. 71/0 से 100/0	स्टेट हाईवे–6	29 किमी.	2.38 लाख	2,02,000	इस सड़क पर 29 किमी. का पेच करवाया गया है

1	2	3	4	5	6	7
3.	सालासर–पुन्डलसर सड़क किमी. 0/0 से 4/0	वी.आर.	4 किमी.		28,910	इस सड़क पर 4 किमी. पेच कार्य करवाया गया
4.	सैरूणा से सूडसर	वी.आर. 33	11 किमी.	0.75 लाख	52,712	इस सड़क पर किमी. 0/0 से 7/0 में पेच कार्य करवाया गया (अपूर्ण)
5.	आड़सर से मोमासर सड़क	वी.आर. 14	11 किमी.	1.17 लाख	76,772	इस सड़क पर 11 किमी. में पेच कार्य करवाया गया
6.	सेरूणा से पूनरासर सड़क	वी.आर. 28	15 किमी.	0.75 लाख	1,96,682	इस सड़क पर 15 किमी. में पेच कार्य करवाया गया
7.	लाछड़सर से मोमासर सड़क	वी.आर. 02	13.5 किमी.	0.75 लाख	64,584	इस सड़क पर 13.5 किमी. में पेच कार्य करवाया गया
8.	लखासर से दूलचासर सड़क	बी.आर. 39	11 किमी.	1.67 लाख	3,34,519	इस सड़क पर 11 किमी. में पेच कार्य करवाया गया

1	2	3	4	5	6	7
9.	धीरदेसर से पाटनदेसर सड़क	वी.आर	20 किमी.	0.75 लाख	67,548	इस सड़क पर किमी. 0/0 से 10/0 में पेच कार्य करवाया गया (अपूर्ण)
10.	एप्रोच रोड से दिग्गा	वी.आर 10	2 किमी.	0.50 लाख	88,565	इस सड़क पर 2 किमी. में पेच कार्य करवाया गया
11.	दुलचासर से सावतसर सड़क	वी.आर. 72	11 किमी.	0.50 लाख	1,31,531	इस सड़क पर 11 किमी. में पेच कार्य करवाया गया

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी. में)	साधारण भरम्मत के लिये स्वीकृत राशि	पेच कार्य पर किया गया व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीदासर—श्री डूंगरगढ़—कालू सड़क कि.मी. 10/0 से 70/0	एम.डी.आर. 38	60.00	6.00 लाख	6.39 लाख	इस सड़क पर 17 किमी. की लम्बाई में पेच कार्य करवाया जा चुका है
2.	धीरदेसर—पाटनदेसर सड़क किमी. 0/0 से 20/0	ओ.डी.आर. 25	20.00	1.00 लाख	94,473	इस सड़क पर 6 किमी. की लम्बाई में पेच कार्य करवाया जा चुका है
3.	लिंक सड़क श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन	ओ.डी.आर 7	0.400	1.00 लाख	54,576	बीदासर रोड से रेल्वे स्टेशन तक 400 मीटर लम्बाई में कार्य करवाया जा चुका है

1	2	3	4	5	6	7
4.	लाछड़सर से मोमासर	वी.आर. 2	13.5	1.00 लाख	55,754	इस सड़क पर मैटीरियल कलेक्शन किया जा चुका है परन्तु समुचित बजट उपलब्धता के अभाव में कार्य सम्पादित नहीं करवाया जा सका है
5.	आडसर से मोमासर	वी.आर. 14	11.00	1.00 लाख	52,470	इस सडक पर 6 किमी. की लम्बाई में पेच कार्य सम्पादित करवा दिया गया है। शेष कार्य समुचित बजट उपलब्धता के अभाव में नहीं करवाया जा सका है
6.	सेरूणा से पुनरासर	वी.आर. 28	15.00	0.71 लाख	—	इस सड़क पर 15 किमी. की लम्बाई में पेच का कार्य वर्ष 1999—2000 में करवा दिया गया है

1	2	3	4	5	6	7
7.	सेरुणा से दूलचासर	वी.आर. 33	11.00	1.00 लाख	27,740	इस सड़क पर किमी. 7/0 से 11/0 में मैटीरियल कलेक्शन किया जा चुका है परन्तु समुचित बजट उपलब्धता के अभाव में पेच कार्य सम्पादित नहीं करवाया जा सका है
8.	लखासर से दूलचासर सड़क	वी.आर. 39	11.5	1.00	21,942	इस सड़क पर इस वित्तीय वर्ष में 6 किमी. की लम्बाई में पेच कार्य सम्पादित करवाया जा चुका है। शेष कार्य समुचित बजट उपलब्धता के अभाव में नहीं करवाया जा सका है
9.	दूलचासर से सावंतसर सड़क	वी.आर. 72	8.30	1.00	27.276	इस सड़क पर मैटीरियल कलेक्शन का कार्य किया जा चुका है परन्तु

1	2	3	4	5	6	7
						समुचित बजट उपलब्धता के अभाव में पेच कार्य सम्पादित नहीं करवाया जा सका है।
10.	लिंक रोड़ बिग्गा	वी.आर. 10	2.00	1.00	62,177	इस सड़क पर पेच कार्य सम्पादित करवा दिया गया है।

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–718 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जहाजपुर तहसील की खराब सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई कि. मी.	खराब लम्बाई कि. मी.
1	2	3	4
1.	भीलवाड़ा–कोटली पण्डेर सावर रोड	28	28
2.	जहाजपुर–शक्करगढ़	15	5
3.	मांडलगढ–देवली सड़क	47	18
4.	इटून्दा देवाखेड़ा रोड	6	4
5.	सम्पर्क सड़क पण्डेर	1	1
6.	सरसिया मेडिया	11	11
7.	अमरवासी लुहारीकलां	14	9
8.	राक्करपुरा जागोली	4	4
9.	सम्पर्क सड़क बिहाडा	8	6
10.	समपर्क सड़क घोर	1	1
11.	भोपालपुरा टिकोरा	3	3
12.	जहाजपुर घाटारानी रोड	10	10
		148.00	92

परिशिष्ट "ब"

कोटड़ी तहसील की खराब सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई कि. मी.	खराब लम्बाई कि. मी.
1	2	3	4
1.	भीलवाड़ा–कास्या सड़क	13	7
2.	भीलवाड़ा–कोटड़ी–जहाजपुर सड़क	47	32
3.	शाहपुरा–कोटड़ी सड़क	12	7
4.	मंगरोप–कोटड़ी सड़क	37	30
5.	उदलियास–कोदूकोटा सड़क	4	4
6.	सम्पर्क सड़क चावंडिया सड़क	1	1
7.	दांतडा–बिशनिया रोड	11	10
8.	सम्पर्क सड़क पारोली सड़क	1	1
9.	सम्पर्क सड़क जावल सड़क	2	2
10.	सम्पर्क सड़क रेडवास सड़क	2	2
11.	कोटडी–टोकलिया सड़क	1	1
12.	बरून्दनी–किचोर सड़क	3	3
13.	बीगोद–बडलियास सड़क	7	7
14.	बडला–बडलियास सड़क	5	2
	योग	146 कि. मी.	110 कि. मी.

परिशिष्ट "स"

योजना मद में जहाजपुर तहसील में वर्ष 1999–2000 में नवीनीकरण के लिये स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	नवीनीकरण का कार्य सतुर नागौर सड़क कि. मी. 73/0 से 75/0 एण्ड 83/0 से 85/0 (शाहपुरा जहाजपुर रोड)	4 कि. मी.	10.00
2.	नवीनीकरण का कार्य जहाजपुर शक्करगढ़ रोड कि. मी. 5/0 से 8/0 = 3 कि. मी.	3 कि. मी.	8.00
3.	नवीनीकरण का कार्य भीलवाड़ा–कोटड़ी पण्डेर सावर रोड कि. मी. 3/0 से 5/0 एण्ड 8/0 से 10/0 (पण्डेर सावर मार्ग)	5 कि. मी.	8.50
4.	नवीनीकरण का कार्य मांडलगढ़ देवली सडक कि. मी. 41/0 से 44/0, 49.57	5 कि. मी.	10.00
5.	नवीनीकरण का कार्य इटून्दा देवाखेड़ा सड़क 1/500 से 3/500	2 कि. मी.	2.00
6.	नवीनीकरण का कार्य सरसिया मेडिया सड़क कि. मी. 0/0 से 4/0	4 कि. मी.	6.00
	योग	23 कि. मी.	42.50 लाख

गैर योजना मद में जहाजपुर तहसील वर्ष 1999–2000 में नवीनीकरण के लिये स्वीकृत सडकों का विवरण

1.	नवीनीकरण का कार्य सम्पर्क सड़क कुचलवाड़ा	3 कि. मी.	3.75
	योग	3 कि. मी.	3.75

परिशिष्ट "द"

तहसील कोटड़ी में वर्ष 99–2000 में योजना एवं गैर आयोजना मद में सड़क कार्यों की स्वीकृति

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	लम्बाई कि. मी.
1	2	3	4
1.	3054 गैर आयोजना मद		
	बडलियास सिंगोली सड़क कि. मी. 0/0 से 2/0 तक सुदृढीकरण	3.00	1.5
1.	आयोजना 5054 सुदृढ़ीकरण		
1.	शाहपुरा–कोटडी किं. मी. 17, 18, 23, 24 में सुदृढीकरण	6.00	2
2.	मंगरोप कोटड़ी कि. मी. 1, 2, 25, 26 में सुदृढ़ीकरण	8.00	2
3.	बरून्दनी बडलियास कि. मी. 4, 5, 6, 7	6.00	2
	योग	20.00	6 कि. मी.
	5054=बी. एम. एस. पी.		
1.	सम्पर्क सड़क कंकरोलिया घाटी	60.00	16.50
2.	कुर्द–गंगा का खेड़ा सड़क	7.00	1.5
	योग	67.00	18 कि. मी.
	4845–माइनिंग		
1.	नंदराय से कंकरोलियाघाटी सड़क	71.30	9 कि. मी.

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या–725 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्थानी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा–5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा 1–5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 कि. मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु :–

जनसंख्या (1991)	छात्र विद्यालय	2500	2000
	छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा–8	छात्र विद्यालय	30	20
	छात्रा विद्यालय	20	20
	फीडर विद्यालय	2	2
	दूरी (कि.मी.)	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

3. **माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु**

जनसंख्या 1.छात्र विद्यालय	4000	3000
2. छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र संख्या कक्षा–10 छात्र संख्या	50	30
छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
दूरी (कि. मी.)	08	08

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान।
2. प्रशासनिक आधार।
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं।
4. भौगोलिक परिस्थितियां।
5. माध्यमिक एवं सी.उ.मा.वि. का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणन के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या–731 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(Rural Electrificaton)

No. RSEB /CE (RE) / SE (S&I) / F. (   ) / D. 400 Dt. 2/7/93

The Superintending Engineer (O&M),

Rajasthan State Electricity Board,

KOTA.

Sub:- Electrification of villages during the year 1992-93.

The following Eleven non-potential villages of P.S.Itawa district Kota which had been shown in the scheme of area as non-potential are hereby considered as electrified villages as on 31.3.1993. Thus total number of villages in Panchayat-Samiti Itawa is 93 number as on 31.3.1993. against the total 165 Nos. of villages in the Panchayat Samiti Itawa.

Sl. No.	Name of village	Code No. As per Census 1981.	Name of Scheme
1.	Ghatod	25/1/82	RMNP 87-88
2.	Bagrod	107	RMNP 87-88
3.	Ramkhera	104	RMNP 87-88
4.	Hawa Kheri	115	RMNP 87-88
5.	Keerpura	112	RMNP 87-88
6.	Shyopura	120	RMNP 87-88
7.	Umedpura	119	RMNP 87-88
8.	Khetri Nomera	149	RMNP 87-88
9.	Raghunathpur	114	RMNP 87-88
10.	Kishanpura	103	RMNP 87-88
11.	Sabjipura	125	RMNP 87-88

All type of electric connections may now be relesed in these villages as and when demanded after competing other necessary formalities.

(K.B. Mathur)

Chief Engineer (RE)

परिशिष्ट—17

(अतारांकित प्रश्न संख्या—742 की सूची)

परिशिष्ट "क"

पर्यटन विभाग द्वारा जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक दिये गये विज्ञापनों की सूची

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन राशि
1	2	3
1.	विकलांग मंच, जयपुर	4000
2.	पत्रिका टी.वी., जयपुर	2,00,000
3.	राष्ट्रीय सहारा, जयपुर	10,000
4.	गरीबन् को सेतु, जयपुर	8,000
5.	दैनिक भास्कर, जयपुर	18,097
6.	नवज्योति, जयपुर	8,451
7.	राष्ट्रदूत, जयपुर	12,960
8.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	20,961
9.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर (समस्त संस्करण)	6,752
10.	दैनिक नवज्योति, अजमेर	19,500
11.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर (समस्त संस्करण)	6,752
12.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	13,860
13.	दैनिक नवज्योति, जयपुर	5358
14.	दैनिक भास्कर, जयपुर	16,116
15.	राष्ट्रदूत, जयपुर	6,144

1	2	3
16.	समाचार जगत, जयपुर	9,450
17.	महानगर टाइम्स, जयपुर	9,000
18.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	2,310
19.	दैनिक भास्कर, जयपुर	2,686
20.	राजस्थान पत्रिका (समस्त संस्करण)	53,370
21.	दैनिक भास्कर (समस्त संस्करण)	47,465
22.	राष्ट्रदूत (समस्त संस्करण)	31,000
23.	दैनिक नवज्योति (समस्त संस्करण)	26,310
24.	समाचार जगत, जयपुर	8,930
25.	महानगर टाइम्स, जयपुर	5,950
26.	जलते दीप (समस्त संस्करण)	5,260
27.	सांध्य ज्योति दर्पण (समस्त संस्करण)	14,760
28.	प्रातःकाल, जयपुर/उदयपुर	11,250

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा दिए गये विज्ञापन

क्र. सं 1	समाचार पत्र का नाम 2	विज्ञापन राशि 3
1.	गुजरात समाचार, अहमदाबाद	37,260
2.	महानगर टाइम्स, जयपुर	18,000
3.	दैनिक भास्कर, राजस्थान	80,000
4.	राष्ट्रदूत साप्ताहिक	45,454
5.	राजस्थान पत्रिका (बालहंस)	5,000

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या–743 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1999–2000 की अवधि में जिला झुंझुनूं में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
पर्यटन विकास खेतड़ी				
1.	पन्ना सागर तालाब से पानी व मिट्टी निकालने का कार्य	4.95	1.12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्य प्रगति पर है।
2.	पन्ना सागर तालाब खेतड़ी की टूट–फूट मरम्मत एवं झरोखों में जाली लगाने का कार्य	3.82	–	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा। पूर्व में राशि आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब कार्य प्रारम्भ करवाया जा रहा है।
पर्यटन स्थल किरोड़ी				
1	सुलभ शौचालय निर्माण किरोड़ी	4.50	–	उपरोक्तानुसार
2.	टीनशैड किरोड़ी	3.00	–	उपरोक्तानुसार
3.	पार्किंग प्लेटफार्म मय सड़क के दोनों तरफ नालियां निर्माण	5.00	–	उपरोक्तानुसार
4.	कुण्ड के चारों तरफ शैड, स्टोन (रफ) फर्श निर्माण	2.50	–	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट "ख"

लोहार्गल, किरोड़ी–शाकम्भरी स्थलों के विकास हेतु माह मार्च, 2000 के अन्त तक कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है.

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
पर्यटन स्थल लोहार्गल					
1.	सीकर उदयपुरवाटी सड़क से लोहार्गल तक वर्तमान सड़क का सुधार एवं विस्तार कार्य 4.00 कि. मी.	20.00	11.60	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा। स्वीकृत राशि में 12.00 लाख रुपये सुरोयो मद से एवं 8.00 लाख रुपये सा.नि.वि. की राशि शामिल हैं
2.	लोहार्गल में पेयजल व्यवस्था	5.00	4.08	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनु द्वारा।
3.	इको रेस्टोरेशन एण्ड बेरन हिल्स प्लांटेशन लोहार्गल–4	4.14	4.14	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनू द्वारा।
4.	इको रेस्टोरेशन एण्ड बेरन हिल्स प्लांटेशन लोहार्गल–5	4.49	4.37	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनु द्वारा।

1	2	3	4	5	6
5.	लोहार्गल में विकास कार्य	1.05	1.05	पूर्ण	राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त राशि का उपयोग लाहार्गल में पक्के खुर्रे का निर्माण, नाली को ढकने का कार्य कुण्ड पर शंकर जी के मंदिर के पास कच्ची जगह पर व लोहार्गल से लौटने वाले रास्ते पर स्टोन पेवमेन्ट पर कार्य, कुण्ड के आने जाने के रास्तों पर स्थित इमारतों की दिवारों पर प्लास्टर कार्य करवाया गया।
पर्यटन स्थल किरोड़ी					
1.	सम्पर्क सड़क उदयपुरवाटी से किरोड़ी	51.00	41.99	चालू	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा।
2.	पर्यटक स्थल किरोड़ी का विद्युतीकरण	5.27	5.27	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुंझुनूं द्वारा।
3.	इको रेस्टोरेशन एण्ड बेरन हिल्स प्लांटेशन, किरोड़ी–5	4.16	4.16	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा।
4.	इको रेस्टोरेशन एण्ड बेरन हिल्स प्लांटेशन, किरोड़ी–6	4.49	4.39	पूर्ण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा।

1	2	3	4	5	6
5.	सुलभ शौचालय निर्माण किरोड़ी	4.50	—	—	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा। पूर्व में राशि आहरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब कार्य प्रारम्भ करवाया जा रहा है।
6.	टीनशैड किरोड़ी	3.00	—	—	उपरोक्तानुसार
7.	पार्किंग प्लेटफार्म मय सड़क के दोनों तरफ नालियां निर्माण	5.00	—	—	उपरोक्तानुसार
8.	कुण्ड के दोनों तरफ सैड, स्टोन (रफ) फर्श निर्माण	2.50	—	—	उपरोक्तानुसार
तीर्थ स्थल शाकम्भरी					
1.	शाकम्भरी माता सड़क विस्तार 11.5 कि. मी.	42.00	23.99	पूर्ण डब्ल्यू. बी.एम कार्य 11.00 किमी.	उक्त कार्य हेतु 25.00 लाख की राशि जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एवं 17.00 लाख रुपये की राशि सा.नि.वि. द्वारा देय है।

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न संख्या–746 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर
वर्ष 1999-2000 में वितरित पोषाहार के विवरण की सूची

क्र. सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र	दिये गये दिनांक	पोषाहार का विवरण सी.एस.बी.एस.	आयल	(मात्रा किलोग्राम में) दिनांक	इण्डिया मिक्स
1	2	3	4	5	6	7
1.	चक ज्वाला सिंह वाला–ए	20.7.1999	75.00	—	3.10.1999	150.00
2.	" –बी	7.7.1999	25.00	—	3.10.1999	150.00
3.	गाहडू–ए	—	—	—	3.10.1999	150.00
4.	" –बी	7.7.1999	25.00	—	3.10.1999	150.00
5.	ढालिया–ए	7.7.1999	25.00	—	3.10.1999	150.00
6.	" –बी	7.7.1999	25.00	—	3.10.1999	150.00
7.	कोहला–ए	15.7.1999	150.00	18.5	1.10.1999	150.00
8.	" –बी	15.7.1999	150.00	18.5	1.10.1999	150.00
9.	" –सी	15.7.1999	150.00	18.5	1.10.1999	150.00
10.	गुरुसर–ए	17.6.1999	150.00	18.5	—	—
11.	" –बी	17.6.1999	150.00	18.5	—	—

1	2	3	4	5	6	7
12.	नन्दराम की ढाणी	17.6.1999	150.00	18.5	—	—
13.	अमरपुरा घेड़ी	17.6.1999	150.00	18.5	—	—
14.	2 केएनजे	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
15.	झाम्बर—ए	17.6.1999	150.00	18.5	—	—
16.	" —बी	17.6.1999	150.00	18.5	—	—
17.	रोडावाली—ए	19.6.1999	225.00	18.5	23.10.1999	150.00
18.	" —बी	19.6.1999	225.00	18.5	23.10.1999	150.00
19.	" —सी	19.6.1999	250.00	18.5	23.10.1999	150.00
20	" —डी	19.6.1999	225.00	18.5	23.10.1999	150.00
21.	" —ई	19.6.1999	250.00	18.5	23.10.1999	150.00
22.	जोडकिया—ए	19.6.1999	200.00	18.5	23.10.1999	150.00
23.	" —बी	—	—	—	23.10.1999	150.00
24.	" —सी	19.6.1999	200.00	18.5	23.10.1999	150.00
25.	" —डी	19.6.1999	200.00	18.5	23.10.1999	150.00
26.	हिरनां वाली	19.6.1999	200.00	18.5	23.10.1999	150.00
27.	धोली पाल—ए	11.6.1999	200.00	18.5	24.10.1999	150.00
28.	" —बी	11.6.1999	200.00	18.5	24.10.1999	150.00
29.	माणुका	11.6.1999	150.00	18.5	24.10.1999	150.00
30.	चिस्तियां	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00

1	2	3	4	5	6	7
31.	जंडावालिए–ए	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
32.	" –बी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
33.	मक्कासर–ए	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
34.	" –बी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
35.	" –सी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
36.	" –डी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
37.	" –ई	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
38.	नवां–ए	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
39.	" –बी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
40.	" –सी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
41.	सतीपुरा–ए	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
42.	" –बी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
43.	" –सी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
44.	डबलीवास मौलदी–ए	10.6.1999	200.00	18.5	25.10.1999	150.00
45.	" –बी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
46.	" –सी	10.6.1999	175.00	18.5	25.10.1999	150.00
47.	" –डी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
48.	" –ई	10.6.1999	175.00	18.5	25.10.1999	150.00
49.	" –एफ	10.6.1999	175.00	18.5	25.10.1999	150.00

1	2	3	4	5	6	7
50.	" —जी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
51.	डबली कुतुब	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
52.	डुबली वास चुगला—ए	10.6.1999	175.00	18.5	25.10.1999	150.00
53.	" —बी	10.6.1999	200.00	18.5	25.10.1999	150.00
54.	डुबली वासपेमा—ए	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
55.	डबली वास पेमा—बी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
56.	" —सी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
57.	डबली वास मिटा—ए	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
58.	" —बी	10.6.1999	150.00	18.5	25.10.1999	150.00
59.	किशनपुरा दिख.—ए	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
60.	" —बी	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
61.	" —सी	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
62.	" —डी	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
63.	बनवाला	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
64.	पक्का भादवां	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
65.	पक्का सारनां—ए	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
66.	" —बी	19.6.1999	150.00	18.5	23.10.1999	150.00
67.	थेडी गंगानी	20.7.1999	50.00	—	—	—
68.	श्रीनगर	20.7.1999	50.00	—	29.9.1999	150.00

1	2	3	4	5	6	7
69.	रामसरा नारायण—ए	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
70.	" —बी	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
71.	" —सी	18.6.1999	150.00	18.5	—	—
72.	पुरुषोत्तमवास	—	—	—	29.9.1999	150.00
73.	फतेहगढ़ गोदारावास—ए	—	—	—	29.9.1999	150.00
74.	" —बी	—	—	—	29.9.1999	150.1999
75.	" —सी	—	—	—	29.9.1999	150.00
76.	फतेहगढ़ खिलेरीवास—ए	20.7.1999	50.00	—	29.9.1999	150.00
77.	" —बी	20.7.1999	50.00	—	29.9.1999	150.00
78.	फतेहगढ़ 30 एस.एस.डब्लयू	—	—	—	29.9.1999	150.00
79.	सहजीपुरा—ए	—	—	—	29.9.1999	150.00
80.	" —बी	—	—	—	29.9.1999	150.00
81.	" —सी	—	—	—	29.9.1999	150.00
82.	बहलोलनगर—ए	—	—	—	29.9.1999	150.00
83.	" —बी	—	—	—	29.9.1999	150.00
84.	" —सी	—	—	—	29.9.1999	150.00
85.	मसरूवाला	—	—	—	25.10.1999	150.00
86.	कर्णीसर—ए	—	—	—	29.9.1999	150.00
87.	" —बी	—	—	—	29.9.1999	150.00

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–747 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

बाल विकास परियोजना, कोटपूतली के अधीन स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	आगनबाड़ी केन्द्र (गांव) का नाम
1.	ग्रामीण बाघड़ी
2.	खुर्दी
3.	सांगटेड़ा–I
4.	सांगटेड़ा–II
5.	शेखूपुर
6.	गोपालपुरा–I
7.	गोपालपुरा–II
8.	बनका
9.	मोलाहेड़ा–I
10.	मोलाहेड़ा–II
11.	खेड़की बीरभान
12.	टापरी
13.	चतुर्भुज
14.	अजीतपुरा खुर्द
15.	बामनवास
16.	गोपीपुरा
17.	नांगल पंड़ितपुरा
18.	अमाई
19.	पुतली–I

1	2
20.	पुतली–II
21.	कल्याणपुरा खुर्द
22.	राहेड़ा
23.	ग्रामीण बूचाहेड़ा
24.	रामसिंहपुरा
25.	गोनेड़ा–I
26.	गोनेड़ा–I
27.	पनियाला–I
28.	पनियाला–II
29.	झीड़ा की ढ़ाणी–I
30.	झीड़ा की ढ़ाणी–II
31.	करवास
32.	नांगल चेची का
33.	खेड़ की मुक्कड़
34.	श्यामपुरा
35.	हरानपुरा
36.	धंवाली
37.	केशवाना राजपूत
38.	मलपुरा
39.	मोरधा

1	2
40.	जयसिंहपुरा
41.	सीकरी
42.	कालूहेड़ा
43.	मखराना–I
44.	मखराना–II
45.	कल्याणपुरा कला
46.	कुधड़ा
47.	धुरदड़ा
48.	चुंरी–I
49.	चुरी–II
50.	चुरी–III
51.	जोधा की ढाणी
52.	बनार–I
53.	बनार–II
54.	पानेड़ा
55.	देवता
56.	नवल कुशालपुरा
57.	पवाना राजपुत
58.	बनेठी–I
59.	बनेठी–II
60.	अमरपुरा
61.	चिमनपुरा
62.	नारेहड़ा–I

1	2
63.	नारेहड़ा–II
64.	नारेहड़ा–III
65.	नारेहड़ा–IV
66.	ओधा की ढाणी
67.	कायमपुरा बास
68.	रामनगर
69.	राजनौता–II
70.	राजनौता–II
71.	राजनौता–III
72.	सल्लाजी की ढाणी
73.	कैरोड़ी
74.	लूणाजी की ढाणी
75.	पाथरेड़ी–I
76.	पाथरेड़ी–II
77.	रघुनाथपुरा
78.	बिचली ढाणी
79.	पेजूका
80.	गोरधनपुरा–II
81.	गोरधनपुरा–II
82.	गोरधनपुरा–III बन्द है।
83.	बसई
84.	भालोजी
85.	कंवरपुरा–I

1	2
86.	कंदरपुरा–II
87.	टमोरीवास
88.	हासियावास–I
89.	हासियावास–II
90.	दादूका
91.	टोरड़ा–I
92.	टोरड़ा–II
93.	टसकोली–I
94.	टसकोला–II
95.	रूपपुरा
96.	मीनावास–I
97.	मीनावास–II
98.	मीनावास–III
99.	भूरीमड़ाज–I
100.	भूरीमड़ाज–II
101.	भूरीमड़ाज–III
102.	फतेहपुरा
103.	भैंसलाना–II
104.	भैंसलाना–II
105.	थूद्धावास
106.	पंडितपुरा
107.	चांदोली
108.	मांजूकोट

1	2
109.	रामपुरा
110.	बुचारा
111.	खटीको की ढाणी
112.	सीमावता
113.	कारोली
114.	दांतिल–I
115.	दांतिल–II
116.	दांतिल–III
117.	सुनातनगर
118.	बीणगौर
119.	मीरापुर
120.	तालवा
121.	पुरुषोत्तमपुरा–I
122.	पुरुषोत्तमपुरा–II
123.	गुलाबगढ़
124.	ढाढा
125.	बेरी
126.	बीठलोदा
127.	खड़ब–I
128.	खड़ब–II
129.	बनका की ढाणी
130.	सुकलाबास
131.	द्वारिकपुरा

1	2
132.	सुदरपुरा
133.	कांसली—I
134.	कांसली—II
135.	जोधपुरा
136.	मोहनपुरा
137.	खेड़ा निहालपुरा
138.	महरमपुर नवाब
139.	महमपुर राजपूत
140.	सुन्दरपुरा—I
141.	सुन्दरपुरा—II
142.	जगदीशपुरा
143.	कुजोता—I
144.	कुजोता—II
145.	सरूण्ड—I
146.	सरूण्ड—II
147.	कीरतपुरा
148.	फतेहपुरा—I (कांसली)
149.	फतेहपुरा—II (कांसली)
150.	अजीतपुरा कला
151.	मोजावास
152.	नौरंगपुरा
153.	पुचाना अहीर—I
154.	पुचाना अहीर—II

बाल विकास परियोजना, बैराठ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	2
1.	आसपुरा
2.	फिरारोद 1
3.	फिरारोद 2
4.	प्रागपुरा 1
5.	प्रागपुरा 2
6.	प्रागपुरा 3
7.	प्रागपुरा 4
8.	प्रागपुरा 5
9.	ललाना 1
10.	ललाना 2
11.	पावटा 1
12.	पावटा 2
13.	पावटा 3
14.	पावटा 4
15.	पावटा 5
16.	पावटा 6
17.	पावटा 7
18.	कुनेड
19.	खेलना 1
20.	खेलना 2

1	2
21.	खेलना 3
22.	लाडा का वास 1
23.	लाडा का वास 2
24.	कल्याणपुरा
25.	टारेडा ब्राह्मण
26.	तुलसीपुरा 1
27.	तुलसीपुरा 2
28.	वडनगर 1
29.	वडनगर 2
30.	वडनगर 3
31.	वडनगर 4
32.	वडनगर 5
33.	पंचपहाड़ी 1
34.	पंचपहाड़ी 2
35.	जोधपुरा 1
36.	जोधपुरा 2
37.	भांकरी 1
38.	भांकरी 2
39.	भांकरी 3
40.	भांकरी 4
41.	भांकरी 5
42.	मण्डा 1
43.	मण्डा 2
44.	मण्डा 3
45.	मण्डा 4,
46.	ढिकरिया 1
47.	ढिकरिया 2
48.	पांचूडाला 1
49.	पांचूडाला 2
50.	पांचूडाला 3

परिशिष्ट–21

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

[शिवनारायण नागर (बारां)]

बस्तियों में पेयजल एवं सड़कों की खराब हालत

मेरे विधान सभा क्षेत्र बारां की नगरपालिका बांस की उक्त कालोनियों में गरीब एवं पिछडी जातियों की आबादी है। गत वर्षो से नगरपालिका चुंगी बन्द किये जाने से बारां नगरपालिका में शहर एवं इन कालोनियों में जनता की सुविधा हेतु कोई कार्य नहीं हुये।

अतः आपसे शहर एवं कालोनियों की जनता की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए अविलम्ब ही इन कार्यो के लिये बजट दिलाये जाने की व्यवस्था करें।

गैर सरकारी विद्यालयों में युक्ति संगत शुल्क एवं प्रभावी शिक्षण व्यवस्था लागू करने विषयक

[श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)]

राजस्थान जैसे विस्तृत राज्य में हजारों की संख्या में अनुदानित और गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाएं वर्तमान में हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को अल्प वेतन दिया जाता है जबकि विघार्थियों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल की जाती है। इन विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस पर सरकार का क्या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नही है। एक ओर जहां मनमानी राशि फीस इत्यादि के नाम

पर जनता से वसूल की जा रही है वहीं कम वेतन देकर गैर अनुभवी एवं अनुभवी शिक्षकों का और अन्य कर्मचारियों का इन विद्यालयों में शोषण किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं चाहे वह अनुदानित है अथवा गैर–अनुदानित उनमें कार्य करने वाले शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिये एक समान वेतन श्रंखला एवं भत्तों व सुविधाओं के सम्बन्ध मे विस्तृत नियम बनाये जायें एवं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाये। यदि इस प्रकार के नियम शिक्षा विभाग द्वारा बना रखे है तो उनका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।

राज्य के कई विद्यालय जो केन्द्रीय बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के माध्यम से परीक्षाएं करवाते है ऐसे विद्यालयों में भी राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु फीस एवं अन्य राशि का निर्धारण समान रूप से किया जाना चाहिए। जिससे इन विद्यालयों मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मनोस्थिति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के नाम से जिस प्रकार की फीस आदि की राशि लेकर जनता से लुटाजा रहा है वह सर्वथा अनुचित है और उसके निराकरण के लिये सरकार को तुरन्त कठोर उपाय करने चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहें विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त होते है और उन्हें शिक्षण के क्षेत्र में दक्षता होती है लेकिन शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का कठोर नियंत्रण नहीं होने के परिणामस्वरूप ही आज राज्य में निजी क्षेत्र के विद्यालयों का बोलबाला है व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक आदि को जहां लगभग 14–15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन भत्तों सहित मिलता है लेकिन उसका "आउट–पुट" नही देते है साथ ही वर्ष में जहां शिक्षकों के लिये वर्ष में लगभग तीन माह से अधिक का उन्हें अवकाश मनाने का अवसर प्राप्त होता है इस संबंध में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है गर्मियों की छुट्टियों में इन शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लेना चाहिए। जिस विद्यालय में जिस विषय में कमजोर विद्यार्थी है उसकी तैयारी छुट्टियों मे करवायी जानी चाहिए जिससे शिक्षकों की सेवा से विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।

उपर्युक्त प्रस्ताव में उल्लेखित समस्याओं की ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन समस्याओं पर विचार कर गहनता से विचार कर राज्य की जनता को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाये

मुण्डावर कस्बे के चिकित्सा अधिकारी का तबादला

[श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)]

मुण्डावर कस्बे में डाक्टर दयाराम यादव के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपखण्ड अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने निदेशक चिकित्सा एवं जिला कलक्टर से बात कर दयाराम यादव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर से श्रीयुत निदेशक महोदय जयपुर को अग्रिम पदस्थापित हेतु कार्य मुक्त किया। यह आदेश दिनांक 19–11–1999 को हुआ। उसके बाद 01–01–2000 को डां. दयाराम यादव को पुनः मुण्डावर के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर ने कर दिये। डा. दयाराम यादव के खिलाफ 01–01–2000 को थाना मुण्डावर में रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें धारा 409 आई.पी.सी. लगी है आज मुण्डावर क्षेत्र की जनता में रोष है कि ऐसे भ्रष्ट चिकित्सक को शिकायत जांच के बाद मुण्डावर से हटाकर वहीं पर लगा दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाने की ही नहीं बल्कि अनिवार्य सेवानिवृति करने की योजना बनायी है।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का तबादला तुरन्त प्रभाव से करे जिससे जनता में ऐसा संदेश जाये कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। धन्यवाद

विधान सभा क्षेत्र दीगोद के बड़ौद उ.मा.वि. में विज्ञान विषय पर नियुक्त अध्यापक की कोटा प्रतिनियुक्ति समाप्त करने विषयक

[श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)]

आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा में बड़ौद उच्च माध्यमिक विद्यालय आपके द्वारा क्रमोन्नत किया गया है इस विद्यालय में विज्ञान विषय पढ़ाने हेतु जिन्हें शिक्षा विभाग ने नियुक्त किया है वह बड़ौद विद्यालय में कार्य न कर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कोटा लगा रखा है तथा बड़ौद विद्यालय में कोई भी अध्यापक विज्ञान विषय पढ़ाने वाला नहीं है इस विषय

में जिला शिक्षा अधिकारी कोटा तथा उप निर्देशक शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है शिक्षा अधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया कि यदि आप प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं करते है तो कम से कम परीक्षा होने तक किसी अन्य अध्यापक की अस्थायी व्यवस्था कर स्थानीय छात्रों के भविष्य को बिगड़ने से बचाया जाये। उन्हें यह राय भी दी कि सुल्तानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय से विज्ञान के किसी अध्यापक की अस्थायी व्यवस्था कर दें क्योंकि सुल्तानपुर में तीन चार अध्यापक विज्ञान विषय के है।

अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि 11 वीं कक्षा की परीक्षाएं बिलकुल नजदीक आ गयी तथा छात्रों के विज्ञान विषय के अध्यापक प्रतिनियुक्त होने के कारण नहीं पढ़ाया गया है जिससे छात्रों का एक वर्ष अंधकारमय हो गया है इस व्यवस्था मे जो भी अधिकारी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे भविष्य में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकें तथा छात्रों को राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद

रामगढ़ शेखावाटी में महिला चिकित्सक की व्यवस्था करने विषयक

[श्री भंवरू खान (फतेहपुर)]

निवेदन हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ शेखावाटी में एक महिला चिकित्सालय है जिसका 16 माह पूर्व बिजली का कनेक्शन कटा था जो आज तक कटा पड़ा है 14 महीने से इसमें कोई महिला चिकित्सक नहीं है अस्पताल बहुत अच्छी और सुन्दर दानदाताओं द्वारा बनायी हुई है। अस्पताल में नर्स एवं कम्पाउंडर मात्र हाजरी करके अपनी तनख्वाह उठा रहे है। अस्पताल में मिलने वाली दवाई का भी पता नहीं। सरकार को प्रति माह तीस--चालीस हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। रामगढ़ शेखावाटी एक नगर पालिका क्षेत्र है, और वहां कोई साधन नहीं है, रामगढ़ में दानदाताओं द्वारा एक करोड रुपये से भी अधिक की लागत का एक भव्य अस्पताल बनाया है जो शीघ्र ही सरकार को सुपुर्द करने जा रहे है परन्तु महिला अस्पताल के हालात को देखकर वहां के दानदाताओं का रुख सरकार के प्रति बहुत नाराज है एक तो सरकार दानदाताओं का सहयोग लेना चाहती

है दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च करने के साथ वहां चिकित्सक नहीं लगाना एक दुःख की बात है।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां महिला चिकित्सालय को मिलने वाली दवाई एवं बिजली के बिल जमा नहीं होने की जांच शीघ्र करवायें एवं महिला चिकित्सक की व्यवस्था करें।

ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के भुगतान

[श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर)]

मैं आपके माध्यम से पंचायत राज्य मंत्री महोदय का ध्यान पूर्व सरपंचों द्वारा पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्यो की मजदूरी भुगतान की तरफ दिलाना चाहता हूं। पूर्व सरपंचों ने पंचायतों में कुछ निर्माण कार्य करवाये थे। इन कार्यो को एम.बी. तथा यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट संबंधित अधिकारियों ने जारी कर दिये। इस प्रकार इस बात की पुष्टि हो गयी कि पंचायतों में निर्माण कार्य करवाये गये हैं पर जब मजदूरी भुगतान का समय आया तो सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हो गयी जो कि करीब दो महीने पांच दिन चली। इसी बीच पंचायतों के चुनाव हो गये और कहीं –2 नये सरपंच बन कर आ गये। अब ये नये सरपंच व विकास अधिकारी पुराने सरपंचों को पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो का भुगतान नहीं कर रहे है। मजदूर अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिये भटक रहे। पूर्व सरपंचों का कहना है कि हम पैसा कहां से दे. विकास अधिकारी हमें पैसा देगा तभी हम इन मजदूरों को भुगतान कर सकेंगे।

इन सब बातों को देखकर मैंने सुना है कि डायरेक्टर डवलपमेंट. जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2000 से सभी विकास अधिकारियों को आदेश दिये है कि पुराना भुगतान पुराने सरपंचों को किया जावे। इस पर भी विकास अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र की पंचायत समिति गंगापुर (जिला सवाईमाधोपुर) में स्थित ग्राम पंचायत खेड़ा–बाढ़–रामगढ़ में हुए पूर्व निर्माण कार्यों का भुगतान पूर्व सरपंच मोहन लाल शर्मा को नहीं किया जा रहा है वह बराबर भटक रहा है क्योंकि मजदूर उसे परेशान कर रहे है

अतः मेरा पंचायत राज्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दे और संबंधित विकास अधिकारी को भुगतान के लिये आदेश दें। विशेष कृपा होगी। धन्यवाद।

संस्कृत विद्यालय बेवड़ त० राजगढ़ (चूरू) में रिक्त पद भरने विषयक

[श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)]

मैं माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बेवड़ त0 राजगढ़ (चूरू) में प्रधानाध्यापक सहित 6 (छह) पद रिक्त है।

(1) प्रधानाध्यापक

(2) वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत

(3) वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी

(4) वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान

(5) वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान

(6) वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी

इस प्रकार कुल छह पद रिक्त है शाला में चतुर्थ श्रेणी का पद भी स्वीकृत नही है।

अध्यक्ष महोदय . इस प्रकार एक शाला में 6–6 पद पूरे साल खाली रहते है आप सोच सकते है उस विद्यालय में क्या पढ़ाई होती होगी। यह तो सरासर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है उनका भविष्य अंधकार में है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में शालाओं का क्रमोन्नत किये जाने का क्या औचित्य है जहां पर पूरी साल अध्यापकों की नियुक्ति ना हो। यह स्थिति इसी साल की

नहीं है पूर्व वर्षो में भी इस शाला की यहीं स्थिति रही है हर वर्ष अध्यापकों की कमी रहती है। शाला को क्रमोन्नत हुए करीब 15 वर्ष हो गये है लेकिन किसी भी वर्ष में पूरे अध्यापक नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय मैं, आपके माध्यम से माननीया संस्कृत शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जाने वाले शैक्षणिक सत्र में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कृपा करें ताकि छात्रों का भविष्य खराब होने से बच सके। मुझे आशा है कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र मे सिवाना से जोधपुर वाया समदड़ी कल्याणपुर व बालोतरा से पाली वाया समदड़ी रोडवेज बसें शुरू करवाने बाबत

[श्री गोपाराम मेघवाल (सीवाना)]

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत माननीय यातायात मंत्री का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ओर दिलाना चाहूंगा कि जालौर से सिवाना एवं बालोतरा कल्याणपुर से जोधपुर रोडवेज की बसें चल रही हैं किन्तु सिवाना से जोधपुर व बालोतरा से पाली प्राइवेट बसें चल रहीं है जो यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करते है एवं सवारियां बस में ऊपर नीचें भरकर चलते है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसीलिये श्रीमान् जी से निवेदन है कि सिवाना से जोधपुर वाया समदड़ी कल्याणपुर एवं बालोतरा से पाली वाया समदड़ी रूट पर राजस्थान रोडवेज की बसें चालू की जाये। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी एवं राजस्थान रोडवेज को भारी राजस्व भी प्राप्त होगा क्योंकि इन मार्गों पर करीब 10 से 15 के बीच प्राइवेट बसें चल रहीं है इसके परमिट बंद कर राजस्थान रोडवेज की बसें शुरू करेंगें तो जनहित में होगा एवं क्षेत्र की जनता यातायात व्यवस्था में राहत महसूस करेंगी।

नगर सुधार न्यास/नगर परिषद, अजमेर द्वारा दीप दर्शन गृह निर्माण समिति के सदस्य बीमा कर्मचारियों को आवासीय भूमि का आवंटन

[श्री अमराराम (धोद)]

नगर सुधार न्यास, अजमेर/नगर परिषद, अजमेर द्वारा बीमा कर्मचारियों को राजनैतिक वैमनस्य का शिकार बनाने तथा उनके साथ घोर अन्याय किये जाने की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं :–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने दीप–दर्शन गृह निर्माण समिति, अजमेर का सदस्य बनकर समिति के माध्यम से आवासीय भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया था। नगर सुधार न्यास, अजमेर के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि पर उक्त योजना थी। नगर सुधार न्यास द्वारा राशि मांगे जाने पर कुछ बीमा कर्मचारियों ने अपने स्वयं के साधन जुटा समिति के माध्यम से न्यास में अपनी राशि मार्च 1994 में जमा करवायी वहीं 37 बीमा कर्मचारियों की तरफ से भारतीय जीवन बीमा निगम ने उनको कर्मचारियों का आवास ऋण योजना के तहत ऋण स्वीकृत कर यह राशि न्यास में जमा करवायी।

2. जब बीमा कर्मचारियों ने आवासीय भूमि हेतु अपने नियोजक से ऋण की प्रार्थना की तो जीवन बीमा निगम ने समिति से कुछ जानकारियां मांगी इसी क्रम में जीवन बीमा निगम ने जब न्यास को पत्र लिखा तो नगर न्यास द्वारा उनके पत्र क्रमांक न्यास /भू. अभि./3115 दिनांक 07.07.1993 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को सूचित किया गया कि न्यास द्वारा दीप–दर्शन गृह निर्माण समिति अजमेर से मांगी गयी राशि जमा करवाने के पश्चात समिति को आवंटन किया जायेगा व समिति के पक्ष में लाइसेंस व लीज डीड की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी तथा व्यक्तिगत साइट प्लान समिति अपने सदस्यों को जारी करेंगी। इस स्पष्टीकरण के आधार पर ही जीवन बीमा निगम ने 37 कर्मचारियों को आवासीय ऋण स्वीकृत किया तथा जीवन बीमा निगम ने सीधे ही नगर सुधार न्यास को

30,52,674/–रुपये की राशि 4 मार्च,1994 को जमा करवा दी तथा इस प्रकार न्यास के पास 18 मार्च,1994 तक 68 लाख 15 हजार 901 रुपये की राशि जमा हुई। इसमें से 49 लाख 1 हजार 407 रुपये की राशि तो बीमा कर्मचारियों की ही थी।

3. इसके बाद राजनैतिक घटनाक्रम में बदलाव के कारण नगर सुधार न्यास, अजमेर में भाजपा का बोर्ड अस्तित्व में आ गया। भाजपा के स्थानीय नेतृत्व की बीमा कर्मचारियों के प्रति वैमनस्य पूर्ण राजनैतिक विद्वेष रखने से न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष तथा उनके प्रशासन ने बीमा कर्मचारियों को अपना शिकार बनाना आरम्भ कर दिया तथा कर्मचारियों के बार–बार मिलने पर भी न केवल मामले को लटकाये रखा गया तथा न्यास ने नकारात्मक रवैया बनाये रखा यहां तक कि 29 मार्च, 1996 को जब जीवन बीमा कर्मचारियों का प्रतिनिधि मण्डल विधिवत अनुमति प्राप्त कर न्यास के सचिव से राज्य सरकार के 02.02.96 के आदेश की शीघ्र अनुपालना करने का आग्रह करने गया तो उन्हें झूठे पुलिस केस में फंसा दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार ने ये मामला वापस ले लिया। भाजपा के सुधार न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष ने लगातार मामले को उलझाने की कोशिशें की ताकि उनके राजनैतिक विरोधियों को जमीन ना मिले। इसी क्रम में बगैर किसी औचित्य के पिछले लगभग एक साल पूर्व ये प्रकरण भाजपा शासित नगर परिषद को स्थानान्तरित कर दिया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा लगातार प्रयास करने तथा मामले को राज्य सरकार के समक्ष ले जाने पर इस विषय में पूरी पत्रावली का अवलोकन कर नगरीय विकास विभाग राजस्थान राज्य सरकार ने बार–बार न्यास को आदेश दिया कि आवंटियों को जमीन का आवंटन कर दिया जाये। राज्य सरकार द्वारा निम्न तिथियों को इस संबंध में आदेश तथा स्पष्टीकरण जारी किये गये :– 25.04.1991, 18.02.1992, 02.02.1996, 28.04.1997, 29.08.1997, 05.05.1998, 26.08.1998 आश्चर्य यह है कि राज्य सरकार के उक्त आदेशों की आज तक अनुपालना नहीं हुई।

5. क्योंकि वर्तमान में यह प्रकरण बिना किसी औचित्य के नगर परिषद, को स्थानान्तरित किया जा चुका है जहां पर भाजपा का ही प्रशासन है नगर परिषद

ने साल भर से अधिक समय बीत जाने पर भी बीमा कर्मचारियों के प्रति वहीं रवैया कायम रखते हुए राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रखी है नौकरी पेशा कर्मचारी आर्थिक भार तले दबे जा रहे है उन्होंने जीवन बीमा निगम से अथवा अन्य साधनों से ऋण ले रखें है जिस पर उनको भारी ब्याज देना पड़ रहा है ये न्यास की आशा में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांतिकुमार धारीवाल को दिनांक 08 मई, 1999 को इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन भी भेज चुके है। आपके दल की सरकार आ जाने पर भी वे आज भी राजनैतिक वैमनस्य के शिकार बने हुए है। आपकी सरकार साल भर का समय बीत जाने पर भी राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं करवा पा रही है। भाजपा शासित नगर परिषद, अजमेर भी राज्य सरकार के आदेशों को ठुकरा रहा हैं। कर्मचारियों की 68 लाख रुपये से अधिक की राशि पिछले 5–½ वर्ष से जमा पड़ी है पर उन्हे कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है।

यह बीमा कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है पिछली सरकार भी अपने आदेशों की अनुपालना करवाने में नाकारा रहीं। हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार तो इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर वर्षो से पीड़ितों को राहत पहुंचायेगी तथा कर्मचारियों को न्याय दिलायेगी।

आप नगर सुधार न्यास/नगर परिषद अजमेर पर दबाव डाले कि या तो शीघ्र बीमा कर्मचारियों को जमीन का आवंटन करें या राशि ब्याज सहित जीवन बीमा निगम को लौटा दे ताकि वे अनावश्यक कमर तोड़ आर्थिक बोझ से बच सके।

हम आशा करते हैं कि आप राज्य सरकार के अधिकारों का उपयोग कर अजमेर नगर सुधार न्यास/नगर परिषद,अजमेर से बीमा कर्मचारियों को न्याय दिलवायेगे तथा नगर सुधार न्यास/नगर परिषद को सख्त हिदायत देंगे कि वह कर्मचारियों को शीघ्र आवासीय भूमि का आवंटन करें तथा आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आदेश की पूरी अनुपालना हो। धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के गांवों में पानी की समस्या

[श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)]

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर के ग्रामों में पीने के पानी की विशेष किल्लत होने के कारण सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में ग्राम पंचायत हाजीपुर, ग्राम पंचायत गढ़ों धनेटा, ग्राम पंचायत डावरी ग्राम पंचायत बीजवा, चीड़वा, रसगण तिलवाड़, ईन्दपुर नसवारी, खेड़ा महमूद, न्याणा, सेमलाखुर्द रामवास, सैदमपुर फाहरी, भैसडावल, दोगंड़ी मालपुर चिड़वई खेड़ी ऊंटवाल, खिलौरा सादडोली, बहाला केसरोली, चौरोटी पहाड़, जातपुर, बाम्बोली, गोविन्दगढ़ (गोबिन्दगढ़) कस्बे में लगभग 97 लाख की नई टंकी बनायी गयी किन्तु फेल है, इसकी भी जांच करायीं जावे, निर्माण एवं पाइप लाइन में भारी घोटाला है बंगला बजीरका, चोरोटी इतमरार, खुटेंटा बगड़,राजपूत अलावड़ा नंगली, चोमा सेथली में आदि पंचायतों में 90 प्रतिशत हैण्ड पंप अभी तक खराब पड़े, है नये लग नहीं रहे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है कृपा कर टेंकरों या अन्य किसी व्यवस्था से उपलब्ध कराया जाये।

विशेष रूप से ग्राम पंचायत मिलकपुर एवं मिलकपुर पंचायत के अन्तर्गत ग्राम बिलासपुर, नांगल, पूठी, ललावंडी में कीचड़ नुमा पानी आ रहा है कृपा करें सरकार ध्यान दे, पशु मर जायेंगे लोग गांवों से पलायन कर जायेंगे।

अवश्य कृपा करें पानी उपलब्ध कराये। कृपा करें। कृपा करें। कृपा करें। यह निवेदन पिछले वर्ष भी किया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 8 पर राजस्थान रोडवेज से 15 मिनट के अन्तराल पर नियमित बस सेवा प्रारम्भ करने विषयक

[डा. करण सिंह यादव (बहरोड)]

उचित परिवहन व्यवस्थाओं के अभाव में राष्ट्रीय राजमार्ग न.8 पर जयपुर व बहरोड के बीच में भारी संख्या में जीपों द्वारा अवैध परिवहन व्यवस्था संचालित है आम तौर पर ये जीपें इस मार्ग में छोटे–छोटे सैक्टर में चलती है जयपुर से अचरोल, अचरोल से

चन्दवाजी, चन्दवाजी से मनोहरपुर–शाहपुरा, शाहपुरा से कोटपूतली, कोटपूतली से बहरोड़, बहरोड़ से नीमराणा–शांहजहांपुर (हरियाणा सीमा तक)

ये जीपें आम तौर पर सवारियों से बुरी तरह लदी रहती है एक–एक जीप में लगभग 30–35 व्यक्ति जो ठूंस–ठूंस कर भरे रहते है। जीप की छत पर वे आगे पीछे एक पांव पर खड़े रहते हैं।

दुर्भाग्य से इन जीपों के चालक अकसर बिना लाइसेंसधारी 15 से 20 वर्ष की बीच के लड़के होते है और ये लोग बिना ट्रेफिक नियमों के पालन किये बड़ी तेजी से चलते हैं और नतीजा है हर दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें हर साल कई हजार लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं।

मेरी परिवहन मंत्री से प्रार्थना है कि एन.एच..8 पर जयपुर से राजस्थान व हरियाणा सीमा पर स्थित शांहजहांपुर के बीच 15–20 मिनट के अंतराल से नियमित शटल बस सेवा प्रारम्भ की जाये जो आमेर, अचरोल, मनोहरपुर, शाहपुर, कोटपूतली, बहरोड़, शांहजहांपुर में रुके जिससे कि इस सैक्टर में चलने वाली जीपों से होने वाली भारी जनहानि का बचाव हो तथा इस क्षेत्र के लोगो को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था मिल सके।

मेरा मानना है कि घाटें में चल रही राजस्थान रोडवेज को इस सैक्टर में प्रचुर मात्रा में सवारियां मिलेगी तथा लाभ अर्जन होगा।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेयजल की समस्या

[श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)**]**

निवेदन है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या की चरम सीमा आ चुकी हैं चौमूं कस्बे में 09 नलकूप पानी सूखने के कारण पिछले 1 वर्ष से खराब हो चुके है जिनके स्थान पर नये बोरिंग अब तक नहीं करवाये गये है, जिसके कारण कस्बें में पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है इसी प्रकार ग्राम पंचायत नांगल भरड़ा

में वीर हनुमान जी के व म्हार कला में एक–एक बोरिंग खराब हो चुके है जिनके स्थान पर अब तक नये बोरिंग लगाये गये है।

ग्राम पंचायत खेजरोली जहां की आबादी लगभग 20,000 है, यहां पर पेयजल संकट बना हुआ है, पाइप लाइन की कमी के कारण नई टंकी चालू नहीं हो रही है ग्राम बरवाड़ा, मंगत भल्ड़ा, मलिकपुर, जेतपुरा, अबतपुरा की निर्मित टंकियों में पानी चालू नहीं होने से पटने की स्थिति में आ चुकी है उदयपुरिया की जल योजना अधूरी पड़ी है, इस प्रकार चौमूं कस्बा व 9–10 ग्राम पंचायतों में आज भी पानी की किल्लत चल रही है। एक माह बाद गर्मी में स्थिति और खराब हो जायेगी। हस्तेड़ा, गोविन्दगढ़ में विद्युत मोटर पिछले 2 माह में बार बार जल जाने के कारण पेयजल को भारी समस्या बनी हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी जल योजनाओं को अविलम्ब पूर्ण करवाके चालू करवाई जाये तथा चौमूं कस्बे व अन्य गांवों में जो नए बोरिंग लगवाने है अविलम्ब लगवाकर पेयजल की सुचारू व्यवस्था की जाये।